खण्ड–497, अंक–6
बुधवार, 09 भाद्रपद, शक संवत् 1938
(31 अगस्त, 2016 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2016)

(खण्ड 497 में 7 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2016

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
प्रश्नोत्तर	7-48
पूर्वांचल के कतिपय जिलों में धर्म की आड़ में मुस्लिम समाज को आतंकित करने विषयक व्यवस्था का प्रश्न	48-49
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	49-54
जनपद मिर्जापुर के मड़िहान विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय जर्जर सम्पर्क मार्गों/सड़कों का शीघ्र निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	54-55
जनपद आजमगढ़ थाना निजामाबाद ग्राम डोड़ोपुर में अनुसूचित जाति के परिवार की जानमाल की सुरक्षा के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	55
जनपद गाजियाबाद विधान सभा साहिबाबाद में टूटी हुई सड़कों के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	55-56
जनपद गाजीपुर के श्री विद्यानन्द सिंह का बकाया वेतन रु0 2,40,831.00 का भुगतान कराये जाने सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	56
ग्राम विकास अधिकारी महिला अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	56
जनपद इलाहाबाद गंगा, यमुना टोंस के प्रकोप से पीड़ितों को राष्ट्रीय आपदा सहायता अनुदान से क्षतिपूर्ति कराने तथा गन्दगी व बीमारी से निपटने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	56-57
जनपद आगरा में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार विद्युत सप्लाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	57
सहकारिता विभाग में कनिष्ठ लिपिक संग्रह के लम्बित भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	57-58
उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की वरिष्ठता/पदोन्नति के नियम व शिक्षकों की सम्बद्धता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	58
जनपद बलरामपुर के उतरौला में आई बाढ़ के पीड़ितों को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	58-59
शाहजहांपुर के ददरौल ब्लाक में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	59
जनपद बुलन्दशहर विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद गंग नहर पर महमदपुर केहरी सुनपेरा सम्पर्क मार्ग के बीच क्षतिग्रस्त पुल को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ..	59-60

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद मुजफ्फरनगर की सदर विधान सभा के गांव कूकड़ा की अविकसित बस्तियों में पेयजल, जल निकासी की समस्या के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	60
जनपद पीलीभीत में शारदा नहर प्रणाली के अन्तर्गत साबेपुर रजबाहा, गोबल रजवाहा के टेल तक पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	60-61
श्री बाबूराम तथाकथित उपाध्यक्ष पेट्रोलियम टैंकर्स ड्राईवर्स एवं कन्डक्टर्स यूनियन बरेली द्वारा गरीब ड्राइवरों की जिन्दगी से खिलवाड़ करके ड्राइवर स्कूल संचालकों को ब्लैक मेल किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	61-62
जनपद बांदा के कस्बा अतर्रा के परिचित रिंग रोड बनाने व रेलवे लाइन को रिंग मार्ग बनाने वाले दोनों स्थानों में ओवर ब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	62
जनपद सीतापुर के विकास खण्ड मछरेहटा में वित्त आयोग योजना वर्ष 2014-15 का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	62
श्री मनीष कुमार को विश्वविद्यालय की सेवा में पुनः बहाल कर विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	63
जनपद लखनऊ नगर स्थित सरोजनी नगर में केनरा बैंक के पास विकास कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	64
जनपद बलरामपुर के कतिपय मार्गों का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	64
जनपद गोरखपुर की तहसील खजीन में कम बारिश से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	65
उ0 प्र0 में सिकलीगर जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	65
जनपद गोण्डा के कटरा बाजार विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय जर्जर मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	65-66
जनपद मेरठ के वार्ड-16 दांदल जटौली के पेयजल आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	66
जनपद मऊ में नाली को पाटकर सी0सी0 रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	66-67
जनपद बरेली शहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युत सम्बन्धी समस्याओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	67

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद आगरा में बोदला चौराहे पर आये दिन लगने वाले जाम से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	67
जनपद वाराणसी उत्तरी विधान सभा क्षेत्र बसही से पटेल चौराहे तक का मार्ग ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	67-68
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुगराबादशाहपुर में जंगली सुअरों एवं नीलगायों के आतंक से व्याप्त स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	68
जनपद प्रतापगढ़ की नगर प्रतापगढ़ जल शाखा शीर्ष में शीर्ष से टेल तक जमा सिल्ट सफाई हेतु धन उपलब्ध कराकर शीघ्रातिशीघ्र सफाई कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	68
जनपद बहराइच में मा0 मुख्य मंत्री द्वारा पं0 जनेश्वर मिश्र ग्राम विकास योजना में चयनित ग्राम पयागपुर व सोहरियावां में सी0सी0 रोड निर्माण में तत्कालीन मण्डी अधिकारियों द्वारा ठेकेदार से मिलकर अधूरा कार्य का निर्माण कराकर बंदरबांट कर लिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	68-69
जनपद बांदा के कतिपय ग्राम सभा की किसानों की सिंचाई व्यवस्था हेतु लगे सिंचाई पम्पों की क्षमता बढ़ाने एवं सब-स्टेशन की स्थापना के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	69-70
बिल्डर एवं रियल स्टेट कम्पनियों द्वारा प्रदेश में नागरिकों का भारी उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	70-71
जनपद हमीरपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व0 मौलाना शमीम अली उर्फ पीर खां के आश्रितों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	71
जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में विद्युत व्यवस्था ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	72
जनपद अमेठी कानूनगो सरकिल हरियापुर तहसील मुसाफिरखाना में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	72-73
जनपद मथुरा के मथुरा ब्लाक के कतिपय ग्रामों में आर्सेनिक युक्त पानी के निराकरण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	73-74
जनपद लखनऊ स्थित 7, तिलक मार्ग, डालीबाग पर जबरन कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	74
जनपद मेरठ महानगर में नालों की सफाई के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	75
जनपद कानपुर में टाट मिल चौराहा जी0टी0 रोड से किदवई नगर होते हुए यशोदा नगर तक की सड़क मास्टर प्लान के अनुरूप अनुरक्षण लोक निर्माण विभाग द्वारा न बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	75-76

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद कुशीनगर के तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय सड़कों के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	76
जनपद अलीगढ़ में बरौली विधान सभा क्षेत्र के क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	76-77
जनपद मथुरा के बल्देव विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	77
जनपद बरेली के अन्तर्गत अरिल नदी पर काजवे बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	77-78
जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र सदर में कटाई चौराहे से भगवानपुर की जर्जर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	78
जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरांव के कतिपय ग्राम सभाओं में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	78
जनपद आगरा के विकास खण्ड खेरागढ़ के सी0ए0टी0के0 मार्ग से डांडा का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	78-79
जनपद बुलन्दशहर विधान सभा क्षेत्र अनूप शहर में ग्रामीण बिजली के स्थान पर शहरी बिजली दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	79
जनपद आगरा के ग्रामीण आगरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत लोक निर्माण द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	79-80
विधान सभा क्षेत्र महोबा में नयी सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	80
जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ के अन्तर्गत कोच कस्बा तहसील कोच में राजकीय महाविद्यालय स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	80
बाल लिंग अनुपात पर नियंत्रण हेतु महत्वाकांक्षी योजना में प्रदेश स्तर पर लापरवाही तथा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	81
श्री हरिओम शरण श्रीवास्तव, सहायक अध्यापक सम्प्रति सेवानिवृत्त के0के0 इण्टर कालेज, कन्नौज के प्रकरण में शासनादेश दिनांक 30-06-2015 के आलोक में सेवा विस्तार समिति के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत कर उन पर विचार किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	81-82
जनपद लखनऊ स्थित जानकीपुरम् योजना के सेक्टर आई के पास स्थित आकांक्षा चौराहे से अलीशानगर में नाले पर पुलिया बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	82-83

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद सीतापुर विधान सभा क्षेत्र तहसील महोली में अधिवक्ताओं के बैठने के चैम्बर, हाल व लाइब्रेरी बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	83
जनपद लखनऊ नगर स्थित एल0डी0ए0 कालोनी, सेक्टर एल अलीगंज के मकान संख्या-एल-5/132 से एल-5/150 के बीच नालियों को पत्थरों से ढक दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	83-84
जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड सीटी में तैनात लेखपाल श्री सुनील कुमार द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	84
जनपद सीतापुर के वि0ख0 परसेण्डी एवं बेहटा के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्गों का निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	84-85
जनपद चित्रकूट के ग्राम लक्ष्मणपुर नहर पटरी होते हुए ग्राम रामपुर सम्पर्क एवं झरी रेलवे फाटक से रेलवे स्टेशन मानिकपुर तक पक्के सम्पर्क मार्ग की निविदा खोलने में की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	85-86
जनपद शाहजहांपुर की विधान सभा क्षेत्र तिलहर के ब्लाक निगोही के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	86
जनपद मऊ विधान सभा क्षेत्र मधुबन के विकास खण्ड दोहरीघाट के कतिपय सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	86-87
जनपद मिर्जापुर की मझवां विधान सभा के अन्तर्गत बेलन नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	87
जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के वि0ख0 धौरहरा के ग्राम महराजनगर से धौरहरा तक जर्जर सड़क का निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	87-88
जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड लोटन ग्राम सिकरा, चौराहे से खखरा ग्राम तक पिच निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	88
जनपद आजमगढ़ तहसील लालगंज के अन्तर्गत कुडिहर माइनर का निर्माण पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	88
जनपद आजमगढ़ वि0ख0 ठेकमा के ग्राम सभा खरगीपुर, गोडहरा के निवासियों को आवास दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	88-89
जनपद लखनऊ के अमीनाबाद इण्टर कालेज तथा जवाहर इण्टर कालेज के प्रधानाचार्यों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	89
जनपद लखनऊ शहर में कूड़े व गन्दगी की व्यापक समस्या के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	90

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में पूर्वांचल विकास निधि का जिलांश आवंटन के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	90
जनपद सहारनपुर की श्री राम ट्रेडिंग कम्पनी के नाम पर करोड़ों रुपये के गोलमाल किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	91
जनपद लखीमपुर की कस्ता विधान सभा क्षेत्र में औरंगाबाद में विद्युत तार से मृतक जानवरों तथा व्यक्तियों की परिजनों को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	91
उ0 प्र0 सचिवालय के कर्मचारी को राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवंटित आवास की समस्या के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	91-92
जनपद झांसी की बबीना विधान सभा की कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	92-93
श्रमिक नियोजन बाल कारखाने में नियोजित श्रमिकों के हित में वेतन पुनरीक्षण कमेटी लागू करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	93
जनपद फिरोजाबाद नगर निगम के भ्रष्ट कर्मचारियों द्वारा की जा रही वसूली के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	93
जनपद शामली स्थित कतिपय ग्रामों के नहर की पटरी के क्षतिग्रस्त मार्गों को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	94
जनपद मुजफ्फरनगर के गांव लकड़संघा में बरसात के कारण घायल लोगों का उचित इलाज न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	94
जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा अन्य जिला मार्ग फतेहपुर सीकरी से डावर व खानुआ राजस्थान सीमा मार्ग का विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	94-95
निदेशक होम्योपैथी के चयन के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	95
लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी शासनादेशों का अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	95-96
जनपद मिर्जापुर में बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा महिला कर्मचारी का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	96
जनपद गाजीपुर के सैतपुर विधान सभा क्षेत्र ग्राम पहाड़पुर के तीन हजार अल्पसंख्यकों के लिये हस्तशिल्पकारों को आर्थिक सहायता एवं प्रशिक्षण दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	96
जनपद आजमगढ़ के लालगंज कटघर टाउन एरिया के निवासियों को महामारी से बचाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	97

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद मुजफ्फरनगर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा गृह जनपद में कार्यरत शिक्षकों की नियुक्ति के लिये विकल्प भरवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	97
जनपद फैजाबाद के रुदौली विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड मवई व रुदौली के किसानों को सूखे से बचाने तथा फसलों की नुकसान की भरपाई के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	97-98
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	98
मोदी शुगर मिल के मालिक श्री उमेश मोदी के विरुद्ध मोदी नगर थाने में धारा-420 एवं 3/7 में दर्ज मुकदमें में उनकी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में अधिकारियों द्वारा सरकार को गुमराह किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक औचित्य का प्रश्न	98-99
उत्तर प्रदेश नगर निगम/नगर पालिका नियमावली, 2014 जो 27 अक्टूबर, 2014 को प्रख्यापित/अधिसूचित की गयी है, के अनुसार प्रदेश में कहीं भी संविधान के 74वें संशोधन के अनुरूप वार्ड समितियों का गठन प्रक्रिया लागू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति विषयक औचित्य का प्रश्न	100-101
प्रदेश में राजकीय आस्थान व नजूल भूमि की दोहरी प्रवृष्टियों के प्रकरणों में भूमि को नजूल मानते हुए कब्जा धारकों (इलाहाबाद भू-खण्ड सं0-353/1, बेली उपहार) से सम्बन्धित मामले की जांच/परीक्षण अध्यक्ष राजस्व परिषद् के स्तर पर प्रचलित होने से उत्पन्न स्थिति विषयक औचित्य का प्रश्न ...	101-102
मा0 विधायकों एवं पूर्व विधायकों को बीमारी के इलाज की सुविधा को कैशलेस सुविधा के रूप में उपलब्ध न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक औचित्य का प्रश्न	102
उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-5-2012 (उप लो0 आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)... ...	102
उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	103
उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 2016 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	103
उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2016 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	103
उत्तर प्रदेश विनियोग (2016-2017 का अनुपूरक) विधेयक, 2016 (राज्यपाल महोदय की अनुमति)	103
उत्तर प्रदेश विधान सभा उक्त समिति (2015-2016) का तेइसवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत)	104

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश विधान सभा उक्त समिति (2015-2016) का चौबीसवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत)	104
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	104-105
उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों के जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2015 (स्वीकृत पुनर्विचार)	105
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016 (पुरःस्थापित) ...	105-106
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2016 (पुरःस्थापित)	106
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	106-107
नियम-56 की अस्वीकृत सभी सूचनाओं को लिये जाने का आग्रह... ...	107-108
एरा विश्वविद्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 (पारित)	108-128
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	128-134
पच्चीस (25) वर्ष पूर्ण करने वाले दस (10) मा0 विधान सभा सदस्यों का मा0 नेता सदन (मुख्य मंत्री) द्वारा सम्मान...	134-148

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

बुधवार, दिनांक 31 अगस्त, 2016 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-306

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद
2. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
3. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
4. अजय, श्री — वाराणसी
5. अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
6. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
7. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
8. अजीमुल हक पहलवान, हाजी — अम्बेडकरनगर
9. अताउररहमान, श्री — बरेली
10. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
11. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
12. अनीसुर्ररहमान, श्री — मुरादाबाद
13. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
14. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
15. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
16. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
17. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
18. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
19. अमर पाल शर्मा, श्री — गाजियाबाद
20. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
21. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
22. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
23. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
24. अराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
25. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
26. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
27. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती — कानपुर नगर
28. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
29. अली यूसूफ अली, श्री — रामपुर
30. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
31. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
32. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
33. अविनाश कुशवाहा, श्री — सोनभद्र
34. अशफाक अली खां, श्री — अमरोहा
35. आदिल शेख, श्री — आजमगढ़
36. आनन्द सिंह, कुंवर — गोण्डा
37. आबिद रजा खां, श्री — बदायूं
38. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
39. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
40. आशा किशोर, श्रीमती — अमेठी
41. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा
42. आशीष यादव, श्री — बदायूं
43. आशुतोष टण्डन (गोपाल जी), श्री — लखनऊ
44. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
45. इकबाल महमूद, श्री — सम्भल
46. इन्दल कुमार, श्री — लखनऊ
47. इन्द्रजीत कोरी, श्री — कानपुर नगर
48. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती

49. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री लखीमपुर खीरी
50. उदयराज, श्री उन्नाव
51. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
52. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
53. उमाशंकर, श्री बलिया
54. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
55. उर्मिला देवी, श्रीमती महोबा
56. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
57. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
58. *कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
59. कमाल अख्तर, श्री अमरोहा
60. कमाल युसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
61. काली चरन सुमन, श्री आगरा
62. किसमतिया, श्रीमती गाजीपुर
63. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
64. कृष्ण गोपाल पटेल, श्री लखीमपुर खीरी
65. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
66. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
67. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
68. गजराज सिंह, श्री हापुड़
69. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
70. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
71. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
72. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
73. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
74. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
75. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
76. गोमती यादव, श्री लखनऊ
77. गोरख पासवान, श्री बलिया
78. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
79. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
80. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
81. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
82. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
83. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
84. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
85. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
86. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
87. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
88. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
89. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
90. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
91. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
92. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
93. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
94. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
95. तसलीम, श्री बिजनौर
96. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
97. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
98. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
99. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
100. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
101. दलजीत सिंह, श्री बांदा
102. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
103. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
104. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
105. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
106. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
107. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली

* उप चुनाव में निर्वाचित।

108. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
109. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
110. धर्मराज, श्री बाराबंकी
111. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कासगंज
112. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
113. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
114. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
115. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
116. नारद राय, श्री बलिया
117. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
118. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
119. पंकज कुमार मलिक, श्री शामली
120. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
121. पीतमराम, श्री पीलीभीत
122. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
123. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
124. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
125. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
126. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
127. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
128. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
129. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
130. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
131. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
132. ''फसीहा मंजर'' ''गजाला लारी'', श्रीमती देवरिया
133. फेरन लाल, श्री ललितपुर
134. बंशीधर बौद्ध, श्री बहराइच
135. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
136. बदलू खां, श्री उन्नाव
137. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
138. बाबू खां, श्री हरदोई
139. बाबूलाल, श्री गोण्डा
140. बावन सिंह, श्री गोण्डा
141. विमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
142. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
143. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
144. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
145. बैजनाथ, श्री मऊ
146. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
147. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
148. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
149. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
150. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
151. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
152. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
153. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
154. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
155. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
156. मनीष रावत, श्री सीतापुर
157. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
158. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
159. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
160. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
161. महबूब अली, श्री अमरोहा
162. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
163. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
164. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
165. *माविया अली, श्री सहारनपुर
166. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
167. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच

* उप चुनाव में निर्वाचित।

168. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
169. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
170. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
171. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
172. *मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
173. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
174. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
175. *मो0 फईम, श्री मुरादाबाद
176. मो0 मुस्लिम, श्री अमेठी
177. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
178. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
179. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
180. मौहम्मद इकबाल, श्री बिजनौर
181. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
182. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
183. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
184. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
185. रणजीत सुमन, श्री एटा
186. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
187. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
188. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
189. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
190. आर0 के0 वर्मा, डा0 प्रतापगढ़
191. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
192. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
193. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
194. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
195. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
196. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
197. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
198. राजीव गुम्बर, श्री सहारनपुर
199. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
200. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
201. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
202. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
203. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
204. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
205. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
206. राधे श्याम, श्री अमेठी
207. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
208. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
209. राम करन आर्य, श्री बस्ती
210. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री सम्भल
211. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
212. राम गोविन्द, श्री बलिया
213. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
214. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
215. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
216. राम मगन, श्री बाराबंकी
217. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
218. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
219. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
220. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
221. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
222. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
223. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
224. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
225. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
226. रुचिवीरा, श्रीमती बिजनौर
227. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
228. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
229. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
230. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
231. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती सम्भल
232. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
233. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
234. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद

235. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
236. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
237. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
238. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
239. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
240. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
241. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
242. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
243. विजय सिंह, श्री रामपुर
244. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्री फर्रुखाबाद
245. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
246. विनोद तिवारी, श्री महराजगंज
247. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
248. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
249. विमला बाथम, श्रीमती गौतमबुद्धनगर
250. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
251. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
252. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
253. वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
254. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
255. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
256. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
257. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
258. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
259. शाकिर अली, श्री देवरिया
260. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
261. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
262. शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
263. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
264. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
265. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
266. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
267. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
268. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
269. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
270. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
271. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
272. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
273. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
274. संजय कपूर, श्री रामपुर
275. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
276. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
277. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
278. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
279. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
280. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
281. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
282. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
283. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
284. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
285. सियाराम सागर, डा0 बरेली
286. सीमा, श्रीमती जौनपुर
287. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
288. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
289. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
290. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद

291. सुधाकर, श्री मऊ
292. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
293. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
294. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
295. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
296. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
297. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
298. सुरेश राणा, श्री शामली
299. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
300. सुल्तान बेग, श्री बरेली
301. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
302. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
303. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
304. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
305. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
306. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी), कारागार मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया), पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री (श्री साहब सिंह सैनी) तथा खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राम सकल गूजर) भी सदन में उपस्थित थे।

[11.00] प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में 24 घण्टे विद्युत सप्लाई सुनिश्चित किये जाने विषयक

**01-श्री नदीम जावेद तथा श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में माह अप्रैल, 2016 से जुलाई, 2016 तक कुल कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन हुआ तथा उत्पादन के सापेक्ष मांग क्या थी ? क्या सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष से पूरे प्रदेश में 24 घण्टे विद्युत सप्लाई सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नियोजन एवं ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई')-

प्रदेश में माह अप्रैल, 2016 में औसत प्रतिबन्धित विद्युत की मांग 11919 मे0वा0 के सापेक्ष उपलब्धता 11939 मे0वा0 थी। माह मई, 2016 में 12263 मे0वा0 के सापेक्ष उपलब्धता 12226 मे0वा0 थी। माह जून, 2016 में 13206 मे0वा0 के सापेक्ष उपलब्धता 13176 मे0वा0 थी। माह जुलाई, 2016 में 12079 मे0वा0 के सापेक्ष उपलब्धता 12308 मे0वा0 थी।

जी नहीं।

24 घण्टे विद्युत आपूर्ति करने की योजना वर्ष 2019 से है।

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, विद्युत जनजीवन की आवश्यक आवश्यकता है। इसलिए विद्युत आपूर्ति शासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। अवशेष व्यवस्थायें भले ही गौड़ रहें। साथ ही कृषि एवं उद्योग प्रभावित न हो सकें अन्यथा प्रदेश आर्थिक रूप से पिछड़ जायेगा। इसलिए मैं कुछ कतिपय अनुपूरक पूछ रहा हूं। नम्बर-1-क्या सरकार सिंचाई महसूल की भांति ही विद्युत उपभोग का शुल्क भी घरेलू तथा कृषि कार्यों हेतु मुफ्त करने का विचार कर रही है या करेगी ? यदि हां तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों? नम्बर-2- जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर में तहसील मुख्यालय पर 132 के0वी0ए0 का एक विद्युत उपकेन्द्र काफी समय से निर्मित पड़ा हुआ है। लेकिन वह अब तक चालू नहीं किया गया है तो क्या सरकार बतायेगी कि चालू क्यों नहीं हुआ है और चालू होगा तो कब तक कर दिया जाएगा ? तीसरा प्रश्न हमारा यह है।

श्री अध्यक्ष-

पहले इन प्रश्नों का तो उत्तर आ जाने दीजिए।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का जो सवाल था उसका उत्तर मैंने दिया। उसके बाद जो आपके अनुपूरक सवाल हैं इसके सम्बंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब से 2012 के बाद उत्तर प्रदेश में माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है। इस सरकार ने बिजली के क्षेत्र में चाहे उत्पादन का क्षेत्र रहा हो, चाहे ट्रांसमीशन का क्षेत्र रहा हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन का क्षेत्र रहा हो में जितना काम किया है उतनी पिछली कई सरकारों ने मिलकर नहीं

किया था। फिर भी मा0 सदस्य जी की जब सरकार थी तो कई विद्युत उत्पादन केंद्र जो उत्तर प्रदेश के थे जो अच्छा उत्पादन कर रहे थे, नये थे। इन लोगों ने बेचने का काम किया था। उत्पादन बढ़ाने का काम नहीं किया था। मैं सरकार की बिजली के क्षेत्र की कुछ उपलब्धियां आपके सामने रखना चाहता हूं। जहां तक जो ऊर्जा के क्षेत्र में इस सरकार की पिछले चार वर्ष की उपलब्धियॉं रहीं हैं मैं मा0 सदस्य को बताना चाहता हूं कि विभिन्न स्रोतों से विद्युत उपलब्धता में वर्ष 2012 के सापेक्ष अब हुयी लगभग सात हजार आठ सौ दस, पन्द्रह हजार पांच सौ तिरपन मेगावाट की उत्पादन क्षमता में वृद्धि की गयी है।

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

मा0 मंत्री जी, हमारे अनुपूरक प्रश्न का तो उत्तर दे दीजिए।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

मैं उत्तर दे रहा हूं। आप पूरी सुनने की क्षमता तो रखिये। थोड़ा धैर्यवान होइये, थोड़ा धैर्य रखिये, बहुत ऐंठन में मत रहिये, आखिर आपको तो हमेशा वहीं रहना है।

श्री अध्यक्ष-

आप अनुपूरक का जवाब दीजिए, उलझिये मत।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

वह तो समय बतायेगा, कौन कहां बैठेगा।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जो जहां बैठे हैं, सब वहीं बैठेंगे, क्या बुरी बात है।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

माननीय अध्यक्ष जी, अगर इन्होंने सवाल किया है तो हमने जो किया है, वह बता रहे हैं, तो इसमें हम कौन सा गुनाह कर रहे हैं। हमने जो चार सालों में किया है, वह हम बता रहे हैं, तो इनको सुनना चाहिए। हमने कितने बिजली घर बनाये हैं, कितनी लम्बी लाइनें हमने बनाई हैं, कितना हम उत्पादन कर रहे हैं, अगर हम इन्हें बता रहे हैं तो इनको सुनना चाहिए। इनको सुनने में क्या दिक्कत हो रही है, हम तो बताने के लिए तैयार हैं, यह सुनें तो।

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

मान्यवर, मेरे अनुपूरक का जवाब देने के बजाय मा0 मंत्री जी संसदीय कार्य मंत्री जी से बातें कर रहे हैं।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

हमारे नेता हैं, अगर कुछ हमें बता रहे हैं तो आपको पीड़ा क्यों हो रही है, आप तो अपने नेताओं की सुनते नहीं हैं, हमें तो अपने नेता की बात सुनने की आदत है, आपको दर्द क्यों हो रहा है। खन्ना साहब चिल्लाते रहते हैं आप वेल में आ जाते हैं, खन्ना साहब आपको मनाते रहते हैं, आप तो अपने नेताओं का आदर करते नहीं हैं, अगर हम आदर कर रहे हैं तो हमसे आप सीखिये नेताओं का अदर करना।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, आप उत्तर दीजिए, बहस में मत उलझिये।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

मा0 अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में बिजली के क्षेत्र में जो सरकार की उपलब्धियां हैं और जो हमने जनहित में, किसानों के हित में, उपभोक्ताओं के हित में जो काम किये हैं, उनके बारे में मैं बताना चाहता हूं, लेकिन मा0 सदस्य उसके बारे में सुनना नहीं चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य पूछ रहे हैं कि कृषि कार्यों में और दूसरे कार्यों में कुछ छूट देंगे, जिस तरह से सिंचाई में आपने कुछ छूट दी है, यह उनका सवाल है।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

मान्यवर, जहां तक छूट का सवाल है, अभी हम लोगों ने विद्युत नियामक आयोग के निर्णय न देने के बावजूद, विद्युत नियामक आयोग इस पर सहमत नहीं था, इसके बावजूद सरकार ने किसानों के हित को देखते हुए, ग्रामीण उपभोक्ताओं के हित को देखते हुए, उनको सौ प्रतिशत छूट देने का काम किया था जो अभी फरवरी-मार्च में हुआ है, उसका लाभ पूरे प्रदेश के करोड़ों किसानों और उपभोक्ताओं ने उठाया है। जहां तक इनके पीलीभीत के बीसलपुर में 132 के0वी0ए0 सब स्टेशन का सवाल है, इसी तरह के तमाम सब-स्टेशन हमारी यह कोशिश है, जो मा0 मुख्य मंत्री जी की मंशा है कि हम इसी अक्टूबर माह से प्रदेश के सभी गांवों में 16 घण्टे अनिवार्य रूप से बिजली दें, उसके पहले हम इस तरह से सभी सब स्टेशनों को चालू करने का काम करेंगे।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न मा0 मंत्री जी के जवाब से जुड़ा हुआ है, मंत्री जी ने लिखा है माह जुलाई, 2016 में 12089 मेगावाट के सापेक्ष उपलब्धता 12308 मेगावाट थी, यानी जितनी जरूरत थी प्रदेश को बिजली की, बिजली उससे अधिक उपलब्ध थी, अब सवाल है कि जब प्रदेश में जरूरत से ज्यादा बिजली उपलब्ध थी, मांग से अधिक थी, तो पूरे प्रदेश में इतनी कटौती क्यों थी और सरकार इस कटौती को स्वीकार भी कर रही है। सरकार ने लिखा है कि 2019 तक हम 24 घण्टे बिजली देंगे, तो जब 2016 में स्थिति मांग से अधिक आपूर्ति की थी, तो आखिर कटौती क्यों हो रही है, सरकार इसका कारण बताये।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य की आदत है घुमा-फिरा कर बात करना। हमारे साथ ही सदन में पहली बार आये थे, तब से यह भी लगातार आये, हम भी लगातार आये। हमारे साथ ही 2002 में सदन में आये थे, तब से यह भी इसी सदन में हैं, हम भी इसी सदन में हैं। जो हमारा शेड्यूल है उस शेड्यूल के अनुसार हम प्रदेश में जितनी बिजली देना चाहते हैं, उस समय के शेड्यूल के अनुसार जो मांग थी उसके सापेक्ष हमारी उपलब्धता थी। 24 घण्टे के सापेक्ष नहीं थी। यह सदन को गुमराह करने के लिए सवाल कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, बैठिए। यह आगरा के हैं, हमेशा बिजली से परेशान रहते हैं, आप पूछिए।

श्री गुटियारी लाल दुवेश-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से केवल इतना चाहता हूं कि जो प्रदेश में गरीब लोग हैं, जिनका एक कमरे का मकान है, झोपड़ी पड़ी हुई है क्या माननीय मंत्री जी सरकार द्वारा उनको 25 प्रतिशत या फ्री बिजली देने का काम करेगी ? मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न है कि सरकार दावे कर रही है कि हम इतना मेगावाट लगाए हुए हैं और 2019 तक हम 24 घण्टे बिजली देंगे ? क्या माननीय मंत्री जी के संज्ञान में है कि आगरा शहर के अंदर टी0टी0 जेट माननीय सुप्रीमकोर्ट के आदेशानुसार 24 घण्टे बिजली आपूर्ति होनी चाहिए। क्या माननीय मंत्री जी के संज्ञान में है कि 4 साल से वहां पर 6 से 7 घण्टे की कटौती दोपहर 3 बजे के बाद में हो रही है, क्या माननीय मंत्री जी इस बात का जवाब देंगे ?

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सवाल मुझसे संबंधित नहीं है लेकिन मैं इस पर जवाब देना चाहता हूं। आगरा के उस जोन में माननीय सुप्रीमकोर्ट का निर्देश है, माननीय सुप्रीमकोर्ट के निर्देश का सरकार पालन कर रही है और उसका पालन करते हुए हम बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। कभी-कभी कहीं ग्रिड में खराबी आने के कारण, कहीं तकनीकी दिक्कतों के कारण आकस्मिक कटौती होती है लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय की आज्ञा का पालन हो रहा है। माननीय सदस्य सदन को गुमराह कर रहे हैं यह कभी आगरा जाते नहीं हैं और आगरा का सवाल कर रहे हैं।

(सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर की स्थिति उत्पन्न हो गयी)

श्री अध्यक्ष-

बैठिए, अब बात हो गयी, खन्ना साहब आप पूछिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है और उस जवाब से स्पष्ट है कि जिनकी आपूर्ति है वह मांग से ज्यादा है। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि जब आपूर्ति ज्यादा है तो उस समय मांग की आपूर्ति ज्यादा है।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने माह जुलाई की आपूर्ति बतायी है। जुलाई माह में उनका जो शेड्यूल था उसका उन्होंने जवाब दे दिया उसके अनुसार उपलब्धता थी। डॉक्टर साहब ने घुमा कर पूछा था उन्होंने सही उत्तर दे दिया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, उपलब्धता इस समय ज्यादा है। 12,308 मेगावाट उपलब्ध है और मांग बारह हजार उन्नासी मेगावाट की है।

श्री अध्यक्ष-

यह जुलाई का है, अगस्त चल रहा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जुलाई सही, इस समय भी बिजली की मांग है ज्यों-ज्यों मौसम इधर ठंडे की तरफ बढ़ेगा, त्यों-त्यों बिजली की मांग कम्पेरिटिवली कम होगी। जब उपलब्धता ज्यादा है तो फिर इनको बिजली देने में क्या परेशानी है। या तो इनकी मंशा नहीं है प्रदेश की जनता को रोशनी में रखने की, तो बिजली को रख कर क्या करेंगे ? दूसरा सवाल रात में साढ़े 11 बजे से 3 बजे तक शाहजहांपुर में कटौती हो रही है। मान्यवर, आदमी किस समय सोयेगा। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या रात की कटौती को माननीय मंत्री जी बन्द करायेंगे और दूसरा प्रश्न जब उपलब्धता ज्यादा है तो फिर 24 घण्टे बिजली देने में क्या हर्ज है। 2019 तक तो यह वहां रहेंगे नहीं।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय खन्ना जी बाहर सोए या अंदर, इन्हें क्या दिक्कत है। यह एक ऐसे व्यक्ति हैं चाहे छत पर सोए, चाहे बाहर सोए। अकेले इंसान हैं, कहीं सो सकते हैं और फिर रात को आपकी क्या समस्या है, आप तो अकेले इंसान हो चाहे जहां रात बिता लो।

श्री अध्यक्ष-

अरे, आप जवाब दीजिए। यह सब नहीं कहा जाता है।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

माननीय अध्यक्ष जी, बिजली कहीं स्टोरेज तो की नहीं जा सकती है, किसी अलमारी में तो रखा नहीं जा सकता, यदि हमारे पास बिजली कुछ सरप्लस हो जाती है तो हम अपने शेड्यूल से ज्यादा भी बिजली देने का काम करते हैं। आकस्मिक कटौती तभी होती है जब कोई इस तरह की परिस्थितियां मशीनरी समस्याओं के कारण पैदा होती है वरना ऐसी कोई कटौती नहीं की जाती है।

नत्थी (ख)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में हुई भारी बारिश, बाढ़ से हुए नुकसान से आम जन को बचाने हेतु सरकारी कार्य योजना बनाये जाने की मांग विषयक

*01-डा0 धर्मपाल सिंह तथा श्री नदीम जावेद-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह जुलाई-अगस्त, 2016 में प्रदेश में हुई भारी बारिश के कारण प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गयी है जिससे आम जन-जीवन अस्त व्यस्त हो गया है तथा दर्जनों लोगों की मृत्यु हो गयी है और सैकड़ों मकान ध्वस्त हो चुके हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बाढ़ से हो रहे नुकसान से आम जन को बचाने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण, सिंचाई एवं जल संसाधन, बाढ़ नियंत्रण, सहकारिता, परती भूमि विकास, राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

वर्ष 2016 के माह जुलाई व अगस्त में औसतन अधिक वर्षा हुई है जिसके कारण जनपद बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, ललितपुर, गोण्डा, बांदा, फैजाबाद, रामपुर, बहराइच, बलरामपुर,

बदायूं, कुशीनगर, बस्ती, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, महराजगंज, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, पीलीभीत, हमीरपुर, चित्रकूट, इलाहाबाद, वाराणसी, बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, महोबा एवं चन्दौली (29 जनपद) मुख्य रूप से प्रभावित हुए हैं। जहां पर जन, धन व पशु हानि हुयी है।

नदियों पर तटबन्धों का निर्माण, तटबन्धों एवं महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य एवं जल निकास हेतु ड्रेनों के अनुरक्षण का कार्य निरन्तर कराया जाता है जो एक सतत् प्रक्रिया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी लास्ट पैरा देख लें नदियों पर तटबन्धों का निर्माण, तटबन्धों एवं महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य एवं जल निकास हेतु ड्रेनों के अनुरक्षण का कार्य निरन्तर कराया जाता है। माननीय अध्यक्ष जी अगर निरन्तर कार्य हो रहा होता तो बाढ़ से कोई गांव प्रभावित नहीं होते। सरकार जो कहती है वह करती नही हैं अगर यह कार्य कराये गये होते, तटबन्धों का निर्माण बरसात से पहले करा लिया जाता तो बाढ़ नहीं आती। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने खुद माना है कि 29 जिले भयंकर बाढ़ से प्रभावित हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा दो प्रश्न करना चाहता हूं कि बाढ़ जब भी आती है तो नदियों के किनारे जो गांव होते हैं वे बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। बहुत सारे गांव तो ऐसे होते हैं जो डूब जाते हैं तो उनके स्थायी समाधान के लिए सरकार को योजना बनानी चाहिए। उन गांव को वहां से हटाकर थोड़ा ऊपर की तरफ बसाये जाने चाहिए, ऐसा पहले हुआ भी है, कई सरकारों में जो गांव बार-बार बाढ़ में डूबते थे, जो नदियों के किनारे होते थे उन्हें अलग जगह बसाया गया। मैं आपके माध्यम से दो प्रश्न माननीय मंत्री जी से करना चाहता हूं, पहला प्रश्न है कि सरकार ने पूरी क्षति का आकलन करा लिया होगा, पूरे प्रदेश में 29 जिलों में कुल कितनी क्षति हुई, कुल जन-धन-पशु की कितनी क्षति हुई है और दूसरा प्रश्न है कि इसके स्थायी समाधान के लिए जो गांव पूर्ण रूप से नदियों के किनारे डूबे हुए हैं, क्या उन गांव को सरकार दूसरी जगह बसाने का काम करेगी।

श्री शिव पाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही बता दिया है कि जो वर्षा हुई है, औसतन ज्यादा हुई है और उसके साथ-साथ, बरसात के साथ-साथ जो भी पानी उत्तर प्रदेश में आया है वह दूसरे देशों से भी आया है और दूसरे प्रदेशों से भी आया है, नेपाल से भी आया है, आपके यहां तो यह जटिल समस्या है, हम तो आपके साथ भी गये हैं। यह नेपाल का पानी है, मध्यप्रदेश का पानी है, राजस्थान का पानी आया है और कभी-कभी इतनी वर्षा हो जाती है, कोई अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता, कभी-कभी बादल फटने की भी सूचना मिल जाती है, इसे तो रोका नहीं जा सकता यह दैवीय आपदा है। दैवीय आपदा में कुछ कहा नहीं जा सकता है। वैसे तो अब यह राष्ट्रीय समस्या है वैसे तो हमने मैमोरेण्डम भी भारत सरकार को भेज दिया है और पहले भी कई बार भेजा जा चुका है और जो भी बन्धें के अन्दर बस्तियां हैं वह अधिक प्रभावित हो जाती हैं, बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती हैं। वैसे तो डूब क्षेत्र में बसना नहीं चाहिए, लेकिन बसी हुई हैं, बहुत पहले से बसीं हुईं हैं, पक्के मकान भी बने

हैं और उन्हें हटाया भी नहीं जा सकता है। बहुत सी सरकारे आई हैं, अगर हटाया होता, शुरूआत से ही हटाया होता तो यह समस्या नहीं आ सकती थी लेकिन उन्हें हटाया नहीं जा सकता है। ऐसी समस्याएँ हैं लेकिन हमने भारत सरकार को मेमोरेण्डम भेजा है। यह राष्ट्रीय समस्या है, अब भारत सरकार की टीम आएगी। उनकी टीम और हमारी टीम, दोनों टीमें सर्वे करेंगी। जब सर्वे करेंगी उसके बाद इसका आंकलन किया जाएगा, उसमें कुछ समय लगेगा और जब तक भारत सरकार से टीम नहीं आएगी क्योंकि दोनों टीमें मिलकर सर्वे करेंगी कि प्रदेश में जहां पर बाढ़ है, नुकसान हुआ है, जो गम्भीर जिले हैं, बहुत से गम्भीर जिले भी हैं जिनमें बाढ़ आई है। हम तो मौके पर कई जिलों में गए भी हैं, समस्या है और उस समस्या को निपटाने के लिए सभी डी0एम0 से लेकर सब अधिकारियों को आदेश दिए हैं। आंकलन जब होगा तब उसमें निर्णय लिया जाएगा।

श्री दीपक पटेल-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने पूरे प्रदेश में बाढ़ की विभीषिका को स्वीकारा है। अभी हाल में आप जनपद इलाहाबाद भी गए थे। आपने देखा है कि बड़े पैमाने पर क्षति हुई है। खासकर जो कच्चे मकान थे और जो डूब क्षेत्र में नहीं भी थे वे भी ढह गए हैं तो मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि फौरी सहायता के तौर पर कुछ नकद धनराशि और जिनके कच्चे मकान गिर गए हैं क्या उनको लोहिया आवास की सुविधा उपलब्ध कराएंगे ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, वैसे तो जिस-जिस जिले से जिलाधिकारियों ने जितनी भी मांग की है, मैंने धन उपलब्ध करा दिया है और अभी तो राहत का काम किया जा रहा है। आपको पता ही होगा कि जहां पर जितनी भी जरूरत है तो राहत बांटी जा रही है, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है और राहत दी जा रही है। अभी तो यह आंकलन होगा कि किसका कच्चा मकान गिरा है, किसका पक्के मकान में नुकसान हुआ है। फिर डूब क्षेत्र में तो बनाया नहीं जा सकता और बाहर वाले में आंकलन कराया जा रहा है।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे बाढ़ जैसी गम्भीर समस्या पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का मौका दिया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जैसा कि मा0 मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि लखीमपुर पहला जिला है जहां नेपाल से पानी आता है, उत्तरांचल से पानी आता है। चार-चार बड़ी नदियां शारदा, घाघरा, मोहाना और सुहेली, ये सब वहीं से होकर निकलती हैं और जब बनबसा से गिरिजापुरी डैम खोला जाता है तो एकदम से 3 लाख क्यूसेक, 4 लाख क्यूसेक पानी बहुत ही तेज बहाव के साथ लखीमपुर खीरी की धौरहरा तहसील और पलिया तहसील को प्रभावित करता है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बाढ़ से पूरे के पूरे गांव कटे हैं, 100-100 घर चाहे हुलासपुरवा रहा हो, चाहे रुद्रपुर रहा हो, चाहे हटवा रहा हो वहां पर लोगों ने जन आंदोलन भी किया और जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना भी दिया है। उनको बचाने का प्रयास सरकार कर रही है और करना भी चाहिए लेकिन जिन लोगों के मकान कट गए हैं क्या सरकार उनको अविलम्ब सहायता राशि उपलब्ध कराएगी और दूसरी चीज हजारों लोग आज बन्धों पर पड़े हुए हैं। जो नदी के बन्धे बने हैं, घाघरा और शारदा दोनों के तटबन्ध पर जो बन्धे बने हुए हैं, घर कटने के बाद लोग उन पर बस गए

हैं। यहां पर बार-बार कहने के बाद, हर साल कहने के बाद भी उनको जमीन मुहैया नहीं कराई जा रही है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि करीब हजारों लोग जो कटकर बन्धों पर पड़े हैं, क्या सरकार उनको बसाने के लिए भूमि की व्यवस्था करेगी और दूसरा हटवा, फिरोजाबाद, रुद्रपुर और चिकना गांवों में जिन लोगों के घर कटकर नदी में चले गए हैं, उनको अनुदान और उनकी फसलों वाली जमीन जिन पर वे कृषि कार्य करते थे, जिन पर गन्ना, धान, केला आदि की फसलें लगी हुई हैं, वह हजारों एकड़ जमीन भी कटकर नदी में समा गई है तो क्या उस जमीन के कटने का जो जमीन नदी में गई है उसका भी मुआवजा सरकार देगी ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, वैसे तो बाढ़ कई जिलों में है। लखीमपुर खीरी में भी है और आपने स्वयं बताया कि नेपाल का पानी आ रहा है। राष्ट्रीय समस्या है तो मैंने भारत सरकार को मेमोरेण्डम भी भेज दिया है और आंकलन भी कराया जा रहा है। अभी यह जानकारी करनी होगी, जब दोनों टीमें रहेंगी भारत सरकार की टीम और हमारी टीम रहेंगी वह पता करेंगी कि कहां किसका, कितना नुकसान हुआ है तो उस पर फिर विचार होगा फिर भारत सरकार कितना धन देती है और हमारे पास कितने संसाधन हैं, उसके अनुसार काम होगा।

श्री रवीन्द्र जायसवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, बनारस के गंगा, वरूणा की बाढ़ से शहर के अंदर पानी घुसा, तमाम गलियों और कॉलोनियों की सड़कें ध्वस्त हो चुकी हैं, मेरी सरकार से मांग है कि इन गलियों और सड़कों की मरम्मत के लिए व्यवस्था करेंगी।

श्री अध्यक्ष-

यह कोई प्रश्न नहीं है।

श्री रवीन्द्र जायसवाल-

दूसरी बात यह है कि जब वरूणा पर जो दो सौ करोड़ का स्पर बनाया जा रहा था जब बाढ़ का पानी बढ़ना शुरू हो गया था तब उसका निर्माण कराया जा रहा था, सारा सामान उसमें डूब गया, जब आपको पता था कि वहां पर बाढ़ आने वाली है, तब वहां पर निर्माण पहले क्यों करा रहे थे, बाढ़ के बाद कराये होते तो शायद नुकसान नहीं होता।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहां समस्या बाढ़ में मद्द करने की नहीं है हमारे यहां समस्या यह है कि बाढ़ में जो लोग उजड़ गये थे, अब उनको स्थानीय पुलिस वहां बसने नहीं दे रही है। दादागंज में तमाम झोपड़पट्टियां हैं, जिनमें गरीब लोग रहते हैं, पानी आया और सब बह गया और फिर जब वहां पर बसने जा रहे हैं तो वहां के जो इंस्पेक्टर उनसे वसूली करने जा रहा है कह रहा है यहां बसने नहीं देंगे। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इसको एस0एस0पी0 इलाहाबाद को कह दें कि इस तरह का उत्पीड़न बंद कर दें।

श्री उमेश पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, हमने नियम-51 में लगाया था...

श्री अध्यक्ष-

नियम-51 में लगाया था अभी रुको ना, नियम-51 में लगाया था तो निमय-51 में जवाब आएगा।

श्री उमेश पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अभी जो उत्तर आया, वह गलत आया है। मैंने नियम-51 में यह प्रश्न लगाया था।

श्री अध्यक्ष-

उसका उत्तर आयेगा तो उसमें पूछ लें।

श्री उमेश पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी बात एक मिनट सुन लें। माननीय अध्यक्ष जी किसानों की हजारों एकड़ जमीन रॉकपुर घनौली से च्यूटीधार, मुक्तिधाम तक हजारों एकड़ किसानों की जमीन नदी में विलीन हो चुकी है, उसको बचाने के लिए शासन द्वारा माननीय सिचाई मंत्री जी के द्वारा 22 करोड़ रूपये का पैकेज दिया गया था, उसमें वॉल्ब बनाने के लिए एप्रीन डालने के लिए। वह एप्रीन डाला गया और जब बाढ़ की विभीषिका में वह 22 करोड़ से बनाया हुआ जो एप्रीन डाला गया था, वह कट के विलीन हो गया और उत्तर आ गया नियम-51 में कि...

श्री अध्यक्ष-

अभी नियम-51 का इसमें नहीं लिखा जायेगा, बैठ जाइये आप कुछ जानते तो हैं नहीं, बेकार बात करते हैं। इस सम्बन्ध में जब नियम-51 का उत्तर आया था उसी समय पूछा जाना चाहिए था। उस समय तो अपने पूछा नहीं, अब बैठ जाइये।

श्री उमेश पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी आपने कहा था कि कल पूछ लीजिएगा। माननीय अध्यक्ष जी, इसकी जॉच करवा लें। आज दोहरीघाट का अस्तित्व खतरे में है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जायें। यहां नियम-51 सवाल पूछ रहे हैं। अब आप बैठिए।

डा0 धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारा आगरा यमुना के किनारे बसा है। माननीय अध्यक्ष जी, यमुना में बहुत पानी होने के कारण हमारे जो यमुना के किनारे के गांव हैं, जैसे हमारे विधान सभा का गांव है गिजौली और उसके अलावा आगरा ग्रामीण के गांव कनौरानूरपुर इत्यादि हैं। मान्यवर, ये गांव धीरे-धीरे कटते हुए यमुना में समा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन गांवों को बचाने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा टी का निर्माण होता है, जिसमें धारा को वापिस मोड़ देते हैं। क्या सरकार जिन गांवों को मैंने जिक्र किया है उन गांवों को कटान से बचाने के लिए टी का निर्माण करेगी।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो यमुना में पानी की कमी रहती है और इससे पहले भी इन्होंने प्रश्न बहुत किये हैं, उसके लिए पानी की व्यवस्था हमने करायी है। 400 क्यूसेक गंगा का पानी जमुना में डाला गया है और भी अभी डालना है। वैसे यमुना के किनारे हमारा भी क्षेत्र बसा हुआ है, अभी तक तो यमुना में बाढ़ कहीं पर आई नहीं है और जो इन्होंने कहा है जब भी बाढ़ आती है तो स्पर वगैरह बनाये जाते हैं। अभी तक तो बाढ़ आयी नहीं है जब आयेगी यमुना में बाढ़ तब उस पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले साल इसी सदन में माननीय मंत्री जी ने पिपराघाट और अहिरौली बांध जो एक ही तटबन्ध पर स्थित है उसके लिए धन स्वीकृति की बात कही थी। पिपराघाट के लिए आपने धन स्वीकृत कर दिया वहां पर निर्माण कार्य हो रहा है अहिरौली बांध का बैरिया टोला और कचौरी टोला जो पिछले तीन साल से नदी की कटान की विभीषिका को झेल रहा है और इस साल भी उसके सैकड़ों घर पानी में नदी में विलीन हो चुके हैं। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो उसकी बीएफसी हो चुकी है और उसका धन आवंटित नहीं हुआ है तो क्या उसका धन आवंटित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे और अगला सवाल कि हजारों परिवार जो वर्षों से एक ही तटबन्ध पर बसे हुए हैं गजरा जगदीशचन्द्र, पट्टी, पिपराघाट, अहिरौली बांध, बागखास, बाघा चौक यह तमाम टोले, तमाम ग्राम सभाओं के लोग क्या उनको बसाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी ? चूंकि आप राजस्व मंत्री भी हैं इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा ?

श्री शिव पाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, यह तो सब आंकलन कराने की बात है और फिर यह राष्ट्रीय विभीषिका है तो यह तो जब भारत सरकार की टीम आयेगी तभी विचार हो सकता है।

डा0 आर0के0 वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने अनुपूरक करने का अवसर दिया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, जब पूरा उत्तर प्रदेश सूखे की चपेट में रहता है तब भी प्रदेश के कुछ ऐसे जनपद हैं जो बाढ़ की स्थिति में आते हैं और सूखे की वजह से पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश....

श्री अध्यक्ष-

यह सूखे का सवाल ही नहीं है, बाढ़ का है यह सवाल एलाऊ नहीं हो सकता।

डा0 आर0के0 वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, बाढ़ के पानी को क्या सरकार जो भू-गर्भ जल लगातार नीचे गिरता जा रहा है कैनाल पम्प बना करके...

श्री अध्यक्ष-

आप डाक्टर हैं, विद्वान हैं यह गोष्ठी में कहिये यह सवाल नहीं है।

प्रदेश में जहरीली शराब के उत्पादन बिक्री एवं तस्करी की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्य योजना बनाये जाने विषयक

*02-श्री मनीष असीजा तथा श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जहरीली शराब पीने के कारण वर्ष 2015 एवं 2016 में नागरिकों की आकस्मिक मृत्यु की घटनाएं सरकार के संज्ञान में आई हैं ? यदि हां, तो कितनी ? क्या सरकार उक्त के निराकरण हेतु प्रदेश में जहरीली शराब के उत्पादन, बिक्री एवं तस्करी की प्रभावी रोकथाम हेतु कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

युवा कल्याण व आबकारी राज्य मंत्री (श्री राम करन आर्य)-

जी हां।

प्रदेश में जहरीली शराब के सेवन से मृत्यु की वर्ष 2015 में 04 तथा वर्ष 2016 में 02 घटनायें संज्ञान में आयी हैं।

सरकार द्वारा इन दुःखद घटनाओं का संज्ञान लेते हुए इनके निराकरण हेतु विस्तृत कार्य योजना बनायी गयी है।

1-जहरीली शराब के निर्माण व बिक्री में संलिप्त अपराधियों पर कठोर कार्यवाही करने के लिये संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 में संशोधन किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसमें अपायकर पदार्थ को मिश्रित कर मादक वस्तु के रूप में बिक्री करने के फलस्वरूप मृत्यु की घटना होने पर दोषी व्यक्ति को अधिकतम् मृत्युदण्ड तक की सजा प्रस्तावित है।

2-अवैध मदिरा/तस्करी की मदिरा के प्रति जनता आकर्षित न हो इसके लिये विदेशी मदिरा के दामों में कमी की गयी है जो गत वर्ष की तुलना में अधिकतम 25 प्रतिशत तक है।

3-इन घटनाओं पर नियंत्रण हेतु प्रदेश भर में अवैध मदिरा के निर्माण, व्यापार, बिक्री एवं तस्करी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने हेतु समय-समय पर विशेष अभियान चलाये जाते हैं, जिसमें पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग लेते हुए समेकित कार्यवाही की जाती है।

4-पुलिस विभाग से आपसी तालमेल द्वारा सक्रिय रूप से अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, जहरीली शराब से जो प्रदेश में विभीषिका होती है यह हम सब लोगों के सामने आये दिन घटित होती है। अभी पिछली 16 जुलाई को एटा जिले में जहरीली शराब से 44 लोगों की मृत्यु हुई और सैकड़ों लोग गम्भीर रूप से बीमार पड़ गये । माननीय अध्यक्ष जी, सरकार यह उत्तर दे रही है कि वर्ष 2016 में दो घटनायें हुई। आपकी अनुमति से मैं यह बताना चाहता हूं कि मेरी पुख्ता जानकारी के अनुसार 7 घटनायें ऐसी है 17 मार्च को गोरखपुर पुरानी बस्ती थाना में दो लोगों की मौत हुई, 16 अप्रैल बुलन्दशहर गुलावटी में दो लोगों की मौत हुई, 29 मई को राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज क्षेत्र में 02 लोगों की मौत हुई, 06 जुलाई को एटा फर्रुखाबाद की घटना हम सब लोग

जानते हैं, 20 जुलाई को द्वारकाखेड़ा गांव में 01 व्यक्ति की मौत हुई, 17 जुलाई को लखनऊ के मड़ियांव क्षेत्र में 01 व्यक्ति की मौत हुई और 29 जुलाई को मलिहाबाद में 01 व्यक्ति की मौत हुई। अध्यक्ष जी, यह तो ऐसी बात है जो सबके सामने है। सबसे बड़ी चिंता का विषय है जो आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। 16 जुलाई को घटना होती है, 44 लोगों की मौत होती है और 17 जुलाई को प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश व्यापी छापामारी के कार्रवाई का काम करती है और उसका परिणाम आता है एक दिन के अन्दर 1588 मामले दर्ज होते हैं, 1621 लोग गिरफ्तार होते हैं, 36 हजार लीटर से ऊपर अवैध, जहरीली कच्ची शराब बरामद होती है, 197 शराब की भठिट्यां तोड़ी जाती हैं और 07 वाहन पकड़े जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, एक दिन में 44 लोगों की मौत के बाद इतनी बड़ी कार्रवाई होती है तो मैं आपके माध्यम से सरकार के नाक के नीचे यह सब काम हो रहा था इसकी जिम्मेदारी वाले अधिकारियों के ऊपर..

श्री अध्यक्ष-

असीजा जी, सवाल पूछिये।

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, मैं सवाल पर ही आ रहा हूं। यह बात कहने का मेरा तात्पर्य यह था कि आबकारी विभाग और अवैध/कच्ची शराब का काम बिना मिलीभगत के, बिना सत्ता के संरक्षण के नहीं होता। क्या जिस जिले में जहरीली शराब से मौत होगी उसमें सीधे-सीधे जिलाधिकारी और एस0पी0 को जिम्मेदार ठहराने का काम सरकार करेगी ? यह एक सवाल। दूसरा, सरकार उत्तर में स्वयं मान रही है कि 1910 के कानून में बहुत ढ़िलाई है और इसकी नियमावली प्रक्रियाधीन है तो कब तक इसको तैयार करा लेंगे ?

श्री राम करन आर्य-

माननीय असीजा जी, सीनियर सदस्य हैं आपने यह कहा है कि 44 मौतें हुई हैं। एक तो आपसे मेरा अनुरोध है जो हमारे पास आंकड़े आये हैं और मैं स्वयं वहां गया था। मान्यवर, मैं एटा में 20-25 घरों पर गया, सबको सांत्वना दी और सबसे बात की। वहां से आने के बाद माननीय मुख्य मंत्री जी जो अत्यन्त सहृदय हैं, गरीबों और दलितों के बीच में जिनकी एक साख है मैंने उनसे निवेदन किया कि मान्यवर, आपने 02 लाख दिया है, मैं देखकरके आया हूं कि सब गरीब घर के लोग हैं तो कम से कम इस धनराशि को बढ़ा दीजिए और 05 लाख रुपया कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। कम से कम मरने वाले के घर-परिवार के लोग कोई रोजी-रोजगार कर लेंगे। हमारे भाई रामेश्वर सिंह यादव जी जो वहां के एम0एल0ए0 हैं उन्होंने भी इसमें बहुत काम किया है। मान्यवर, 33 मौतें एटा में हुई हैं और 08 मौतें फर्रुखाबाद में हुई हैं, इन सबको 05-05 लाख रुपये और स्थानीय स्तर पर जो कलेक्टर का कोष होता है उससे भी मान्यवर, धनराशि दिया गया है। इतना ही नहीं आप खुद ही बता रहे हो कि इतने छापे मारे गये।

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, मेरा बहुत सीधा प्रश्न था उसको मंत्री जी घुमा रहे हैं। मेरे प्रश्न का सीधा उत्तर दिलवा दें।

श्री राम करन आर्य-

मान्यवर, मैं मा0 सदस्य के सवाल का जवाब दे रहा हूं। इस घटना के बाद वहां पर हमारे इंस्पेक्टर, हमारे डी0ओ0, डिप्टी कमिश्नर ये सब सस्पेन्ड कर दिये गये हैं। यहां तक कि वहां के एस0डी0एम0 और वहां के पुलिस के सी0ओ0 ये लोग भी सस्पेंड कर दिये गये। हम लोग त्वरित रूप से सारी कार्रवाई कर रहे हैं। आपने जिसके बारे में बात की इसमें जो संलिप्त पाये जायेंगे वह कोई नहीं बचेगा और इस सरकार की मंशा है कि अवैध शराब बनाने वाले, जहरीली दवा बेचने वाले इनके खिलाफ हमारी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी।

श्री ममतेश शाक्य-

माननीय मंत्री जी, आज भी जनपद एटा और कासगंज में वहीं पर शराब की भट्ठियां चल रही हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, पुनः भट्ठियां चल रही हैं और आज की तारीख में भी चल रही हैं।

श्री राम करन आर्य-

मैं तो दिखवाऊंगा लेकिन जहां आप जरूरी समझते हैं आप लिखकरके दे दीजिए, कल सुबह तक छापा डलवा देंगे। मान्यवर, हमने पूरे प्रदेश में छापे मरवाये हैं, जहां भी जहरीली शराब मिल रही है हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। आप देख लीजिए मान्यवर कि हमने 2014-15 में छापे डाले हैं 3 लाख 1 हजार 14 और जो इधर हमने छापे अवैध शराब के लिए डाले हैं और गिरफ्तार भी किया है। 1 लाख 5 हजार 986 छापे। जेल भेजा है 9 हजार 722 लोगों को और मान्यवर कच्ची शराब के मामले में 19 लाख 65 हजार 165 लीटर हमने कच्ची शराब पकड़ी है और इस तरह से हमने लाखों लीटर शराब को डिस्ट्रॉय किया है। हमारी सरकार सख्त है किसी भी कीमत पर जहरीली शराब बनाने वालों को या तस्करी करने वालों को मान्यवर यह सरकार नहीं बख्शेगी इससे हम आपको और सदन को आश्वस्त करते हैं।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शान्त रहें, यह आखिरी सवाल है। माथुर साहब आप बैठ जाएं आप दल के नेता हैं आप कुछ तो गरिमा का ध्यान रखें। मा0 असीजा जी सवाल पूछ रहे हैं इनको सवाल पूछने दीजिए। मा0 लल्लू जी आप बैठ जाएं, स्वयं तो सवाल पूछेंगे नहीं, दूसरे के सवाल में सप्लीमेन्ट्री कर रहे हैं।

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, थोड़ा सा सदन को व्यवस्थित करा दें।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जाएं।

श्री प्रदीप माथुर-

प्रदेश में अवैध शराब का करोबार चल रहा है, कच्ची शराब बनाई जा रही है, जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं और प्रशासन द्वारा समुचित कार्रवाई नहीं की जा रही है तथा सरकार इस मामले में संवदेन शून्य है, इसके विरोध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सदन से बहिर्गमन करती है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के नेता श्री प्रदीप माथुर अपने दल के साथ सदन का बहिर्गमन कर गये।)

श्री अध्यक्ष-

अब आप वहीं रहना लौटना मत। बाकी आप लोग बैठ जाएं, मा0 सदस्य को प्रश्न पूछने दीजिए।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

मान्यवर, बुलन्दशहर में क्या किया, यह बता दें।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, हमारे मथुरा जनपद में ....

(घोर व्यवधान के बीच सदस्य पूरन प्रकाश के लगातार बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 पूरन प्रकाश जी आप बैठ जाएं, आप शराब के बारे में बहुत उत्सुक हैं।

(सदस्य पूरन प्रकाश के लगातार बोलते रहने पर)

अब आपका कुछ नहीं लिखा जायेगा, आप बैठ जाइये। मा0 दलवीर सिंह जी पूरन प्रकाश जी शराब के मामले में बहुत हल्ला कर रहे हैं कृपया इन्हें बैठाइये। आप एक सवाल पूछ लीजिए असीजा जी यह आखिरी सवाल है। आप बैठिये पूरन प्रकाश जी, बार-बार कह रहा हूं आप मान नहीं रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं है।

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, मैंने जो दोनों सवाल मा0 मंत्री जी से पूछे थे उनका जवाब मुझे नहीं मिला है। 16 तारीख को 40 लोगों से ऊपर मौत होती है और 17 तारीख को जो कार्रवाई होती है यह सिद्ध करती है कि सरकार की नाक के नीचे कच्ची शराब का काम चलता है, तस्करी का काम चलता है। एक ही दिन में 1580 से ऊपर मुकदमें, 1621 लोग गिरफ्तार, 36 हजार लीटर कच्ची जहरीली शराब बरामद और 197 भट्ठी टूटीं तो मेरा यह कहना है कि जब तक जिलाधिकारी और एस0एस0पी0 को जिले में इस प्रकार की अनहोनी के लिए सीधे-सीधे जिम्मेदार नहीं बनायेंगे तो जिला आबकारी विभाग और छोटे-मोटे अधिकारियों के बस की बात नहीं है, तो क्या आप इसे करायेंगे। दूसरा, मान्यवर, जो यह लचर कानून है जिसको ये कह रहे हैं कि संशोधन प्रक्रियाधीन है तो इसे समयबद्ध करके कब तक इस प्रक्रिया को पूर्ण करा देंगे, इसका जवाब दिलवा दें।

श्री राम करन आर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि यह प्रक्रियाधीन है और हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यह कानून बन जाय ताकि जो समाज विरोधी लोग हैं, जो जहर बेच रहे हैं उन पर अंकुश लग सके इसीलिये बनाया गया है। दूसरा सवाल आपने किया है कि यह एक दिन का तो मामला है नहीं बहुत दिन से चल रहा होगा। माननीय सदस्य महोदय से मैं कहना चाहता हूं कि जब कोई चीज संज्ञान में आती है तब उस पर सख्त कार्यवाही की जाती है। यह संज्ञान में आया एक घटना के बाद

और जिस तरीके से पूरे प्रदेश में हमने छापे मरवाये हैं, गिरफ्तारियां की हैं, अवैध शराब नष्ट की है, शायद आज तक किसी ने नहीं किया होगा।

श्री अध्यक्ष-

सवाल इनका यह है कि क्या आप जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षक को जहां इस तरह से शराब बन रही है, उनको भी उसमें कुछ जिम्मेदार बनायेंगे। यह एक सवाल है, इसका हां नहीं में उत्तर दे दीजिये।

श्री राम करन आर्य-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे यह कहना है कि आखिर वही तो किया गया है। एस0डी0एम0 को सस्पेंड किया गया, वहां के सी0ओ0 को सस्पेंड किया गया। मान्यवर, अगर जिम्मेदारी न होती तो क्यों सस्पेंड किया जाता।

(श्री अध्यक्ष द्वारा नत्थी ग पुकारे जाने पर)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मेरा सवाल है।

श्री अध्यक्ष-

आप अभी तक तो उठे नहीं। अब उठ रहे हैं जब खत्म हो गया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आप इनको मौका दे रहे थे मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

अभी तक आप बैठे रहे जब किसी ने उकसाया तो आप पूछने खड़े हो गये। यह आखिरी सवाल आपका है, पूछिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, यह पूरे प्रदेश में बहुत से स्थानों पर इस तरह से नाजायज शराब बन रही है और आज भी बन रही है मान्यवर। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर के दूसरा पैराग्राफ में कहा है कि प्रदेश में जहरीली शराब के सेवन से वर्ष 2015 में चार और वर्ष 2016 में दो मृत्यु की घटनाएं संज्ञान में आईं और जो जवाब दिया उसमें 45 मौतें स्वीकार कीं। तो यह सवाल का उत्तर अपने आप में कितना विरोधाभासी उत्तर है। लिखित सवाल नहीं दे रहे हैं। इस प्रश्न को तो मान्यवर, प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सुपुर्द कर दिया जाना चाहिए और इसमें उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने यह उत्तर बनाया है कार्रवाई होना चाहिए तब तो हम मानते कि माननीय मंत्री जी ने वास्तव में कार्रवाई की। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई जिन लोगों ने गलत उत्तर दिया नम्बर एक और नम्बर दो मान्यवर, व्यावहारिक स्थिति यह है कि थाना सी0ओ0 एस0 पी0 सभी की मिलीभगत से कच्ची शराब बनती है और इस व्यावहारिकता को, इस सच्चाई को, मान्यवर, आप इस सदन में कुछ भी कहें कि इसको सस्पेंड कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया लेकिन उनके खिलाफ अगर प्रभावी कार्यवाही हो तो यह बनना रुक सकती हैं, यह मौतें रुक सकती हैं। यह सीधे सीधे हत्याओं का मामला है मान्यवर। माननीय मंत्री जी ने विभाग का बना जवाब आया वह पढ़ दिया। लेकिन गम्भीर नहीं हैं

मान्यवर, अगर गम्भीर होते तो निश्चित रूप से पुलिस थाने को जिम्मेदार नहीं बनायेंगे तो यह कैसे रोक बनायेंगे अवैध शराब को। सीधे सीधे थाना जिम्मेदार पहले और चूंकि थाना और एस0पी0 की मिलीभगत होती है इसलिये एस0पी0 भी जिम्मेदार। अगर यह वाकई सीरियस हैं तो कम से कम थाने से लेकर एस0पी0 तक जिम्मेदार ठहरायें और उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करें जिसने 45 की जगह 4 और 2 मौतें दी हैं मान्यवर।

श्री राम करन आर्य-

मान्यवर, नेता भाजपा ने सवाल को पढ़ा नहीं। मेरा आरोप है उन पर। यहां है कि क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जहरीली शराब के कारणवश वर्ष 2015 और 2016 में नागरिकों के आकस्मिक मृत्यु की घटनाएं संज्ञान में आई हैं ? यह घटनाएं हैं मान्यवर और उस घटना में कितने लोगों की मृत्यु हुई है वह मैंने आपको बताया। यह सवाल आप पढ़िये तो।

(श्री अध्यक्ष द्वारा नत्थी ग तारांकित प्रश्न संख्या-1 पुकारे जाने और माननीय मंत्री जी द्वारा उत्तर पढ़ने के लिये खड़े होने पर)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, कभी-कभी मेरा मन यह होता है कि अपना सिर लेकर दीवार में फोड़ लें।

श्री अध्यक्ष-

क्या करें हम।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं यह कह रहा हूं कि यह सवाल का जवाब है ?

श्री अध्यक्ष-

देखिये आप नेता हैं अगर आपको जवाब में कोई त्रुटि लग रही है कोई दोहरापन लग रहा है तो नियमों में प्राविधान है आप लिखकर दीजिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इसे प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

आपने कह दिया, मैंने सुन लिया है। आप लिखकर दे दीजिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मैं मांग करता हूं मान्यवर इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सुपुर्द करने का कष्ट करे।

श्री अध्यक्ष-

अगर आपको कुछ त्रुटि लग रही है तो आप लिखकर दीजिए नियमों में विधान है इसमें जो उचित कार्यवाही होगी उसको हम देखेंगे।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष-

दूसरा सवाल पुकार लिया है अब आप कहो तो मैं चला जाऊं। आज इस सोलहवीं विधान सभा का इस वित्तीय वर्ष का दूसरा सत्र है। आप लोग शान्ति से उठ रहे हैं तो बहुत ज्यादा विवाद न करें दो तीन प्रश्न हैं यह सब प्रश्न आ जाने दीजिए छोटे-मोटे मामले निपटाकर आज मुख्य मंत्री जी, आशीर्वाद तो नहीं कह सकता उनका कुछ उपहार लीजिए और खुशी-खुशी जाइए। बैठिए अब आप।

नत्थी (ग)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के अस्पतालों द्वारा उत्सर्जित बायो मेडिकल वेस्ट का नियमानुसार निस्तारण हेतु प्रभावी कार्य योजना बनाये जाने विषयक

*01-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अस्पतालों द्वारा उत्सर्जित बायो मेडिकल वेस्ट का निस्तारण निर्धारित प्रक्रिया से न होने के कारण प्रदेश के शहरों, जिला मुख्यालयों की जनता मेडिकल वेस्ट से उत्पन्न गम्भीर बीमारियों से जूझ रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार बायो मेडिकल वेस्ट का नियमानुसार निस्तारण हेतु कोई प्रभावी योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री शंखलाल मांझी)-

जी नहीं।

प्रदेश की जनता उत्सर्जित जैवचिकित्सा अपशिष्ट से किसी भी बीमारी से नहीं जूझ रही है क्योंकि जैवचिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन एवं निस्तारण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी जैवचिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम में दिये गये दिशा-निर्देश के अनुसार किया जा रहा है। इस हेतु चिकित्सालयों को बजट भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रदेश के समस्त 169 जिला स्तरीय चिकित्सा इकाइयों में नोडल अधिकारियों एवं मैट्रन को प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण दिया जा चुका है तथा सभी प्रशिक्षकों द्वारा अपने चिकित्सा इकाइयों के समस्त स्टाफ को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

भविष्य में जैवचिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन की योजना को और प्रभावी बनाने के लिये तथा प्रदेश के सभी चिकित्सा इकाइयों में शत-प्रतिशत जैवचिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु चिकित्सालयों एवं प्रदेश में कार्यरत कामन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फैसिलिटी के मध्य होने वाले अनुबन्ध आर0एफ0पी0 (रिक्वेस्ट फार प्रपोजल) को तैयार कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, मेडिकल वेस्ट के लिए जो नियम है उन नियमों के तहत हर हॉस्पिटल में चार तरीके के बैग रखे जाने है और जो मेडिकल वेस्ट है उसका अलग-अलग पृथकीकरण होना है। हर जिले में अलग-अलग एजेन्सियां हैं जो मा0 अध्यक्ष जी मेडिकल वेस्ट के निस्तारण का कार्य करती हैं, नियम यह है कि जो चार तरह के बैग हॉस्पिटल में रखे जाने है वह एजेन्सी उस मेडिकल वेस्ट को पृथकीकरण करने अलग-अलग बैग में डलवाकर उस मेडिकल वेस्ट को शहर से दूर किसी स्थान पर गड्ढा खुदवाकर उसमें दबाने का काम करेंगी यह नियम है मान्यवर, इस नियम का प्रदेश में कहीं भी पालन नहीं हो रहा है। मैंने आगरा में खुद देखा है किसी भी हॉस्पिटल में वह बैग नहीं रखे हैं कहीं भी नियमों का पालन नहीं हो रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 700 हास्पिटल के ही रजिस्ट्रेशन हैं जबकि सरकार कह रही है कि अस्पतालों में कड़ाई से नियम लागू है और पालन हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं क्या आगरा की जॉच कराकर जिन हॉस्पिटल में नियमानुसार मेडिकल वेस्ट का निस्तारण नहीं हो रहा है उनके खिलाफ कार्यवाही करने का काम करेंगे।

श्री शंखलाल मांझी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने आगरा के बारे में जो बताया है और आपको जो आपत्ति है उसको हम दिखवा लेंगे अगर इस तरह की कोई परेशानी है तो हम उसका निस्तारण करवा देंगे।

प्रदेश के सभी अस्पतालों में आधुनिक उपकरणों से युक्त माड्यूलर किचन की स्थापना करवाने की मांग

*02-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में रोगियों को संक्रमणमुक्त, स्वच्छ खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने हेतु आधुनिक उपकरणों से युक्त माड्यूलर किचन की स्थापना करने पर क्या सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शंखलाल मांझी-

प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में संक्रमणमुक्त, स्वच्छ खाद्य पदार्थ की व्यवस्था उपलब्ध है। सम्प्रति माड्यूलर किचन की स्थापना का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

चिकित्सालयों में सुविधायें उपलब्ध कराया जाना प्रदेश सरकार के वित्तीय संसाधनों आदि की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

श्री मनीष असीजा-

माननीय अध्यक्ष जी यह ऐसा विषय है जो पूरे सदन के सभी विधायकों से जुड़ा हुआ है। हम सब लोग जानते हैं कि जिला अस्पताल में जो मरीज भर्ती होते हैं उनको भोजन की व्यवस्था नर्स देखती है कि मरीज को क्या डाइट की जरूरत है। उसी के माध्यम से वह डाइट दी जाती है। और यह काम जिला अस्पताल की रसोई में होता है भोजन का निर्माण करना। माननीय अध्यक्ष जी आपका संरक्षण मिल जाए तो यह सबके हित की बात है। हमारा भाव यह था कि रोगियों को जिनकी रोगी होने के कारण उनकी प्रतिरोधक क्षमता सबसे कम होती है। बीमारी या इंफेक्सन होने की ज्यादा संभावना होती है तो वहां जो रसोई की व्यवस्था है जिला अस्पताल की किसी भी रसोई को आप

दिखवा लें न वहां पर ठीक से भण्डारण की व्यवस्था होती है न खाना पकाने के जो बर्तन वगैरह हैं उनकी व्यवस्था उनकी रैक होती है न धुआं निकालने के लिए चिमनी की व्यवस्था होती है। न स्टील की टेबल है यहां तक कि रोगियों को जो भोजन दिया जाता है वह भी उनके बर्तन पर दे दिया जाता है जैसे हम लोगों के यहां कैंटीन या रेलवे में ट्रे मिलती है अध्यक्ष जी बर्तन तक की सुविधा नहीं होती है और माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं यह सब विधायकों से सम्बंधित बात है कि मरीजों के हित के लिए यदि किचन माड्यूलर करा दें डिसवासर लगा दें जिससे बर्तन प्लेटें मशीन से साफ हो सकें स्टील की टेबुल्स लग जाएं चिमनी वगैरह लग जाएं जिससे धुआं वगैरह निकल सके और मरीजों को देने के लिए थाली वगैरह का इंतजाम हो जाए भोजन के मसालों के भण्डारण की व्यवस्था ठीक हो जाए इस नाते क्या माड्यूलर किचन को बनाने का विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

अब उत्तर देने दीजिए। क्या माननीय मंत्री जी विचार करेंगे।

श्री मनीष असीजा-

यह सभी विधायकों से जुड़ा हुआ प्रश्न है।

श्री शंखलाल माझी-

माननीय अध्यक्ष जी माननीय सदस्य जी ने जिस माड्यूलर किचन के बारे में और जो सुविधा के बारे में कहा है सरकार भी चाहती है कि व्यवस्थाएं अच्छी से अच्छी हो सकें। हम भी इसके पक्षधर हैं लेकिन माननीय अध्यक्ष जी मैंने जैसा कि पहले अपने उत्तर में कह दिया चिकित्सालयों में सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना प्रदेश सरकार के वित्तीय संसाधनों आदि की उपलब्धता पर निर्भर करता है। हम यह पहले ही उत्तर दे चुके हैं आप उसी बात को दुबारा दोहरा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी हमारे चिकित्सालयों में जो भोजन की व्यवस्था है आपने कहा कि संक्रमण मुक्त भोजन तो आज तक हम जो भी व्यवस्था हास्पिटल में दे रहे हैं पूरे प्रदेश के जो हमारे हास्पिटल हैं जहां पर हम भोजन की व्यवस्था देते हैं। यह बड़ी संख्या है इतनी बड़ी संख्या के बावजूद भी लगभग 823 हमारी सी0एच0सी0 हैं और जिलास्तरीय 170 हास्पिटल हैं जहां पर हम यह व्यवस्था देने का काम करते हैं लेकिन आज तक हमारे संज्ञान में हमारी सरकार में अब तक अस्पतालों में दिए जाने वाले भोजन में कहीं कोई इस तरह की शिकायत नहीं मिली है। तो हमारी जो व्यवस्था है पूरे जिले में जो भोजन की व्यवस्था दे रहे हैं उसमें कहीं कोई संक्रमित नहीं है।

प्रदेश के निजी नलकूप संचालकों पर बकाया विद्युत बिलों का भुगतान ओ0टी0एस0 योजना के तहत करवाने विषयक

*03-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश के निजी नलकूप संचालकों पर बकाया विद्युत बिल की अधिक वसूली प्राप्त करने हेतु ओ0टी0एस0 योजना के तहत भुगतान किये जाने की सुविधा प्रदान किये जाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

जी नहीं।

प्रदेश में निजी नलकूप के विद्युत उपभोक्ताओं को लागत मूल्य से अत्यन्त कम दर पर विद्युत आपूर्ति की जा रही है, जिसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को राजस्व अनुदान देकर कर रही है। इसके अतिरिक्त किसानों के निजी नलकूपों पर विद्युत कर पूर्णतया माफ है। इसी क्रम में यह भी सूचनीय है कि मा0 उ0 प्र0 विद्युत नियामक आयोग जो कि विद्युत अधिनियम, 2003 के प्राविधानुसार राज्य सरकार द्वारा गठित एक संस्था है, ने माना है कि बार-बार एकमुश्त समाधान योजना को लागू किये जाने से विद्युत बिल भुगतान में विलम्ब की सम्भावनायें बढ़ जाती हैं और नियमित विद्युत बिल भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं में बिल भुगतान में अरुचि की भावना उत्पन्न होती है। अतः उक्त योजना को बार-बार लागू करने को एक अच्छा विकल्प न मानते हुए मा0 उ0 प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है।

श्री दलवीर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, पूरा सदन, पूरा प्रदेश और प्रदेश की सरकार भलीभांति भिज्ञ है कि पिछले दो वर्षों में सूखा से और ओलावृष्टि से किसान बुरी तरह प्रभावित है। मा0 मुख्य मंत्री जी ने और मा0 मंत्री जी ने ओ0टी0एस0 योजना केवल मार्च तक चलायी। पिछले दो वर्षों से किसी भी किसान को किसी भी फसल का न तो कोई लाभकारी मूल्य मिला और न ही लाभ हुआ। ओ0टी0एस0 योजना मार्च में ही समाप्त कर दी गयी। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस ओ0टी0एस0 योजना को कम से कम 31 दिसम्बर तक लागू किया जाये, जिससे कि धान की या ईख की यह जो वर्तमान फसल है उसकी बिक्री करके किसान इसका भुगतान कर सकें, नम्बर एक। मैंने दूसरा सवाल किया कि पूरे प्रदेश के किसान सूखा, बाढ़ तथा विभिन्न परेशानियों से बुरी तरह प्रभावित हैं, इसलिये हम मांग करते हैं कि पूरे प्रदेश के किसानों का बिल माफ कर दिया जाये। मेरा तीसरा सवाल यह है कि आपने पूरे प्रदेश में प्रीपेड मीटरों की योजना लागू की है। अब प्रीपेड मीटरों से ही बिजली के कनेक्शन मिल रहे हैं, लेकिन यह योजना लागू करने से पहले आपको यह भी सोचना चाहिये कि इसके रिचार्ज की कोई व्यवस्था नहीं है। अलीगढ़ में रिचार्ज की कोई व्यवस्था नहीं है, सभी कंज्यूमर मारे-मारे फिर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि यह योजना लागू करने से पहले रिचार्ज की व्यवस्था करा ली जाती। आपकी यह स्कीम बिल्कुल फेल है। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि पूरे प्रदेश के किसानों के बिजली के बिल माफ कर दिये जायें और अगले सत्र में यह नये सिरे से शुरुआत की जाये। पूरे प्रदेश में किसान जो बहुत गरीबी से गुजर रहा है, बहुत मुसीबत से गुजर रहा है, उन सब के बिजली के बिल माफ करने के लिये क्या यह सरकार विचार कर रही है ?

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

मान्यवर, मा0 दलवीर सिंह जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। आपका यह सवाल है और आपका आशीर्वाद सदैव मा0 मुख्य मंत्री जी को प्राप्त रहता है। इस सदन में कई बार आपने आशीर्वाद दिया है कि मा0 मुख्य मंत्री जी पुनः मुख्य मंत्री बनें। आपका आशीर्वाद फलीभूत होगा तो हम इस पर जरूर विचार करेंगे। दूसरी एक मैं जानकारी देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के आधार पर सरकार को बहुत सी कार्यवाहियां करनी पड़ती हैं। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुये

विद्युत नियामक आयोग ने अनुमति नहीं दी, इसके बावजूद उत्तर प्रदेश शासन ने, बिजली विभाग ने किसानों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये एकमुश्त योजना वर्ष 2016 लागू की थी जो 11 फरवरी, 2016 से लेकर 31 मार्च, 2016 तक चली। इसमें कुल पंजीकृत उपभोक्ता 4,27,727 हैं, जिसका लाभ 3,81,768 उपभोक्ताओं ने प्राप्त किया। घरेलू और ग्रामीण उपभोक्ताओं को 171.02 करोड़ रुपये कुल छूट की प्राप्ति हुयी। सरचार्ज पर पूरा-पूरा 100 प्रतिशत छूट प्रदान की गयी। राजस्व की प्राप्ति कुल 570 करोड़ रुपये हुयी। पंजीकृत उपभोक्ताओं की संख्या-12,94,418 हैं और इसमें 10,83,509 उपभोक्ताओं ने लाभ प्राप्त किया। इनको छूट की धनराशि 275.97 करोड़ रुपये दी गयी। राजस्व की प्राप्ति 443.24 करोड़ रुपये हुयी। इसमें भी सरचार्ज पर पूरा-पूरा 100 प्रतिशत छूट प्रदान की गयी। इस तरह से विद्युत नियामक आयोग की अनुमति के बगैर भी किसानों की समस्याओं को और ग्रामीण उपभोक्ताओं की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये उत्तर प्रदेश सरकार ने, बिजली विभाग ने 100 प्रतिशत सरचार्ज पर छूट प्रदान की, जिसका लाभ बहुत बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण उपभोक्ताओं को और किसानों को प्राप्त हुआ।

श्री दलवीर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बात सही है, सरकार ने बिजली की आपूर्ति के लिए बहुत काम किया है। काफी संख्या में 33 केवीए के, 132 केवीए के, 660 मेगावॉट के बिजली घर बनवाये। लेकिन इन्होंने इसके लिए लाइनों की कोई व्यवस्था नहीं की। अभी खन्ना जी ने बड़े ढंग से बताया था कि बिजली सरप्लस पैदा हो रही है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में हरदुआगंज तापीय विद्युत गृह है और उसकी इकाइयां बन्द इसलिए की जाती हैं कि उस बिजली की सप्लाई के लिए, किसानों तक पहुंचाने के लिए कोई प्रापर व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से एक सवाल करना चाहूंगा कि जितने भी अनुबन्ध पर कर्मचारी लगे हैं, उनके बीच में ठेकेदार लगे हैं, उन कर्मचारियों के लिए जो पैसा दिया जाता है, कम से कम 03 हजार रुपये उसमें से वह ठेकेदार कटौती कर लेता है। अन्य विभागों में जो अनुबन्ध पर कर्मचारी लगे हैं, उनको सीधा-सीधा उनको भुगतान कर दिया जाता है। मैं चाहूंगा कि इन कर्मचारियों का भी सीधा भुगतान करें और चूंकि जो आप किसानों का बिल माफ नहीं कर रहे हैं और क्योंकि आप ओ0टी0एस0 योजना को 31 तारीख तक लागू नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं बड़े दुखी मन से आपसे मांग करता हूं कि आप इसमें निर्णय करके इसको माफ करें क्योंकि आपने मना कर दिया है, इसीलिए बड़े दुखी मन से मैं और मेरा दल, इस सवाल पर कि आप उन्हें ओ0टी0एस0 का लाभ नहीं दे रहे हैं, हम सदन से वाकआउट करते हैं।

(राष्ट्रीय लोकदल के नेता श्री दलवीर सिंह अपने सदस्य सहित सदन से बहिर्गमन कर गए)

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं पुनः कहना चाहता हूं, हमने अपने उत्तर में स्पष्ट किया है, अगर हमने माफ नहीं किया है तो 171.2 करोड़ और 275 करोड़ जो हमने माफ किया है, वह किसानों और ग्रामीण उपभोक्ताओं का ही माफ किया है। माननीय सदस्य का यह कह करके वहिर्गमन करना कि हमने किसानों का माफ नहीं किया है, वह गलत तथ्यों पर आधारित है। सरकार ने किसानों और ग्रामीण उपभोक्ताओं का ही माफ किया है, उनका 100 प्रतिशत सरचार्ज माफ किया है।

श्री गुटियारी लाल दुवेश-

माननीय अध्यक्ष जी, देहात में ओ0टी0एस0 का लाभ उपभोक्ताओं को मिले, उसका स्वागत है लेकिन मान्यवर, लाखों उपभोक्ता शहर में ऐसे हैं, जिनके 01 किलोवॉट के कनेक्शन हैं और उन पर ब्याज चढ़ती चली गयी है, उनको यह नहीं पता था कि यह बिल देना पड़ेगा तो क्या माननीय मंत्री जी ओ0टी0एस0 शहर में एक-दो महीने के लिए लागू करेंगे, जिससे ऐसे उपभोक्ता को फायदा हो सके ?

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

नहीं।

*04-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश के गन्ना किसानों को राहत प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा अतिरिक्त बोनस देने की मांग

*05-श्री सुरेश राणा, श्री नदीम जावेद तथा श्री गजेन्द्र सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गन्ना उत्पादन पर लगातार बढ़ रही लागत को देखते हुए गन्ना किसानों को राहत प्रदान करने के लिये क्या सरकार कोई अतिरिक्त बोनस देने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम करन आर्य-

जी नहीं।

राज्य सरकार द्वारा गन्ना कृषकों को उनकी उपज का उचित एवं लाभकारी मूल्य दिलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष प्रत्येक पेराई सत्र के लिये गन्ने का ''राज्य परामर्शित मूल्य'' निर्धारित किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा राज्य परामर्शित मूल्य के निर्धारण से पूर्व गन्ना कृषकों, सहकारी गन्ना विकास समितियों, चीनी मिल के प्रतिनिधियों एवं गन्ना शोध से सम्बन्धित राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तरीय विशेषज्ञ संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके व उनका पक्ष सुनने तथा गन्ने की उत्पादन लागत आदि से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण कारकों को संज्ञान में लेने एवं विचारोपरान्त निर्णय लेते हुए पेराई सत्र, 2015-16 के लिये ''राज्य परामर्शित मूल्य'' निर्धारित किया गया है तथा गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित कराये जाने के दृष्टिगत गन्ना कृषक हित में, कतिपय छूट व प्रतिपूर्ति भी प्रदान की गयी है। चूंकि मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया में गन्ने की औसत उत्पादन लागत को भी ध्यान में रखा जाता है, इसलिये अलग से बोनस दिये जाने की आवश्यकता नहीं पायी गयी।

श्री सुरेश राणा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पर आपने मुझे अनुपूरक पूछने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, किसानों का नारा देकर, किसानों के आधार पर यह सरकार सत्ता में आयी थी और जब से ये लोग सत्ता में आए हैं, आज किसान का प्रदेश में क्या हाल है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, गन्ना एक ऐसा विषय है, पूरे देश की जब हम बात करते हैं, पूरे देश में गन्ने का जो क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल का 40 प्रतिशत हिस्सा केवल उत्तर प्रदेश के अन्दर है। माननीय अध्यक्ष जी, किसान वर्ष के रूप में एक साल घोषित किया सरकार ने

और यह आंकड़े हैं, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूं। पहली बार आजादी के बाद ऐसा हुआ होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बड़ी संख्या में किसानों ने आत्महत्यायें की हैं। आपके किसान वर्ष की उपलब्धि यह रही कि बड़ी संख्या में किसानों ने आत्महत्यायें कीं और आत्महत्या इसलिये की क्योंकि सरकार की नीति ऐसी है कि यह सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। मैं कहना चाहता हूं कि आपके पड़ोस का राज्य हरियाणा है, हरियाणा में गन्ने का भाव हमसे बीस से पच्चीस रुपये ज्यादा है और हरियाणा में गन्ने की जो रिकवरी है वह हमसे कम है। उत्तर प्रदेश की रिकवरी ज्यादा है, तो उनसे रिकवरी ज्यादा होने के बावजूद भी उनका भाव हमसे ज्यादा है और उन्होंने हरियाणा में किसानों के एक-एक रुपये का भुगतान किया है। मैं इसलिये यह कह रहा हूं कि आप कहते हैं कि आपकी सरकार किसानों के प्रति बहुत संवेदनशील है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आग्रह सरकार से यह है कि सरकार का जवाब सीधा-सीधा आया कि जी नहीं, हम अनुदान नहीं देंगे। इसका मतलब सीधा है कि यह सरकार किसानों के प्रति गैर संवेदनशील है। आपने अनुदान देने को तो सीधे-सीधे मना कर ही दिया। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का वर्ष 2012-2013 और 2013-2014 का 1300 करोड़ रुपया ब्याज बनता है और 2013-2014 का 600 करोड़ ब्याज बनता है। आपने हलफनामा दे दिया कि 600 करोड़ रुपया हम मिल मालिकों को माफ करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि गरीब किसान है कि गरीब मिल मालिक है। आपको मिल मालिक गरीब दिखाई दे रहा है, लेकिन किसान आपको गरीब नहीं दिखाई देता है। मेरे ब्याज का पैसा, किसानों के ब्याज का पैसा आपने मिल मालिकों को दे दिया और जिस प्रकार की नीति सरकार की है कि सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है।

श्री अध्यक्ष-

आप सीधे-सीधे अपना प्रश्न पूछिये ना।

श्री सुरेश राणा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सीधे अपने सवाल पर आता हूं। आदरणीय शिवपाल यादव जी यहां पर बैठे हुये हैं। आपने कहा था कि अगर आप सत्ता में आयेंगे तो गन्ना किसानों को 350 रुपये का भाव देंगे। आप सत्ता में आये और अब आप सत्ता से जा रहे हो तो मेरा प्रश्न यह है कि क्या आप वर्तमान सत्र में गन्ना किसानों को 350 रुपये का भाव देंगे और मेरा दूसरा सवाल यह है कि 1900 करोड़ रुपये ब्याज का बकाया है और गन्ने के भुगतान का जो बकाया है वह सब मिलाकर लगभग 4000 करोड़ रुपये बैठता है, तो इसके भुगतान के लिए क्या आप कोई समय-सीमा तय करेंगे। मैं सरकार से इन दो प्रश्नों का जवाब चाहता हूं।

श्री राम करन आर्य-

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो सवाल किया है उससे तो लगता है कि जैसे यह मेरठ के किसी चौराहे पर भाषण कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, आप सवाल का जवाब दीजिये।

श्री राम करन आर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं। मान्यवर, वर्ष 2014 और 2015 के गन्ने का भुगतान जो बकाया रह गया है वह मात्र 55.18 करोड़ है। मान्यवर, इस प्रकार वर्ष 2014-2015 का केवल 0.27 परसेण्ट बकाया रह गया है और वर्ष 2015-2016 का हम 90.08 परसेण्ट हमने गन्ने का भुगतान कर दिया है। मान्यवर, जहां तक इन्होंने बोनस की बात कही तो आप तो जानते हैं कि इस सम्बन्ध में दो समितियां बनती हैं। एक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में और एक गन्ना आयुक्त की अध्यक्षता में। इन समितियों में कई लोग होते हैं, गन्ना किसान होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, शोध संस्थान के लोग होते हैं, केन्द्र सरकार के लोग होते हैं, यह सब मिल करके किसान हित में ज्यादा से ज्यादा धनराशि तय करने का काम करते हैं। अब इनका यह कहना है कि क्या इतना करेंगे कि नहीं करेंगे, तो मेरा इसमें यह कहना है कि यह कमेटी तय करेगी। अभी जो वर्ष 2016-2017 के लिए समिति बैठेगी उसमें चर्चा होगी, कितनी लागत होगी, लागत के अगेन्स्ट में हम कितना गन्ना किसानों को दें, यह तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन यह इसी समय यह सब तय करना चाहते हैं। जैसे कि गधे के सिर में तुरन्त सींग जम जाये, वरना यह जानवर नहीं गिना जायेगा।

श्री सुरेश राणा-

माननीय अध्यक्ष जी, यह भाषण दे रहे हैं कि बकवास कर रहे हैं। आप इन्हें रोकिये।

श्री राम करन आर्य-

अरे आप बैठिये, बैठिये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। आप बैठिये। यह मेरठ का चौराहा नहीं है, यह दंगा कराने वाला स्थान नहीं है। आप यहां आना चाहते हैं, तो आइये। जैसे आप सवाल करोगे, वैसे जवाब मिलेगा।

श्री सुरेश राणा-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी सदन में कौन सी भाषा बोल रहे हैं। जवाब देना आता नहीं है। यह गलत बात है। यह किसको [x x x] कह रहे हैं ? मैं आपको जानता हूं। आपसे तेज बोल सकता हूं। आप किसान विरोधी हैं।

(सदस्य श्री सुरेश राणा सहित भारतीय जनता पार्टी के कई मा0 सदस्य सदन के वेल में आ गये और एक साथ अपनी-अपनी बात कहने लगे जिससे सदन में शोर-शराबा उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष-

अब आप शान्त रहिये। शान्त रहिये। आप अपने स्थान पर चलें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, कोई ऐसी मंशा नहीं रही होगी। कोई ऐसी मंशा नहीं है। किसानों के आप भी हितैषी हो सकते हैं हम भी तो हो सकते हैं और हमारा तो पूरा इतिहास ही राणा जी, समाजवादियों का किसानों से जुड़ा हुआ है।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्यगण, अपने स्थान पर चलें।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अपने स्थान पर वापस चले गये)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आप यह भी तो देखें कि किस भाषा में जवाब दिया जा रहा है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, उसे देख लेंगे। मान्यवर, भाषा का तो मामला यह है कि बहुत गलत बात को भी अगर ढंग से कहो तो सुनने में अच्छी लगती है। नेता प्रतिपक्ष ने कल साबित सा कर दिया था कि उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट बढ़ा है। हम अखबारों का संज्ञान नहीं लेते हैं। यह अपनी जगह है। लेकिन अगर हम सिर्फ अखबारों की बुनियाद पर ही सदन में चीजों को रखेंगे तो फिर यह भी देखें कि ''गवर्नमेंट डेटा शोज डाउन क्राइम इन यू0पी0''। यह हिन्दुस्तान टाइम्स कह रहा है। तो फिर इसे भी मानिये। अगर कोई ऐसी बात हुयी है तो अध्यक्ष जी देख लेंगे और मन दुखाना मंशा नहीं है। आप भी किसान की बात रखें और हमने तो किसान के लिए बहुत किया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, यह मा0 मंत्री जी का जवाब है। यहां [x x x] आ कहां से गया। [x x x] पर ले आये हाउस।

(इस बीच विपक्ष के कई सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष-

आप लिख कर दो मैं उसे दिखवा लूंगा। मैं यही कहूंगा कि मंत्रियों को भी जवाब देने में बड़ा संयम बरतने की आवश्यकता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 राणा साहब का जो प्रश्न था। विशेष रूप से इस बात पर फोकस करता था कि बोनस दें और ब्याज तो अधिकार है, नियमों में है और मान्यवर, ब्याज के लिए भी मना कर दिया। तो यह सरकार अगर गन्ना किसानों को ब्याज भी नहीं दे सकती तो यह गन्ना किसान के हित में नहीं है। इसलिए हम और हमारा दल सदन से बहिर्गमन करता है।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गये। नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय समाप्त।

प्रदेश में वर्ष 2015-16 में दिनांक 05-08-2016 के 10 लाख रुपये से अधिक बकाया की विद्युत बिल वसूली की प्रक्रिया की जानकारी

*06-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2015-16 में दिनांक 05-08-2016 तक विद्युत के 10 लाख रुपये से अधिक के कितने और कौन-कौन बकायेदार हैं ? क्या सरकार

नोट :-तारांकित प्रश्न सं0-05 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

बातायेगी कि उनसे बकाये की वसूली हेतु क्या-क्या प्रक्रिया अपना रही है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि विद्युत संयोजन विच्छेद करने के उपरान्त उन्हीं व्यक्तियों अथवा संस्थानों (कारखानों) का नाम बदलकर पुनः विद्युत कनेक्शन दिये जाने की भी कोई नीति है ? यदि हां, तो क्या ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

विभिन्न डिस्कामों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार प्रदेश में रु0 10.00 लाख से अधिक के कुल 9969 बकायेदार विद्युत उपभोक्ता हैं।

बकायेदार विद्युत उपभोक्ताओं से वसूली हेतु विभागीय नियमानुसार धारा-5 की नोटिस सम्बन्धित जिलाधिकारियों को भेजकर भू-राजस्व के माध्यम से बकाये की वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

*07-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

[2सरे शुक्रवार के ता0प्र0सं0-06 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के विभिन्न प्राधिकरणों की सीमा के अन्तर्गत बनी कालोनियों के विनियमितीकरण हेतु नीति निर्धारित करने की मांग

*08-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न प्राधिकरणों की सीमा के अन्तर्गत बनी हुई और लगातार बनती चली आ रही कालोनियों के विनियमितीकरण हेतु क्या शासन ने कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

अवैध कालोनियों के विनियमितीकरण हेतु गाइड लाइन्स शासनादेश संख्या-5097/9-आ-3-2001 (आ0बं0), दिनांक 26-05-2001 द्वारा बनायी गयी थी। उक्त गाइड लाइन्स में संशोधन सम्बन्धी शासनादेश संख्या-5438/9-आ-3-2001(आ0बं0), दिनांक 02-12-2003 निर्गत किया गया। वर्तमान में पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-3805/8-3-2008-194काम्प/01, दिनांक 05-08-2008 द्वारा विनियमितीकरण की कार्यवाही की जाती है। उक्त शासनादेश में कट आफ डेट शासनादेश की निर्गत होने की तिथि अर्थात् दिनांक 05-08-2008 निर्धारित की गयी। कट आफ डेट तक निर्मित हो चुकी पात्र अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण पर गाइड लाइन्स में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन प्राधिकरण स्तर से कार्यवाही की जाती है। उक्त शासनादेशों की प्रतियां मा0 लोक निर्माण मंत्री जी के कार्यालय कक्ष में अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

*09-श्री नदीम जावेद-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

*10-श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

[3सरे मंगलवार के ता0प्र0सं0-05 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अतारांकित प्रश्न

जनपद फिरोजाबाद के लो0नि0वि0 द्वारा मोहल्ला छारबाग से सोफीपुर तिराहे तक मिट्टी भराव के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

01-श्री मनीष असीजा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग फिरोजाबाद द्वारा मोहल्ला छारवाग से सोफीपुर तिराहे तक 3 मीटर चौड़ी सी0सी0 सड़क के किनारे साइड पटरी एवं मिट्टी भराव के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को प्रेषित पत्र संख्या-ख-5 नं0 891590, दिनांक 09-07-2016 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जनपद फिरोजाबाद में प्रश्नगत सोफीपुर से छारबाग तक मार्ग की लम्बाई 1.45 कि0मी0 है ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है जिसके चैनेज सं0 0.350 से 1.050 में सी0सी0 मार्ग के निर्माण हेतु कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के पत्र दिनांक 1-3-2016 द्वारा रु0 39.12 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। तत्क्रम में कुल 650 मी0 लम्बाई में सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य कराया गया है। वर्तमान में पटरियों पर मिट्टी भराई का कार्य प्रगति में है, जिससे मार्ग व साइड पटरी समतल हो जायेगी। मार्ग पर बीच में आर0ओ0बी0 निर्माणाधीन होने के कारण 50 मी0 भाग में कार्य नहीं कराया गया है। मार्ग पर नाली निर्माण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

निर्माण खण्ड फिरोजाबाद के अन्तर्गत मण्डी समिति के सामने नवनिर्मित सी0सी0 मार्ग के किनारे मिट्टी भराव व इण्टरलाकिंग कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

02-श्री मनीष असीजा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निर्माण खण्ड फिरोजाबाद के अन्तर्गत मण्डी समिति के सामने नवनिर्मित 5.5 मीटर चौड़ाई के सी0सी0 मार्ग की साइड पटरियां न बनने एवं मिट्टी भराव न होने के कारण नागरिकों को आवागमन में बेहद कठिनाई के निराकरण हेतु उक्त सी0सी0 मार्ग के दोनों तरफ 2-2 मीटर चौड़ाई में इण्टरलाकिंग कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को प्रेषित पत्र संख्या-ख-5 नं0 891641, दिनांक 12-07-2016 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

शासनादेश सं0-108/2016179 रासनि/23-1-16-45 रासनि/16, दिनांक 04 मार्च, 2016 द्वारा फिरोजाबाद कोटला मार्ग के कि0मी0 2 के क्षतिग्रस्त आबादी भाग (मण्डी समिति के सामने) में सी0सी0 रोड व नाली निर्माण के कार्य हेतु रु0 108.78 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। तत्क्रम में प्रश्नगत मण्डी समिति के सामने क्षतिग्रस्त भाग में 5.50 मी0 चौड़ाई में सी0सी0 रोड का निर्माण व साइड में पटरियों पर मिट्टी का भराव करा दिया गया है। मार्ग की दशा संतोषजनक है। इन्टरलॉकिंग का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण को गोरखपुर जनपद के बड़हलगंज-गोला के बीच उच्चीकृत किये गये रामजानकी राज्य मार्ग 72 को एस0डी0बी0सी0 कराने के मांग के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

03-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 04-05-2016 को प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण को पत्र लिखकर गोरखपुर जनपद के बड़हलगंज-गोला के बीच पूर्व में उच्चीकृत किये गये रामजानकी राज्य मार्ग 72 को एस0डी0बी0सी0 न होने की जानकारी देकर एस0डी0बी0सी0 कराने की मांग की गयी है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

मार्ग के प्रश्नगत भाग पर एस0डी0बी0सी0 कराने विषयक पत्र प्राप्त हुआ था। प्रश्नगत भाग बड़हलगंज-गोला के बीच चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य वर्ष 2008-09 में 13वां वित्त आयोग के अन्तर्गत दो कोट पत्थर एवं पी0सी0 से कराया गया था। लेक निर्माण विभाग में सामान्यतः नवीनीकरण में लेपित सतह का प्रकार वही रखा जाता है, जो पूर्व में लेपित सतह है। चूंकि मार्ग पर मूलतः पी0सी0 सतह है, अतः पी0सी0 से नवीनीकरण का कार्य वर्ष 2013-2014 व 2014-2015 में किया गया था। वर्तमान में मार्ग की दशा ठीक है। इसको दोबारा पी0सी0/एस0डी0बी0सी0 कराया जाना वर्तमान में किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण को गोरखपुर जनपद अन्तर्गत रावतपार से तहसील मुख्यालय जोड़ने वाली सड़क का पुनर्निर्माण कराने की मांग के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

04-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण को प्रेषित पत्र दिनांक 04-05-2016 जोकि गोरखपुर जनपद अन्तर्गत रावतपार से तहसील मुख्यालय जोड़ने वाली प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना में 6 वर्ष पूर्वनिर्मित सड़क जर्जर हो गयी है, का पुनर्निर्माण होने विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग अन्य जिला मार्ग है, जिसकी लम्बाई 15.00 कि0मी0 है। मार्ग के कि0मी0 1 से 7 (राउतपार से पकड़ी) तक प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत माह फरवरी, 2012 में निर्मित है। वर्तमान में मार्ग के इस भाग का अनुरक्षण पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत माह फरवरी, 2017 तक निर्धारित है। मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसे ठेकेदार द्वारा वर्षा ऋतु के बाद ठीक कराया जाना प्रस्तावित है। कि0मी0 8 से कि0मी0 15 तक (पकड़ी से गोला) का भाग लम्बाई 8.00 कि0मी0 के मरम्मत हेतु शासनादेश दिनांक 14-06-2016 द्वारा सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण के अन्तर्गत कुल लम्बाई 8.00 कि0मी0 हेतु लागत रु0 71.22 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है। मार्ग के इस भाग पर नवीनीकरण का कार्य प्रगति पर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद लखनऊ में गोमती बैराज से खुर्रम नगर कुकरैल नाले पर मार्ग एवं उपरिगामी सेतु निर्माण विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

05-श्री आशुतोष टण्डन (गोपाल जी)-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में गोमती बैराज से खुर्रम नगर कुकरैल नाले पर मार्ग एवं उपरिगामी सेतु निर्माण (जिसका कि निर्माण कार्य काफी समय से रुका हुआ है) के निर्माण विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 161-ए/वि0पू0/18/12/2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्रवायी की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

लखनऊ में मोगती बैराज से खुर्रम नगर कुकरैल नाले पर मार्ग एवं उपरिगामी सेतु निर्माण कार्य वर्ष 2011 में प्रारम्भ किया गया था, किन्तु सेना द्वारा आपत्ति किये जाने के कारण वर्ष 2014 से कार्य रुका हुआ है। परियोजना के अवशेष कार्य की वर्किंग परमीशन हेतु रक्षा मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की कालोनी गोमतीनगर के विनीत खण्ड-2 में स्थित भू-खण्ड को पार्क का प्रारूप देकर विकसित करने की सरकार की योजना की जानकारी

06-श्री आशुतोष टण्डन (गोपाल जी)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की कालोनी गोमतीनगर के विनीत खण्ड-2(2/482 के समक्ष) में स्थित भू-खण्ड को पार्क का प्रारूप देकर विकसित करने की सरकार की योजना है ? यदि हां, तो उसे कब तक विकसित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

गोमतीनगर के विनीत खण्ड-2/482 के सम्मुख स्थित भू-खण्ड तलपट मानचित्र के अनुसार सुविधाओं/व्यवसायिक हेतु आरक्षित है, वर्तमान में इस भू-खण्ड पर प्राधिकरण द्वारा पार्क विकसित करने की कोई योजना नहीं है। उल्लिखित है कि विनीत ख्ण्ड योजना प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2008 में नगर निगम, लखनऊ को हस्तान्तरित की जा चुकी है।

डिस्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी कमेटी द्वारा भारत सरकार की ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लिये सभी केन्द्रीय योजनाओं की समीक्षा एवं क्रियान्वयन के अनुश्रवण के सम्बन्ध में लखनऊ नगर में की गई बैठकों की जानकारी विषयक

07-श्री आशुतोष टण्डन (गोपाल जी)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त सचिव, भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली के पत्र संख्या-41/1/2015-आर0ई0, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 के अनुपालन में भारत सरकार की ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लिये स्वीकृत क्रमशः दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डी0डी0यू0जे0जी0वाई0) एवं इन्टीग्रेटेड पावर डेवलपमेन्ट स्कीम (आई0पी0डी0एस0) के अन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्र में सभी केन्द्रीय योजनाओं की समीक्षा एवं क्रियान्वयन के अनुश्रवण हेतु गठित डिस्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी कमेटी की बैठक 03 महीने में कम से कम एक बार अवश्य होना प्राविधानित है ? यदि हां, तो लखनऊ नगर में अब तक डिस्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी कमेटी की कितनी बैठकें कब-कब हुईं हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

वर्ष 2015-16 में एक बैठक दिनांक 31-05-2015 को हुई।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के कतिपय ब्लाक व ग्रामों के क्षत्रिग्रस्त मार्गों की मरम्मत की जानकारी विषयक

08-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जनपद के ब्लाक भावलखेड़ा के ग्राम जमुई, रामूपुर बरकतपुर, पैंतापुर, उदियापुर, जपनापुर, खानपुर देहा, महुलिया मुण्डी, दिउरिया तथा सुतमेरा मुडिया एवं ब्लाक ददरौल के ग्राम भटेला, सिमरिया लक्ष्मीपुर, घुसगवां तथा ग्राम खुरदराई (राई खुर्द) के क्षतिग्रस्त मार्गों एवं उनके अप्रोच रोड की सरकार मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के मार्गों की स्थिति निम्नवत् है :--

ग्राम जगुई (जगुही) मार्ग, ग्राम पैतापुर मार्ग, ग्राम उटियापुर मार्ग, ग्राम महुलिया मुण्डी मार्ग, ग्राम सुतमेरा मुडिया (सुतनेरा भुडिया) ग्राम घुसगवां भागों की दशा संतोषजनक है।

ग्राम रामूपुर बरकतपुर (रामापुर बरकतपुर) मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है जिसके मरम्मत हेतु शासनादेश दिनांक 01-06-2015 द्वारा रु0 102.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है, कार्य प्रगति पर है।

ग्राम भटेला मार्ग एवं ग्राम सिमरिया लक्ष्मीपुर मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, जिसके विशेष मरम्मत हेतु प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग के पत्र दिनांक 01-06-2016 द्वारा क्रमशः रु0 32.31 लाख एवं 17.52 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है।

ग्राम जपनापुर मार्ग, ग्राम खानपुर देहा मार्ग, ग्राम दिउरिया मार्ग एवं ग्राम खुरदराई (राई खुर्द)/राय खुर्द मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, जिसकी मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग-24 को चौड़ा करने के लिये अधिग्रहीत भूमि का मानक के अनुरूप प्रतिकर/मुआवजा दिये जाने की मांग

09-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जनपद में राष्ट्रीय राजमार्ग-24 को चौड़ा करने के लिये ग्राम जमका ब्लाक भावलखेड़ा से नीरानपुर कटरा तक की अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर/मुआवजा अधिकांश लोगों को मानक से कम दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार सभी को मानक के अनुरूप मुआवजा दिलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-24 बरेली-सीतापुर परियोजना के चार लेन चौड़ीकरण हेतु जनपद शाहजहांपुर में अधिग्रहण की जा रही भूमि के प्रतिकर का निर्धारण सक्षम प्राधिकारी/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, संयुक्त संगठन शाहजहांपुर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत किया गया है एवं जिसके वितरण की कार्यवाही प्रगति पर है। जनपद शाहजहांपुर में दिनांक 23-08-2016 तक कास्तकारों को 75 प्रतिशत प्रतिकर का वितरण किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

10-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

[दिनांक 30-08-2016 के अता0प्र0सं0-31 द्वारा उत्तरित]

कार्यालय राजस्व परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ में शासन की स्थानान्तरित नीति का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने की मांग

11-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन की स्थानान्तरण नीति के अनुसार एक पटल पर कार्य करने की निर्धारित अवधि का अनुपालन राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ स्थित कार्यालय में नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नीति का अनुपालन सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

राजस्व परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ में स्थित कार्यालय में अधिकारियों/कर्मचारियों की शासन की वार्षिक स्थानान्तरण नीति वर्ष 2016-17 के अनुसार एक पटल पर कार्य करने की कोई अवधि निर्धारित नहीं है।

वार्षिक स्थानान्तरण नीति में एक पटल पर कार्य करने की कोई अवधि निर्धारित न होने के कारण नीति का अनुपालन कराये जाने का औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ को जोड़ने वाली घाघरा नदी पर गोला-रौनापुर के मध्य पुल के निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

12-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र के क्रम में नगर विकास मंत्री का पत्रांक सं0 2247/वीआईपी/मा मं0सं0/न0वि0 2015, दिनांक 28-12-2015 प्रमुख सचिव, लोक निर्माण को गोरखपुर जनपद और आजमगढ़ जनपद को जोड़ने वाले घाघरा नदी पर गोला-रौनापार के मध्य पुल के निर्माण से सम्बन्धित पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

पत्र में उल्लिखित घाघरा नदी पर जनपद आजमगढ़ व जनपद गोरखपुर को जोड़ने हेतु प्रस्तावित पुल की परियोजना का आगणन दिनांक 01-06-2016 को प्रमुख सचिव, वित्त की अध्यक्षता में गठित व्यय वित्त समिति के समक्ष रखा गया। जिसमें वित्त व्यय समिति द्वारा उक्त को पुनः परीक्षण करने के निर्देश दिये गये। तत्क्रम में कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मथुरा में ब्लाक फरह में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत परखम से ओल मार्ग का शीघ्र निर्माण कराने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री के आदेश के क्रम में कृत कार्रवाई की जानकारी

13-श्री पूरन प्रकाश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री के आदेश सं0-सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0-10675876/2015, दिनांक 21-08-2015 जो जनपद मथुरा में ब्लाक फरह में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत परखम से ओल मार्ग को शीघ्र निर्माण कराने विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जनपद मथुरा के ब्लाक फरह के अन्तर्गत परखम से ओल मार्ग की लम्बाई 14.00 कि0मी0 है, जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद में राजकीय आस्थान व नजूल भूमि की दोहरी प्रविष्टियों की समस्या के समाधान हेतु हुई उच्चस्तरीय बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में कृत कार्रवाई की जानकारी

14-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनकी अध्यक्षता में दिनांक 08 दिसम्बर, 2015 को इलाहाबाद में राजकीय आस्थान व नजूल भूमि की दोहरी प्रविष्टियों की समस्या के समाधान हेतु हुई उच्चस्तरीय बैठक में क्या कोई निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्नगत बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इलाहाबाद में राजकीय आस्थान व नजूल भूमि की दोहरी प्रविष्टियों से सम्बन्धित पूरे मामले की जांच/परीक्षण अध्यक्ष, राजस्व परिषद्, उ0 प्र0 से करा लिया जाय और अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त अग्रेतर कार्यवाही की जाय।

उक्त बैठक का कार्यवृत्त, पत्र संख्या-1490/1-6-2015-142(21)/2014, दिनांक 12 जनवरी, 2016 द्वारा निर्गत किया गया, जिसके द्वारा बैठक में लिये गये निर्णय की सूचना अध्यक्ष, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ को दी गयी। अध्यक्ष, राजस्व परिषद् द्वारा सन्दर्भगत प्रकरण की जांच/परीक्षण हेतु सदस्य (कर) राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की गयी है। जांच समिति द्वारा प्रकरण की जांच की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के चन्द्रशेखर आजाद सेतु के कतिपय पश्चिमी मुहल्ले/क्षेत्रों को बाढ़ से बचाने हेतु बांध के निर्माण कराये जाने की मांग

15-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद में प्रत्येक वर्ष चन्द्रशेखर आजाद सेतु (फाफामऊ-तेलियरगंज) के पश्चिम पीताम्बर नगर, शंकरघाट, जोधवल, रसूलाबाद, मेंहदौरी, नयापूरा, म्योराबाद, बेली गांव, ऊंचवागढ़ी-राजापुर, गंगा नगर-नेवादा, नीवा आदि मुहल्ले बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त क्षेत्रों को बाढ़ से बचाने हेतु बांध का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्न में उल्लिखित मुहल्लों की पुरानी आबादी ऊंचे क्षेत्रों में स्थित है, जहां बाढ़ की कोई समस्या नहीं है। मात्र उक्त मुहल्लों का निचला क्षेत्र जो कछारी भाग (फ्लड प्लेन जोन) में स्थित है, वह नदी का जल स्तर अधिक बढ़ने पर कुछ दिवसों हेतु ही प्रभावित होता है।

फ्लड प्लेन जोन में तटबन्ध का निर्माण कराया जाना तकनीकी रूप से साध्य नहीं है। अतः बांध का निर्माण कराने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

फ्लड प्लेन जोन में तटबन्ध का निर्माण कराया जाना तकनीकी रूप से साध्य नहीं है।

जनपद फिरोजाबाद के बाईपास बम्बा पार के क्षेत्र में 33 के0वी0 क्षमता के विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना की मांग

16-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर फिरोजाबाद के बाई पास बम्बा पार के क्षेत्र में 33 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र न होने के कारण उपभोक्ताओं को कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में एक 33 के0वी0 क्षमता के विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

नगर फिरोजाबाद के बाईपास बम्बा पार के क्षेत्र के सभी उपभोक्ताओं को वर्तमान में स्थापित विद्युत उप संस्थान से पर्याप्त विद्युत आपूर्ति की जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं को कोई कठिनाई नहीं हो रही है।

जनपद फैजाबाद में भारत सरकार द्वारा संचालित पं0 दीन दयाल ज्योति योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र रुदौली में चयनित बस्तियों/गांवों में विद्युतीकरण कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराये जाने की मांग

17-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा संचालित पं0 दीन दयाल ज्योति योजना प्रदेश में भी संचालित है ? यदि हां, तो जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में इस योजना के अन्तर्गत कुल कितनी बस्तियों/गांवों का चयन किया गया है और उसमें से कितने बस्तियों/गांवों में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? क्या सरकार चयनित बस्तियों/गांवों का उक्त योजना में विद्युतीकरण कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जनपद फैजाबाद में पं0 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (11वां प्लान राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना) के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र रूदौली में ब्लाक-मवई एवं रुदौली के 424 ग्राम/मजरे चयनित थे, जिसमें 412 ग्राम/मजरों के विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो गया है। पं0 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (12वां प्लान राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना) के अन्तर्गत डी0पी0आर0 के अनुसार ब्लाक-मवई एवं रूदौली के 359 ग्राम/मजरे चयनित हैं। कार्य हेतु

मेसर्स जैक्शन लि0, नई दिल्ली से अनुबन्ध किया जा चुका है। उक्त कार्य माह अक्टूबर, 2017 तक पूर्ण होना लक्षित है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर की खजनी तहसील में घाघरा नदी के किनारे शाहपुर खडगपुर बन्धा में किसानों की ली गयी जमीनों का मुआवजा नई घोषित दर के अनुसार करवाने की मांग

18-श्री सन्त प्रसाद-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की खजनी तहसील में घाघरा नदी के किनारे शाहपुर खडगपुर बन्धा में किसानों की ली गयी भूमि का मुआवजा कुछ गांवों को दिया गया, पर मकरहा आदि कई गांवों के किसानों को मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार शेष गांव के किसानों की भूमि का मुआवजा नई घोषित दर के अनुसार देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां

ग्राम-मकरहा सहित अन्य अवशेष ग्रामों के कृषकों के भू-प्रतिकर के भुगतान हेतु वर्ष 2014-15 के सर्किल दर के आधार पर गणना चक्र तैयार कर धनावंटन का प्रस्ताव प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के स्तर पर परीक्षणाधीन है। शासन को प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा शासन को प्रस्ताव उपलब्ध कराए जाने पर परीक्षणोपरान्त अवशेष मुआवजे के भुगतान हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के गांवों के सीमांकन के लिये राजस्व गांवों के सरहदी पत्थर को पुनः स्थापित करवाने की मांग

19-श्री संजय प्रताप जयसवाल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के गांवों में सीमांकन के लिए गांव की सरहदों पर लगाये गये पत्थर अधिकांशतः गायब हो जाने के कारण राजस्व के विवादग्रस्त मामलों में पैमाइश में कठिनाइयां आ रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार राजस्व गांवों के सरहदी पत्थर को पुनः स्थापित कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

कुछ गांवों में पैमाइश में कठिनाइयां प्रकाश में आई हैं। जिन गांवों में सरहदी पत्थर गायब हो जाने के कारण पैमाइश में कठिनाई आती है, वहां सरहदी पत्थरों को पुनः स्थापित करने के लिए ''उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा-21, 22 व 23 में तथा सपठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-16(5), 19, 20 व 21'' में प्राविधान किये गये हैं। तद्नुसार कार्यवाही कराई जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आग लगने की घटना से प्रभावित नागरिकों/किसानों को दी जाने वाली अहेतुक सहायता राशि बढ़ाये जाने की मांग

20-श्री संजय प्रताप जयसवाल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आग लगने की घटना से प्रभावित नागरिकों/किसानों को सरकार के द्वारा दी जा रही अहेतुक सहायता राशि कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार बढ़ती मंहगाई के दृष्टिगत अग्नि पीड़ित परिवारों के अहेतुक सहायता बढ़ाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या-32-7/2014-एन0डी0एम0-प्रथम, दिनांक 08-04-2015 द्वारा आपदा से प्रभावित परिवारों को अहेतुक सहायता दिये जाने हेतु मानक एवं दरों का निर्धारण किया गया है। अग्निकाण्ड से प्रभावित परिवारों को उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत अहेतुक सहायता दी जाती है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फैजाबाद की विधान सभा क्षेत्र रुदौली में वर्ष 2016-17 में जिला योजनान्तर्गत प्रस्तावित सड़कों के निर्माण को पूर्ण कराये जाने की मांग

21-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद की विधान सभा क्षेत्र रुदौली में वर्ष 2016-17 में जिला योजना अन्तर्गत सड़कों के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या प्रस्तावित सड़कों का निर्माण कार्य कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जिला योजना समिति जनपद-फैजाबाद से अनुमोदित होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फैजाबाद की तहसील रुदौली में वर्ष 2012 से जुलाई, 2016 तक धारा-143 व 161 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त प्रकरणों की स्थिति विषयक

22-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद की तहसील रुदौली में वर्ष 2012 से जुलाई, 2016 तक धारा-143 व 161 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के कुल कितने प्रकरण निस्तारित किये गये तथा कितने लम्बित हैं ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद फैजाबाद की तहसील रुदौली में वर्ष 2012 से जुलाई, 2016 तक उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा-143 के 415 प्रकरण निस्तारित किये गये तथा कोई प्रकरण लम्बित नहीं है। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा-161 के कुल 09 प्रकरण निस्तारित किये गये तथा 02 प्रकरण लम्बित है।

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में वित्तीय वर्ष 2014-15 में ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त किसानों की फसलों के मूल्यांकन पर अवशेष किसानों को समयबद्ध सीमा में राहत राशि वितरण करवाने की मांग

23-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में वित्तीय वर्ष 2014-15 में ओलावृष्टि के कारण कितने राजस्व गांवों में किसानों के फसलों की क्षति का मूल्यांकन कराकर किस दर से मुआवजा दिया गया तथा कितने पीड़ित किसान अभी वंचित हैं ? क्या सरकार अवशेष किसानों को समयबद्ध सीमा में राहत राशि का वितरण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में वित्तीय वर्ष 2014-15 में ओलावृष्टि के कारण 23 राजस्व ग्रामों में किसानों के फसलों की क्षति का मूल्यांकन कराकर रु0 18,000/- प्रति हे0 की दर से मुआवजा दिया गया। कोई किसान राहत राशि से वंचित नहीं रह गया है।

ओलावृष्टि से प्रभावित कोई किसान राहत हेतु अवशेष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में वर्ष 2014-15 में अतिवृष्टि व दैवीय आपदा से पीड़ित अवशेष किसानों को समयबद्ध सीमा में राहत राशि वितरण करवाने की मांग

24-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में वित्तीय वर्ष 2014-15 से अब तक अतिवृष्टि व दैवीय आपदा से पीड़ित कितने किसानों को राहत राशि का वितरण किया गया तथा कितने किसान राहत राशि से वंचित रह गये हैं ? क्या सरकार अवशेष किसानों को समयबद्ध सीमा में राहत राशि का वितरण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में वित्तीय वर्ष 2014-15 से अब तक अतिवृष्टि से प्रभावित 27,869 किसानों को रु0 4,49,88,250/- तथा दैवीय आपदा से पीड़ित 1,416 किसानों को रु0 59,06,060/- राहत राशि का वितरण किया गया है। कोई किसान राहत राशि से वंचित नहीं है।

अतिवृष्टि तथा दैवीय आपदा से पीड़ित प्रभावित कोई किसान राहत राशि हेतु अवशेष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में सड़कों का निर्माण कार्य हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा पूर्ण कराये जाने विषयक

25-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 08 मार्च, 2016 को मुख्य मंत्री द्वारा सदन में की गयी घोषणा के अनुसार विधान सभा क्षेत्र रुदौली में 8 किमी0 सड़क हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा निर्मित किये जाने हेतु धन आवंटित कर दिया गया है ? यदि हां, तो रुदौली विधान सभा क्षेत्र की सड़कों का निर्माण कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

स्वीकृत कार्यों को वित्तीय वर्ष 2016-17 में पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र मीरगंज व आंवला के मध्य गोरा घाट भूड़ा बसन्तपुर मार्ग पर राम गंगा नदी पर सेतु के अधूरे निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

26-श्री सुल्तान बेग-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र मीरगंज व आंवला के मध्य गोरा घाट भूड़ा बसन्तपुर मार्ग पर राम गंगा नदी पर सेतु निर्माण का कार्य पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण अधूरा होने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव-

प्रश्नगत कार्य की वित्तीय स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2009-10 में धनराशि रु0 1499.59 लाख की प्रदान की गयी थी। वर्ष 2010 में आयी बाढ़ के कारण नदी के अपनी पूर्व धारा बदलते हुये मीरगंज की तरफ सेतु निर्माण सीमा से बाहर चले जाने के कारण कार्य अवरुद्ध हो गया।

उच्चाधिकारियों द्वारा किये गये स्थलीय निरीक्षणोपरान्त संशोधित पुनरीक्षित आगणन गठित किया गया है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश की अनियमित कालोनियों को नियमितीकरण करने हेतु सरकार द्वारा नीति तैयार किये जाने विषयक

27-प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अनियमित कालोनियों के नियमितीकरण हेतु सरकार द्वारा कोई नीति तैयार की गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

अवैध कालोनियों के विनियमितीकरण हेतु गाइड लाइन्स शासनादेश संख्या-5097/9-आ-3-2001(आ0बं0) दिनांक 26-05-2001 द्वारा बनायी गयी थी। उक्त गाइड लाइन्स में संशोधन सम्बन्धी शासनादेश संख्या-5438/9-आ-3-2001 (आ0बं0) दिनांक 02-12-2003 निर्गत किया गया। वर्तमान में पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-3805/8-3-2008-194काम्प/01, दिनांक 05-08-2008 द्वारा विनियमितीकरण की कार्यवाही की जाती है। उक्त शासनादेश में कट आफ डेट शासनादेश की निर्गत होने की तिथि अर्थात् दिनांक 05-08-2008 निर्धारित की गयी। कट आफ डेट तक निर्मित हो चुकी पात्र अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण पर गाइड लाइन्स में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन प्राधिकरण स्तर से कार्यवाही की जाती है। उक्त शासनादेशों की प्रतियां मा0 लोक निर्माण मंत्री जी के कार्यालय कक्ष में अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के बाढ़ से प्रभावित लोगों के राहत प्रबन्धन एवं पुनर्वास हेतु सरकार द्वारा योजना बनाये जाने की मांग

28-प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान वर्ष 2016 में बाढ़ से प्रदेश के कितने जिले प्रभावित हुए हैं तथा बाढ़ से प्रभावित लोगों के राहत प्रबंधन एवं पुनर्वास हेतु सरकार कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

वर्ष 2016 में बाढ़ से अब तक 29 जिले प्रभावित हुये हैं। बाढ़ से प्रभावित लोगों के राहत प्रबन्धन एवं पुनर्वास हेतु कोई नवीन योजना नहीं बनायी जा रही है बल्कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को निर्धारित मानक एवं दरों के अनुसार राज्य आपदा मोचक निधि से अहेतुक सहायता, खाद्य सामग्री, कृषि निवेश अनुदान, गृह अनुदान आदि दिये जाने की व्यवस्था है जिसके अनुसार सहायता प्रदान की जा रही है।

राहत प्रबन्धन के रूप में बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने, राहत शिविर व बाढ़ चौकियों की स्थापना, संक्रामक रोगों के रोकथाम व उपचार हेतु आवश्यक कार्यवाही, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, प्रभावित पशुओं के टीकारण व उपचार तथा पशु चारे आदि की व्यवस्था की जा रही है।

उक्त के अतिरिक्त बाढ़ प्रभावितों के खोज एवं बचाव के लिये पी0ए0सी0 की बाढ़ बटालियन, एन0डी0आर0एफ0 तथा यथा-आवश्यकता सेना का सहयोग प्राप्त किया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा शासनादेश संख्या-2010/1-10-2012-33(37)/2012टी0सी0-1, दिनांक 31-07-2012 के माध्यम से तीव्र बाढ़ में बह जाने वाले ग्रामों के विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वासित किये जाने हेतु भूमि का क्रय कर निःशुल्क आवंटन किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में स्थानान्तरण नीति, 2016 के अन्तर्गत महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को डेन्टल हाइजिनिस्ट के पदों पर स्थानान्तरण विषयक श्री सुधीर कुमार रावत, डा0 शिवप्रताप यादव तथा श्री शंखलाल मांझी, राज्य मंत्री के पत्र के सम्बन्ध में कृत कार्रवाई की जानकारी

29-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थानान्तरण नीति, 2016 के अन्तर्गत डेन्टल हाइजिनिस्ट के पदों पर स्थानान्तरण विषयक श्री सुधीर कुमार रावत, राज्य मंत्री का पत्र आदेश संख्या-179/वी0 आई0 पी0/रा0 मं0/2016, दिनांक 18-05-2016 तथा डा0 शिवप्रताप यादव, राज्य मंत्री का पत्र आदेश संख्या-2080/वी0आई0पी0/रा0मं0/2016, दिनांक 10-06-2016 तथा श्री शंखलाल मांझी, राज्य मंत्री का पत्र आदेश संख्या-295/ सी0/वी0 आई0 पी0/2016, दिनांक 15-06-2016 महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त आदेशों के अनुपालन में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

श्री सुधीर कुमार रावत, मा0 राज्य मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का पत्र आदेश संख्या-179/वी0आई0पी0/रा0मं0/2016, दिनांक 18-05-2016, निदेशक(दन्त) कैम्प कक्ष में दिनांक 25-05-2016 को प्राप्त हुआ।

श्री शंखलाल मांझी, मा0 राज्य मंत्री का पत्र आदेश संख्या-295/सी0वी0आई0पी0/2016, दिनांक 15-06-2016 निदेशक(दन्त) कैम्प कक्ष में दिनांक 28-06-2016 को प्राप्त हुआ।

डा0 शिव प्रताप यादव, मा0 राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का पत्र आदेश संख्या-2080/बी0आई0पी0/रा0म0/2016, दिनांक 10-06-2016, निदेशक (दन्त) कैम्प कक्ष में प्राप्त नहीं हुआ।

लखनऊ जनपद में डेन्टल हाइजिनिस्ट का पद रिक्त नहीं होने के कारण मा0 मंत्रीगण के संस्तुति पत्रों पर कोई कार्यवाही का अवसर नहीं रहा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के ब्लाक संडीला के ग्राम नरायनपुर में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने की मांग

30-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के ब्लाक संडीला के ग्राम नरायनपुर में बिजली के खम्भे, तार होने के बावजूद विद्युत सप्लाई नहीं आ रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त ग्राम में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जनपद-हरदोई के ब्लाक-संडीला के ग्राम-नरायनपुर के विद्युतीकरण का कार्य पं0 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (पूर्ववर्ती राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण 12वीं योजना) के अन्तर्गत चयनित है। उक्त कार्य मे0 नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कम्पनी लि0, हैदराबाद द्वारा कराया जा रहा है।

कार्य माह दिसम्बर, 2016 तक पूर्ण होना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के ब्लाक भरावन स्थित ग्राम पंचायत पवायां से कटियार मार्ग की मरम्मत कराये जाने विषयक

31-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के ब्लाक भरावन स्थित ग्राम पंचायत पंवाया से कटियार मार्ग जर्जर हैं ? यदि हां, तो सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद हरदोई में पवायां से कटियार मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जिसकी कुल लम्बाई 11 कि0मी0 है। इस मार्ग के प्रथम 8.80 कि0मी0 भाग की दशा संतोषजनक है तथा शेष कि0मी0 09 का 200 मी0 भाग तथा कि0मी0 10 एवं 11 अर्थात् कुल 2.20 कि0मी0 भाग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, जिसकी मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मा0 अध्यक्ष जी आप हमारे संरक्षक हैं। मुझे अपनी बात कहने दीजिए। गन्ना किसानों से जुड़ा प्रश्न है।

(इस बीच श्री पंकज कुमार मलिक जी बोलते रहे किन्तु उनका माइक आफ था)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय समाप्त हो गया। अब नहीं। अब यह कोई जरूरी नहीं कि आप जब तक चाहो तब तक बोलते रहो। आप गन्ने का प्रश्न तो पूछे नहीं। पूछा श्री सुरेश राणा जी ने। इसमें पूछा था श्री सुरेश राणा, श्री नदीम जावेद एवं श्री गजेन्द्र सिंह जी ने। आपका नाम भी नहीं था। जब आपका नाम नहीं है तो क्यों ऐसा कर रहे हो और प्रश्न का समय समाप्त हो गया। अब इसे फिर

नहीं लिया जा सकता। बैठिये। बैठिये। बैठो न। अब आप बैठो। अब प्रश्न का समय समाप्त हो गया तो क्या बोलोगे। कल गन्ने पर बहस हुयी। श्री सुदेश शर्मा जी गन्ने पर बोले। तो गन्ना पर आप क्या दिन भर बोलते रहेंगे ? बैठिये। बैठिये। अब चलिये। आज आखिरी दिन है, न परेशान करो।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मा0 अध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

क्या व्यवस्था का प्रश्न है बताओ।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने नियमों में भी सूचना लगायी। मेरी सूचना नहीं आयी।

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न था। प्रश्न स्वीकार हुआ था। सूचना नहीं थी।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मा0 अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाइये, पहले मेरी बात सुन लीजिए। यह प्रश्न था, प्रश्न स्वीकार हुआ था, यह सूचना नहीं थी। यह प्रश्न लगा था सुदेश शर्मा ने गन्ना पर बात की, आप लोग थे कि नहीं मुझे ध्यान नहीं, कुछ लोग वाक आउट कर गये थे, उन्होंने गन्ने पर अपनी पूरी बात रखी, श्री दलवीर सिंह ने कहा कि यह नियम-56 में लिया जाय, जबकि उस दिन सम्भव नहीं था, फिर भी उन्होंने गन्ने पर कहा। सुरेश राणा जी का सवाल था, उसमें आपका सवाल था भी नहीं, अब सुरेश राणा जी द्वारा जवाब करते-करते समय समाप्त हो गया, तो अब आपको क्या बोलने दिया जाय। यह जबरदस्ती नहीं चलेगी, विधान सभा नियमों से चलेगी। अब आप बैठिये, आप वहां जा करके किसानों के बीच में लड़िये, यहां जितना करना था, चार साल में कर लिये, अब जाइये वहां।

[12.22] पूर्वांचल के कतिपय जिलों में धर्म की आड़ में मुस्लिम समाज को आतंकित करने विषयक व्यवस्था का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

हां, डा0 साहब आप बताइये।

डा0 मो0 अयूब-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने हमें बोलने का मौका दिया, आपका मैं धन्यवाद करता हूं। मा0 अध्यक्ष जी इस प्रदेश में लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति बहुत खराब है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी जो समस्या है, उसको उठाइये।

डा0 मो0 अयूब-

मान्यवर, स्पेशिफिक दो मिनट में अपनी बात पूरी कर लूंगा। मान्यवर, पूर्वान्चल के कुछ जिले गोरखपुर, बस्ती मण्डल, श्रावस्ती मण्डल और आजमगढ़ मण्डल में कुछ असामाजिक तत्व संगठित अपराध कर रहे हैं और धर्म का चोला पहने हुए हैं, हिन्दू वाह-वाहिनी का चोला पहने हुए हैं और आदित्य नाथ के इशारे पर ये समाज को आतंकित कर रहे हैं और खासतौर पर समाज के कमजोर वर्गों, दलित वर्ग, पिछड़े वर्ग और मुसलमानों पर आतंक कर रहे हैं और हर तरीके का जुल्म कर रहे हैं और उन्हीं के खिलाफ यह हर तरीके का मुकदमा कराने का काम कर रहे हैं, उनकी जमीनें हड़प रहे हैं, उनसे वसूली कर रहे हैं, दंगा-फसाद हिन्दू-मुसलमान के नाम पर कराने का काम कर रहे हैं, जाति-वाद दंगा कराने का काम कर रहे हैं और जो सबसे बड़ा अत्याचार हो रहा है कि मजलूमों के खिलाफ भी सरकार पर और पुलिस प्रशासन पर दबाव डालकर के उन्हीं के खिलाफ मुकदमा कर रहे हैं, यह अपहरण भी कर रहे हैं, गौ-तस्करी भी कर रहे हैं और यह सारा जितना असामाजिक काम है वह संगठित अपराध के तरीके से [x x x] के इशारे पर उसके संरक्षण में ये काम हो रहा है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से दो चीजों की मांग करता हूं कि इस हिन्दू वाह-वाहिनी के नाम पर असामाजिक तत्वों का जो यह गैंग चल रहा है, इसके खिलाफ सरकार जांच करा कर के उन गुण्डों के, असामाजिक तत्वों के खिलाफ जांच करा के इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाय और उन सभी ने हमारे खिलाफ भी फर्जी मुकदमा कई थानों में दर्ज कराये हैं जबरदस्ती और मजलूमों के खिलाफ भी मुकदमें दर्ज कराये हैं और मजलूमों द्वारा जितनी भी एप्लीकेशन थानों में दी गयी हैं, उनका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, तो मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे खिलाफ जितने फर्जी मुकदमें हिन्दू वाह-वाहिनी के नाम पर इन असामाजिक तत्वों ने दर्ज करायें हैं, उसको जांच करा कर खत्म किया जाय और जितने मजलूमों ने एप्लीकेशन दिया है उसको दर्ज करा कर के उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब आप बैठ जायं। अब हम नियम-301 की सूचनायें लेते हैं।

[12.25] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

अब हम नियम-301 की सूचनायें लेते हैं।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

आज दिनांक 31-08-2016 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 85 सूचनायें प्राप्त हुईं। सभी सूचनाएं स्वीकार की गयीं।

पहली सूचनी श्री ललितेशपति त्रिपाठी की जनपद मिर्जापुर के मड़िहान विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय जर्जर सम्पर्क मार्गों/सड़कों का शीघ्र निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री मोहम्मद गाजी की जनपद आजमगढ़ थाना निजामाबाद ग्राम डोड़ोपुर में अनुसूचित जाति के परिवार की जानमाल की सुरक्षा के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना की श्री अमर पाल शर्मा जनपद गाजियाबाद विधान सभा साहिबाबाद में टूटी हुई सड़कों के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्रीमती फसीहा मंजर उर्फ गजाला लारी की जनपद गाजीपुर के श्री विद्यानन्द सिंह का बकाया वेतन रु0 2,40,831.00 का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्रीमती लक्ष्मी गौतम की ग्राम विकास अधिकारी महिला अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की जनपद इलाहाबाद गंगा यमुना टोंस के प्रकोप से पीड़ितों को राष्ट्रीय आपदा सहायता अनुदान से क्षतिपूर्ति कराने तथा गन्दगी व बीमारी से निपटने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री गुटियारी लाल दुबेश की जनपद आगरा में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार विद्युत सप्लाई कराये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री दीपक पटेल की सहकारिता विभाग में कनिष्ठ लिपिक संग्रह के लम्बित भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री जय प्रकाश अंचल की उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की वरिष्ठता/ पदोन्नति के नियम व शिक्षकों की सम्बद्धता के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री आरिफ अनवर हाशमी की जनपद बलरामपुर के उतरौला में आई बाढ़ के पीड़ितों को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की शाहजहांपुर के ददरौल ब्लाक में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की जनपद बुलन्दशहर विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद गंग नहर पर महमदपुर केहरी सुनपेड़ा सम्पर्क मार्ग के बीच क्षतिग्रस्त पुल को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री कपिल देव अग्रवाल की जनपद मुजफ्फरनगर की सदर विधान सभा के गांव कूकड़ा की अविकसित बस्तियों में पेयजल, जल निकासी की समस्या के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत में शारदा नहर प्रणाली के अन्तर्गत साबेपुर रजवाहा, गोबल रजवाहा के टेल तक पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री बंशी सिंह पहाड़िया की श्री बाबूराम तथा कथित उपाध्यक्ष पेट्रोलियम टैंकर्स ड्राइवर्स एवं कन्डक्टर्स यूनियन बरेली द्वारा गरीब ड्राइवरों की जिन्दगी से खिलवाड़ करके ड्राइवर स्कूल संचालकों को ब्लैक मेल किये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री गयाचरण दिनकर की जनपद बांदा के कस्बा अतर्रा के परिचित रिंग रोड बनाने व रेलवे लाइन को रिंग मार्ग बनाने वाले दोनों स्थानों में ओवर ब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तरहवीं सूचना श्री त्रिभुवन राम की जनपद सीतापुर के विकास खण्ड मछरेहटा में वित्त आयोग योजना वर्ष 2014-15 का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना

श्री जय प्रकाश की श्री मनीष कुमार को विश्वविद्यालय की सेवा में पुनः बहाल कर विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री रामहेत भारती की जनपद लखनऊ नगर स्थित सरोजनी नगर में केनरा बैंक के पास विकास कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री जगराम पासवान की जनपद बलरामपुर के कतिपय मार्गों का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्कतीसवीं सूचना श्री सन्त प्रसाद की जनपद गोरखपुर की तहसील खजीन में कम बारिश से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, बाइसवीं सूचना श्री रविन्द्र भड़ाना की उ0 प्र0 में सिकलीगर जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेइसवीं सूचना श्री बावन सिंह की जनपद गोण्डा के कटरा बाजार विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय जर्जर मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौबीसवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले) की जनपद मेरठ के वार्ड-16 दांदल जटौली के पेयजल आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में है, पच्चीसवीं सूचना श्री अवस्थी बाला प्रसाद की जनपद मऊ में नाली को पाटकर सी0सी0 रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं सूचना डा0 अरुण कुमार की जनपद बरेली शहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युत सम्बन्धी समस्याओं के सम्बन्ध में है, सत्ताइसवीं सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की जनपद आगरा में बोदला चौराहे पर आये दिन लगने वाले जाम से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, अट्ठाइसवीं सूचना श्री रविन्द्र जायसवाल की जनपद वाराणसी उत्तरी विधान सभा क्षेत्र बसही से पटेल चौराहे तक का मार्ग ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तीसवीं सूचना श्रीमती सीमा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुगराबादशाहपुर में जंगली सुअरों एवं नीलगायों के आतंक से व्याप्त स्थिति के सम्बन्ध में है, तीसवीं सूचना डा0 आर0के0 वर्मा की जनपद प्रतापगढ़ की नगर प्रतापगढ़ जल शाखा शीर्ष में शीर्ष से टेल तक जमा सिल्ट सफाई हेतु धन उपलब्ध कराकर शीघ्रातिशीघ्र सफाई कराने के सम्बन्ध में है, इकत्तीसवीं सूचना श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप की जनपद बहराइच में मा0 मुख्य मंत्री द्वारा पं0 जनेश्वर मिश्र ग्राम विकास योजना में चयनित ग्राम पयागपुर व सोहरियावां में सी0सी0 रोड निर्माण में तत्कालीन मण्डी अधिकारियों द्वारा ठेकेदार से मिलकर अधूरा कार्य का निर्माण कराकर बंदरबांट कर लिये जाने के सम्बन्ध में है, बत्तीसवीं सूचना श्री दलजीत सिंह की जनपद बांदा के कतिपय ग्राम सभा की किसानों की सिंचाई व्यवस्था हेतु लगे सिंचाई पम्पों की क्षमता बढ़ाने एवं सब-स्टेशन की स्थापना के सम्बन्ध में है, तैंतीसवीं सूचना श्री राम चन्द्र चौधरी की बिल्डर एवं रियल स्टेट कम्पनियों द्वारा प्रदेश में नागरिकों का भारी उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में है, चौंतीसवीं सूचना श्री गयादीन अनुरागी की जनपद हमीरपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व0 मौलाना शमीम अली उर्फ पीर खां के आश्रितों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण दिये जाने के सम्बन्ध में है, पैंतीसवीं सूचना श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में विद्युत व्यवस्था ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में है, छत्तीसवीं सूचना श्री राधेश्याम की जनपद अमेठी कानूनगो सर्किल हरियापुर तहसील मुसाफिरखाना में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में है, सैंतीसवीं सूचना श्री प्रदीप माथुर की जनपद मथुरा के मथुरा ब्लाक के

कतिपय ग्रामों में आर्सेनिक युक्त पानी के निराकरण के सम्बन्ध में है, अड़तीसवीं सूचना श्री कुंवर कौशल सिंह की जनपद लखनऊ स्थित 7, तिलक मार्ग, डालीबाग पर जबरन कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तालिसवीं सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की जनपद मेरठ महानगर में नालों की सफाई के सम्बन्ध में है, चालीसवीं सूचना श्री अजय कपूर की जनपद कानपुर में टाट मिल चौराहा, जी0टी0 रोड से किदवई नगर होते हुए यशोदा नगर तक की सड़क मास्टर प्लान के अनुरूप अनुरक्षण लोक निर्माण विभाग द्वारा न बनाये जाने के सम्बन्ध में है, इक्तालिसवीं सूचना श्री अजय कुमार 'लल्लू' की जनपद कुशीनगर के तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय सड़कों के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बयालिसवीं सूचना श्री दलवीर सिंह की जनपद अलीगढ़ में बरौली विधान सभा क्षेत्र के क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तैंतालिसवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट की जनपद मथुरा के बल्देव विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चवालिसवीं सूचना श्री धर्मपाल सिंह की जनपद बरेली के अन्तर्गत अरिल नदी पर काजवे बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, पैंतालिसवीं सूचना श्री जीतेन्द्र कुमार नन्दू चौधरी की जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र सदर में कटाई चौराहे से भगवानपुर की जर्जर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छियालिसवीं सूचना श्री राजबली जैसल की जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरांव के कतिपय ग्राम सभाओं में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सैंतालिसवीं सूचना श्री भगवान सिंह कुशवाहा की जनपद आगरा के विकास खण्ड खेरागढ़ के सी0ए0टी0के0 मार्ग से डांडा का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अड़तालिसवीं सूचना चौधरी गजेन्द्र सिंह की जनपद बुलन्दशहर विधान सभा क्षेत्र अनूप शहर में ग्रामीण बिजली के स्थान पर शहरी बिजली दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, उन्चासवीं सूचना श्री काली चरन सुमन की जनपद आगरा के ग्रामीण आगरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत लोक निर्माण द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, पचासवीं सूचना श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज की विधान सभा क्षेत्र महोबा में नयी सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में है, इक्यावनवीं सूचना श्री सन्त राम कुशवाहा की जनपद जालौन के विधान सभा माधौगढ़ के अन्तर्गत कोच कस्बा तहसील कोच में राजकीय महाविद्यालय स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में है, बावनवीं सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की बाल लिंग अनुपात पर नियंत्रण हेतु महत्वाकांक्षी योजना में प्रदेश स्तर पर लापरवाही तथा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, तिरपनवीं सूचना श्री कुलदीप सिंह सेंगरकी श्री हरिओम शरण श्रीवास्तव, सहायक अध्यापक सम्प्रति सेवानिवृत्त के0के0 इण्टर कालेज, कन्नौज के प्रकरण में शासनादेश दिनांक 30-06-2015 के आलोक में सेवा विस्तार समिति के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत कर उन पर विचार किये जाने के सम्बन्ध में है, चौवनवीं सूचना श्री ओम प्रकाश वर्मा जनपद लखनऊ स्थित जानकीपुरम् योजना के सेक्टर आई के पास स्थित आकांक्षा चौराहे से अलीशानगर में नाले पर पुलिया बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, पचपनवीं सूचना श्री अनूप कुमार गुप्ता की जनपद सीतापुर विधान सभा क्षेत्र तहसील महोली में अधिवक्ताओं के बैठने

के चैम्बर, हाल व लाइब्रेरी बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, छप्पनवीं सूचना श्री फेरन लाल की जनपद लखनऊ नगर स्थित एल0डी0ए0 कालोनी, सेक्टर एल0 अलीगंज के मकान संख्या एल-5/132 से एल-5/150 के बीच नालियों को पत्थरों से ढक दिये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तावनवीं सूचना श्री त्रिलोकी राम की जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड सीटी में तैनात लेखपाल श्री सुनील कुमार द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, अट्ठावनवीं सूचना श्री मो0 जासमीर अंसारी की जनपद सीतापुर के वि0खं0 परसेण्डी एवं बेहटा के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्गों का निर्माण/ मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्सठवीं सूचना श्री चन्द्रभान सिंह पटेल की जनपद चित्रकूट में ग्राम लक्ष्मणपुर नहर पटरी होते हुए ग्राम रामपुर सम्पर्क एवं झरी रेलवे फाटक से रेलवे स्टेशन मानिकपुर तक पक्के सम्पर्क मार्ग की निविदा खोलने में की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में है, साठवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहांपुर की विधान सभा क्षेत्र तिलहर के ब्लाक निगोही के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्सठवीं सूचना श्री उमेश पाण्डेय की जनपद मऊ विधान सभा क्षेत्र मधुबन के विकास खण्ड दोहरीघाट के कतिपय सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, बांसठवीं सूचना डा0 रमेश चन्द्र बिन्द की जनपद मिर्जापुर की मझवां विधान सभा के अन्तर्गत बेलन नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरसठवीं सूचना श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या की जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के वि0खं0 धौरहरा के ग्राम महराजनगर से धौरहरा तक जर्जर सड़क का निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौसठवीं सूचना श्री विजय कुमार पासवान की जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड लोटन ग्राम सिकरा चौराहे से खखरा ग्राम तक पिच निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पैसठवीं सूचना श्री बेचई सरोज की जनपद आजमगढ़ तहसील लालगंज के अन्तर्गत कुडिहर माइनर का निर्माण पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छाछठवीं सूचना श्री मुसर्रत अली बिट्टन की जनपद आजमगढ़ वि0ख0 ठेकमा के ग्राम सभा खरगीपुर, गोडहरा के निवासियों को आवास दिये जाने के सम्बन्ध में है, सरसठवीं सूचना श्रीमती श्रद्धा यादव की जनपद लखनऊ के अमीनाबाद इण्टर कालेज तथा जवाहर इण्टर कालेज के प्रधानाचार्यों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में है, अड़सठवीं सूचना श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'' की जनपद लखनऊ शहर में कूड़ा व गन्दगी की व्यापक समस्या के सम्बन्ध में है, उनत्तरवीं सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में पूर्वांचल विकास निधि का जिलांश आवंटन के सम्बन्ध में है, सत्तरहवीं सूचना श्री राजीव गुम्बर की जनपद सहारनपुर की श्रीराम ट्रेडिंग कम्पनी के नाम पर करोड़ों रुपये के गोलमाल किये जाने के सम्बन्ध में है, इकत्तरहवीं सूचना श्री सुनील कुमार लाला की जनपद लखीमपुर की कस्ता विधान सभा क्षेत्र में औरंगाबाद में विद्युत तार से मृतक जानवरों तथा व्यक्तियों के परिजनों को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में है, बहत्तरहवीं सूचना श्री रणजीत सिंह सुमन की उ0 प्र0 सचिवालय के कर्मचारी को राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवंटित आवास की समस्या के सम्बन्ध में है, तिहत्तरहवीं सूचना श्री रमेश प्रसाद कुशवाहा की जनपद झांसी की

बबीना विधान सभा की कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौहत्तरवीं सूचना श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत की श्रमिक नियोजन बाल कारखाने में नियोजित श्रमिकों के हित में वेतन पुनरीक्षण कमेटी लागू करने के सम्बन्ध में है, पचहत्तरवीं सूचना श्री मनीष असीजा की जनपद फिरोजाबाद नगर निगम के भ्रष्ट कर्मचारियों द्वारा की जा रही वसूली के सम्बन्ध में है, छियत्तरहवीं सूचना श्री सुरेश राणा की जनपद शामली स्थित कतिपय ग्रामों के नहर की पटरी के क्षतिग्रस्त मार्गों को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में है, सतहत्तरवीं सूचना श्री अनिल कुमार की जनपद मुजफ्फरनगर के गांव लकड़संघा में बरसात के कारण घायल लोगों का उचित इलाज न किये जाने के सम्बन्ध में है, अठहलरवीं सूचना ठा0 सूरजपाल सिंह की जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा अन्य जिला मार्ग फतेहपुर सीकरी से डावर व खानुआ राजस्थान सीमा मार्ग का विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, उनयासवीं सूचना श्री मनोज कुमार सिंह की निदेशक, होम्योपैथी के चयन के सम्बन्ध में है, अस्सीवीं सूचना श्री अमित गौरव यादव की लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी शासनादेशों का अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में है, इक्यासीवीं सूचना श्री वाचस्पति की जनपद मिर्जापुर में बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा महिला कर्मचारी का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में है, बयासीवीं सूचना श्री सुभाष पासी की जनपद गाजीपुर के सैतपुर विधान सभा क्षेत्र ग्राम पहाड़पुर के तीन हजार अल्पसंख्यकों के लिये हस्तशिल्पकारों को आर्थिक सहायता एवं प्रशिक्षण दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, तिरासीवीं सूचना श्री दिलनवाज खां की जनपद आजमगढ़ के लालगंज कटघर टाउन एरिया के निवासियों को महामारी से बचाये जाने के सम्बन्ध में है, चौरासीवीं सूचना श्री पंकज कुमार मलिक की जनपद मुजफ्फरनगर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा गृह जनपद में कार्यरत शिक्षकों की नियुक्ति के लिये विकल्प भरवाये जाने के सम्बन्ध में है तथा पच्चासीवीं सूचना श्री रामचन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद के रुदौली विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड मवई व रुदौली के किसानों को सूखे से बचाने तथा फसलों के नुकसान की भरपाई के सम्बन्ध में है।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं)

जनपद मिर्जापुर के मड़िहान विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय जर्जर सम्पर्क मार्गों/सड़कों का शीघ्र निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ललितेश पति त्रिपाठी-

[मान्यवर, लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र, मड़िहान, जनपद-मिर्जापुर में स्थित लुम्बिनी-दुद्धी राज्य मार्ग तथा इससे सटे नरायनपुर-वाराणसी मार्ग, मिर्जापुर-लालगंज मार्ग, अदलहाट-भुइली-शेरवां-सिकन्दरपुर मुख्य जनपदीय मार्ग, सिरसी मोड़ से दीपनगर सम्पर्क मार्ग, कलवारी से ददरा मु0 रामपुर, श्रुतिहार से हिनौती माफी सम्पर्क मार्ग, अहरौरा-चकिया मार्ग, चिल्ह-गोपीगंज मार्ग, बलहरा से मोहनब्रह्म तक जाने वाला सम्पर्क

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मार्ग, लुरकुठिया से हिनौता सम्पर्क मार्ग, हुसैनपुर सम्पर्क मार्ग, कौड़िया कलां सम्पर्क मार्ग आदि की स्थिति वर्तमान में अत्यन्त जर्जर हो गयी है। गिट्टी-बालू लदी गाड़ियों में ओवर लोडिंग से भी यहां के सड़क के ज्यादातर हिस्से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिन्हें तत्काल रोका जाना आवश्यक है। सड़क के ज्यादातर हिस्से में बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं, जिससे आये दिन मार्ग दुर्घटनाएं हो रही हैं। लोगों को आने-जाने में घोर असुविधा हो रही है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए तत्काल लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त मार्गों के मरम्मत का कार्य किये जाने हेतु आदेश जारी किया जाना आवश्यक है। प्रकरण जनहित, अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व का है।

अतः अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त सड़कों/मार्गों के शीघ्र मरम्मत हेतु आवश्यक आदेश जारी किये जाने तथा इस पर शासन से शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद आजमगढ़ थाना निजामाबाद ग्राम डोड़ोपुर में अनुसूचित जाति के परिवार की जानमाल की सुरक्षा के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहम्मद गाजी-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद आजमगढ़, थाना निजामाबाद, ग्राम डोड़ोपुर निवासी श्रीमती केवली देवी के पति स्व0 छोटे लाल सोनकर को दिनांक 11-01-2016 को करीब 9.30 बजे दिन-दहाड़े उसी गांव के निवासी छेदी, राजेश व अन्य अज्ञात अभियुक्तों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। जमीनी विवाद में हत्या के आरोपियों से सुलह समझौता न करने पर इनके पुत्र अंजनी सोनकर को दिनांक 15-08-2016 को लगभग 03.00 बजे दिन-दहाड़े इनके घर के सामने गोली मारकर हमला कर, हमलावर असलहा लहराते हुए फरार हो गये। घायल अंजनी सोनकर आज भी विद्या हास्पिटल आजमगढ़ में जीवन व मौत के बीच जंग लड़ रहा है। दिनांक 15-08-2016 की घटना के सम्बन्ध में एफ0आई0आर0 दर्ज कराने के बावजूद आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। यदि समय रहते इनके परिवार की सुरक्षा न की गई तो इनके तथा इनके परिवार के सदस्यों को जान से हाथ धोना पड़ेगा। फलस्वरूप जनहानि एवं धनहानि की भरपाई कर पाना प्रशासन के लिये बड़ी चुनौती होगी।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर कठोर कार्यवाही किये जाने हेतु माननीय पीठ से निर्देशित करने की कृपा करें।]

जनपद गाजियाबाद विधान सभा साहिबाबाद में टूटी हुई सड़कों के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमरपाल शर्मा-

[मान्यवर, आपका ध्यान जनपद गाजियाबाद के साहिबाबाद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राजेन्द्र नगर, शालीमार गार्डेन, डी0एल0एफ0 कालोनी, वसुन्धरा, वैशाली, इन्दिरापुरम्, लाजपत नगर क्षेत्र की सड़कों की हालत बहुत ही दयनीय है जहां चार-चार फुट के गड्ढे हो गये हैं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मैं सदन के माध्यम से इस लोक महत्व के प्रश्न पर तत्काल मरम्मत कराने की मांग करता हूं।]

जनपद गाजीपुर के श्री विद्यानन्द सिंह का बकाया वेतन रु0 2,40,831.00 का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

सुश्री फसीहा मंजर उर्फ गजाला लारी-

[महोदय, सविनय निवेदन है कि श्री विद्यानन्द सिंह का बकाया वेतन रु0 2,40,831.00 का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, गाजीपुर को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की रिट याचिका संख्या-27011/2015 में पारित आदेश दिनांक 13-5-15 का एवं आयुक्त महोदय, वाराणसी के आदेश-पत्र संख्या-3641/9-201 (2009-2012) रासं0 दिनांक 20-4-2016 द्वारा पारित आदेश अनुपालन सुनिश्चित नहीं कराया गया है। इस सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों की संलिप्तता जाहिर हो रही है।

अतः आपसे निवेदन है कि जिलाधिकारी, गाजीपुर को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा करें।]

ग्राम विकास अधिकारी महिला अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती लक्ष्मी गौतम-

[मान्यवर, मैं सदन का ध्यान पत्र सं0-जी0ओ0-95/स्था0-2/2015 दिनांक 28-04-2015 के अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूं कि जिसके द्वारा जनपद मिर्जापुर में ग्राम्य विकास अधिकारी (महिला) के पद चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के सम्बन्ध में शासन स्तर पर निर्णय लेकर अवगत कराने का अनुरोध कराया गया था। लेकिन इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए **जनपद मिर्जापुर में ग्राम विकास अधिकारी (महिला) के पद चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के सम्बन्ध में शासन स्तर पर की मांग करता हूं** ताकि चयनित अभ्यर्थी इसमें लाभान्वित हो सकें।]

जनपद इलाहाबाद गंगा, यमुना टोंस के प्रकोप से पीड़ितों को राष्ट्रीय आपदा सहायता अनुदान से क्षतिपूर्ति कराने तथा गन्दगी व बीमारी से निपटने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

[मान्यवर, इलाहाबाद विगत 12-13 दिनों से गंगा-यमुना-टोंस नदियों के भीषण प्रकोप से बुरी तरह प्रभावित है। दोनों नदियों के खतरे के निशान के ऊपर बहने से नगर के छोटाबघाड़ा, ढरहरिया,

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बड़ाबघाड़ा, सादियाबाद, चांदपुर-सलोरी, दारागंज-दश्वाश्वमेघ घाट सलोरी, गोविन्दपुर, चिल्ला, शिवकुटी, रसूलाबाद, मेंहदौरी, नयापूरा स्टैनली रोड, म्योराबाद, बेलीगांव, ऊंचवागढ़ी-राजापुर, गंगानगर, ओम नगर, शांतिनगर, नेवादा आदि नदी के किनारे के मुहल्लों में बाढ़ के पानी के घुसने से हजारों लोगों के घरेलू सामान बरबाद हो गये। दश्वाश्वमेघ घाट के दक्षिण दारागंज के किनारे झोपड़ियों में रहने वाले सैकड़ों गरीबों की झोपड़ियां ढह गयीं। सारा घरेलू सामान नष्ट हो गया। वह दाने-दाने को मोहताज हो गये हैं। अभी बाढ़ का कहर बरप ही रहा था कि 18/19 की रात्रि में आये भयंकर चक्रावात से दारागंज, रसूलाबाद, अरैल घाट, बलुवाघाट, किला घाट, सरस्वती घाट आदि पर लगभग 600-700 नावें नदियों में समा गयीं। नौका चलाकर अपना जीविकोपार्जन करने वाले सैकड़ों परिवार भुखमरी के कगार पर आ गये हैं। उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है। पानी तो घट रहा है किन्तु बाढ़ के बाद गन्दगी, कीचड़, बदबू से फैलती बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। बाढ़ से बड़ा बघाड़ा के हशमत उल्ला तथा कुष्ठ आश्रम त्रिवेणी बांध के कल्लू निषाद का लड़का दिलीप डूब गये हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर तत्काल नदियों की पानी की बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों-झोपड़ियों के पुनर्निर्माण, चक्रावात से क्षतिग्रस्त या बह गयी नावों के मालिकों को राष्ट्रीय आपदा सहायता अनुदान से क्षतिपूर्ति कराने तथा युद्ध स्तर पर गन्दगी, बीमारी से निपटने की मांग करता हूं।]

जनपद आगरा में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार विद्युत सप्लाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गुटियारी लाल दुबेश-

[मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि जनपद आगरा शहर में मा0 सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार टी0टी0जेड के अन्तर्गत आगरा शहर को 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति का आदेश है लेकिन दोपहर के तीन बजे के बाद प्रतिदिन 5 से 6 घण्टे की कटौती हो रही है इसे लेकर सरकार के प्रति जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए आगरा शहर को 24 घण्टे बिजली आपूर्ति किये जाने की मांग करता हूं।]

सहकारिता विभाग में कनिष्ठ लिपिक संग्रह के लम्बित भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दीपक पटेल-

[मान्यवर, कृपया आपके संज्ञान में लाना है कि श्री नारायण सहाय सिंह, कनिष्ठ लिपिक (संग्रह) के पद पर जनपद इलाहाबाद में कार्यरत थे इनका स्थानान्तरण मुख्यालय द्वारा जनपद इलाहाबाद से जनपद हापुड़ को किया गया, बाद में इन्हें जनपद इलाहाबाद में सम्बद्ध करते हुए वेतन भुगतान की व्यवस्था जनपद हापुड़ से करने हेतु आदेश निर्गत किये गये। श्री नारायण सहाय सिंह द्वारा अप्रैल, 2012 से मार्च, 2014 तक का नियमित वेतन एवं अन्य लम्बित पावनों के भुगतान किये जाने

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

की मांग करने पर बिना वेतन भुगतान कराये मुख्यालय के आदेश पत्रांक-225-29/बकाया/3/दिनांक 25 अप्रैल, 2014 द्वारा उनका सम्बद्धीकरण निरस्त करते हुए जनपद हापुड़ में योगदान करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा स्थगित कर दिया गया। जनपद हापुड़ द्वारा उनका माह मार्च, 2013 तक का वेतन भुगतान कर शेष भुगतान के लिये धनाभाव के कारण असमर्थता व्यक्त की गई है। इनका वेतन माह अप्रैल, 2013 से जुलाई, माह 2016 तक का नियमित वेतन मु0-1610728.00 रु0 एवं एरियर मु0-48249.00 रु0 कुल मु0-1659277.00 रु0 का भुगतान लम्बित है। सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता, जनपद हापुड़ द्वारा वेतन भुगतान हेतु असमर्थता व्यक्त किये जाने की दशा में मुख्यालय द्वारा भी वेतन भुगतान हेतु धनराशि आवंटित नहीं की गई। भुगतान न होने के कारण इनका पूरा परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। श्री नारायण सहाय सिंह के पुत्र की किसी से लिये गये कर्ज की अदायगी न करने के कारण दिनांक 28-07-2016 को उसका अपहरण करके निर्मम हत्या कर दी गई जिससे पूरा परिवार सदमें में है। सरकार के इस कृत्य से जनता व विभाग के कर्मचारियों में भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए श्री नारायण सहाय सिंह का कुल लम्बित भुगतान करवाने की कार्यवाही की मांग करता हूं।]

उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की वरिष्ठता/पदोन्नति के नियम व शिक्षकों की सम्बद्धता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रकाश अंचल-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान उपरोक्त विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की पदोन्नति हेतु वरिष्ठता निर्धारण का मानक व नियम क्या है। अलग-अलग जनपदों में पदोन्नति हेतु अलग-अलग मानक/नियम अपनाया जा रहा है। जनपद वाराणसी जनपद में विगत 15 जून, 2016 से पदोन्नति की प्रक्रिया गतिमान है। लेकिन आज तक पदोन्नति की प्रक्रिया सम्पन्न नहीं हुई है। पदोन्नति हेतु तीन बार वरिष्ठता सूची का प्रकाशन करना पड़ा और तीनों बार में तीन तरीके से वरिष्ठता सूची प्रकाशित करनी पड़ी है। एक ही वरिष्ठता सूची में दो प्रकार की वरिष्ठता निर्धारण की गयी है।

अतः इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए प्रदेश के सभी जनपदों में वरिष्ठता निर्धारण/पदोन्नति में एक ही मानक/नियम लागू करने हेतु कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बलरामपुर के उतरौला में आई बाढ़ के पीड़ितों को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

[मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र उतरौला, जनपद बलरामपुर में आयी बाढ़ से धान, अरहर की शत-प्रतिशत फसलें नष्ट हो गयी हैं। लगभग 50 प्रतिशत गन्ना की फसल को भी नुकसान पहुंचा है तथा अनेकों घर गिर गये हैं। ग्राम अल्लीपुर में राप्ती नदी के कटान से पचासों घर नदी में समा गये

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हैं। राप्ती नदी द्वारा किये जा रहे कटान से फसलों का तत्काल मुआवजा देने एवं पिपरी चन्दापुर बांध से अल्लीपुर, कटरा बारम, करमा मटेरिया से महुआधनी तक राप्ती नदी के किनारे बांध बनवाये जाने की जनहित में नितान्त आवश्यकता है। बाढ़ के कारण अनेकों ट्रांसफार्मर जल गये तथा खम्भे गिर गये हैं जिससे क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति में बहुत कठिनाई हो रही है। यह जनहित एवं लोक महत्व का गम्भीर विषय है।

अतः इस लोक महत्व के गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए बांध बनवाये जाने एवं नष्ट हुई फसलों, मरे हुए जानवरों एवं गिरे हुए घरों का मुआवजा दिलाये जाने हेतु सरकार से कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

शाहजहांपुर के ददरौल ब्लाक में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[मान्यवर, शाहजहांपुर जनपद के ददरौल ब्लाक में विद्युत विभाग के द्वारा ग्राम घूरखेड़ा, ग्राम घुसगवां की गौटिया में 2 साल से विद्युत खम्भे खड़े हैं, तार नहीं खिचे हैं। इसी प्रकार ग्राम उदियापुर, ब्लाक भावलखेड़ा में भी खम्भे खड़े हैं, तार नहीं खिचे हैं। ग्राम जमुही, ब्लाक भावलखेड़ा में असेवित बस्ती विद्युतीकरण से छूट गयी है इसमें तार व खम्भे दोनों लगना हैं। जनहित में इन ग्रामों में तार खिंचवाकर कार्य जल्दी पूरा करना अत्यन्त आवश्यक है।

शाहजहांपुर नगर के कई मोहल्लों में बल्लियों पर तार लटक रहे हैं, तार के गुच्छे सर की ऊंचाई तक हैं और कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। ये मोहल्ले बारादरी मामुड़ी-पक्का तालाब के पास स्थिति ज्यादा खराब है और तुरन्त विद्युत खम्भें लगवाकर तार ऊंचे होना है अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो सकता है।

लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि विद्युत का उपरोक्त सभी कार्य पूर्ण करा देवें तथा जहां सुधार की आवश्यकता है वहां सुधार करा दें।]

जनपद बुलन्दशहर विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद गंग नहर पर महमदपुर केहरी सुनपेरा सम्पर्क मार्ग के बीच क्षतिग्रस्त पुल को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर में मांट ब्रांच खण्ड गंग नगर पर महमदपुर केहरी सुनपेड़ा सम्पर्क मार्ग के बीच पड़ने वाला पुल क्षतिग्रस्त है तथा कभी भी गिर सकता है जिसके कारण कोई गम्भीर हादसा हो सकता है जिसमें जान-माल की क्षति भी हो सकती है। अगर यह पुल गिर गया तो कई गांवों के बीच का आवागमन ठप्प हो जायेगा। अतः जनहित में उक्त पुल का पुनर्निर्माण अति आवश्यक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करती हूं।]

जनपद मुजफ्फरनगर की सदर विधान सभा के गांव कूकड़ा की अविकसित बस्तियों में पेयजल, जल निकासी की समस्या के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कपिल देव अग्रवाल-

[मान्यवर, जनपद मुजफ्फरनगर की सदर विधान सभा के गांव कूकड़ा की बाहरी बस्तियां पूर्णतः अविकसित हैं। यहां मार्गों की स्थिति अत्यधिक खराब है जिससे कच्चे रास्तों पर विद्यार्थियों का स्कूल जाना व सामान्य आवागमन में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही पेयजल की भी यहां भारी समस्या है। गांव के चारों ओर अविकसित बस्तियां जैसे अमित बिहार, कमलनगर, शिवनगर, शान्तिनगर, धीनगर, लक्ष्मीपुरम्, हरिपुरम्, तुलसीनगर आदि में मार्गों के निर्माण, जल निकासी एवं पेयजल योजना में पानी की टंकियां एवं पाइप लाइन डलवाये जाने हेतु अतिरिक्त धन आवंटन की अत्यधिक आवश्यकता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

जनपद पीलीभीत में शारदा नहर प्रणाली के अन्तर्गत साबेपुर रजवाहा, गोबल रजवाहा के टेल तक पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

[मान्यवर, उ0 प्र0 का जनपद पीलीभीत तराई का प्रथम जनपद एवं उत्पादन के लिये श्रेष्ठ है। जनपदवासी स्वपोषित तो हैं ही साथ ही साथ सम्पूर्ण उ0 प्र0 को भी यह जनपद ऊर्जा प्रदान करता है। इसका प्रमुख कारण नहरों का जाल बिछा हुआ है। परन्तु दुर्भाग्य यह है कि प्रमुख नहरों में पानी नहीं आ रहा है। शारदा नहर प्रणाली की निगोही शाखा में पानी क्षेत्र पंचायत बिलसण्डा के गांव भदेगकंजा तक, करेली रजवाहा में प्रारम्भ से अन्त तक, ईंट गांव रजवाहा में गांव मवइया तक ही पानी पहुंचता है। इसी प्रकार शारदा नहर प्रणाली का साबेपुर रजवाहा गोवल रजवाहा में छोर तक पानी नहीं पहुंच रहा है तो किसी भी अल्पिका में पानी पहुंचने का प्रश्न ही नहीं है। जुलाई के अन्तिम सप्ताह में मुख्य अभियन्ता सिंचाई उक्त नहरें निरीक्षण करने गये तो उन्होंने 25-30 वर्षों से पानी न पहुंचना पाया। प्रमुख कारण सिल्ट सफाई न होना, फर्जी सिल्ट सफाई दर्शाकर भुगतान किया जाना प्रतीत हुआ है। जिन्होंने उक्त सभी नहरों में छोर तक पानी पहुंचाने हेतु आश्वस्त किया परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही न होना चिन्ता का विषय है। यह भी पाया गया कि फर्जी कुलावा बनाकर सींचपाल धन वसूली करता है और कृषकों को ब्लैकमेल करने के लिये कार्यवाही करता है। तहसील बीसलपुर के समस्त नलकूप भी बन्द पड़े हैं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सिंचाई की समस्या के निराकरण हेतु प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

श्री बाबूराम तथा कथित उपाध्यक्ष पेट्रोलियम टैंकर्स ड्राईवर्स एवं कन्डक्टर्स यूनियन बरेली द्वारा गरीब ड्राइवरों की जिन्दगी से खिलवाड़ करके ड्राइवर स्कूल संचालकों को ब्लैक मेल किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

[मान्यवर, एक अत्यन्त महत्वपूर्ण, व्यापक जनहित एवं शासकीय हित की सूचना सदन के पटल पर रख रहा हूं जो गरीब टैंकर्स ड्राइविंग एवं ड्राइविंग स्कूल संचालकों को एक ब्लैकमेलर श्री बाबूराम तथा कथित उपाध्यक्ष पेट्रोलियम टैंकर्स ड्राइवर्स एवं कन्डक्टर्स यूनियन निवासी संताषी मां का मन्दिर, 755 मधिनाथ बरेली 243001 मो0नं0-9837193440 के उत्पीड़न से बचाने विषयक है।

श्री बाबूराम PC Transport company Bareily में मात्र एक ड्राइवर के रूप में कार्यरत है। लेकिन गरीब टैंकर ड्राइवरों को कुछ असामाजिक तत्वों से डरा धमका कर निम्न अवैध स्कूलों से प्रशिक्षण हेतु बाध्य किया जा रहा है जिससे गरीब ड्राइवरों का जीवन खतरे में पड़ने के साथ-साथ दुर्घटना की स्थिति में गरीब ड्राइवरों के परिवारों को अवैध स्कूलों का प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र होने के वजह से बीमा की धनराशि से भी वंचित होना पड़ेगा।

परिवहन आयुक्त उ0 प्र0 के पत्रांक संख्या-02 सड़क सुरक्षा/14-04 प्रावि0/11, दिनांक 28 जनवरी, 2014 के तहत जारी अवैध स्कूलों की सूची :-

1-इण्डियन ट्रेनिंग स्कूल रुड़की।

2-एम0एस0जे0 कन्सलटेन्ट ग्रेटर नोएडा।

3-ए0ए0 फाउन्डेशन फार सेफ्टी गुड़गांवा।

4-इण्टरनेशनल ड्राइविंग स्कूल जालन्धर।

5-टी0आई0टी0 मोटर ड्राइविंग स्कूल जालन्धर।

6-नेशनल इंजीनियरिंग कालेज जालन्धर।

7-उत्तरांचल मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल ढालवाला ऋषिकेश।

श्री बाबूराम उक्त अवैध स्कूलों से प्रति ड्राइविंग प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र एक अच्छी रकम वसूलते आये हैं जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित स्कूलों से प्राप्त नहीं हो रही है इसलिये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित स्कूलों को अपने पद का भय दिखा कर ब्लैकमेल करने पर आमदा है लेकिन गरीब ड्राइवर असमंजस की स्थिति में हैं यदि गरीब ड्राइवर इनके कहने के अनुसार उक्त फर्जी स्कूलों से प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हैं तो दुर्घटना की स्थिति में बीमा कम्पनियों द्वारा गरीब ड्राइवरों के परिवारों को कोई भी आर्थिक मदद नहीं मिलेगी तथा यदि यह गरीब ड्राइवर इनके कहने के अनुसार नहीं चलते हैं तो उन्हें श्री बाबूराम एवं इनके साथियों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है जो न्यायोचित नहीं है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए चालकों को समुचित सुरक्षित प्रशिक्षण, शासन से स्वीकृत प्रशिक्षण केन्द्रों से दिलाये जाने एवं श्री बाबूराम जैसे ब्लैकमेलरों के खिलाफ कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद बांदा के कस्बा अतर्रा के परिचित रिंग रोड बनाने व रेलवे लाइन को रिंग मार्ग बनाने वाले दोनों स्थानों में ओवर ब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गयाचरण दिनकर-

[मान्यवर, आपके संज्ञान में लाना है कि एस0एच0-71 करतल-नरैनी-अतर्रा-बबेरू-फतेहपुर-बहराइच राज्य मार्ग (एस0एच0-71) का एक सिरा मध्य प्रदेश को जोड़ता है और दूसरा भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी (नेपाल) को जोड़ता है। इसलिये भोपाल से नेपाल मार्ग भी कहा जाता है किन्तु नरेनी-अतर्रा राज्य मार्ग (एस0एच0-71) के मध्य एक किलोमीटर व अतर्रा-विसण्डा के बीच 5 किलोमीटर मार्ग अभी तक सिंगल व अधूरा है। एस0एच0-71 व झांसी-मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग (एस0एच0-76) परस्पर अतरा। कस्बे की घनी बस्ती व बाजार से गुजरता है जिससे अधिकांशतः जाम की स्थिति बनी रहती है और रेलवे लाइन होने से 24 घण्टे में से 14 घण्टे फाटक बन्द रहने के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त रहता है व भीषण कठिनाइयों का सामना आम जन मानस को करना पड़ता है। उपरोक्त मार्ग के 6 किलोमीटर अवशेष भाग को चौड़ा करने के साथ ही कस्बा अतर्रा के परिधितः रिंग रोड बनाने व रेलवे लाइन को रिंग मार्ग द्वारा क्रास किये जाने वाले दोनों स्थानों में ओवर ब्रिज बनाकर समस्या का समाधान व अन्तर्राष्ट्रीय आवागमन तथा व्यापारिक दृष्टिकोण से इस महत्वपूर्ण मार्ग की उपयोगिता व महत्व की बाधा को दूर किया जा सकता है।

अतः मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए समस्या के निदान हेतु अविलम्ब कार्यवाही कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड मछरेहटा में वित्त आयोग योजना वर्ष 2014-15 का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री त्रिभुवन राम-

[मान्यवर, ग्राम-हरियालपुर, विकास खण्ड-मछरेहटा, जिला सीतापुर में राज्य वित्त आयोग योजना वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत श्री राम कृष्ण अवस्थी के आवास से मछरेहटा-बरई जलालपुर सम्पर्क मार्ग तक इण्टरलॉकिंग का निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया। उल्लिखित सम्पर्क मार्ग की लम्बाई लगभग 500 मी0 है। परन्तु उसका आगणन मात्र 310 मी0 का बनाया गया जिसके कारण लगभग 160 मी0 मार्ग कच्चा रह गया है। बरसात में इस कच्चे मार्ग पर निकलना दूभर हो जाता है। ग्रामीणों की जिस सुविधा के लिये सरकारी धन खर्च किया गया वह उन्हें नहीं मिल पा रही है। इस अधूरे कार्य को पूर्ण कराने हेतु कई बार प्रार्थना-पत्र दिये गये परन्तु अब तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है। ग्रामीणों में इससे काफी रोष है और सरकार की छवि धूमिल हो रही है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए अविलम्ब अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री मनीष कुमार को विश्वविद्यालय की सेवा में पुनः बहाल कर विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रकाश-

[मान्यवर, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि :-

श्री मनीष कुमार निवासी एम0एम0-501, सेक्टर डी-1, एल0डी0ए0 कालोनी कानपुर रोड लखनऊ निवासी जो विगत 15 वर्षों में डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में कम्प्यूटर आपरेटर के पद पर अलग-अलग विभागों में महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन करते रहे हैं और **जिन्हें समय-समय पर सम्पादित किये गये अति उत्तम कार्यों हेतु प्रशंसा-पत्र/प्रमाण-पत्र भी दिये गये हैं,** को उक्त ए0के0टी0यू0 के वर्तमान कुलपति प्रो0 विनय कुमार पाठक ने द्वेष भावना रखते हुए उत्तर प्रदेश शासन के वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 द्वारा दिनांक 24-02-2016 को जारी शासनादेश के तहत संविदा/दैनिक भोगी/वर्कचार्ज पर कार्यरत कर्मियों को शासन द्वारा निर्धारित 31-12-2001 के बजाय 30 मार्च, 2016 के पश्चात् फर्जी तरीके से श्री मनीष कुमार को छोड़ते हुए इनसे जूनियर कर्मियों को विनियमित कर दिया जबकि श्री मनीष कुमार 08 जनवरी, 2002 से कार्यरत थे।

दिनांक **20 मई, 2016 को साजिश एवं द्वेष भावना के तहत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थान की मैनेजर कु0 ईशा श्रीवास्तव से श्री मनीष पर झूठा आरोप लगवाकर सुनियोजित तरीके से उसकी शिकायत पर एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए जानकीपुरम् थाने में** शिकायत दर्ज करवाते हुए विश्वविद्यालय से हटाने की पूरी कार्यवाही मात्र आधे घण्टे में पूर्ण कर ली जो नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है। जबकि श्री मनीष का पक्ष सुना ही नहीं गया।

श्री मनीष कुमार जो अनुसूचित जाति के सदस्य हैं के बूढ़े माता-पिता ने इस सम्बन्ध में कुलपति महोदय से 21 एवं 30 मई, 2016 तथा 17-06-2016 को कार्यालय में सुबह से रात 8 बजे तक भूखे-प्यासे रह कर मिलने का प्रयास किया। परन्तु किसी भी हालत में कुलपति महोदय ने परिवार की कोई भी बात सुनने एवं मिलने से मना कर दिया। प्रार्थी के परिवार द्वारा विश्वविद्यालय की सेवा में दुबारा बहाल करने के लिये तीन बार निवेदन भी किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय श्री मनीष कुमार को सुनियोजित एवं अन्यायपूर्ण तरीके से विश्वविद्यालय की सेवा से निकालने से उनका परिवार अवसादग्रस्त है। बच्चों की पढ़ाई एवं बूढ़े माता-पिता की बीमारी का ईलाज भी बाधित हो रहा है। इनका पूरा परिवार भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहा है।

मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि श्री मनीष कुमार को नैसर्गिक न्याय दिलाते हुए विश्वविद्यालय की सेवा में पुनः बहाल कर विनियमित किया जाय एवं उत्पीड़न से मुक्ति दिलाते हुए श्री मनीष कुमार एवं इनके परिवार को न्याय दिलाया जाय।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद लखनऊ नगर स्थित सरोजनी नगर में केनरा बैंक के पास विकास कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामहेत भारती-

[मान्यवर, निवेदन है कि लखनऊ नगर स्थित सरोजनी नगर में केनरा बैंक के बगल से श्रीमती अनुराधा सिंह चौहान के मकान तक तथा श्री यमुना सागर द्विवेदी के मकान से श्री ओम प्रकाश विश्वकर्मा के मकान तक सड़क व नाली नहीं होने से एवं बीच मार्ग में बिजली के खम्भों से तथा उन खम्भों में रोड लाइट न होने से क्षेत्रीय नागरिकों को आवागमन में बहुत परेशानी हो रही है।

अतः मान्यवर आपसे सादर अनुरोध है कि उक्त क्षेत्र में विकास कार्य शुरू कराने हेतु आदेशित करने की कृपा करें। जिससे क्षेत्रवासियों को आवागमन की सुविधा हो सके।

अतः मान्यवर इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार से वक्तव्य दिलाने की कृपा करें।]

जनपद बलरामपुर के कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगराम पासवान-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनपद बलरामपुर की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा में निम्न सड़कें जो पूरी तरह से ध्वस्त हो गयी हैं, में आये दिन बच्चों की गाड़ियां, बसें एवं अन्य वाहन पलट जा रहे हैं।

अतः लोकमहत्व के उक्त विषय पर मैं सदन के माध्यम से निम्न सड़कें बनाये जाने की मांग करता हूं।

1-उतरौला बलरामपुर मार्ग पर कांदभारी से पिपरादीप होते हुए तेदूंवा तक लम्बाई 5 कि0मी0,

2-उतरौला गोण्डा मार्ग महदैया पुराने गन्ना काटा से अगया बुजुर्ग से सौतनडीह गांव तक 4 कि0मी0,

3-ढबरूवा होते हुए बेलई बुजुर्ग तक लम्बाई 6 कि0मी0,

4-रामपुर बनघुसरा दुबौलिया गांव से जूडीकूइया नन्दनगर होते हुए महेशभारी भैसहवां मार्ग तक लम्बाई 6 कि0मी0,

5-बलरामपुर उतरौला मार्ग पर गलबापुर चौराहे से बाधाजोत होते हुए भठौडी गांव तक लम्बाई 6 कि0मी0,

6-पुरौना मार्ग पर रूसी मझारी गांव तक।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद गोरखपुर की तहसील खजीन में कम बारिश से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संत प्रसाद-

[मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि इस वर्ष खजीन तहसील में अब तक 40 प्रतिशत से कम वर्षा हुई है। जिसके कारण किसान परेशान हैं, पशुओं को चारा नहीं मिल पा रहा है। पिछले 3 वर्षों से खजनी तहसील का किसान कभी ओलावृष्टि, कभी बाढ़, कभी सूखा से प्रभावित हो रहा है। इस वर्ष भी (वर्ष 2016-17) किसानों की खरीफ की फसल बर्बाद हो गयी है। नहरों में पानी नहीं आ रहा है। ट्यूबवेल खराब पड़े हैं। विद्युत नहीं मिल रही है जिससे किसान मारा जा रहा है। किसानों के सामने भुखमरी की समस्या पैदा हो रही है। ऐसे में किसानों के बच्चों की फीस जो अपर क्लास में पढ़ रहे हैं वो माफ हो, ट्यूबवेल ठीक कराकर सिंचाई के लिये बिजली दी जाये, नहरों में पानी दिया जाये तथा खरीफ की फसल में लिये गये ऋण की वसूली किये बगैर रबी एवं आलू की फसलों के लिये ऋण दिये जायें।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए आपदा की मार झेल रहे किसानों को अविलम्ब सहायता एवं राहत दिये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

उ0 प्र0 में सिकलीगर जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवीन्द्र भडाना-

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश में सिकलीगर जाति के लोग लगभग 60-70 सालों से निवास कर रहे हैं। जिनकी जनसंख्या लगभग ढाई लाख से ज्यादा है। सिकलीगर जाति के लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं और प्रदेश के शासन द्वारा इनका कोई जाति प्रमाण-पत्र नहीं जारी किया जा रहा है। जबकि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ़, गुजरात में सिकलीगर जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया है। इस जाति के लोग ताले, चाबी, चाकू, कैंची बेचने का कार्य करते हैं। मेरी मांग है कि सिकलीगर जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखने का आदेश जारी किया जाय।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सिकलीगर जाति अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद गोण्डा के कटरा बाजार विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय जर्जर मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बावन सिंह-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र कटरा बाजार, जनपद गोण्डा के कतिपय मार्ग अत्याधिक जर्जर स्थिति में है। अवैध खनन के चलते भारी वाहनों के आवागमन से यह सभी मार्ग गड्ढे में तब्दील हो चुके हैं। आवागमन की अत्याधिक कठिनाई है। आम नागरिकों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। आये दिन कोई न कोई दुर्घटना घटित हो रही है। जिसमें जानमाल की हानि

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

भी हो रही है। कई स्थानीय नागरिक इसमें दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। ग्रामीणों द्वारा इन मार्गों के निर्माण के लिये कई बार स्थानीय प्रशासन से अनुरोध किया गया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

1-करनैलगंज-हुजूरपुर मार्ग लम्बाई 12 कि0मी0

2-कटरा बाजार-दुबहा मार्ग लम्बाई 06 कि0मी0

3-करनैलगंज-हुजूरपुर मार्ग से वाया सेलहरी देवा पसिया मार्ग लम्बाई 14 कि0मी0

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जनहित में उपरोक्त तीनों मार्गों का निर्माण अविलम्ब कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद मेरठ के वार्ड-16 दांतल जटौली के पेयजल आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

[मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत नगर निगम मेरठ के वार्ड नं0-16 के दांतल जटौली में उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा पेयजल आपूर्ति हेतु ओवरहेड टैंक एवं ट्यूबवेल की स्थापना वर्ष 2010 में की गयी थी। दांतल जटौली में पाइप लाइन भी बिछा दी गयी जिस पर सरकार का करोड़ों रुपये की धनराशि व्यय हुई। लेकिन 6 वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी स्थानीय निवासियों को पेयजल की आपूर्ति प्रारम्भ नहीं हो सकी। सरकारी धनराशि का अपव्यय हो रहा है। ट्यूबवेल पर आपरेटर भी नियुक्त हैं। नगर निगम मेरठ एवं उत्तर प्रदेश जल निगम इकाई मेरठ की निष्क्रियता से आमजन पेयजल के लिये तरस रहे हैं। नगर निगम को बार-बार पत्राचार करने के उपरान्त भी कोई कार्यवाही होती प्रतीत नहीं हो रही है। इस ट्यूबवेल की क्षमता अधिक है। पाइप लाइन कम क्षेत्र में डली है इसलिये इस ट्यूबवेल से भीमनगर एवं हरिनगर को भी पाइप लाइन डालकर पेयजल की आपूर्ति की जानी चाहिए तथा जिन क्षेत्रों में लाइन डल चुकी है उन क्षेत्रों में तत्काल पानी कनेक्शन जारी किये जाने चाहिए।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद मऊ में नाली को पाटकर सी0सी0 रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

[मान्यवर, सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि विधान सभा के प्रथम सत्र, 2010 के पहले सोमवार हेतु सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0-171 के उत्तर के क्रम में ग्राम प्रधान तरछापार द्वारा पाट दी गयी नाली को जिलाधिकारी, मऊ के माध्यम से जल उपभोक्ता समिति द्वारा संदर्भित प्रकरण का निस्तारण करते हुए पुनः खुलवा दिया गया था।

किन्तु उक्त नाली को पुनः पाटकर उस पर सी0सी0 रोड बना दी गयी है जिससे सिंचाई कार्य बाधित है। नाली के बगल में सरकार द्वारा चिन्हित चकरोड हेतु जमीन पर नाजायज कब्जा किया गया है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त नाली को पुनः खुलवाने तथा दोषियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बरेली शहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युत सम्बन्धी समस्याओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अरुण कुमार-

[मान्यवर, बरेली 124-शहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युत व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचित करना है कि बहुत से ऐसे गांव जो लगभग 30 साल पहले महानगर में जुड़े और महानगर का हिस्सा है वहां बिजली का कोई खास विकास कार्य नहीं हो सका। शहरी विद्युत विभाग ने कोई योजना नहीं लागू कि सिर्फ इसलिये कि वह ग्रामीण फीडर से सप्लाइड है तथा ग्रामीण फीडर ने इन क्षेत्रों को विकास इसलिये नहीं कराया क्योंकि अब ये क्षेत्र महानगर का हिस्सा है। इस तरह से यह पूर्व ग्रामीण क्षेत्र जो महानगर का हिस्सा है, में कोई खास विद्युत कार्य नहीं हो सका और विद्युत आपूर्ति भी कम देर होती है। मैं जनहित में सरकार से मांग करता हूं कि इन क्षेत्रों का विद्युत सम्बन्धी विकास किसी विशेष योजना के अन्तर्गत विशेष पैकेज से किया जाय।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

जनपद आगरा में बोदला चौराहे पर आये दिन लगने वाले जाम से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगन प्रसाद गर्ग-

[मान्यवर, आगरा में चौराहा बोदला बहुत ही व्यस्त चौराहा है। इस चौराहे से दिल्ली से आने वाले वाहन व लोहा मण्डी से आने वाले वाहन भारी संख्या में गुजरते हैं, इस कारण यहां आये दिन दुर्घटना व यातायात जाम रहता है। इस चौराहे पर ओवरब्रिज बनना अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए बोदला चौराहे पर ओवरब्रिज बनाये जाने की मांग करता हूं।

जनपद वाराणसी उत्तरी विधान सभा क्षेत्र बसही से पटेल चौराहे तक का मार्ग ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवीन्द्र जायसवाल-

[मान्यवर, वाराणसी के उत्तरी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बसही से पटेल चौराहा रोड के मार्ग अत्यन्त जर्जर अवस्था में पूरी तरह से गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। आवागमन पूरी तरह से बाधित है। भगवा नाला, पंचकोसी, चौहान बस्ती, मवइया सारनाथ, टकटकपुर आदि मोहल्ला पूरी तरह से गड्ढायुक्त है। हजारों नागरिकों को अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार मेरे द्वारा सदन में उठाने के बाद तथा नागरिकों द्वारा स्थानीय प्रशासन से मांग करने के बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। जिससे नागरिकों में रोष व्याप्त है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुगराबादशाहपुर में जंगली सुअरों एवं नीलगायों के आतंक से व्याप्त स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सीमा-

[मान्यवर, जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुगरा बादशाहपुर में जंगली सुअरों एवं नीलगायों का आतंक व्याप्त है। जिससे किसान परेशान हैं। अभी तक शासन एवं प्रशासन द्वारा जानकारी देने के बाद भी कोई कार्यवाही न होने से किसानों में फसलों के नष्ट होने से आक्रोश व्याप्त है। जनहित में किसान की फसल को नष्ट होने से बचाने हेतु जंगली सुअरों एवं नीलगायों से निजात दिलाये जाने की मांग करती हूं।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करती हूं।]

जनपद प्रतापगढ़ की नगर प्रतापगढ़ जल शाखा शीर्ष में शीर्ष से टेल तक जमा सिल्ट सफाई हेतु धन उपलब्ध कराकर शीघ्रातिशीघ्र सफाई कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 आर0 के0 वर्मा-

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जनपद प्रतापगढ़ की नगर प्रतापगढ़ जल शाखा शीर्ष जिसकी क्षमता 1150 क्यूसेक की है किन्तु उक्त शाखा में शीर्ष से टेल तक सिल्ट जमा होने के कारण इस समय केवल 450 क्यूब लीटर पानी ही आ पा रहा है। मान्यवर, कई बार मेरे द्वारा सदन में इस विषय को संज्ञान में लाया जा चुका है किन्तु अभी तक प्रभावी कार्यवाही दृष्टिगत नहीं है।

अतः माननीय महोदय से अनुरोध है कि इस जल शाखा शीर्ष में शीर्ष से टेल तक जमा सिल्ट सफाई हेतु धन उपलब्ध कराकर शीघ्रातिशीघ्र सफाई कराने हेतु सम्बन्धित को आदेश देने की कृपा करें।]

जनपद बहराइच में मा0 मुख्य मंत्री द्वारा पं0 जनेश्वर मिश्र ग्राम विकास योजना में चयनित ग्राम पयागपुर व सोहरियावां में सी0सी0 रोड निर्माण में तत्कालीन मण्डी अधिकारियों द्वारा ठेकेदार से मिलकर अधूरा कार्य का निर्माण कराकर बंदरबांट कर लिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुकेश श्रीवास्तव-

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान निम्न विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत मण्डी समिति पयागपुर (बहराइच) क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सोहरियावां एवं पयागपुर को जनेश्वर मिश्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत विकास कार्य कराये जाने हेतु परिषद् के पत्र संख्या-3762 दिनांक 17-03-2015 द्वारा स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त ग्रामों में विकास कार्य करा दिया गया। इन ग्रामों में कराये गये विकास कार्यों में बरती गई अनियमितताओं की शिकायत

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के सम्बन्ध में मैंने अपने पत्र संख्या-वि0प0/ज0हि0/15-16/क-5नं0-368804/9843, दिनांक 25-02-2016 द्वारा अपर निदेशक (प्रशासन) व संयुक्त निदेशक (निर्माण) जोन-1 को अवगत कराया था। उक्त चयनित ग्राम में कराये गये विकास कार्यों में (सी0सी0) रोड के निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय जांच कराने, दोषी पाये जाने पर तत्कालीन उप निदेशक (नि0), सहायक अभियन्ता व अवर अभियन्ता बहराइच के विरुद्ध कठोर से कठोर दण्डात्मक कार्यवाही करने तथा घटनाओं की प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। परन्तु आज तक डा0 राम विलास यादव अपर निदेशक प्रशासन राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, उत्तर प्रदेश किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के आदेश पर मु0अ0/(शिका0बह0)/2013-152 दिनांक 23-04-2016 के द्वारा जो दो सदस्यीय टीम-1 (निर्माण (जोन-1) मण्डी परिषद् मुख्यालय 2) उप निदेशक प्रशासन/विपणन/मण्डी परिषद् फैजाबाद को जो जांच अधिकारी नामित किया था उक्त दोनों जांच अधिकारियों ने पूरी टीम के साथ मेरे स्वयं के प्रतिनिधि एवं गांव वालों की उपस्थिति में भौतिक जांच की दोनों गांव क्रमशः सोहरियावां एवं पयागपुर में घटिया सी0सी0 निर्माण एवं अधूरा कार्य कराकर पूरे कार्य का भुगतान ठेकेदार को कर देने के क्रम में जो तत्कालीन अधिकारी लोग दोषी पाये गये मौके की तकनीकी जांच में भी जो अधूरा कार्य हुआ था वो पूर्णतया घटिया पाया गया। जांच अधिकारियों के स्पष्ट जांच में दोषी पाये जाने के बावजूद तत्कालीन उप निदेशक मण्डी, अवर अभियन्ता मण्डी जनपद बहराइच एवं सम्बन्धित ठेकेदार के विरुद्ध न एफ0आई0आर0 दर्ज की गयी न विभागीय कार्यवाही हुयी बल्कि मा0 मुख्य मंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट पं0 जनेश्वर मिश्र ग्राम विकास योजना को ठेंगा दिखाने वाले अधिकारी धड़ल्ले से घूसखोरी में लिप्त हैं।

अतः मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं कि सरकार के इस महत्वपूर्ण योजना में तत्कालीन मण्डी अधिकारियों द्वारा किये गये घोटाले में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही एवं एफ0आई0आर0 दर्ज करते हुए अधूरे सी0सी0 रोड का पूरा निर्माण कराये जाने का आदेश प्रदान करने का कष्ट करें।]

जनपद बांदा के कतिपय ग्राम सभा की किसानों की सिंचाई व्यवस्था हेतु लगे सिंचाई पम्पों की क्षमता बढ़ाने एवं सब-स्टेशन की स्थापना के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दलजीत सिंह-

[मान्यवर, लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी, जनपद बांदा के अन्तर्गत ग्राम-जौहरपुर, चिल्ला, अलोना एवं दुरेड़ी मजरा दौलतपुरवा में पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा ग्राम जौहरपुर व ग्राम-चिल्ला में यमुना नदी से एवं ग्राम-अलोना व दुरेड़ी मजरा दौलतपुरवा में केन नदी से 50-50 क्यूसेक क्षमता की पम्प कैनालों का निर्माण कर सिंचाई की व्यवस्था की गयी थी जो वर्तमान समय पुरानी मशीनरी के चलते जीर्ण-शीर्ण है। अपनी क्षमतानुसार सिंचाई हेतु पानी नहीं दे पा रहे हैं, जिससे क्षेत्र की सिंचाई नहीं हो पा रही है। क्षेत्र में सिंचाई की समस्या वास्तव में जटिल है। उपरोक्त परियोजना का नवीनीकरण कराकर उनकी क्षमता

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वृद्धि कराने एवं पम्प हाउस के पास एक-एक विद्युत सब-स्टेशन की स्थापना करवा दी जाये तो बिजली की समस्या को हल करते हुए सुचारु रूप से सिंचाई हेतु निर्बाध पानी उपलब्ध हो सकेगा। प्रकरण तात्कालिक, जनहित एवं लोक महत्व का है।

अतः अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए पूर्व स्थापित पम्प कैनालों की क्षमता वृद्धि कर क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था ठीक करने के लिये शीघ्र आवश्यक कार्यवाही किये जाने तथा इस पर शासन से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

बिल्डर एवं रियल स्टेट कम्पनियों द्वारा प्रदेश में नागरिकों का भारी उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम चन्द्र चौधरी-

[मान्यवर, मैं माननीय सदन का ध्यान एक अत्यन्त लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं।

आज बिल्डर्स एवं रियल स्टेट कम्पनियों द्वारा प्रदेश में नागरिकों का भारी उत्पीड़न एवं शोषण किया जा रहा है। एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, लखनऊ द्वारा सौभाग्यम अपार्टमेन्ट, रायबरेली रोड पर दो बी0एच0के0 फ्लैट की बिक्री/बुकिंग वर्ष 2011 में की गई थी और उस समय इनके द्वारा 804 वर्ग फिट बिल्ड अप एरिया सहित कुल 1004 वर्ग फिट सुपर एरिया का आवंटियों के साथ एग्रीमेन्ट किया गया और नियमों के विरुद्ध जाकर सार्वजनिक उपयोग की रिक्त भूमि में से 250 वर्ग फिट भूमि को लान के नाम पर अनिवार्यता दर्शाकर ग्राउन्ड फ्लोर के आवंटियों को बेचा गया। फ्लैट का सारा मूल्य जमा कराने के पश्चात् पांच वर्ष बाद अब वर्ष 2016 में एल्डिको ने आवंटियों द्वारा बुक कराये गये फ्लैट के सुपर एरिया में 24 वर्ग फिट एवं प्राइवेट लान में 310 वर्ग फिट की मनमाने ढंग से बढ़ोत्तरी करके लगभग पांच लाख रुपये की अतिरिक्त मांग की जा रही है। इस प्रकार एल्डिको द्वारा अब 1004 वर्ग फिट सुपर एरिया के बजाय 1028 वर्ग फिट सुपर एरिया तथा प्राइवेट लान के 250 वर्ग फिट के स्थान पर 560 स्क्वायर फिट भूमि खरीदने हेतु ग्राहकों पर दबाव बनाया जा रहा है तथा इस पर ब्याज की भी मांग की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस छोटे एवं कम आय के उपभोक्ता ने अपने स्वयं की जरूरतों एवं संसाधनों के हिसाब से 804 स्क्वायर फिट बिल्डअप एरिया का चयन किया हो, उससे कुल 1588 वर्ग फिट एरिया का मूल्य जबर्दस्ती वसूलना बहुत बड़ा अन्याय है। लखनऊ विकास प्राधिकरण से वर्ष 2011 में अनुमोदित प्लान/प्रोजेक्ट का उल्लंघन करके एल्डिको द्वारा उपभोक्ताओं को इस प्रकार प्रताड़ित करने का कृत्य किया जा रहा है तथा उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व एवं अनुरक्षण का संवर्धन) अधिनियम, 2010, शासकीय नियमों, शासनादेशों तथा विभिन्न मा0 न्यायालय के निर्णयों का घोर उल्लंघन किया जा रहा है। किसी भी बिल्डर द्वारा निर्मित फ्लैट के बाहर सार्वजनिक उपयोग की निष्प्रयोज्य पड़ी भूमि को उपभोक्ताओं को जबर्दस्ती बेचना और एग्रीमेण्ट के पांच साल बाद सुपर एरिया एवं लान एरिया में बेतहाशा वृद्धि करके भारी धनराशि वसूलना शोषण करना अनुचित है। इस कृत्य से जहां ग्राउन्ड फ्लोर के उपभोक्ताओं का शोषण होगा, वहीं पूरे प्रोजेक्ट के अन्य आवंटियों हेतु रक्षित सार्वजनिक उपयोग की

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लगभग पचास हजार वर्ग फिट भूमि का भी क्षरण होगा। एल्डिको द्वारा ग्राउन्ड फ्लोर के आवंटियों हेतु निर्धारित बिल्ड अप एरिया और सुपर एरिया का प्रतिशत भी समानुपातिक नहीं है एवं विधि विरुद्ध है। मैं जनहित में सरकार से मांग करता हूं कि इस प्रकरण में दोषी हाउसिंग कम्पनी के कृत्यों की जांच कराकर उपभोक्ताओं को इसके शोषण से मुक्ति दिलाई जाये तथा उसके द्वारा प्रोजेक्ट में की गई समस्त नियम विरुद्ध कार्यवाही को निरस्त किया जाये।

मैं जनहित में सदन के माध्यम से सरकार से इस प्रकरण पर वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद हमीरपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व0 मौलाना शमीम अली उर्फ पीर खां के आश्रितों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गयादीन अनुरागी-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि स्व0 मौलाना शमीम अली उर्फ पीर खां उर्फ मिट्टू निवासी-मुगलपुरा, राठ, जिला हमीरपुर, पता-द्वारा अजन्ता बुक डिपो, कोट बाजार, राठ, जिला हमीरपुर एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्होंने देश में चलाये जा रहे आन्दोलन के दौरान निकट साथी दीवान शत्रुध्नन सिंह, बाल कृष्ण मंत्री गोहाण्ड, केशव प्रसाद, श्रीपत सहाय रावत, जराखर, मकबूल मौलाना, राठ, रामगोपाल गुप्ता, मौदहां, बैजनाथ पहाड़ी आदि के साथ पं0 जवाहर लाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद इत्यादि शीर्ष नेताओं के साथ अंग्रेजों को भगाने हेतु भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान जेल में सजा भोगी थी। यह दिनांक 27 फरवरी, 1930 को 02 वर्ष तक कठोर कारावास में रहे। मुरादाबाद कांफ्रेन्स सन् 1945 में मौलाना मकबूल अहमद के साथ जनपद हमीरपुर की ओर से यह प्रस्ताव रखना कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए तथा भारत अखण्ड रहना चाहिए। प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा घोषित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को प्राप्त सुविधाओं के तहत आवेदन करते हुए शासन द्वारा जांच होती रही और इनके एवं इनकी पत्नी को बराबर जांचों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मानते हुए शासन द्वारा समस्त सुविधाओं की संस्तुति होती रहीं। स्व0 मौलाना शमीम अली उर्फ पीर खां उर्फ मिट्टू की मृत्यु दिनांक 27 अप्रैल, 1986 को हो गई। तत्पश्चात् इनकी पत्नी मृतक आश्रित होने के नाते पेंशन, सुविधाओ का आवेदन करती रहीं तथा शासन बराबर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की आश्रित होने के कारण पेंशन दिये जाने की संस्तुति करता रहा किन्तु इन्हें जनपद स्तर पर कोई सुविधा नहीं प्राप्त हुई। उनका भी देहान्त दिनांक 12 मार्च, 2006 को हो गया। इसलिये स्व0 मौलाना शमीम अली उर्फ पीर खां उर्फ मिट्टू द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में की गयी कुरबानियों तथा देश की आजादी में किये गये योगदान को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित करते हुए उनके पुत्र एवं परिजनों को मृतक आश्रित के रूप में घोषित करते हुए इन्हें प्रमाण-पत्र दिया जाना नितान्त आवश्यक है, ताकि समाज में यह लोग फक्र से जी सकें तथा मृतक आश्रित के रूप में शासन द्वारा प्रदत्त लाभ प्राप्त कर सके। प्रकरण जनहित का है।

अतः जनहित के इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त परिजनों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित का प्रमाण-पत्र दिये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में विद्युत व्यवस्था ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय कपूर-

[मान्यवर, अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं अविलम्बनीय विषय की ओर आपके माध्यम से सरकार से जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र 36 विलासपुर में विद्युत व्यवस्था सुचारु न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। यह क्षेत्र अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र है तथा यहां पर कृषि व लघु उद्योग से काफी जनता का जीविकोपार्जन होता है तथा जनपद रामपुर सर्वाधिक राजस्व सरकार को देता है तथा यहां पर लाइन लास न के बराबर है। यहां पर सारे विद्युत उपकेन्द्र अतिभारित हैं जिसके कारण विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से नहीं मिल पा रही है। जनता प्रत्येक दिन धरने व प्रदर्शन कर रही है और विद्युत सुचारु रूप से न मिलने के बावजूद भी काफी अधिक मात्रा में विद्युत बिल जमा कर रहे हैं जिससे गरीबों पर बोझ पड़ रहा है। किसान व लघु उद्योग के लोग अपने विद्युत कनेक्शन कटवाने के लिये मजबूर हो रहे हैं जिससे जनता का सरकार के प्रति जनाक्रोश बढ़ रहा है तथा जनता में सरकार की छवि धूमिल हो रही है यदि शीघ्र ही इन ओवरलोड विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि न की गयी और विद्युत कनेक्शनों के बिलों को ठीक न कराया गया तो कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी।

अतः अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व के विषय पर मैं आपके माध्यम से सरकार से शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद अमेठी कानूनगो सर्किल हरियापुर, तहसील मुसाफिरखाना में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधेश्याम-

[मान्यवर, अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं अविलम्बनीय विषय की ओर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जगदीशपुर, जनपद-अमेठी के विकास खण्ड-बल्दीराय के अन्तर्गत कानून-गो सर्किल हलियापुर को तहसील-मुसाफिरखाना, जनपद-अमेठी में सम्मिलित करने हेतु कैबिनेट की बैठक में मंजूरी पूर्व में ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों से पहले हो चुकी है। किन्तु किन्हीं कारणों से अभी तक उक्त कानून-गो सर्किल को सम्मिलित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में स्थानीय जनता की बार-बार मांग एवं मेरे अनुरोध पर अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) अमेठी ने आयुक्त, फैजाबाद मण्डल एवं आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0 प्र0 को भी पत्र के माध्यम से अपनी संस्तुति स्वीकृति हेतु प्रेषित किया है। उल्लेखनीय है कि सर्किल के अन्तिम गांव से जिला मुख्यालय, सुल्तानपुर की दूरी लगभग 65 कि0मी0 है और तहसील-मुसाफिरखाना की दूरी मात्र 15 कि0मी0 है। ऐसी स्थिति में शासन द्वारा जनहित में कानून-गो सर्किल हलियापुर को तहसील-मुसाफिरखाना, जनपद-अमेठी में सम्मिलित किये जाने का आदेश प्रदान किया जाता अति आवश्यक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कानून गो सर्किल हलियापुर को तहसील-मुसाफिरखाना, जनपद-अमेठी में सम्मिलित किये जाने हेतु शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद मथुरा के मथुरा ब्लाक के कतिपय ग्रामों में आर्सेनिक युक्त पानी के निराकरण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप माथुर-

[मान्यवर, जनपद मथुरा में पेयजल की समस्या वर्तमान में अत्यन्त चिन्ताजनक है। मेरे विधान सभा क्षेत्र मथुरा-वृन्दावन के मथुरा ब्लाक (ग्रामीण क्षेत्र) की अग्रलिखित ग्रामसभाओं 1-महोली, 2-धनगांव, 3-पालीखेड़ा, 4-गणेशरा, 5-मुड़ेसी, 6-छरौरा, 7-नवादा, 8-नरहौली, 9-अडुकी-मोहनपुर, 10-विर्जापुर, 11-गिरधरपुर, 12-नौगांव, 13-बाकलपुर, 14-तन्तूरा, 15-राजपुर बांगर एवं 16-बाबूगढ़ सकराया आदि गांवों में ज्यादातर स्थानों पर खारे पानी तथा आर्सेनिक युक्त पानी की बहुलता के कारण इन स्थानों पर शासन द्वारा करोड़ों रुपये खर्च कर स्थापित पानी की टंकियों से समुचित जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। समुचित पेयजल आपूर्ति न होने के कारण यहां की जनता त्राहिमाम-त्राहिमाम कर रही है। सरकारी धन का बन्दरबांट हो रहा है। इस क्षेत्र के महोली गांव में स्थापित पानी की टंकी से लोगों के घर-घर तक पहुंचाने के लिये बिछाई गयी पाइप लाइन अधोमानक है, वह बार-बार फट जा रही है। नरहौली में ट्यूबवेल चलाने के लिये अभी तक बिजली कनेक्शन नहीं है तथा अधूरी पाइप लाइन बिछाई गयी है। धनगांव में पूरे गांव में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। अडुकी गांव के ऊंचे स्थान पर बसी बस्तियों में पानी नहीं चढ़ता है तथा जो पाइप लाइन यहां बिछाई गयी है उसकी गुणवत्ता अत्यधिक खराब है। बार-बार जगह-जगह से पाइप लाइन टूट रही है। नवादा गांव में पानी पूरे गांव में नहीं पहुंच पा रहा है। वर्तमान में महीनों से ट्यूबवेल की मोटर खराब है। मोहनपुर-अडुकी में पाइप लाइन फट रही है। गांव के सभी लोगों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। यहां बोरिंग भी समुचित ढंग से नहीं की गयी है। बाबूगढ़ सकराया में जिस दिन पानी की टंकी से जलापूर्ति शुरू हुई उसी दिन कई जगह पाइप फट गयी। इस समय ट्यूबवेल का ट्रांसफार्मर फूंका पड़ा है। बाकलपुर गांव में स्थापित पानी की टंकी से अपेक्षित पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। यहां मीठे पानी वाले स्थान पर वाटर ए0टी0एम0 स्थापित किया जाय। बाकलपुर विस्तार में पानी की टंकी की स्थापना की लगातार मांग ग्रामीण कर रहे हैं। गिरधरपुर गांव में पाइप लाइन खेत में बिछा दी गयी हैं। नौगांव में ग्रामीणों को पाइप लाइन फटने से अपेक्षित पानी नहीं मिल पा रहा है। यहां मीठे पानी वाले स्थान पर वाटर ए0टी0एम0 स्थापित किया जाय। पालीखेड़ा गांव में पानी खारा है जिस स्थान पर बोरिंग है वह कामयाब नहीं है, मीठे जल की उपलब्धता वाले स्थान पर बोरिंग आवश्यक है। वीर्जापुर गांव में पानी की पाइप लाइन पूरे गांव में नहीं डाली गयी है। आये दिन पाइप लाइन फट रही है, जिससे इसका संचालन ठीक से नहीं हो पा रहा है। तंतूरा गांव तथा तंतूरा विस्तार में अभी तक पानी की टंकी स्थापित नहीं की गयी है। इसी तरह दामोदरपुरा एवं औरंगाबाद क्षेत्र जहां के ग्रामीणों की जमीन गोकुल बैराज के लिये सरकार ने लिया किन्तु उन्हें भी पर्याप्त पेयजल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, चिराग तले अंधेरा की कहावत चरितार्थ है। इसलिये यहां मीठे पानी वाले स्थान पर पानी की

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

टंकी स्थापित कर जलापूर्ति आवश्यक है। तंतूरा गांव के विस्तार में बहुत बड़ी कालोनी विकसित हो गयी है, जिसमें पानी की बड़ी टंकी स्थापित कर समुचित जलापूर्ति हेतु प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है। यहां पर जो जल निगम के अधिशासी अभियन्ता स्तर के अधिकारी हैं, उनकी पर्याप्त रुचि नहीं है। यहां से जल निगम निर्माण खण्ड इकाई हटा दी गयी है तथा उसका सारा बोझ बारहवां डिवीजन के अधिकारियों को दिया गया है, जिनसे सुधार की उम्मीद नहीं है। करोड़ों रुपये की लागत से स्थापित इन टंकियों से समुचित जलापूर्ति न होना सफेद हाथी साबित हो रहा है। स्थानीय अधिकारियों तथा प्रबन्ध निदेशक, जल निगम से इस सम्बन्ध में कई बार मौखिक एवं दूरभाष पर शिकायत की जा चुकी है। इसलिये शासन इस मामले को गम्भीरता से लेते हुए उपरोक्त सभी गांवों में स्थापित पानी की टंकियों से गुणवत्ता वाली पाइप बिछाकर जलापूर्ति करने तथा खारे पानी वाले स्थान पर की गयी बोरिंग के स्थान पर नई बोरिंग/रि-बोर कराते हुए जनता को मीठा पेयजल उपलब्ध कराने, जिन स्थानों पर विद्युत ट्रांसफार्मर जले हैं, उन्हें शीघ्र बदले जाने तथा विद्युत कनेक्शन कराने, जिन गांवों में पानी की टंकी स्थापित किया जाना है, उसे शीघ्र स्थापित कराये जाने हेतु सरकार द्वारा उचित धनराशि आवंटित करते हुए उक्त सभी कार्य कराया जाना अति आवश्यक है। प्रकरण अविलम्बनीय एवं लोक महत्व का है।

अतः अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद लखनऊ स्थित 7, तिलक मार्ग, डालीबाग पर जबरन कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कुंवर कौशल सिंह 'मुन्ना'-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद आजमगढ़ निवासिनी म0नं0 199, एलवल, तारा सिंह पुत्री श्री हरीराम सिंह का एक भू-खण्ड सं0-3ए, क्षेत्रफल 3200 वर्गफीट स्थित 7, तिलक मार्ग, डालीबाग, लखनऊ में है जिसे तारा सिंह ने दिनांक 15-03-1983 को जरिये विक्रय विलेख स्व0 संजय गांधी सहकारी आवास समिति लि0 से क्रय किया था। उपरोक्त प्लाट का नक्शा पास कराने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण में दिनांक 30-07-2015 को रसीद संख्या-24335/15 के जरिये भवन निर्माण हेतु मानचित्र एवं फीस जमा की थी परन्तु जब प्रार्थिनी माह जून, 2016 में अपने प्लाट पर गयी तो उक्त प्लाट पर जबरन अवैध कब्जा करके मो0 रिजवान पुत्र नूरअली द्वारा सना डेवलपर्स प्रा0लि0 अपने गुण्डों के साथ अवैध निर्माण बिना नक्शा परमिट के करवा रहा था। मना करने पर आमादा फौजदारी हो गये तथा पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी।

उपरोक्त अवैध कब्जे को रोकवाकर निर्माण कार्य को बन्द करवाया जान न्यायहित में होगा तथा अवैध कब्जेदार के विरुद्ध उचित कार्यवाही किया जाना अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मेरठ महानगर में नालों की सफाई के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

[मान्यवर, मेरठ महानगर जल भराव की समस्या से ग्रस्त है, 2 आबूनाला व ओडियन नाला मेरठ की जलनिकासी करते हैं।

उपरोक्त तीनो नाले काली नदी में मिलते है।

काली नदी की सफाई नहीं होने के कारण जल निकासी अवरुध है।

एक मशीन से 20 प्रतिशत सफाई ओडियन नाले के मुहाने के आगे की कराई है, ऊपर की ओर दोनो आबूनाले की मुहाने की सफाई अभी तक नहीं हुई है।

न तो नगर निगम एक नई पोर्कलेंन मशीन को शीघ्र खरीद रहा है, न ही ठेके पर सफाई करा रहा है। वर्षा ऋतु बीत रही है, जल भराव रुक नहीं हो रहा है।

स्वयं नगरायुक्त अपनी टीम के साथ देखकर आये सहमत थे, परन्तु घोर लापरवाही के कारण जनता नारकीय जीवन भोगने को मजबूर है।

मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद कानपुर में टाट मिल चौराहा जी0टी0 रोड से किदवई नगर होते हुए यशोदा नगर तक की सड़क मास्टर प्लान के अनुरूप अनुरक्षण लोक निर्माण विभाग द्वारा न बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कपूर-

[मान्यवर, जनपद कानपुर नगर में टाटमिल चौराहा जी0टी0 रोड से किदवई नगर होते हुये यशोदा नगर तक की सड़क मास्टर प्लान में 250 फिट सड़क है, जो इस क्षेत्र की अत्यन्त प्रमुख सड़क है, परन्तु यातायात संचालन के लिए मात्र 50 फिट सड़क ही उपलब्ध है। **इसका अनुरक्षण लोक निर्माण विभाग कानपुर द्वारा किया जाता है।** इस सड़क के किनारे ही कानपुर नगर का ट्रान्सपोर्ट नगर बसा हुआ है, जिसके कारण प्रतिदिन हजारों की संख्या में ट्रकों का आवागमन होता है, इसी के साथ इस सड़क के दोनों ओर ढकनापुरवा, रत्तूपुरवा, बाकरगंज, बगाही, बाबूपुरवा कालोनी, अजीतगंज कालोनी, आनन्दपुरी, किदवई नगर के एम, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, एच-2, के, ओ, एल, वाई, वाई-1, पशुपति नगर, यशोदा नगर नाम के मोहल्ले बसें हुये हैं, जिसकी आबादी 14 लाख से अधिक है जिनका आवागमन इस सड़क से ही होता है, इस सड़क के कम चौड़ी होने के कारण ट्रैफिक संचालन में भारी बाधा आती है तथा हर समय यातायात जाम की स्थिति बनी रहती है। पिछले दस वर्षों में इसी सड़क पर दो हजार से अधिक गम्भीर मार्ग दुर्घटनाएं हो चुकी है **जिसमें 200 से अधिक लोगों की मौत भी हुई है तथा सैकड़ों लोग अपंग हो चुके हैं।** जनहित में इस सड़क को लोक निर्माण विभाग द्वारा छः लेन का बनाया जाना अति आवश्यक है जिसके बन जाने से 14 लाख से अधिक की आबादी वाले क्षेत्र को लाभ मिलने के साथ मार्ग दुर्घटनाओं में भी भारी कमी आयेगी। इस सड़क के चौड़े न होने के कारण नागरिकों को जहां आवागमन में भारी असुविधा हो रही है, वहीं उनमें चिन्ता व निराशा भी व्याप्त है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के इस अवलम्बिनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर के तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय सड़कों के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

[मान्यवर, अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं अविलम्बनीय विषय की ओर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-तमकुहीराज, जनपद कुशीनगर में निम्नलिखित सड़कों का निर्माण कार्य कराया जाना जनहित में अति आश्वयक है, जो निम्न है :--

1-बनवीरा में रघुनाथ सिंह के खेत से धोकहा तक पिच निर्माण कार्य-02 कि0मी0।

2-पिपराकनक में शाहपुर से खुद्दी टोला होते हुए मीर-बिहार तक पिच निर्माण कार्य-02 कि0मी0।

3-हाता में नारायनपुर मोड़ से पिच से हाता होते हुए मस्जिद होते हुए हरदिया होते हुए नारायनपुर पीच तक सम्पर्क मार्ग-1.9 कि0मी0।

4-विनय मास्टर साहब के दरवाजे से बशीर के भट्ठे से रफी अहमद के दरवाजे से होते हुए, दुर्गा मन्दिर होते हुए, गंगुआ समऊर सम्पर्क मार्ग तक-03 कि0मी0।

5-हरदिया में हरदिया प्रा0वि0 के सामने, नहर वाले पुल से होते हुए रामकोला-सरेया-मखुआ नहर होते हुए लबनिया नेशनल हाई-वे तक।

6-भटवलिया नं0-2 में श्री किशुन यादव के घर से पुरानी तमकुही तक पिच निर्माण कार्य-02 कि0मी0।

7-गोपालपुरम में पी0डब्ल्यू0डी0 सड़क से गोपालपुर मस्जिद (नहर की पटरी) चौराहे तक पिच निर्माण कार्य-2.5 कि0मी0।

8-मीरबिहार, समउर पिच रोड से बरईपट्टी गांव तक पिच निर्माण कार्य-2.5 कि0मी0।

9-बधवा जगदीश से नकुल सिंह के जवही दयाल पिच मार्ग तक पिच निर्माण कार्य-1 कि0मी0।

10-जीरोवाड़ी से गोसाईपट्टी रोड तक पिच निर्माण कार्य।

11-सुमही संग्राम में रजिन्द्र धानू के घर से उत्तर के तरफ से पोखरी होते हुए जयप्रकाश राय के घर तक पिच निर्माण कार्य-01 कि0मी0।

अतः अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद अलीगढ़ में बरौली विधान सभा क्षेत्र के क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दलवीर सिंह-

[मान्यवर, जनपद-अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली में गभाना बरौली पहासू मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के सोंगरा आबादी भाग चैनेंज कि0मी0-9.0 से 9.60 तक काफी क्षतिग्रस्त है। मार्ग के इस हिस्से में काफी गहरे गड्ढे है। गड्ढों में काफी पानी भरा हुआ है जिसके कारण इस मार्ग से यात्रा

करना काफी कठिन है। आबादी क्षेत्र में पानी भरा होने के कारण बीमारी फैलने की आशंका बनी रहती है। जनहित में मार्ग के इस हिस्से का निर्माण अति आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त मार्ग के इस हिस्से का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद मथुरा के बल्देव विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूरन प्रकाश 'एडवोकेट'-

[मान्यवर, जनपद मथुरा में हमारे बल्देव विधान सभा क्षेत्र की ब्लाक-फरह एवं ब्लाक बल्देव के निम्न गांवों जो कि लोक निर्माण विभाग-सी0डी0-1 मथुरा तथा लोक निर्माण प्रान्तीय खण्ड मथुरा के अन्तर्गत आती है। विशेष मरम्मत/नवर्निर्माण के अभाव में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है। कोई भी अन्य निम्न ग्रामों का सम्पर्क मार्ग नहीं है। इन सड़कों के विशेष मरम्मत/नवर्निर्माण के अभाव में क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। बरसात के समय में निम्न मार्ग बन्द हो जाते है। जनता को आने जाने में काफी परेशानी होने से क्षेत्रीय जनता में काफी रोष व्याप्त है :--

1-बल्देव से बरौली मार्ग का शेष भाग।

2-बरौली से कंजौली घाट पुल तक मार्ग।

3-फरह ओल मार्ग में से धाना जीवन मार्ग तक, नवर्निर्माण मार्ग, लद्ध-1.5 कि0मी0 लगभग।

4-फरह ओल मुख्य मार्ग में से भदेरूआ-बिरोना मार्ग तक, नवर्निर्माण।

5-एन0एच0-2 बरारी से ओल (वाया समसाबाद, बेरी) मार्ग।

6-परखम से ओल मार्ग।

7-राया (टाउन एरिया) जो जिले की सबसे बड़ी नगर पंचायत है। बाई पास का निर्माण।

8-ओल से लुहारा मार्ग वाया चौकीपुरा।

9-झुड़ावई से मलिकपुर मार्ग।

10-बल्देव से हथकोली होते हुए किलौनी पटलौनी मार्ग।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त सड़कों का नवर्निर्माण/विशेष मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बरेली के अन्तर्गत अरिल नदी पर काजवे बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मपाल सिंह-

[मान्यवर, आवंला विधान सभा क्षेत्र जनपद बरेली के अन्तर्गत अरिल नदी बहती है। इस नदी के किनारे ग्राम चकरपुर, हरदासपुर, जगन्नाथपुर, मदकरा इत्यादि ऐसे लगभग 20-25 ग्रामों के

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लोगों का आना-जाना बाजार व रेलवे स्टेशन रेवती बहोड़ा खेड़ा, करेंगी को आना जाना रहता है। नदी भर जाने के कारण आवागमन बाधित रहता है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए इस नदी पर काजवे बनवाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र सदर में कटाई चौराहे से भगवानपुर की जर्जर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी-

[मान्यवर, अवगत कराना है जनपद-बस्ती के विधान सभा क्षेत्र 310, बस्ती सदर के अन्तर्गत आने वाले कटाई चौराहे से इटहर भगवानपुर तक सड़क की बहुत ही जर्जर हालत है एवं सड़क में बहुत बड़े-बड़े गड्ढे है, जिसके कारण वहां के निवासियों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण आवागमन बाधित रहता है एवं सड़क दुर्घटनायें होती रहती हैं, जिससे क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से जनहित में उक्त सड़क का निर्माण कार्य यथाशीघ्र कराये जाने की कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरांव के कतिपय ग्राम सभाओं में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजबली जैसल-

[मान्यवर, कृपया आपको अवगत कराना है कि जनपद-इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरांव अन्तर्गत ग्राम सभा कौदी छापर, कौदी, ठाकुर तारा, चौहान बस्ती, केवटान, सिरहिर/ग्राम सभा का बोझीपुर, संसारपुर, अतरेजी, राजपुर, पचेड़ा तथा धांव ग्राम सभा के कई मजरों में विद्युतीकरण न होने से सभी ग्राम वासी अंधेरे में गुजारा करते है। वहां पर विद्युतीकरण की नितांत आवश्यकता है। उक्त मजरों/गांव में विद्युतीकरण न होने से लोगों में काफी आक्रोश एवं जनाक्रोश है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त मजरों/गांव में विद्युतीकरण किये जाने की कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद आगरा के विकास खण्ड खेरागढ़ के सी0ए0टी0के0 मार्ग से डांडा का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भगवान सिंह कुशवाहा-

[मान्यवर, कृपया अवगत कराना है कि जनपद-आगरा के विधान सभा क्षेत्र के वि0ख0-खेरागढ़ के सी0ए0टी0के0 मार्ग से डांडा होते हुए कुल्हाड़ा मोड़ तक मार्ग की विशेष मरम्मत/पुनः निर्माण कार्य कराने हेतु पूर्व में कई वर्षों से लगातार विधान सभा सत्र में उठाया गया था, किन्तु उपरोक्त प्रकरण में सम्बन्धित विभाग द्वारा अभी तक केवल आगणन ही शासन में प्रस्तुत किया गया है। किन्तु अभी तक व्यवहारिक तौर पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जिससे क्षेत्रीय जनता को

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उपरोक्त जर्जर सड़क के कारण एवं बरसात के समय पानी भरने से आस-पास के अनेकों गांव का सम्पर्क टूट जाता है एवं आने-जाने का कोई रास्ता नहीं होने के कारण पानी में पैदल चलकर निकलना भी दूभर हो गया है। सड़क निर्माण/विशेष मरम्मत न होने से क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उपरोक्त मार्ग की विशेष मरम्मत/पुनः निर्माण कार्य शुरू कराये जाने की कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बुलन्दशहर विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर में ग्रामीण बिजली के स्थान पर शहरी बिजली दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

चौ0 गजेन्द्र सिंह-

[मान्यवर, आपको सादर अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर जो पूरा गंगा के किनारे बसा होने के कारण छोटी काशी के नाम से जाना जाता है अनूप शहर नगर पालिका व तहसील होने के बावजूद यहां पर उच्च शिक्षा के शिक्षण संस्थान एवं पर्यटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। सरकार की शहर योजना के अन्तर्गत 22 घण्टे बिजली देने के लिए यहां पर 33/11 का शहरी बिजली घर का निर्माण कराया गया है। लेकिन इन सब के बावजूद यहां पर अनूप शहर नगर पर ग्रामीण क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति की जा रही जिससे मात्र 4 से 5 घण्टे ही बिजली मिल पा रही है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र की आपूर्ति देने के बावजूद शहरी क्षेत्र का विद्युत बिल लिया जा रहा है। ऐसे में अनूप शहर के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद आगरा के ग्रामीण आगरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत लोक निर्माण द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कालीचरन सुमन-

[मान्यवर, कृपया अवगत कराना है कि जनपद-आगरा, 90 आगरा ग्रामीण क्षेत्र अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित रोड 1-समसाबाद रोड गुतिला मोड़ से ग्राम गंगरौआ नहर तक, 2-अगूठी बिचपुरी बैंक से ग्राम नानपुर फतेहपुर सीकरी रोड तक, 3-देवरी रोड सेमरी की पुलिया से माइनर पटरी रौहता नगर तक। उपरोक्त सम्पर्क मार्ग ओ0डी0आर0 रोड है। जिनका निर्माण लो0नि0वि0 द्वारा कराया गया था किन्तु का 10 वर्षों से अधिक समय होने एवं रख-रखाव सुरक्षा व्यवस्था न होने से जर्जर हालत हो गयी है और सड़क में बड़े-बड़े गड्ढे है। जिससे आवागमन हेतु बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे द्वारा अनेकों बार पत्राचार के माध्यम से शासन/प्रशासन को अवगत कराया लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के चलते अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन हेतु बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रह है। जिससे क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उपरोक्त सड़कों की निर्माण/मरम्मत कार्य यथाशीघ्र कराये जाने की कार्यवाही की मांग करता हूं।]

विधान सभा क्षेत्र महोबा में नयी सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज-

मान्यवर, कृ0 अवगत कराना चाहूंगा कि जनहित में क्षेत्र में कुछ नयी सड़कों के निर्माण की अत्यन्त आवश्यकता है। जिनमें मुख्य निम्नवत् है :--

लूहेडी बस स्टैंड से ग्राम पठारी मार्ग, महोबा टेलीफोन एक्सचेंज ग्राम चन्द्रपुरा होते हुए ग्राम बनियांतला तक, ग्राम मबई खुर्द भैस्ता नहर पटरी मार्ग, ग्राम बीला दक्षिण से मकरबई खोड़े तक, ग्राम सिंघनपुर बघारी से ग्राम बारी तक, ग्राम अतरार से कछियन पुरवा तक, ग्राम बडखेरा रजबाहा मार्ग का पुनः निर्माण, ग्राम गहरा से सलुवा तक सड़क निर्माण, ग्राम उरवारा से कैमाहा मार्ग, ग्राम सिजहरी से ग्राम पवा तक, ग्राम सूरा चौकी से ग्राम सिजहरी होते हुए मजरा तक, ग्राम मामना भुडेरा से एन0एच0 तक, ग्राम कबरई से ग्राम कैमाहा, बीला उत्तर एवं बीला दक्षिण तक।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार से वक्तव्य/कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ के अन्तर्गत कोच कस्बा तहसील कोच में राजकीय महाविद्यालय स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सन्तराम कुशवाहा-

[मान्यवर, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

जनपद जालौन के मेरे विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ की आबादी लगभग तेरह लाख है, परन्तु माधौगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कोई राजकीय बालिका महाविद्यालय एवं बालकों के लिए राजकीय महाविद्यालय नहीं होने से क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को शिक्षा हेतु अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा माफियाओं के शोषण के कारण पिछड़े क्षेत्र के गरीब किसान एवं मजदूर के बच्चे पढ़ने में असमर्थ हैं।

क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को शिक्षा हेतु काफी दूरस्थ स्थित महाविद्यालय पर ही निर्भर रहना पड़ता है। क्षेत्र के छात्र-छात्राओं एवं उनके अभिभावकों द्वारा माधौगढ़ विधान सभा क्षेत्र के कोच कस्बा तहसील कोच में एक राजकीय बालिका एवं बालकों के लिए महाविद्यालय एवं माधौगढ़ टाउन एरिया में एक-एक राजकीय महाविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु कई बार स्थानीय उच्च अधिकारियों एवं शासन से अनुरोध किया परन्तु अभी तक क्षेत्र में राजकीय बालिका महाविद्यालय के खोले जाने हेतु कोई भी प्रभावी कार्यवाही नहीं हो सकी है। जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतएव इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार से कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बाल लिंग अनुपात पर नियंत्रण हेतु महत्वाकांक्षी योजना में प्रदेश स्तर पर लापरवाही तथा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

[मान्यवर, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ भारत सरकार की शत प्रतिशत सहायता प्राप्त केन्द्र पुरोधित योजना है, जिसे पूरे देश के सौ ऐसे चिन्हित जनपदों में लागू किया गया, जहां ''चाईल्ड सेक्स रेशियों'' सबसे कम है। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के 10 सबसे कम CSR वाले जनपद चयनित किये थे, लेकिन राज्य सरकार की संस्तुति पर 7 जिले और जोड़ दिये।

योजना के 23 अप्रैल, 2015 तथा 22-12-2014 को FN. 4-4/2014-WW द्वारा जारी Implement Guide linec के माध्यम से भारत सरकार ने योजना के नियमन, अनुपालन, कार्यान्वयन मूल्यांकन तथा आडिट के सन्दर्भ में नीति निर्देश जारी किये। निर्देशों के अनुसार चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मानव संसाधन विभाग तथा पंचायत राज विभाग के बीच समन्वय स्थापित करके जिलास्तर पर जिलाधिकारी के अधीन बैंक एकाउण्ट खोलकर समस्त कार्य का सम्पादन किया जाना था।

लेकिन प्रदेश के महिला कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश स्तर पर ''महिला सामाख्या'' नामक स्वयं सेवी संस्था को समन्यव्यक, मूल्यांकनकर्ता तथा आडिटर दोनों बनाकर सभी 17 जिलों में जिला परिवीप्ता अधिकारी के द्वारा महिला सामाख्या से धन हस्तान्तरित करा दिया गया।

अधिकांश जिलों में कार्य इतने अपारदर्शीय तरीके से हुये कि जिलाधिकारी इसके कार्यान्वयन से अलग ही रह गये। जिलाधिकारी, कन्नौज ने तो पत्रांक 1791/जि0प्रो0/वे0व0वे0पा0/2016-17, दिनांक 23 जून, 2016 के माध्यम से योजना में व्याप्त व्यापक भ्रष्टाचार की लिखित शिकायत भी की।

अतः लोक महत्व के इस निश्चित एवं अविलम्बनीय विषय पर विधान सभा की कार्यवाही स्थगित करा कर चर्चा कराने का अनुरोध।]

श्री हरिओम शरण श्रीवास्तव, सहायक अध्यापक सम्प्रति सेवानिवृत्त के0के0 इण्टर कालेज, कन्नौज के प्रकरण में शासनादेश दिनांक 30-06-2015 के आलोक में सेवा विस्तार समिति के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत कर उन पर विचार किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कुलदीप सिंह सेंगर-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा **''राज्य अध्यापक पुरस्कार''** प्राप्त शिक्षकों को सेवानिवृत्ति के उपरान्त सेवा विस्तार का प्राविधान किया गया है, परन्तु कतिपय **''राज्य अध्यापक पुरस्कार''** प्राप्त शिक्षकों को सेवानिवृत्ति के उपरान्त भी सेवा विस्तार नहीं दी जा रही है, इससे जहां एक ओर शासन की नीति का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है वहीं दूसरी ओर **''राज्य अध्यापक पुरस्कार''** प्राप्त शिक्षकों में सरकार के प्रति रोष भी व्याप्त है। इसी तरह के वर्ष 2014/15 में **''राज्य अध्यापक पुरस्कार''** प्राप्त शिक्षकों को सेवा विस्तार प्रदान की जा चुकी है परन्तु वर्ष 2013 में **''राज्य अध्यापक पुरस्कार''** प्राप्त शिक्षकों को अभी तक सेवा विस्तार प्रदान नहीं की गयी है। इससे शासन की अपनी ही बनायी हुई नीति में भेद-भाव पूर्ण क्रियान्वयन किया

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जा रहा है। वर्ष 2013 के शिक्षा सत्र में **''राज्य अध्यापक पुरस्कार''** प्राप्त शिक्षकों में श्री राधेश्याम वर्मा (स0अ0) किसान इण्टर कालेज बभनान, बस्ती, सुश्री सुनीता सचान, कायमगंज, फर्रुखाबाद, श्रीमती सुषमा कथूरिया, जनपद बदांयू तथा श्री रमेश सिंह, जनपद उन्नाव (राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार प्राप्त) है, जिन्हें शिक्षा सत्र वर्ष 2013 का उक्त प्रस्ताव दिनांक 05-09-2014 को शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदान किया गया है। शासन द्वारा राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त, शिक्षक के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या-1159/15-08-2015, दिनांक 30 जून, 2015 द्वारा सहायक अध्यापकों का सेवा विस्तार 65 वर्ष तक किये जाने का प्राविधान है तथा कार्यालय आदेश संख्या-704/15-8-2015-2006(1)/2015, दिनांक 05-10-2015 के द्वारा प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य निम्नवत् उल्लिखित है :--**''श्री हरिओम शरण श्रीवास्तव, सहायक अध्यापक सम्प्रति सेवा निवृत्त के0के0 इन्टर कालेज, कन्नौज एवं सम्प्रकृति के शिक्षक/प्रधानाचार्य, जिन्हे अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्ति के उपरान्त राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त हुए है, के प्रकरण में शासनादेश दिनांक 30-06-2015 के आलोक में सेवा विस्तार समिति के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत कर उन पर विचार किये जाने के सम्बन्ध में''** उक्त से स्पष्ट है कि प्रकरण में प्राविधान के बावजूद विभाग द्वारा 02 वर्ष से कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण वेतन आदि नहीं मिल रही है जिससे **''राज्य अध्यापक पुरस्कार''** प्राप्त शिक्षक एवं उनका परिवार भुखमरी के कगार पर है तथा उनमें आक्रोश भी व्याप्त है।

2-अतः उक्त लोक महत्व के तात्कालिक प्रकृति के विषय पर सरकार से समयबद्ध रूप से कार्यवाही कराने की मा0 सदन से मांग करता हूं।]

जनपद लखनऊ स्थित जानकीपुरम् योजना के सेक्टर आई के पास स्थित आकांक्षा चौराहे से अलीशानगर में नाले पर पुलिया बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओम प्रकाश वर्मा-

[मान्यवर, अलीशानगर के प्रार्थीगणों द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में मेरे द्वारा पूर्व में नगर आयुक्त एवं मा0 नगर विकास मंत्री जी से यह अनुरोध किया गया था कि जनपद लखनऊ स्थित जानकीपुरम् योजना के सेक्टर-आई के पास स्थित आकांक्षा चौराहे से अलीशानगर की तरफ चलने पर डिवाइडर में नाला बना है, जिससे ऊपर से पुलिया न होने के कारण जनता को आने-जाने में अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि नाले को केवल पैदल यात्री ही पार कर जा सकते है वाहन नहीं। इसलिए एकल रास्ते से ही दोनों ओर की ट्रैफिक आती-जाती है। उक्त समस्या का समाधान न होने से हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। अलीशानगर की तरफ मुड़ने पर चक्की तथा जिम के पास नाले पर पुल बना दिये जाने से उक्त समस्या का स्वतः समाधान हो जायेगा। उल्लेखनीय है कि अलीशानगर सेक्टर-आई जानकीपुरम् नगर निगम लखनऊ के अधीन आने वाली कालोनी है जिसके कारण अलीशानगर कालोनी की अवस्थापना सुविधाओं के विकास की जिम्मेदारी नगर निगम लखनऊ की है। यह भी उल्लेखनीय है कि सफाईकर्मी आज तक अलीशानगर के उक्त क्षेत्र की सड़कों/नालियों की सफाई नहीं करते है। इस सम्बन्ध में विषयगत मामले में मा0 याचिका समिति की बैठक के दौरान सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा यह जानकारी दी गयी कि पुल के निर्माण की

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आवश्यकता नहीं है। सड़क का निर्माण करवाया जा चुका है। उक्त के क्रम में उल्लेख करना है कि आवागमन बाधित होने के कारण नाले पर पुल का निर्माण भी महत्वपूर्ण है जिसे विभाग द्वारा किस आधार पर आवश्यकता नहीं महसूस की जा रही है यह स्पष्ट नहीं है, साथ ही सफाईकर्मी आज तक अलीशानगर के उक्त क्षेत्र की सड़कों की सफाई नहीं करते है। नाले पर पुल का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

2-अतः अनुरोध है कि उक्त तात्कालिक महत्व के जनहित के विषय पर सरकार से कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद सीतापुर विधान सभा क्षेत्र तहसील महोली में अधिवक्ताओं के बैठने के चैम्बर, हाल व लाइब्रेरी बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनूप कुमार गुप्ता-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र महोली जनपद सीतापुर के अन्तर्गत महोली में नवसृजित घोषित हुई थी, जिसमें तहसील भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर चल रहा है। जिसमें अधिवक्ताओं के बैठने के लिए कोई भवन नहीं बन रहा है और न ही उनके चेम्बर व हाल बनाये जा रहे है और न ही कोई लाइब्रेरी ही बनाई जा रही है, ऐसे स्थिति में अधिवक्ताओं में असन्तोष बना हुआ है। जनहित की समस्या को देखते हुए अन्य भवनों के निर्माण भी कराया जाना अतिआवश्यक है। जिससे अधिवक्ता एवं अन्य कर्मचारियों को सुविधा प्राप्त हो सके। अगर इन भवनों का निर्माण नहीं किया जायेगा, तो बरसात, गर्मी के दिनों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

अतः इस अविलम्नीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए तहसील भवन के निर्माण के साथ ही अधिवक्ता के चैम्बर, हाल/टीन सेट और लाइब्रेरी के भवन के निर्माण कराये जाने की मांग सरकार से करता हूं।]

जनपद लखनऊ नगर स्थित एल0डी0ए0 कालोनी, सेक्टर एल अलीगंज के मकान संख्या-एल-5/132 से एल-5/150 के बीच नालियों को पत्थरों से ढक दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री फेरन लाल-

[मान्यवर, निवेदन है कि लखनऊ में स्थित एल0डी0ए0 कालोनी, सेक्टर-एल, अलीगंज के मकान नम्बर एल-5/132 से एल-5/150 के बीच नालियों को स्थानीय निवासियों द्वारा स्लोप/रैम्प बनाकर पत्थरों से ढ़क दिया गया है जिससे नालियों की सफाई नहीं हो पाती है। नालियां पूरी तरह से चोक हो गयी है जिससे गन्दा पानी सड़कों पर भर जाता है और बिमारियां फैलने का खतरा बना रहता है। मान्यवर, इससे पूर्व दिनांक 21 जुलाई, 2015 डिस्पैच संख्या-3134/सा0 एवं दूसरा पत्र सं0-3116/सा0/16, दिनांक 17 जून, 2016 नगर आयुक्त, लखनऊ को नगर विकास मंत्री के कार्यालय द्वारा प्रेषित किया गया था। नगर आयुक्त, लखनऊ से भी मिलकर अनुरोध किया गया उनके द्वारा तुरन्त कार्रवाई कराने का आश्वासन भी दिया गया परन्तु आज तक उक्त के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मान्यवर, आपसे प्रार्थना है कि उक्त कालोनी की नालियों पर बनाये गये अवैध स्लोप/पत्थरों को हटवाकर नालियों की सफाई करवाने हेतु आदेशित करने की कृपा करें।

अतः मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार से वक्तव्य दिलाने की कृपा करें।]

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड सीटी में तैनात लेखपाल श्री सुनील कुमार द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री त्रिलोकी राम-

[मान्यवर, मैं आप के माध्यम से इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जनपद मीरजापुर के लेखपाल श्री सुनील कुमार विकास खण्ड सीटी जनपद मिर्जापुर में कार्यरत है जो कि आय प्रमाण-पत्र पर पांच सौ रु0 मांगने पर 70 वर्षीय वृद्ध दलित प्रार्थी श्री छोटेलाल ग्राम व पोस्ट गुरुसण्डी द्वारा पैसा न देने पर उनकी वार्षिक आय 50,000 रु0 से अधिक आय बना देने से उनको सरकार द्वारा मिल रहे वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जांच करा कर दोषी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड परसेण्डी एवं बेहटा के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्गों का निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मो0 जासमीर अंसारी-

[मान्यवर, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

जनपद-सीतापुर की मेरी विधान सभा क्षेत्र लहरपुर के विकास खण्ड-परसेण्डी के अन्तर्गत लहरपुर कसरैला मार्ग पर ग्राम धोंधी से उदयमल्लपुर होते हुए ग्राम बनकट पुरवा तक (ल0 03.0 कि0मी0), ग्राम देवकली सम्पर्क मार्ग से ग्राम नेवादा तक (ल0 लगभग 03 कि0मी0), विकास खण्ड-बेहटा के अन्तर्गत ग्राम सभा इटौवा पुरवा में खड़न्जा मार्ग तक (ल0 लगभग 03 कि0मी0), ग्राम सभा कतरा रायपुर के ग्राम सुजावलपुर में सी0सी0 रोड से राम भरोसे शिशु विद्या मन्दिर तक (ल0 लगभग 0220 मी0) की सड़क अत्यन्त जर्जर एवं जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, उक्त क्षतिग्रस्त मार्ग पर कई जगह पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं। उपरोक्त क्षतिग्रस्त सड़कों पर पैदल चलना भी अत्यन्त दूभर हो गया है। उस सड़क पर प्रतिदिन क्षेत्रीय जनता एवं वाहनों का आवागमन होता है। उक्त सड़क के क्षतिग्रस्त होने के कारण क्षेत्रीय जनता एवं राहगीरों को आने-जाने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहां पर आये दिन मार्ग दुर्घटनाएं हो रही हैं जिससे राहगीर लोग घायल हो रहे हैं। क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों की निर्माण/मरम्मत कराये जाने हेतु कई बार उच्च अधिकारियों से अनुरोध किया गया, परन्तु शासन द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः आपके माध्यम से इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सरकार से कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद चित्रकूट के ग्राम लक्ष्मणपुर नहर पटरी होते हुए ग्राम रामपुर सम्पर्क एवं झरी रेलवे फाटक से रेलवे स्टेशन मानिकपुर तक पक्के सम्पर्क मार्ग की निविदा खोलने में की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चन्द्रभान सिंह पटेल-

[मान्यवर, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

जनपद चित्रकूट में ग्राम लक्ष्मणपुर से रामपुर सम्पर्क मार्ग में 4 निविदायें पड़ी थीं, जिनमें दो निविदायें ए0पी0एस0 कान्ट्रेक्शन प्रा0 लि0 कं0 व बंसल हाईवेज इण्टर टेक प्रा0लि0, इलाहाबाद की थी, लेकिन अधीक्षक अभियन्ता लोक निर्माण, बांदा अपने व्यक्तिगत लाभ हेतु इलाहाबाद पार्टी के पक्ष में निविदा स्वीकृत करना चाहते थे लेकिन इलाहाबाद की पार्टी के पक्ष में टेक्नीकल बिड क्वालिफाई नहीं होने के कारण अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण वि0, बांदा ने मनमानी तरीके से एक सिंगल निविदा होने का बहाना बनाकर निविदायें निरस्त कर दी गयीं।

इसी प्रकार झरी रेलवे फाटक से रेलवे स्टेशन मानिकपुर तक पक्के सम्पर्क मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में कुल 12 निविदायें पड़ी, जिनमें 10 निविदाओं की विड अधीक्षण अभियन्ता बांदा के कार्यालय में जमा हुई। 10 निविदाओं में मात्र 4 निविदायें टेक्निकल क्वालिफाई हुई, जिसमें इलाहाबाद पार्टी की निविदा क्वालिफाई नहीं हो सकी। जिसके कारण अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, बांदा, इलाहाबाद पार्टी के पक्ष में निविदा स्वीकृत करने में सफल नहीं हो सके तो उनके द्वारा डिजिटल सिग्नेचर कार्ड को खराब होने का बहाना बनाकर निविदाओं को निरस्त कर दिया गया। इलाहाबाद पार्टी की निविदा टेक्निकल विड क्वालिफाइड नहीं होने के कारण अधीक्षक अभियन्ता लो0नि0वि0, बांदा द्वारा मनमाने तरीके से उक्त दोनों सम्पर्क मार्गों की निविदा निरस्त कर दी गयी।

पूर्व में भी अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, बांदा द्वारा ऐसे अनेक कई भ्रष्ट कार्य किये गये हैं, इनकी भ्रष्टता के कारण शासन के मंशानुरूप कार्य नहीं हो पा रहे हैं, जिससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है, चित्रकूट जनपद दस्यु प्रभावित क्षेत्र है, उक्त सम्पर्क मार्ग के ठीक नहीं होने से आवागमन में भी अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त भ्रष्ट अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण वि0, बांदा के कार्यों की जांच कराते हुए दण्डित करने एवं उपरोक्त सभी कार्यों को यथाशीघ्र कराये जाने का कई बार अनुरोध किया गया परन्तु अभी तक उक्त भ्रष्ट अधीक्षण अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने से क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार से जनपद चित्रकूट में ग्राम लक्ष्मणपुर नहर पटरी होते हुए ग्राम रामपुर सम्पर्क एवं झरी रेलवे फाटक से रेलवे स्टेशन मानिकपुर तक पक्के सम्पर्क मार्ग की निविदा खोलने में की गयी अनियमितताओं की उच्च

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

स्तरीय जांच कराते हुए दोषी अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, बांदा के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद शाहजहांपुर की विधान सभा क्षेत्र तिलहर के ब्लाक निगोही के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रोशन लाल वर्मा-

[मान्यवर, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

जिला शाहजहांपुर की विधान सभा क्षेत्र तिलहर के ब्लाक निगोही के अन्तर्गत ग्राम चकबरैचा, ग्राम कलेक्टरगंज, ग्राम-भटपुरा पृथ्वीपुर, ग्राम निगोही के मजरा आदि एवं ब्लाक-तिलहर व सिंधौली के सैकड़ों गांवों का अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है। क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामों में सिर्फ विद्युत खम्भे ही लगाकर छोड़ दिया गया है उनमें काफी समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त उनमें विद्युत तार नहीं खींचे गये हैं। कई ग्रामों में विद्युत तारों को बांस एवं बल्ली के सहारे ही खींच दिये गये हैं। जिससे आये दिन विद्युत सप्लाई बाधित होती रहती है एवं आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती हैं। जिससे क्षेत्रीय ग्रामीण जनता को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता द्वारा प्रशासन से उपरोक्त गांवों का विद्युतीकरण करने हेतु कई बार अनुरोध किया जा चुका है, परन्तु अभी तक उक्त गांवों का विद्युतीकरण करने हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी। जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अतएव सदन के माध्यम से सरकार से उपरोक्त गांवों का विद्युतीकरण किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद मऊ विधान सभा क्षेत्र मधुबन के विकास खण्ड दोहरीघाट के कतिपय सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमेश पाण्डेय-

[मान्यवर, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

जनपद-मऊ के मेरे विधान सभा क्षेत्र मधुबन के विकास खण्ड-दोहरीघाट के अन्तर्गत ग्राम सभा रेवली नरहरपुर अमिल दरगाह मार्ग से कुरंगा इण्टर कालेज होते हुए सरगुंआ नहर तक, रसूलपुर बाजार से मिश्रौली कारूवीर होते हुए मुहम्मदपुर अमिला दरगाह मार्ग तक, आजमगढ़ दोहरीघाट मार्ग नई बाजार से लामी तारनपुर होते हुए सियरही शारदा सहायक नहर तक वाराणसी-गोरखपुर मार्ग ग्राम सभा गोंठा से कादीपुर, भैसाखरग होते हुए नई बाजार मार्ग तक, अमिला दरगाह मार्ग टेसूपार से दक्षिणी दलित बस्ती होते हुए नत्थूपुर माइनर तक की सड़क अत्यन्त जर्जर एवं जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, उक्त क्षतिग्रस्त सड़क में बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं। क्षतिग्रस्त सड़क पर पैदल चलना भी अत्यधिक कठिन हो गया है। उस क्षतिग्रस्त सड़क पर हजारों ग्रामवासियों एवं वाहनों का आवागमन होता है। सड़क के क्षतिग्रस्त होने के कारण क्षेत्रीय जनता एवं राहगीरों के साथ आये दिन मार्ग दुर्घटनाएं हो रही

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हैं और राहगीर गम्भीर रूप से घायल हो रहे हैं। क्षेत्रीय जनता द्वारा क्षतिग्रस्त सड़क की निर्माण/पुनर्निर्माण कराये जाने हेतु कई बार उच्च अधिकारियों से अनुरोध किया जा चुका है परन्तु सरकार द्वारा अभी तक क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतएव इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार से उपरोक्त क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत/पुनर्निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद मिर्जापुर की मझवां विधान सभा के अन्तर्गत बेलवन नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश चन्द्र बिन्द-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र मझवां के विकास खण्ड पहाड़ी के अन्तर्गत बेलवन नदी पर पुल निर्माण न होने से दर्जनों गांव पूर्णतया प्रभावित होते हैं। पुल का निर्माण न होने से क्षेत्रीय जनता को ब्लाक-मुख्यालय, थाना-पड़री, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाल विकास परियोजना कार्यालय आदि जाने हेतु लगभग 10 कि0मी0 के बजाय लगभग 35 कि0मी0 तक दूरी तय करनी पड़ रही है। जिससे क्षेत्रीय जनता को अत्यधिक समय एवं आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। पुल निर्माण न होने से क्षेत्रीय जनता को रेलवे क्रासिंग से जाना पड़ता है। जिससे दुर्घटनाओं की आये दिन आशंका बनी रहती है। बरसात के दिनों में आवागमन पूरी तरह से ठप हो जाता है। क्षेत्रीय जनता द्वारा बेलवन नदी पर पुल निर्माण हेतु स्थानीय उच्च अधिकारियों एवं शासन से कई बार अनुरोध किया जा चुका है परन्तु अभी तक पुल निर्माण हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति अत्यधिक जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए बेलवन नदी पर पुल के निर्माण किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के वि0ख0 धौरहरा के ग्राम महराजनगर से धौरहरा तक जर्जर सड़क का निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शमशेर बहादुर उर्फ 'शेरू भैय्या'-

[मान्यवर, विषय-जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के वि0ख0 धौरहरा के ग्राम-महराजनगर से धौरहरा तक जर्जर सड़क का निर्माण/मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के वि0ख0 धौरहरा के ग्राम-महराजगंज की सड़क बहुत ही जर्जर हालत है एवं सड़क में बहुत बड़े-बड़े गढ्ढे हैं, जिसके कारण वहां के निवासियों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसके कारण हजारों लोगों का आवागमन बाधित रहता है एवं सड़क दुर्घटनायें होती रहती हैं, जिससे क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से जनहित में उक्त सड़क का निर्माण कार्य यथाशीघ्र कराये जाने की कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड लोटन ग्राम सिकरा चौराहे से खखरा ग्राम तक पिच निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय कुमार पासवान-

[मान्यवर, मेरे गृह जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड लोटन के ग्राम-सिकरा चौराहे से खखरा ग्राम तक पिच निर्माण कार्य लम्बाई लगभग 3 कि0मी0 तथा मैनहवा से गदह मरवा होते हुए कटवापुर रमुवापुर तक पिच निर्माण कार्य लम्बाई लगभग 3 कि0मी0 का जनहित में निर्माण कार्य कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद आजमगढ़, तहसील लालगंज के अन्तर्गत कुडिहर माइनर का निर्माण पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बेचई सरोज-

[मान्यवर, सादर अवगत करना है कि जनपद आजमगढ़, तहसील लालगंज की ग्राम सभा-असवनिया, खरगीपुर व कुड़िहर की सिंचाई सुविधा हेतु 'कुड़िहर माइनर' का निर्माण किया गया था परन्तु उक्त माइनर का पूर्ण लम्बाई में निर्माण नहीं हो पाने से किसानों को सिंचाई सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिसकी सूचना शासन/प्रशासन को कई बार दी गई है, किन्तु अभी तक उक्त माइनर का निर्माण कराये जाने में शासन/प्रशासन रुचि नहीं ले रहा है। जिस कारण सिंचाई सुचारु रूप से नहीं हो पाने के कारण उत्पादन लागत में कमी के साथ ही छोटे कृषकों को जीविकोपार्जन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नियम-301 के अन्तर्गत दिनांक 27 अगस्त, 2015 को सम्बन्धित उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में सूचना पर मा0 मंत्री जी द्वारा सूचना में उक्त कुड़िहर माइनर के शेष भाग का निर्माण किये जाने व अन्य भागों में पुर्नस्थापित किये जाने हेतु प्रयास किये जाने की सूचना दिये हैं। लेकिन लगभग एक वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी अभी तक उक्त माइनर का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। जिस कारण ग्राम सभा असवनिया, खरगीपुर व कुड़िहर के समस्त किसानों में सरकार के प्रति जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मैं सदन के माध्यम से उक्त 'कुड़िहर माइनर' को किसानों के हित में यथाशीघ्र चालू कराये जाने हेतु शासन/प्रशासन से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद आजमगढ़ वि0ख0 ठेकमा के ग्राम सभा खरगीपुर, गोडहरा के निवासियों को आवास दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुसर्रत अली बिट्टन-

[मान्यवर, सादर अवगत कराना है कि सदन के माध्यम से जनपद आजमगढ़, विकास खण्ड-ठेकमा की ग्राम सभा खरगीपुर व गौड़हरा की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। यहां के कुछ ग्रामीण जिन्हें रहने के लिये पक्का मकान नसीब नहीं है, अपने कच्चे मकानों/झोपड़ी में रहकर

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गुजर-बसर कर रहे हैं, जिनमें श्रीमती उर्मिला पत्नी श्री अशोक, श्रीमती दुर्गावती पत्नी देवराज, श्री पतरू पुत्र स्व0 मोहन सरोज, श्री बरखू पुत्र स्व0 रामदवर, श्रीमती चन्द्रकला पत्नी श्री माता प्रसाद, श्रीमती बदामी पत्नी श्री सुभाष एवं श्रीमती शान्ती पत्नी श्री लालमनी, ग्राम सभा खरगीपुर एवं श्रीमती सुनीता पत्नी श्री मोतीलाल ग्राम सभा गोड़हरा के निवासीगण जो कि काफी गरीब परिवार से हैं एवं बी0पी0एल0 कार्ड धारक परिवारों के आश्रित भी हैं जो कि संयुक्त परिवार होने की वजह से अलग हो गये हैं किन्तु आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से स्वयं का पक्का मकान बनाने में असमर्थ हैं। उक्त परिवारों की दयनीय हालत को देखते हुए विषम परिस्थितियों में नियमों को शिथिल करते हुए इन्दिरा आवास उपलब्ध कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। शासन/प्रशासन से उक्त लोगों को इन्दिरा आवास देने हेतु कई बार अनुरोध किया गया, किन्तु अभी तक इन्हें कोई सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे ग्रामीणों में सरकार के प्रति रोष व्याप्त है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मैं सदन के माध्यम से उपरोक्त गरीब परिवारों को इन्दिरा आवास यथाशीघ्र उपलब्ध कराने हेतु शासन/प्रशासन से कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद लखनऊ के अमीनाबाद इण्टर कालेज तथा जवाहर इण्टर कालेज के प्रधानाचार्यों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती श्रद्धा यादव-

[मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्यों के अनियमित स्थानान्तरण प्रस्तावों की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। शासन की अधिसूचना संख्या-3745 दिनांक 09-09-1997 के विनियम-61 (ग) तथा अन्य व्यवस्थाओं में स्पष्ट प्राविधानित है कि प्रधानाचार्य के स्थानान्तरण किसी सहायता प्राप्त संस्था से दूसरी सहायता प्राप्त संस्था में और किसी एक असहायता प्राप्त संस्था से दूसरी असहायता प्राप्त संस्था में ही सम्भव हो सकेगा। इसके बावजूद कतिपय मण्डलों से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को प्रधानाचार्यों के नियम विरुद्ध प्रस्ताव प्रेषित किये जा रहे हैं।

उदाहरण के रूप में मैं अमीनाबाद इण्टर कालेज में प्रधानाचार्य के पद पर स्थानान्तरण सम्बन्धी प्रकरण की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहती हूं। उल्लेखनीय है कि अमीनाबाद इण्टर कालेज, लखनऊ वेतन वितरण अधिनियम, 1971 से आच्छादित विद्यालय नहीं हैं और जवाहर इण्टर कालेज, कांथा, उन्नाव वेतन वितरण अधिनियम से आच्छादित अनुदानित विद्यालय है तथा अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार सहायता प्राप्त विद्यालय से गैर सहायता प्राप्त विद्यालय में स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद जवाहर इण्टर कालेज, काथां, उन्नाव से अमीनाबाद इण्टर कालेज, लखनऊ में स्थानान्तरण का प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को प्रेषित किया गया है और जिसे अभी तक निरस्त नहीं किया गया है। यदि इस तरह से नियम विरुद्ध स्थानान्तरण प्रस्तावों पर माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा विचार किया जाता रहेगा तो फिर शासन के समक्ष विषम स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। जनहित में उक्त प्रस्ताव निरस्त किया जाना आवश्यक है।

मैं सरकार से जनहित में उक्त प्रकरण पर वक्तव्य की मांग करती हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद लखनऊ शहर में कूड़े व गन्दगी की व्यापक समस्या के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

[मान्यवर, लखनऊ शहर में कूड़े और गन्दगी की व्यापक समस्या है। कूड़ा प्रबन्धन की हालत यह है कि शहर की कालोनियों, बाजारों और बस्तियों में जगह-जगह सड़क, पार्क और खाली जमीन पर कूड़ा बिखरा रहता है जिसके कारण अनेक तरह की बीमारियां फैलती हैं।

इस समस्या से निजात दिलाने के लिये सेंसर युक्त अण्डर ग्राउण्ड डस्टबिन का देश के अनेक शहरों में प्रयोग किया जा रहा है जिसमें सेंसर लगा होता है और जैसे ही कुड़ा डालने के लिये कोई निकट आता है डस्ट बिन का ढक्कन अपने आप खुल जाता है और कूड़ा डालने के बाद अपने आप बन्द हो जाता है। इस तरह के अण्डरग्राउण्ड डस्टबिन के माध्यम से शहर में गन्दगी और कूड़े को काफी हद तक दूर किया जा सकेगा। कूड़े और गन्दगी के कारण हो रही अनेक तरह की बीमारियों से जन सामान्य बहुत पीड़ित है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए लखनऊ शहर की सभी कालोनियों, बस्तियों और बाजारों में एक योजना बनाकर स्थान-स्थान पर सेंसर युक्त अण्डरग्राउण्ड डस्टबिन के निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में पूर्वांचल विकास निधि का जिलांश आवंटन के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[मान्यवर, जनपद बस्ती के विधान सभा रुधौली के पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-2016 में एस0सी0पी0 मद (अनुदान संख्या-83) में समर्पित की गयी धनराशि को पुनः आवंटित किये जाने हेतु दिनांक 22-07-2016 को मा0 प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0 को पत्र दिया था। मेरे द्वारा 55 अदद सोलन तथा 4 निर्माण कार्यों को रु0 2501850.00 की स्वीकृति आदेश मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर क्षेत्र लो0नि0वि0 गोरखपुर के पृष्ठांकन के उपरान्त दिनांक 31-03-2016 को आदेश विलम्ब से प्राप्त होने के कारण कोषागार से आहरण की कार्यवाही हेतु बिल तैयार कर कोषागार का सरवर बन्द हो जाने के कारण धनराशि का आहरण किया जाना सम्भव नहीं हो सका। अस्तु पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश) एस0सी0पी0 की समर्पित की गयी धनराशि रुपया 2501850.00 पुनः स्थापित कर वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवंटित किया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है। स्वीकृत परियोजनाओं पर धन न अवमुक्त होने के कारण तथा विकास कार्य में धन के अभाव में बाधा उत्पन्न होने से क्षेत्रीय जनता में बहुत आक्रोश व्याप्त है। स्वीकृत परियोजनाओं के पूर्ण न होने पर जनता कभी भी आन्दोलित हो सकती है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सहारनपुर की श्री राम ट्रेडिंग कम्पनी के नाम पर करोड़ों रुपये के गोलमाल किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव गुम्बर-

[मान्यवर, जनपद सहारनपुर की श्री राम ट्रेडिंग कम्पनी के नाम से करोड़ों रुपये का गबन आलोक माहेश्वरी, निवासी रैनबो विहार, मुजफ्फरनगर द्वारा किया गया है। यही नहीं श्री माहेश्वरी द्वारा फर्जी ढंग से कम्पनी बनाकर करोड़ों रुपये का दुरुपयोग करके सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाई है। अभियुक्तों द्वारा श्री राम ट्रेडिंग कम्पनी ने जिस कार्य हेतु लोन लिया था उस कार्य में पैसे को न लगाकर अपनी अन्य कम्पनियों में पैसा ट्रांसफर कर करोड़ों का गोलमाल किया तथा हवाला की तरह पैसा ट्रांसफर किया। स्थानीय थाना सदर बाजार सहारनपुर में मु0अ0सं0-253/14 में आलोक माहेश्वरी आदि के विरुद्ध पंजीकृत है किन्तु निष्पक्ष विवेचना नहीं हो पा रही है। अभियुक्तगण खुलेआम घूम रहे हैं तथा कानून का मखौल बना रहे हैं। अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई न होने से पीड़ितों में काफी रोष व्याप्त है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

जनपद लखीमपुर की कस्ता विधान सभा क्षेत्र में औरंगाबाद में विद्युत तार से मृतक जानवरों तथा व्यक्तियों के परिजनों को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुनील कुमार लाला-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनपद लखीमपुर के अपने विधान सभा क्षेत्र कस्ता की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा कस्ता के अन्तर्गत ग्राम औरंगाबाद में बिजली विभाग की लापरवाही से 11 हजार लाइन की तार गिर गई जिसमें 6 भैंसे एवं अन्य व्यक्तियों की मौतें हो गयीं। परन्तु प्रशासन द्वारा मृतक परिवार को अभी तक कोई भी आर्थिक सहायता नहीं प्राप्त की गयी है और न ही उक्त लाइन ठीक की गई जिससे जनमानस काफी आक्रोशित है।

अतः उक्त लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से ग्राम औरंगाबाद की उक्त लाइन को ठीक किये जाने एवं मृतकों के परिवारों एवं जिन व्यक्तियों की भैंसों की मृत्यु हुयी हैं उनको मुआवजा दिये जाने की मांग करता हूं।]

उ0 प्र0 सचिवालय के कर्मचारी को राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवंटित आवास की समस्या के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रणजीत सिंह सुमन-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान उ0 प्र0 सचिवालय में कार्यरत कर्मचारियों की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सचिवालय कर्मी जिन्हें राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवंटित राजकीय आवास सं0-16/387 इन्दिरा नगर मुंशी पुलिया लखनऊ में किया गया है उक्त आवास में अपने माता-पिता पत्नी एवं बच्चों के साथ रहते हैं। उक्त आवास केवल एक कमरे का है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिसमें एक साथ रहकर बच्चों को पढ़ाई करने में काफी मुश्किलें हो रही हैं। जिससे इनके बच्चों का भविष्य खतरे में है।

अतः उक्त लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से उक्त आवंटित आवास सं0-16/387 इन्दिरा नगर मुंशी पुलिया लखनऊ के स्थान पर महानगर/बादशाह नगर टाइप-2 कालोनी में आवास आवंटित करने की मांग करता हूं।]

जनपद झांसी की बबीना विधान सभा की कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश प्रसाद कुशवाहा-

[मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि जिला-झांसी के अन्तर्गत मेरी विधान सभा क्षेत्र बबीना के ब्लाक-बबीना में निम्नांकित सड़कें जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसे लेकर क्षेत्रीय जनता में भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

1-डेली से पाली ढिमरपुरा तक

2-बमेर से कसोधन तक

3-डगरवाहा से राजापुर तक

4-राजापुर से बाछौनी तक

5-बमेर से कछुआ तक

6-राजगढ़ हसारी से वैदौरा तक

7-मथुरापुरा से किल्चवारा-खुर्द होते हुए खजराहाखुर्द के आगे तक

8-बैदोरा रोड से सरवां तक

9-किल्चवारा खुर्द से रामगढ़ मौटा तक

10-खैलार से गोपालपुरा तक

11-गोपालपुरा से मोटा तक

12-खैलार रोड से डगरिया तक

13-सिमिरिया रोड से रतनपुर तक

14-सिमिरिया रोड से सन्तपुर कोटी तक

15-सुकवां रोड से चन्दौली तक

16-ठकुरपुरा रोड से सरवां तक

17-गनेशगढ़ से राजगढ़ होते हुए ठकुरपुरा तक

18-मथुरापुरा से किल्चवारा खुर्द होते हुए रामपुर मोटा तक

19-खजुराहा बुजुर्ग से रेलवे स्टेशन तक

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से जनहित में उक्त सड़कों का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

श्रमिक नियोजना बाल कारखाने में नियोजित श्रमिकों के हित में वेतन पुनरीक्षण कमेटी लागू करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कृष्ण पाल सिंह राजपूत-

[मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि मेरे पत्र सं0-घ-5, नं0-093174 दिनांक 18-04-2016, 50 या 50 से अधिक श्रमिक नियोजित करने वाले इंजीनियरिंग कारखानों में नियोजित श्रमिकों के न्यूनतम वेतन रिवीजन किये जाने के सम्बन्ध में बी0एच0ई0एल0 कान्ट्रेक्ट वर्कर्स यूनियन सम्बद्ध हिन्द मजदूर सभा के संलग्न प्रार्थना-पत्र के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी को प्रेषित किया था जिसमें वेतन पुनरीक्षण कमेटी गठन किये जाने से सम्बन्धित कार्यालय-ज्ञाप सं0-531/36-1-2012, दिनांक 4-10-2012 के अनुक्रम में कमेटी ने अपनी पुनरीक्षण रिपोर्ट शासन को आठ माह पूर्व प्रेषित कर दी गयी है जिस पर अभी तक शासन द्वारा कोई उचित निर्णय श्रमिकों के हित में नहीं लिया गया है। इस सम्बन्ध में यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा कई बार मुझे एवं शासन के अधिकारियों को पत्रों के माध्यम से अवगत कराया गया लेकिन वेतन पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही इस सम्बन्ध में अब तक नहीं की गयी है। जिससे श्रमिकों में सरकार के प्रति भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से जनहित में 50 या 50 से अधिक श्रमिक नियोजन वाले कारखाने में नियोजित श्रमिकों के हित में वेतन पुनरीक्षण कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार से उचित कार्यवाही कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद फिरोजाबाद नगर निगम के भ्रष्ट कर्मचारियों द्वारा की जा रही वसूली के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनीष असीजा-

[मान्यवर, नगर निगम फिरोजाबाद में भ्रष्ट अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कर वसूली के नाम पर नगर की जनता का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न करा जा रहा है। अनाप-शनाप दरों पर टैक्स लगाया जा रहा है।

पूर्व में मेरे द्वारा सदन में इस मामले को उठाने पर माननीय नगर विकास मंत्री जी द्वारा सदन में तत्काल अनावासीय/व्यवसायिक परिसम्पत्तियों पर कर वसूली रोकने के ओदश दिये थे।

वर्तमान में नगर विकास मंत्रालय, लखनऊ में अनावासीय सम्पत्तियों पर करारोपण के लिये नियमावली निर्माणाधीन है एवं जब तक नियमावली नहीं बनायी जाती हैं तब तक कर वसूली स्थगित रखे जाने के आदेश हैं।

इसके बावजूद नगर निगम फिरोजाबाद के भ्रष्ट अधिकारी एवं कर्मचारी आदेशों की अनदेखी करते हुए नगर फिरोजाबाद के अनावासीय सम्पत्ति स्वामियों का नाजायज उत्पीड़न कर रहे हैं।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जब तक नगर विकास विभाग द्वारा नयी नियमावली नहीं बन जाती है, तब तक नगर निगम फिरोजाबाद द्वारा अवैध रूप से की जा रही वसूली को तत्काल रोकने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद शामली स्थित कतिपय ग्रामों के नहर की पटरी के क्षतिग्रस्त मार्गों को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश राणा-

[मान्यवर, जनपद शामली स्थित हरड़ गांव नोजल और जलालाबाद से लाहारा, मदाड़ा से हिरनवाड़ा, कैडी से हिंड मोड़, उस्मानपुर से नोजली, राझड़ से हथछोया वाया दुल्लाखेड़ी, पुरमाफी से दरगाहपुर बाईपास, भैंसवाल से मालेंडी नाला पटरी और भैसवाल से जंधेड़ी, करोड़ी से सिलावल, बनत से कैड़ी वाया जलालपुर, हिंड से मातलपुर, जलालाबाद से चंदेना, पुआखेड़ा से शामली तक नहर की पटरी अत्यन्त क्षतिग्रस्त है। ग्रामीणों द्वारा आक्रोश व्याप्त है। निर्माण तत्काल कराया जाना आवश्यक है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद मुजफ्फरनगर के गांव लकड़संघा में बरसात के कारण घायल लोगों का उचित इलाज न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल कुमार-

[मान्यवर, आपके संज्ञान में लाना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव लकड़संघा तहसील व जनपद-मुजफ्फरनगर के निवासी विकलांग व्यक्ति प्रवीण का मकान भारी बारिश के कारण ध्वस्त हो गया था। जिसमें प्रवीण की 4 वर्षीय पुत्री की मौत हो गयी थी एवं पत्नी की रीढ़ की हड्डी में चोट लग गयी थी जिसे दिनांक 17-06-2016 को मेरठ मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया जिसका इलाज डा0 गजराज एवं पंकज की देखरेख में चल रहा था। मेरे द्वारा दूरभाष के माध्यम से डा0 पंकज से गरीब व विकलांग प्रवीण की पत्नी का मानवीयता के आधार पर उचित इलाज करने का आग्रह किया गया। इसके उपरान्त डाक्टरों ने प्रवीण से कहा कि तुम अपनी पत्नी का इलाज विधायक जी से करा लेना और दिनांक 23-06-2016 को रीढ़ की हड्डी का सही इलाज किये बिना ही जबरदस्ती डिस्चार्ज कर दिया। कुछ ही दिनों बाद प्रवीण की पत्नी श्रीमती मौसम की मृत्यु घर पर हो गयी। चिकित्सकों की इस घोर लापरवाही की वजह से एक विकलांग व्यक्ति का परिवार तहस नहस हो गया। मेरे द्वारा उच्चाधिकारियों को इस लापरवाही के सम्बन्ध में अवगत कराया गया किन्तु उपरोक्त डाक्टरों के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। जिससे क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से जनहित में इलाज में लापरवाही बरतने वाले डाक्टरों के विरुद्ध विभागीय एवं कानूनी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा अन्य जिला मार्ग फतेहपुर सीकरी से डावर व खानुआ राजस्थान सीमा मार्ग का विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 सूरज पाल सिंह-

[मान्यवर, उपरोक्त विषयक पर आपका ध्यान आकृष्ट कर अवगत कराना है कि जनपद आगरा की फतेहपुर सीकरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग का अन्य जिला मार्ग

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

फतेहपुर सीकरी से डावर व खानुआ राजस्थान सीमा मार्ग काफी क्षतिग्रस्त है क्योंकि राजस्थान से उ0प्र0 में आने वाला गिट्टी व बोल्डर भारी तादाद में इस मार्ग से गुजरता है। इस कारण यह मार्ग काफी क्षतिग्रस्त हो गया और आये दिन बड़े वाहन इस रोड पर धंस जाते हैं। इस कारण जाम की स्थिति बनी रहती है और जनता को काफी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

इस कारण उक्त मार्ग का जनहित में बनवाना अति आवश्यक है। लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

निदेशक होम्योपैथी के चयन के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोज कु0 सिंह-

[मान्यवर, जनवरी 2017 में सेवानिवृत्ति से निदेशक, होम्योपैथी, उ0प्र0 पद रिक्त हो रहा है। रिक्त पद पर अक्षम, अयोग्य, अपात्र, गंभीर आरोपों से घिरे मुख्यालय व कालेजों में तैनात टेक्नोकेट्स कब्जे की ताक में हैं। ऐसा कालान्तर में भी हुआ है। पद प्रभार, कार्यवाहक व्यवस्था, अन्तरिम व्यवस्था, काम चलाऊ व्यवस्था निष्प्रयोज्य एवं विवादित व्यवस्था है। इससे विभाग का विकास, स्वास्थ्य, सौहार्दपूर्ण जनोपयोगी प्रशासनिक व्यवस्था बाधित होती है। कार्यहित व जनहित में समय से विभागीय प्रोन्नति समिति के माध्यम से निदेशक, होम्योपैथी, उ0प्र0 के पद पर नियमित चयन/नियुक्ति मात्र ही सर्वमान्य विकल्प है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के इस मामले को आपकी अनुज्ञा से सदन के संज्ञान में लाते हुए त्वरित, प्रभावी एवं समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने की मांग करता हूं।]

लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी शासनादेशों का अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमित गौरव यादव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन का ध्यान लोक निर्माण अनुभाग-(8) द्वारा जारी शासनादेश संख्या-1369/23-8-2011 दिनांक 29-09-2011 द्वारा लिये गये त्रुटिपूर्ण निर्णय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जिसे अति शीघ्र सुधारने के स्पष्ट निर्देश भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के उप निदेशक द्वारा अपने पत्रांक मि0सं0एल0 53014/01/2014-आई0आर0इम्प-2 दिनांक 13-11-2014 एवं उसके बाद उनके आधा दर्जन पत्रों/अनुस्मारकों द्वारा दिये गये। साथ ही मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र संख्या-सीएम-133/23-8-2014 दिनांक 17-11-2014 एवं उसके बाद के एक दर्जन पत्रों/अनुस्मारकों के बावजूद श्रम अनुभाग-(2) द्वारा प्रश्नगत प्रकरण का निस्तारण औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947 के अन्तर्गत न किये जाने के कारण 25 से अधिक बुजुर्ग पेंशनरों की अब तक धनाभाव में अपना उचित महंगा इलाज न करा पाने के कारण अकाल मृत्यु हो चुकी है। इन दुःखद मौतों के लिए लोक निर्माण अनुभाग-(8) एवं श्रम अनुभाग-(2) द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में पुनर्विचार में की जा रही असाधारण अपराधिक विलम्ब ही उत्तरदायी है। क्योंकि उक्त शासनादेश के अनुसार वर्ष 2011 में कम्पनी का कुल संचित लाभ मात्र रुपये 22.74 करोड़ में से 123 माह के बकाया वेतन के रुपये 40.00 करोड़ का भुगतान सम्भव नहीं था, अतः कम्पनी प्रबन्धन

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के प्रस्ताव को शासन द्वारा अस्वीकृत किया गया था। किन्तु वर्तमान समय में कम्पनी द्वारा रुपये 1170 करोड़ से अधिक का ऐतिहासिक संचित लाभ प्राप्त कर लेने के कारण समूचा परिदृश्य एवं परिस्थितियां बदल चुकी हैं। इसलिए तत्काल पुनर्विचार एवं नियमानुसार निस्तारण तथा विलम्ब हेतु दोषियों को कठोर दण्ड देना आवश्यक है।

अस्तु व्यापक लोक महत्व के उपरोक्त सुनिश्चित विषय पर मैं तत्काल प्रभावी कार्यवाही एवं वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद मिर्जापुर में बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा महिला कर्मचारी का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वाचस्पति-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सदन के संज्ञान में एक अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय लाना चाहता हूं।

जनपद मिर्जापुर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा दलित महिला कर्मचारी का उत्पीड़न किया जा रहा है। ज्वलन्त उदाहरण मिर्जापुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राथमिक विद्यालय, भटौली विकास खण्ड सीटी, जनपद मिर्जापुर के सहायक अध्यापक पद पर श्रीमती बसुन्धरा भारती का उत्पीड़न करके उन्हें निलम्बित कर दिया गया है, जोकि न्यायोचित नहीं है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर निर्दोष श्रीमती बसुन्धरा भारती, सहायक अध्यापक को बहाल कराये जाने हेतु शासन/प्रशासन से कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद गाजीपुर के सैदपुर विधान सभा क्षेत्र ग्राम पहाड़पुर के तीन हजार अल्पसंख्यकों के लिये हस्तशिल्पकारों को आर्थिक सहायता एवं प्रशिक्षण दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुभाष पासी-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर ले जाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र-374 सैदपुर, जनपद-गाजीपुर के अन्तर्गत बहुत अधिक मात्रा में बेरोजगार लोग पड़े हैं। यहां लोग निजी व्यवसाय करके अपना जीवन यापन करते हैं। जिसमें से एक गांव पहाड़पुर पड़ता है जिसमें भारी मात्रा में अल्पसंख्यक वर्ग के निवास करते हैं जो ब्लाक देवकली के अन्तर्गत आता है। इस गांव में 3000 लोग हस्तशिल्प से अपना जीवन यापन करते हैं। वर्तमान सरकार के द्वारा योजनाएं संचालित की गयी हैं। सरकार द्वारा हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना जिसमें भाड़ा व स्टाल हेतु आर्थिक सहायता प्रशिक्षण दिलाया जाता है। प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। पुराने हस्तशिल्पकारों को पेंशन दी जाती है। लेकिन पहाड़पुर गांव इस योजना से आज तक वंचित है।

अतः इस लोक महत्व के गम्भीर विषय को सरकार के संज्ञान में लाते हुए तत्काल कार्यवाही करते हुए एवं वक्तव्य दिये जाने हेतु सरकार से पुरजोर मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद आजमगढ़ के लालगंज कटघर टाउन एरिया के निवासियों को महामारी से बचाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दिलनवाज खां-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के कटघर टाउन एरिया के वार्ड नं0-2 हनुमानगढ़ी में सीवर के पानी से वहां के किसानों की फसलें नष्ट होने के साथ वहां के निवासियों को महामारी फैलने का खतरा उत्पन्न होने की आशंका से वहां के निवासी भयभीत हैं। उक्त टाउन एरिया के दो-तीन वार्डों के सीवर का पानी उसी खेतों की तरफ जाने से फसल बर्बाद हो जाती है और वहां के लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ता है।

समय रहते यदि उक्त सीवर लाइन के पानी को अन्यत्र तरफ परिवर्तित नहीं किया गया तो महामारी फैलने की दशा में काफी जनहानि होगी, जिसकी भरपाई किया जाना मुश्किल होगा।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर तत्काल कार्यवाही किये जाने हेतु माननीय पीठ से निर्देशित करने की कृपा करें।]

जनपद मुजफ्फरनगर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा गृह जनपद में कार्यरत शिक्षकों की नियुक्ति के लिये विकल्प भरवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंकज कुमार मलिक-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि 2011 में मुजफ्फरनगर से शामली नवसृजित जनपद बना है। बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन शिक्षक पद पर जनपद में अनेकों शिक्षक कार्यरत हैं। फरवरी 2014 में तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुजफ्फरनगर व शामली गृह जनपद हेतु विकल्प भरवाये गये थे। इस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो पायी है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए नवसृजित जनपद शामली के बेसिक शिक्षा परिषद, गृह जनपद में कार्यरत शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विकल्प भरवाये जाने के लिये कार्यवाही हेतु मांग करता हूं।]

जनपद फैजाबाद के रुदौली विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड मवई व रुदौली के किसानों को सूखे से बचाने तथा फसलों की नुकसान की भरपाई के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामचन्द्र यादव-

[मान्यवर, जनपद फैजाबाद विधान सभा क्षेत्र रुदौली अन्तर्गत विकास खण्ड मवई व रुदौली तथा बनीकोडर ब्लाक जनपद बाराबंकी सहित क्षेत्र की सैकड़ों गांव पंचायतों में विगत एक माह से बरसात न होने के कारण किसानों के धान की फसल सहित अन्य फसलें सूख रही हैं। इसी क्षेत्र में विगत तीन वर्षों में भी सूखे एवं कम वर्षा के कारण किसानों की फसलों का नुकसान हुआ था। राहत राशि के नाम पर सूखे से किसी तरह की कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गयी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केन्द्र सरकार द्वारा लागू की गयी है मेरे क्षेत्र के किसानों को कृषि विभाग द्वारा अभी तक इस

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

योजना में शामिल नहीं किया गया है। जिसके कारण पूरे क्षेत्र के किसानों की फसल का मुआवजा सूखे की स्थिति में नहीं मिल पायेगा। क्षेत्र के किसानों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कृषि विभाग द्वारा लागू न किये जाने से भयंकर असन्तोष है। गोमती, कल्यानी, बेतवा के किनारे बसी ग्राम पंचायतों में पीने के पानी का गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है। मवई विकास खण्ड की नौगवांडीह, हंसराजपुर समगढ़ा, रामपुर जनक, रेस, उमापुर, देवइत, गनेशपुर, सुनबा, बिहारा, कसारी, सैदपुर, सैमसीतेल सहित कई गांव पंचायतों में बरसात न होने से इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प का पानी नीचे चला गया है जिससे पीने के पानी का संकट उत्पन्न हो गया है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त समस्याओं के निराकरण हेतु मुआवजा एवं प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

[12.26] औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नियम-300 की सूचनायें लेता हूं। आज दिनांक 31 अगस्त, 2016 को नियम-300 के अन्तर्गत कुल 09 सूचनायें प्राप्त हुयीं।

मोदी शुगर मिल के मालिक श्री उमेश मोदी के विरुद्ध मोदी नगर थाने में धारा-420 एवं 3/7 में दर्ज मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में अधिकारियों द्वारा सरकार को गुमराह किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

जिसमें पहली सूचना श्री सुदेश शर्मा की मोदी शुगर मिल के मालिक श्री उमेश मोदी के विरुद्ध मोदी नगर थाने में धारा-420 एवं 3/7 में दर्ज मुकदमें में उनकी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में अधिकारियों द्वारा सरकार को गुमराह किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

*श्री सुदेश शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम-300 के अन्तर्गत मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि नियम-56 के अंतर्गत 23-08-2016 को मेरे द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान कराए जाने की मांग पर चर्चा उठाए जाने के सम्बन्ध में सदन की ओर से माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने सदन में यह जवाब दिया था कि माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश है जिसके कारण मिल मालिकों की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह जानकारी पूरे सदन के अन्दर लाना चाहता हूँ कि इस प्रकार का कोई स्थगन आदेश नहीं है बल्कि आप समाचार-पत्रों में, टी0वी0 चैनलों पर देख सकते हैं कि रोज मिल मालिकों के खिलाफ धरपकड़ है, छापे मारे जा रहे हैं। यदि उनके खिलाफ स्थगन आदेश है तो फिर यह झूठा प्रचार क्यों किया जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी करने के लिए सरकार प्रयासरत है। मान्यवर, दूसरी ओर मैं यह भी कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से अभी माननीय मंत्री जी ने भी इसमें जवाब दिया था कि 90 प्वाइंट कुछ उन्होंने भुगतान बताया था और कुल

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

55 करोड़ रुपये का बकाया और भुगतान था। माननीय अध्यक्ष जी, मोदी नगर शुगर मिल, बागपत, शामली या पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्या उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है ? वहां का हाल जा कर देखें तो अभी तक पिछले वर्षों का भुगतान नहीं हुआ है। मान्यवर, इस वर्ष एक पैसे का भुगतान नहीं हुआ है। लेकिन केवल इस आंकड़े की जादूगरी में पिछले साढ़े चार वर्षों से इस सदन को गुमराह किया जा रहा है और जब हम लोग अपनी बात को उठाते हैं तो उसको अजीबोगरीब तरीके से बयान दे करके शांत कर दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, यदि कोई स्थगनादेश मिल मालिकों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में है तो वह हमको और सदन को दिखा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया, आप बैठिए।

(श्री सुदेश शर्मा के अपने स्थान से खड़े हो कर बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाइए, बैठिए। यह अच्छी परम्परा नहीं है जब आप चाहे तो बंद हो जाए। पार्लियामेण्ट को तो देखो, वहां तो अध्यक्ष कह देते हैं तो तुरंत बंद कर देते हैं। आप तो मानेंगे नहीं जब तक मोदी को उखाड़ नहीं फेंकेंगे। बैठिए, अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का जवाब सुन लीजिए।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, अभी इस सदन में विभागीय मंत्री जी ने भी जवाब दिया था। यह सही है कि जहां से मान्यवर आते हैं वहां उन पर इसे लेकर बहुत दबाव है। उधर के क्षेत्रों में किसानों का पूरी तरह से बकाया अदा नहीं हुआ है। जो बकाया है, अब स्थगनादेश है भी, नहीं भी है, उसमें सभी में अलग-अलग आदेश हुए हैं तो उसे भी दिखवा लेंगे और भी दिखवा लेंगे लेकिन आपकी समस्या बहुत गम्भीर है उसमें सरकार को पूरी हमदर्दी है। नेता सदन भी कई बार कह चुके हैं कि हम बाकी पैसा भी अदा करने के लिए प्रयासरत हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसी सरकार के रहते हुए किसानों का बकाया अदा हो जाना चाहिए। यह हमारी पूरी कोशिश है और आपकी परेशानी का पूरा अहसास सरकार को है। जाहिर है आप कहां कहेंगे लेकिन उन किसानों को भी यह मालूम होना चाहिए कि कोई सहायता, किसी भी तरह की केंद्र से नहीं मिली है। जो भी कुछ किया गया है वह प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों से किया है। प्रदेश सरकार पूरी कोशिश में है कि आपकी इसी सरकार के, इसी कार्यकाल में यह पैसा अदा हो जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

(डॉ लक्ष्मीकान्त बाजपेयी और श्री सुदेश शर्मा के अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर बोलते रहने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब आपकी बात आ गयी, अब आप फिर खड़े हो गए। कुछ लिखा नहीं जायेगा चाहे जितना बोलिए, बैठिए। आपने अपनी बात कह ली, बार-बार वही बात दोहराएंगे। बैठिए।

उत्तर प्रदेश नगर निगम/नगर पालिका नियमावली, 2014 जो 27 अक्टूबर, 2014 को प्रख्यापित/ अधिसूचित की गयी है, के अनुसार प्रदेश में कहीं भी संविधान के 74वें संशोधन के अनुरूप वार्ड समितियों का गठन प्रक्रिया लागू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति विषयक औचित्य का प्रश्न

*डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। एक अत्यन्त संवैधानिक मुद्दे पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को 73वां संशोधन लागू कर दिया गया है और लोकतंत्र में वह सारे अधिकार उन्हें प्राप्त हो गए जो हम अपनी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आजादी के उद्देश्यों के अनुरूप उन्हें देना चाहते थे लेकिन शहर के नागरिक शिक्षित कहे जाते हैं, जागरूक कहे जाते हैं, अपनी चीजों का बेहतर प्रबन्धन कर सकते हैं। आज तक संविधान के 74वें संशोधन की मंशा के अनुरूप चीजें लागू नहीं हुई हैं। ऐसा भी नहीं हुआ है कि सदन ने उसके लिए विधेयक नहीं बनाए हैं। पिछले सत्र में हम लोगों ने नगर निगम और नगर महापालिका संशोधन विधेयक पारित किए। अध्यक्ष महोदय उसके अनुपालन में 2014 में 29 अक्टूबर, 2014 को नियमावली बनाई गयी। वह नियमावली सदन में प्रस्तुत भी की गयी हम लोगों ने उसको पढ़ा भी। 29 अक्टूबर, 2014 से 31 अगस्त, 2016 हो गया, करीब-करीब 2 साल हो गये। अगर वह नियमावली प्रख्यापित होती तो जो गांव में ग्राम सभाओं को अधिकार मिले थे वे शहर में वार्ड समितियों को अधिकार मिले होते। उस नियमावली के अनुरूप हर वार्ड में कमेटी बनाई जानी थी, कमेटी का एक चुनाव होना था, जो कमेटी के सदस्य थे वे अपने वार्ड के विकास की प्राथमिकताओं को तय करते। नगर निगम या नगर पालिकायें, उनके अनुरूप संसाधन की व्यवस्था करते, जो विकास काम स्वीकृत होते वे वार्ड कमेटियां अपनी देख-रेख में सुनिश्चत करातीं, अपने क्षेत्र में यहां तक जो करदायी का मामला होता है जो नगर निगम रोके है कि कर नहीं मिलता वहां कमेटियों का दायित्व तय किया गया होता यानी वह सारे लोकतान्त्रिक अधिकार जो ग्राम सभाओं को हमने 73वें संशोधन में दिये वह 74वें संशोधन के माध्यम से हमने शहर की वार्ड इकाइयों को दिया होता। मेरा प्रश्न बहुत साफ है मैं बहुत लम्बी बातें नहीं करना चाहता, आज हम लोगों ने कुछ समय तय किया है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सौभाग्य से नगर विकास मंत्री भी हैं, आपके ही कार्यकाल में यह नियमावली प्रख्यापित भी हुई है, 29 अक्टूबर 2014 को। अगर नियमावली प्रख्यापित हो गयी, नगर निगमों के, नगर आयुक्तों के पास सारी नगर पालिकाओं के पास चली गयी तो इस नियमावली के अनुरूप कार्यवाही क्यों नहीं हुई और अगर वार्ड कमेटियां नहीं बनाई गयी तो आखिर माननीय मंत्री जी ने उस पर क्या आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही की है ? मैं यही विषय लेकर सदन में आया हूं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, नियमवाली तैयार हुई और फिर उसमें कुछ कर को लेकर सदन में भी बात आई थी कि कुछ कमियां रह गयीं थीं या कुछ समझने की गलती हुई थी, उसे ठीक करा रहे हैं और कुछ दिनों के ही अन्दर महीनों में भी नहीं, उस कार्य को पूरा करायेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

मैंने नियम-300 में सुदेश शर्मा जी को सुना, श्री अग्रवाल जी को सुना, मैं इन्हें अग्राहय करता हूं, ये नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आते हैं। शेष सूचनायें श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल जी का, श्री योगेन्द्र उपाध्याय जी का, श्री अगयश राम शरन वर्मा जी का, श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी का, मैं इन्हें अग्राह्य करता हूं।

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप सुनिये तो संकल्प के रूप में यह ग्राह्य चर्चा जारी है।

प्रदेश में राजकीय आस्थान व नजूल भूमि की दोहरी प्रवृष्टियों के प्रकरणों में भूमि को नजूल मानते हुए कब्जा धारकों (इलाहाबाद भू-खण्ड सं0-353/1, बेली उपहार) से सम्बन्धित मामले की जांच/परीक्षण अध्यक्ष राजस्व परिषद् के स्तर पर प्रचलित होने से उत्पन्न स्थिति विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, आप मेरी बात सुन लें, यह प्रश्न दूसरा है, वह चर्चा अलग है कि समान अधिकार दिया जायेगा। दूसरा प्रश्न यह है कि 24 तारीख को यहां पर एक प्रश्न था कि जो दोहरी प्रविष्टियों का मामला है इलाहाबाद में, लगभग 700 एकड़ जमीन है, गवर्नमेन्ट स्टेट राजकीय आस्थान राजस्व कहता है कि हमारा है, आवास विभाग कहता है हमारा है। एक जांच कमेटी माननीय राजस्व मंत्री जी की अध्यक्षता में 8 दिसम्बर 2015 को बनाई गयी है, उसमें जांच चल रही है। इस बीच 24 तारीख को प्रश्न आया वो इत्तफाक से एक ही दिन था। माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा कि कब्जा धारक को बेचने-बांटने का अधिकार नहीं है, वे खुद प्रयोग कर सकते हैं लेकिन माननीय आवास मंत्री, मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उनको बेचने-बांटने का अधिकार है और वहां पर पंधारी यादव जी सचिव हैं, उन्होंने 11 दिसम्बर, 2014 को जी0ओ0 भी जारी कर दिया था। अब 700 एकड़ जमीन जो हजारों रुपये सर्किल रेट पर है, अरबों रुपये का घोटाला है और यह सदन के संज्ञान में आ गया है। संविधान के अनुच्छेद-164-2 जिसमें कहा गया है कि मंत्रि-परिषद् राज्य की विधान सभा सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। प्रक्रिया नियमावली में नियम-38 में प्रश्नों के सुसंगत उत्तर आयेंगे एक ही दिन एक ही प्रश्न एक ही विषय पर राजस्व मंत्री जी का ब्यान है कि इनको बेचने-बांटने का अधिकार नहीं है एवं अभी जांच की प्रक्रिया चल रही है और दूसरी तरफ आवास विभाग कह रहा है कि इनको सब अधिकार है और वहां तो नक्शा भी पास हो गया है। ले-आउट पास हो गया है। अब इस तरह से बाकी लोगों को भी करना पड़ेगा। मान्यवर, मेरा यह कहना था कि इस पर जो जांच चल रही है तो जो नक्शे पास हो रहे हैं, उसको रोक दिया जाये। सदन के संज्ञान में है और संविधान के अनुरूप भी है। अतः औचित्यपूर्ण है। मा0 अध्यक्ष जी, माननीय राजस्व मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी दोनों लोग यहां पर हैं। हम चाहेंगे कि आप इस पर वक्तव्य दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 राजस्व मंत्री, क्या आप इस पर कुछ कहेंगे ?

लोक निर्माण एवं राजस्व मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मा0 अध्यक्ष जी, जांच कमेटी बना दी है, एक महीने में इसकी जांच करा लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मैंने मा0 अनुग्रह नारायण सिंह जी को सुना और मा0 मंत्री जी को सुना। यह नियम-300 में नहीं आता, अतः इसे अग्राह्य करता हूं।

मा0 विधायकों एवं पूर्व विधायकों को बीमारी के इलाज की सुविधा को कैशलेस सुविधा के रूप में उपलब्ध न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक औचित्य का प्रश्न

*श्री दलवीर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, सौभाग्य से मा0 मुख्य मंत्री जी सदन में हैं। नियम-300 में विधायकों से सम्बन्धित मेरा प्रश्न है। मा0 मुख्य मंत्री जी ने अभी सरकारी कर्मचारियों के लिए बीमारी में कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था की घोषणा की है। आप मा0 विधायकों और मा0 पूर्व विधायकों को भी यह सुविधा देते हैं। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है, मैं आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो व्यवस्था, जो घोषणा अभी आपने कर्मचारियों के लिए की है, वही कैशलेस इलाज की व्यवस्था पूर्व विधायकों और वर्तमान विधायकों के लिए भी की जानी चाहिए क्योंकि इसमें सरकार खुद खर्च करती है। पूर्व विधायक या वर्तमान विधायक प्रमाण-पत्र लिए घूमते हैं, सी0एम0ओ0, फलाना-ढिकाना से जस्टिफाई कराते हैं तो वे बेचारे इससे निवृत्त हो जाएंगे। मेरा आपके माध्यम से कहना है और मा0 मुख्य मंत्री जी भी बैठे हैं। आज मुख्य मंत्री बड़े खुशमिजाज में हैं और बहुत सी घोषणाएं करने जा रहे हैं। सभी विधायक उनकी तरफ बड़ी आशा से देख रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिये, हो गया। फिर आप अपनी तनख्वाह में चिकित्सा सुविधा भत्ता क्यों लेते हैं ? अगर आप कैशलेस चिकित्सा चाहते हैं तो भत्ता छोड़िए। ठाकुर साहब मैंने आपकी कैशलेस चिकित्सा की बात सुन ली। विधायकों को चिकित्सा भत्ता भी दिया जाता है, इसी चिकित्सा भत्ता के नाते कैशलेस नहीं होता है या तो भत्ता छोड़ दीजिए। अब आप बैठिये। मैंने श्री दलवीर सिंह जी को सुना, मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

[12.36] उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-5-2012 (उप लो0 आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-5-2012 (उप लो0 आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि:-

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 24 अगस्त, 2016 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 30 अगस्त, 2016 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि:-

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 2016, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 24 अगस्त, 2016 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 30 अगस्त, 2016 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि:-

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2016, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 24 अगस्त, 2016 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 30 अगस्त, 2016 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (2016-2017 का अनुपूरक) विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2016-2017 का अनुपूरक) विधेयक, 2016, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 24 अगस्त, 2016 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 24 अगस्त, 2016 को वापस प्राप्त हुआ था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 अगस्त, 2016 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2016 का उत्तर प्रदेश का सत्रहवां अधिनियम बन गया।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-6 में कुछ नहीं है।

[12.39] उत्तर प्रदेश विधान सभा की उक्त समिति (2015-2016) का तेइसवां प्रतिवेदन†

*श्री अजय कपूर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति उत्तर प्रदेश विधान सभा, उक्त समिति (2015-2016) का तेइसवां प्रतिवेदन, जो स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष (1999-2000), (2003-2004) एवं (2004-2005) में उल्लिखित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन क्रमशः खैराबाद नेत्र चिकित्सालय, कानपुर नगर, उ0प्र0 ट्यूबर क्लोसिस एशोसियेशन तथा कमला नेहरू स्मारक अस्पताल, लखनऊ, जिला रेडक्रास समिति, इटावा, गन्ना नेत्र चिकित्सालय, हरदोई, जिला रेडक्रास, जूनियर सेन्टजॉन्स रेडक्रास एम्बुलेन्स एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, फैजाबाद, जिला रेडक्रास एवं जूनियर समिति फर्रुखाबाद, सुन्दर देवी सीतापुर नेत्र चिकित्सालय, सुल्तानपुर, मानसिक आरोग्यशाला, आगरा, कमला नेहरू स्मारक अस्पताल, इलाहाबाद, गांधी नेत्र चिकित्सालय, अलीगढ़, सीतापुर नेत्र चिकित्सालय, आर0के0 मिशन अस्पताल, विवेकानन्द पालीक्लीनिक, लखनऊ एवं आई0आई0सी0 ब्यूरो द्वारा पल्स पोलियो अभियान दिनांक 14 सितम्बर, 2003 एवं दिनांक 09 नवम्बर, 2003 हेतु क्रय की गई सामग्री के लेखाओं पर विशेष सम्परीक्षा से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की उक्त समिति (2015-2016) का चौबीसवां प्रतिवेदन†

श्री अजय कपूर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, 'प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति' उत्तर प्रदेश विधान सभा की उक्त समिति (2015-2016) का चौबीसवां प्रतिवेदन, जो स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के प्रतिवेदन वर्ष (2003-2004) में उल्लिखित औद्योगिक विकास विभाग के अधीन ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर की आडिट आपत्तियों पर आधारित प्रतिवेदन है, प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-9 में कुछ नहीं है।

[12.41] कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 30 अगस्त, 2016 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 31 अगस्त, 2016 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिश की है :-

दिनांक 30 अगस्त, 2016 को सदन में पुरःस्थापित एरा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 पर विचार एवं उसके पारण सम्बन्धी मदें दिनांक 31 अगस्त, 2016 को ली जाये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† छापे नहीं गये।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हो गया)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-11 में कुछ नहीं है।

[12.43] उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों के जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2015

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों के जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2015, जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित होने के उपरान्त श्री राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा गया था, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-200 के परन्तुक के अन्तर्गत श्री राज्यपाल के संदेश सहित वापस प्राप्त हुआ है, पर पुनर्विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों के जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2015, जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित होने के उपरान्त श्री राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा गया था, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-200 के परन्तुक के अन्तर्गत श्री राज्यपाल के संदेश सहित वापस प्राप्त हुआ है, पर पुनर्विचार किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि विधान सभा में लम्बित उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों के जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2015 को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि विधान सभा में लम्बित उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों के जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2015 को वापस लेने की अनुमति दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

नोट :-† दिनांक 16-9-2016 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2016†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करता हूं।

[12.44] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 31-8-2016 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 42 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें श्लाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गईं। निम्नलिखित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। पहली सूचना में 1-श्री गयाचरण दिनकर, चौ0 गजेन्द्र सिंह, श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री वहाब चौधरी, श्री दीपक पटेल, श्री राजबली जैसल, 2-श्री सुरेश कुमार खन्ना, 3-श्री अगयश राम सरन वर्मा की सम्पूर्ण प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून लागू होने के उपरान्त भी राशन कार्ड जारी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, दूसरी सूचना श्री मुकुट बिहारी वर्मा की जनपद बहराइच के थाना बौड़ी के ग्राम नन्दवल में दिनांक 28-8-2016 को हुई घटना के उपरान्त पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, तीसरी सूचना श्री रवीन्द्र जायसवाल, श्री उपेन्द्र तिवारी की जनपद बलिया व वाराणसी सहित पूरे पूर्वान्चल में गंगा व वरूणा की बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, चौथी सूचना डा0 अरूण कुमार की जनपद बरेली स्थित डूडा कालोनी पस्तौर में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में, पांचवीं सूचना श्री योगेन्द्र उपाध्याय, श्री जगन प्रसाद गर्ग की आगरा डिग्री कालेज में प्राचार्य के पद पर अनियमित नियुक्ति किये

नोट :-† दिनांक 16-09-2016 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, छठीं सूचना श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की जनपद बुलन्दशहर की सिकन्दराबाद तहसील के कतिपय ग्रामों की डैडीकेडिट फ्रैट कारिडोर के लिये अधिग्रहीत की गयी भूमि का मुआवजा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, सातवीं सूचना श्री मुकेश श्रीवास्तव की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर तहसील मुख्यालय के अन्तर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों को सम्मिलित कर नगर निकाय/टाउन एरिया बनाये जाने के संबंध में, आठवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की जनपद मेरठ के मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार कर प्राइवेट बिल्डरों को फायदा पहुंचाकर आमजन को मूलभूत सुविधाओं से वंचित किये जाने के संबंध में, नवीं सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की जनपद वाराणसी में कतिपय मोहल्लों में सीवर का पानी भर जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, दसवीं सूचना श्री चन्द्रभान सिंह पटेल की जनपद चित्रकूट में वर्षों से ओलावृष्टि, सूखा एवं बाढ़ पीड़ितों को राहत दिलाये जाने के संबंध में, ग्यारहवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहांपुर के तिलहर के विकास खण्ड निगोही स्थित ग्राम पंचायत बरैचा बांगर, बरैचा खादर सहित कतिपय ग्रामों में अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, बारहवीं सूचना श्री शमशेर बहादुर शेरू उर्फ शेरू भैय्या की जनपद लखीमपुर के खीरी के बाढ़ प्रभावित ग्रामों में बेघर हुये लोगों से उत्पन्न स्थित के संबंध में, तेरहवीं सूचना डा0 आर0के0 वर्मा की डा0 आर0के0 वर्मा के पी0 आर0 ओ0 पर जानलेवा हमला किये जाने वाले हमलावरों की गिरफ्तारी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, चौदहवीं सूचना श्री गुटियारी लाल दुबेश की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र आगरा कैंट ताजमहल के निकट परसोती का सड़क निर्माण किये जाने के संबंध में, पन्द्रहवीं सूचना श्री प्रदीप माथुर, श्री अजय राय, श्री बंशी सिंह पहाड़िया, श्री दलजीत सिंह की प्रदेश में आई बाढ़ से बेघर हुये लोगों का पुनर्वास किये जाने के संबंध में, सोत्रहवीं सूचना श्री मनीष असीजा की जनपद फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर के अन्तर्गत दिनांक 22-8-2016 को हुये अपहरण की घटना की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के संबंध में, सत्तहवीं सूचना श्री राजीव गुम्बर की जनपद सहारनपुर के जिला सरकारी अस्पताल में डाक्टर व स्टाफ की नियुक्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुईः-

1-श्री ललितेशपति त्रिपाठी, 2-श्री कमाल यूसुफ मलिक, 3-श्री मुहम्मद गाजी, 4-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, 5-श्री जन्मेजय सिंह, 6-श्री कपिलदेव अग्रवाल, 7-श्रीमती कृष्णा पासवान, 8-श्री गयादीन अनुरागी, 9-श्री अनुग्रह नारायण सिंह, 10-श्री उमेश पाण्डेय, 11-डा0 रमेश चन्द्र बिन्द, 12-श्री राम हेत भारती, 13-श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, 14-श्री फेरन लाल अहिरवार, 15-श्री संतराम कुशवाहा, 16-चौधरी गजेन्द्र सिंह, 17-श्री भगवान सिंह कुशवाहा, 18-डा0 धर्मपाल सिंह, 19-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया, 20-श्री संजय प्रताप जयसवाल, 21-श्री कृष्ण पाल सिंह राजपूत, 22-श्री राम चन्द्र यादव।

जो कुछ महत्वपूर्ण सूचनायें थी उसे ले ली हैं।

नियम-56 की अस्वीकृत सभी सूचनाओं को लिये जाने का आग्रह

डा0 धर्मपाल सिंह-

अध्यक्ष जी, आपने कहा था कि सब ले लेंगे, आपकी कल की व्यवस्था है।

(अनेक सदस्यों द्वारा सभी सूचनायें स्वीकार किये जाने का आग्रह करने पर)

श्री अध्यक्ष-

चलिये, सब स्वीकार करके सब पर ध्यान आकर्षित कर दिया।

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, हमारी सूचना जिसमें हत्या वाला प्रकरण है उसे पढ़ दीजिये, आदित्य मित्तल की निर्मम हत्या हुई है।

श्री अध्यक्ष-

सब हो गया, जब एक साथ हो गया तो क्या पढ़ें। एक का पढ़ेंगे तो सभी का पढ़ना पड़ेगा।

एरा विश्वविद्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि एरा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि एरा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-53 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

एरा विश्वविद्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016

मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा सम्यक् रूप से स्थापित एवं प्रशासित एरा एजूकेशनल ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित एक अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित करने और उसको निगमित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम

1– यह अधिनियम एरा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016 कहा जायेगा।

परिभाषायें

2–जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में;–

(क) ''विद्या परिषद्'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् से है;

(ख) ''बोर्ड'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के पाठ्य बोर्ड और योजना बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड से है;

(ग) ''कुलाधिपति'', ''प्रति–कुलाधिपति'', ''कुलपति'' और ''प्रति–कुलपति'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः ''कुलाधिपति'', ''प्रति–कुलाधिपति'', ''कुलपति'' और ''प्रति–कुलपति'' से है;

(घ) ''सभा'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की सभा से है;

(ङ) ''निदेशक/प्राचार्य'' का तात्पर्य किसी विद्यालय/संस्था, महाविद्यालय, केन्द्र/स्कूल के प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में इस रूप में कार्य करने के प्रयोजन हेतु नियुक्त व्यक्ति से है;

(च) ''विभाग'' का तात्पर्य किसी अध्ययन विभाग से है और जिसमें अध्ययन, अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र भी सम्मिलित हैं;

(छ) ''कर्मचारी'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है और जिसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक या कर्मचारी वर्ग के अन्य सदस्य सम्मिलित हैं;

(ज) ''कार्य परिषद्'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् से है;

(झ) ''विद्यमान महाविद्यालय'' का तात्पर्य ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जो व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करता है तथा जिसे विश्वविद्यालय द्वारा विलयन करना, चलाना तथा अनुरक्षित करना प्रस्तावित है;

(ञ) ''संकाय'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय से है;

(ट) ''छात्रावास'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के शोधार्थी/छात्रों के छात्रावास से है;

(ठ) ''संस्था/महाविद्यालय'' का तात्पर्य विद्यमान महाविद्यालय सहित ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जो इस अधिनियम और परिनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित या उससे सहयुक्त हो या उसका संघटक हो;

(ड) ''विहित'' का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से हैः

(ढ) ''अभिलेखों और प्रकाशनों'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अभिलेखों और प्रकाशनों से है;

(ण) ''विनियामक निकाय'' का तात्पर्य समय–समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित सांविधिक निकायों से है, यथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और उसके अन्तर्गत आल इण्डिया कौंसिल फार टेक्निकल एजूकेशन, बार कौंसिल आफ इण्डिया, डिस्टैंस एजूकेशन कौंसिल, डेंटल कौंसिल आफ इण्डिया, इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया, नेशनल कौंसिल फार टीचर एजूकेशन, सेन्ट्रल काउंसिल फार इण्डियन मेडिसिन, फार्मेसी कौंसिल आफ इण्डिया इत्यादि हैं;

(त) ''परिनियमों'' और ''अध्यादेशों'' का तात्पर्य तत्समय प्रवृत विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियमों और अध्यादेशों से है;

(थ) ''छात्र'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के रजिस्टर में दर्ज किसी छात्र से है;

(द) ''विश्वविद्यालय के अध्यापक'' का तात्पर्य आचार्य, सहआचार्य, सहायक आचार्य और किसी अन्य व्यक्ति से है जिन्हे विश्वविद्यालय में शिक्षा सम्बन्धी अनुदेश प्रदान करने या शोध कार्य के संचालन के लिए विश्वविद्यालय में नियुक्त किया जाए और अध्यादेशों द्वारा अध्यापक के रूप में पदाभिहित किया जाय;

(ध) ''कोषाध्यक्ष'', ''कुलसचिव'', ''उप कुलसचिव'', ''वित्त अधिकारी'', ''परीक्षा नियन्त्रक'', ''पुस्तकालयाध्यक्ष'' या ''कुलानुशासक'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः कोषाध्यक्ष, कुलसचिव, उप कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियन्त्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष या कुलानुशासक से है;

(न) ''ट्रस्ट'' का तात्पर्य ''एरा एजुकेशनल ट्रस्ट, कार्यालय 88, विक्टोरिया स्ट्रीट (तुलसी दास मार्ग), लखनऊ से है जो भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन उप निबन्धक प्रथम, लखनऊ के कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत है तथा मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा शिक्षा प्रदान करने हेतु वर्ष 1995 में स्थापित तथा प्रशासित ''लाभरहित'' ट्रस्ट है ;

(य) ''विश्वविद्यालय'' का तात्पर्य धारा–3 के अधीन स्थापित एरा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से है;

(र) ''कुलाध्यक्ष'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष से है।

विश्वविद्यालय की स्थापना

3–(1) लखनऊ, उत्तर प्रदेश में ट्रस्ट द्वारा एरा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय और चिर उत्तराधिकारी तथा सामान्य विश्वविद्यालय होगा ।

विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शर्ते

4–ट्रस्ट, जो प्रायोजक निकाय है, इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रयोजनों से निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगा, अर्थातः–

(क) रुपये 10.00 (दस) करोड़ की स्थायी विन्यास निधि की स्थापना करेगा;

(ख) विश्वविद्यालय के लिए चिन्हित न्यूनतम 40 एकड़ की परस्पर जुड़ी हुई भूमि का समुचित स्वामित्व रखेगा;

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट भूमि पर कम से कम 24000 वर्गमीटर कारपेट एरिया में भवन निर्माण करेगा जिसमें से न्यूनतम 50 प्रतिशत का उपयोग शैक्षिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिये किया जायेगा;

(घ) खण्ड (ग) में निर्दिष्ट भवन के कार्यालय और प्रयोगशालाओं में न्यूनतम एक (1) करोड़ रुपये मूल्य के उपस्कर, कम्प्यूटर, फर्नीचर, आस्तियां, अवस्थापना सुविधायें (उपरोक्त (ग) में उल्लिखित भवन से भिन्न) तथा अन्य उपभोज्य और गैर उपभोज्य सामग्रियां स्थापित करेगा; तथा आगामी पांच वर्षों में न्यूनतम चार करोड़ रुपये मूल्य के कम्प्यूटर, फर्नीचर आस्तियां तथा अवस्थापना सुविधायें (उपरोक्त (ग) में उल्लिखित भवन से भिन्न) तथा अन्य उपभोज्य और गैर उपभोज्य सामग्रियां उपाप्त करने के लिए वचनवद्ध होगा;

(ड़) प्रत्येक विभाग या शाखा में कम से कम एक आचार्य, दो सह–आचार्य तथा पर्याप्त संख्या में सहायक आचार्य तथा सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करेगा;

(च) पुस्तकालय हेतु न्यूनतम दस लाख रुपये की पुस्तकें व पत्रिकाओं का क्रय किया जायेगा तथा प्रथम तीन वर्षों में पुस्तकों, पत्रिकाओं, कम्प्यूटर लाइब्रेरी, नेटवर्किंग तथा अन्य पुस्तकालय सुविधाओं हेतु न्यूनतम पचास लाख रुपये का विनिधान करने की वचनवद्धता होगी;

(छ) छात्रों के लिए पाठ्य चर्चा के साथ गतिविधियां, पाठ्य चर्चा से भिन्न गतिविधियां, वाद–विवाद प्रतियोगिताएं, प्रश्नोत्तरीय कार्यक्रम, खेल–कूद, राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) तथा राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) की विनियामक निकायों के मानकों के अनुसार व्यवस्था करने की वचनवद्धता होगी;

(ज) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.), अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.), एन.सी.टी.ई., एम.सी.आई., डी.सी.आई., आई.एन.सी., सी.सी.आई.एम., बी.सी.आई. एवं केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित अन्य संवैधानिक निकायों द्वारा निर्धारित मानको एवं शर्तो को पूरा करेगा;

(झ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि की स्थापना तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करने का वचन देगा;

(ञ) विश्वविद्यालय के प्रशासन और संचालन के लिये परिनियम और अध्यादेश बनाएगा;

(ट) ऐसी अन्य शर्तें जिनको विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व पूरी किये जाने की अपेक्षा राज्य सरकार द्वारा की जाय;

(ठ) विश्वविद्यालय द्वारा की गई कोई भी व्यवस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व अन्य विनियामक निकायों के अधिनियम एवं विनियमावली के प्राविधानों से भिन्न नहीं होगी;

(ड) विश्वविद्यालय के पारदर्शितापूर्ण संचालन हेतु विनियामक निकायों द्वारा प्राप्त अनापत्तियों को ''जनसामान्य के विचार क्षेत्र'' में रखेगा।

विश्वविद्यालय का प्रारम्भ होना

5–(1) राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के संचालन के प्रारम्भ के लिए ट्रस्ट को प्राधिकार पत्र जारी किए जाने के पश्चात ही विश्वविद्यालय प्रचालन आरम्भ करेगा।

(2) राज्य सरकार, ट्रस्ट से इस आशय का अभिलेखों सहित असंदिग्ध शपथ पत्र प्राप्त करने के पश्चात् कि धारा–4 में निर्दिष्ट सभी शर्तें पूरी कर ली गई हैं, प्राधिकार पत्र जारी करेगी ।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

6—विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्या की ऐसी शाखाओं में जिसे विश्वविद्यालय उचित समझे, अनुदेश, शोध और विस्तार सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करके, ज्ञान एवं कौशल का प्रसार और अभिवृद्धि करना होगा और विश्वविद्यालय छात्रों और अध्यापकों को निम्नलिखित की अभिवृद्धि के लिए आवश्यक वातावरण और सुविधायें प्रदान करने का प्रयास करेगाः—

(क) शिक्षा में अभिनवीकरण करना जिससे पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना, अध्यापन, प्रशिक्षण और ज्ञानार्जन, जिसमें ऑनलाइन ज्ञानार्जन, मिश्रित ज्ञानार्जन, निरन्तर शिक्षा और ऐसे अन्य रूप भी हैं, की नवीन पद्धति और व्यक्तित्व के समग्र और स्वस्थ विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके;

(ख) विभिन्न शाखाओं में अध्ययन की प्रोन्नति करना;

(ग) अन्तर्शाखीय अध्ययन की व्यवस्था करना;

(घ) राष्ट्रीय एकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समरसता और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव एवं नैतिकता की अन्तःक्रिया।

विश्वविद्यालय की शक्तियां

7—विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होगी, अर्थात्:—

(क) विद्या की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें विश्वविद्यालय समय—समय पर अवधारित करे, शिक्षण की व्यवस्था करना और शोध के लिए तथा ज्ञान और कौशल की अभिवृद्धि, और प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना;

(ख) विज्ञान, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी, एनीमेशन विज्ञान, वास्तुकला, जैवचिकित्सा विज्ञान, आयुर्विज्ञान, दंत चिकित्सा विज्ञान, अन्य विभिन्न विज्ञान पाठ्यक्रम जो विशिष्टतः उल्लिखित नहीं हैं, नर्सिंग, पुनर्वास, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, सिद्धा, पशु चिकित्सा विज्ञान, कृषि, फार्मेसी, प्रबन्धन, होटल एवं आतिथ्य प्रबन्धन, विधि और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम एवं इतिहास, धर्म, संस्कृति, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, मानविकी, दर्शन शास्त्र, भाषा, शिक्षा, पत्रकारिता, सामाजिक विज्ञान, संगीत, कला, शारीरिक शिक्षा आदि या समय—समय पर विद्यापरिषद् द्वारा यथा विनिश्चित परिसर के भीतर परिसर से बाहर परिसर से दूर व उपगृह केन्द्रों के माध्यम से अन्य विषय या केन्द्र संचालित करने अथवा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों आदि, जैसा विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद द्वारा समय—समय पर विनिश्चत किया जाय, के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना और उनकी अभिवृद्धि करना;

(ग) शिक्षाविदों एवं प्रख्यात अध्यापकों को प्रोफेसर ऐमिरिट्स के अलंकरण से सम्मानित करना;

(घ) ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जिन्हे विश्वविद्यालय अवधारित करें, व्यक्तियों की परीक्षायें, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य पद्धति के आधार पर डिप्लोमा या प्रमाण—पत्र एवम् उपाधियाँ या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें प्रदान करना और उचित तथा पर्याप्त कारणों से ऐसे डिम्लोमा, प्रमाणपत्रों, उपाधियों और शैक्षणिक विशिष्टताओं को वापस लेना;

(ङ) विहित रीति से मानद उपाधियों या अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना;

(च) ऐसे व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के सदस्य नही हैं; जैसा वह अवधारित करे शिक्षण तथा प्रशिक्षण प्रदान करना जिसके अन्तर्गत पत्राचार और ऐसे अन्य पाठ्यक्रम भी सम्मिलित हैं;

(छ)विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित निदेशक पद, प्राचार्य पद, आचार्य पद, सहआचार्य पद/उपाचार्य पद, सहायक आचार्य पद, प्राध्यापक पद और अन्य अध्यापन या शैक्षणिक पद यू जी सी मानकों और राज्य सरकार की विनियमावलियों के अनुसार संस्थित करना और उनके लिए नियुक्तियां करना;

(ज) प्रशासकीय, लिपिकवर्गीय और अन्य पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियॉ करना;

(झ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत ऐसे व्यक्तियों, जिन्हे विशिष्ट ज्ञान हो, को स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्त करना या काम पर लगाना;

(ञ) देश और विदेश के किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या संस्था से ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिए जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहकार्य, सहयोग करना या उनको सहयुक्त करना;

(ट) शोध और शिक्षा के लिए परिसरों, संघटक महाविद्यालयों, सह महाविद्यालयों, विद्यालयों, संस्थाओं, चिकित्सालयों, शोध केंन्द्रों, प्रशिक्षण केन्द्रों और ऐसे अन्य केन्द्रों, विशिष्टीकृत प्रयोगशालाओं या अन्य इकाइयों की स्थापना और अनुरक्षण करना जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हो;

(ठ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदक और पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(ड) विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आवासों, छात्रावासों की स्थापना और अनुरक्षण तथा उनका पर्यवेक्षण करना तथा छात्रों एवं कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य और सामान्य कल्याणकारी क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करना;

(ढ) शोध और परामर्शी सेवाओं तथा उक्त प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या इकाइयों के साथ ऐसी व्यवस्था में सम्मिलित होना जैसा विश्वविद्यालय आवश्यक समझें;

(ण) परिनियमों के अनुसार यथा स्थिति केन्द्र, संस्था, विभाग या विद्यालय की घोषणा करना;

(त) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार मानक अवधारित करना जिसके अर्न्तगत परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई अन्य पद्धति हो सकती है;

(थ) फीस और अन्य प्रभारों को विहित करना, उनकी मॉग करना और उनका भुगतान प्राप्त करना;

(द) महिलाओं एवं अन्य वंचित छात्रों के संबंध में विशेष व्यवस्था करना जैसा विश्वविद्यालय वांछनीय समझें;

(ध) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन विनियमित करना और उसका पालन कराना और इस सम्बन्ध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जैसा विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाय ;

(न) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण के सम्बर्द्धन के लिए व्यवस्था करना;

(प) विश्वविद्यालय के कल्याण के लिए ट्रस्ट के पूर्व अनुमोदन से दान प्राप्त करना और किसी चल या अचल सम्पत्ति का अर्जन, धारण, प्रबन्ध और निस्तारण करना;

(फ) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए ट्रस्ट के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर धन उधार लेना या उसे बंधक रखना;

(ब) संविदा या अन्य किसी आधार पर ऐसे अभ्यागत आचार्यो, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शियों, अध्येताओं, विद्वानों, कलाकारों, पाठ्यक्रम लेखकों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने में योगदान प्रदान कर सकें;

(भ) बहिर्वर्ती अध्ययन और प्रसार सेवा का आयोजन करना और जिम्मा लेना; और

(म) ऐसे अन्य समस्त कार्य और कृत्य करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्ही उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों।

प्रवेश और शैक्षणिक मानक

8–(1) विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश तत्समय प्रवृत्त विधियों और समय–समय पर इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी परिनियमावली तथा अध्यादेशों के अनुसार किये जायेंगे।

(2) विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये पाठ्यक्रमों के शैक्षिक मानक यथास्थिति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य सांविधिक निकायों के दिशा–निर्देशो कें अनुसार हो।

(3) अध्यापक–छात्र अनुपात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा विशिष्ट परिषद के दिशा –निर्देशों के अनुसार होगा।

(4) कुलाधिपति द्वारा बनाई गई एक शैक्षणिक विशेषज्ञों की समिति निर्धारित मानकों पर विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यों की समय–समय पर समीक्षा करेगी जिसमें एक अध्यक्ष एवं चार सदस्य होंगे।

(5) अध्यक्ष एवं अन्य चार विशेषज्ञ सदस्य शैक्षणिक क्षेत्र से होंगे और आचार्य की पंक्ति से नीचे के नहीं होंगे और विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे विशेषज्ञताओं में से एक में होंगे। समिति की रिपोर्ट कुलाधिपति को प्रस्तुत की जायेगी और उस पर विश्वविद्यालय की सभा में अग्रतर आवश्यक कार्यवाही हेतु विचार विमर्श होगा।

विश्वविद्यालय सभी वर्गो और मतावलम्बियों के लिए होगा

9—विश्वविद्यालय प्रत्येक लिंग, वंश, मत, जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए होगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिसम्मत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति के लिए किसी अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारीवृन्द या छात्र के रूप में उसमें प्रवेश किये जाने के लिए या उसमें कोई पद धारण करने के लिए या वहॉ से स्नातक करने के लिए हकदार करने के उद्देश्य से धार्मिक विश्वास या व्यवसाय की कोई परीक्षा, जो भी हो, ले या उस पर अधिरोपित करें:

परन्तु यह कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश में आरक्षण के लिये समुचित उपबन्ध बनाने से संस्थान पर तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार यह विश्वविद्यालय को रोकती है।

कुलाध्यक्ष

10—(1) कुलाध्यक्ष की नियुक्ति ट्रस्ट द्वारा की जायेगी जैसा कि विहित किया जाय।

(2) कुलाध्यक्ष को विश्वविद्यालय की शिक्षा और शोध के लिए परिसरों, संघटक महाविद्यालयों, सह महाविद्यालयों, विद्यालयों, संस्थाओं, चिकित्सालयों, शोध केंन्द्रों, प्रशिक्षण केन्द्रों और ऐसे अन्य केन्द्रों, विशिष्टीकृत प्रयोगशालाओं या अन्य इकाइयों का शिक्षा, अनुशासन, शालीनता तथा समुचित कार्यप्रणाली के मानकों के अनुसार निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(3) कुलाध्यक्ष को कुलाधिपति द्वारा निर्दिष्ट विवाद के मामलों में कोई भी कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

विश्वविद्यालय के अधिकारी

11— विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगेः—

(क) कुलाधिपति;
(ख) प्रति कुलाधिपति;
(ग) कुलपति;
(घ) प्रतिकुलपति;
(ङ•) निदेशक/प्राचार्य;
(च) कुल सचिव;
(छ) संकायों के संकायाध्यक्ष;
(ज) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष;
(झ) परीक्षा नियंत्रक;
(ञ) मुख्य कुलानुशासक;
(ट) कोषाध्यक्ष;
(ठ) वित्त अधिकारी; और
(ड) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमावली द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जांय।

कुलाधिपति

12–(1) कुलाधिपति की नियुक्ति ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए की जायेगी।

(2) कुलाधिपति अपने पद की हैसियत से विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और अंतरिम कार्यपरिषद का गठन करेगा जिसमें न्यूनतम पांच सदस्य होंगे परन्तु दस से अनधिक सदस्य होंगे जो इस अधिनियम की धारा–24 (2) के अधीन यथा उपबंधित नियमित कार्यपरिषद के गठन होने पर अस्तित्व में नहीं रह जायेंगे।

(3) कुलाधिपति ट्रस्ट को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है।

(4) कुलाधिपति को अपने आदेश के साथ–साथ किसी अधिकारी /प्राधिकारी द्वारा लिये गये किसी निर्णय/कार्यवाही की समीक्षा करने का अधिकार होगा और वह ऐसा कोई आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे।

(5) कुलाधिपति लिखित आदेश द्वारा प्रतिकुलाधिपति अथवा कुलापति को अपनी किसी शक्ति को प्रत्यायोजित कर सकता है।

(6) इस धारा के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए कुलाधिपति अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा तथा वह पुनर्नियुक्त होने के लिए पात्र होगा :

परन्तु यह कि कुलाधिपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी अधिकतम छः माह की अवधि तक या जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर लें जो भी पहले हो, पद पर बना रहेगा।

प्रतिकुलाधिपति

13–(1) ट्रस्ट के प्रबन्ध समिति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रतिकुलाधिपति की नियुक्ति की जायेगी।

(2) प्रतिकुलाधिपति, कुलाधिपति को उनके दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा तथा उनकी अनुपस्थिति में दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा।

(3) कुलाधिपति को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा प्रतिकुलाधिपति अपने पद को त्याग कर सकता है और इसे ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति के समक्ष रखा जाएगा।

(4) इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रतिकुलाधिपति अपने पद ग्रहण के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा तथा पुनर्नियुक्त होने के लिए पात्र होगा।

कुलपति

14–(1) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष के लिए ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाय।

(2) इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए कुलपति की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष के लिए की जायेगी और वह पुनर्नियुक्त होने के लिए पात्र होगा।

(3) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के विद्या परिषद एवं योजना बोर्ड का अध्यक्ष होगा और वह विश्वविद्यालय के कार्य कलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा।

(4) यदि कुलपति की राय में किसी मामले में तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो तो वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और ऐसे मामले में वह कृत कार्यवाही से उस प्राधिकारी को अवगत करायेगा:

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय की सेवा में कार्यरत, किसी प्राधिकारी या व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, यह अधिकार होगा कि वह आदेश के संसूचित किये जाने के एक माह के भीतर कुलाधिपति को इस कार्यवाही के विरूद्ध अपील करें। कुलाधिपति कुलपति द्वारा कृत कार्यवाही की पुष्टि कर सकता है या उसे परिवर्तित कर सकता है या उसे उलट सकता है।

(5) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

प्रतिकुलपति

15–(1) प्रतिकुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रति–कुलपति अपने कर्त्तव्यों के साथ ही आचार्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(3) प्रतिकुलपति, जैसे और जब कुलपति द्वारा अपेक्षा की जाय, दिन प्रतिदिन के कर्तव्यों के निर्वहन में कुलपति की सहायता करेगा।

(4) प्रति कुलपति उतनी धनराशि का मानदेय प्राप्त करेगा जितनी ट्रस्ट द्वारा अवधरित की जाय।

निदेशक, प्राचार्य

16–निदेशक, प्राचार्य की नियुक्ति ऐसी रीति से होगी तथा वह ऐसी शक्तियों और कृत्यों का संपादन करेगा जैसी विहित की जांय।

कुल सचिव

17–(1) कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाय।

(2) कुलसचिव को यह शक्ति होगी कि वह विश्वविद्यालय की ओर से अनुबन्ध करें, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करें और अभिलेखों को अभिप्रमाणित करें और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यो का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाए।

(3) कुलसचिव कार्यपरिषद और विद्यापरिषद का पदेन सचिव होगा।

संकायाध्यक्ष

18—प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

कोषाध्यक्ष

19—कोषाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

वित्त अधिकारी

20—(1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

(2) वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सचिव होगा।

अन्य अधिकारी

21—छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक और मुख्य कुलानुशासक सहित विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, शक्ति तथा कृत्य ऐसे होगें जैसे विहित किया जाए।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

22—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगेः'—

(क) सभा;

(ख) कार्यपरिषद ;

(ग) विद्यापरिषद;

(घ) वित्त समिति;

(ड•) नियोजन बोर्ड;

(च) संकाय बोर्ड,

(छ) प्रवेश समिति

(ज) परीक्षा समिति;

(झ) अनुशासन समिति;

(ञ) शोध समिति; और

(ट) ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकारी घोषित किया जाय।

सभा

23——(1) सभा के गठन और उसके सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सभा की निम्नलिखित शक्तियॉ और कृत्य होगें, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों को समय—समय पर पुनरीक्षण करना और विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली, उसके उन्नयन और विकास के लिए अध्युपायों का सुझाव देना,

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखों और ऐसे लेखों पर सम्परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना,

(ग) उसको परामर्श के लिए निर्दिष्ट किये गये किसी मामले के सम्बन्ध में कुलाधिपति को परामर्श देना;

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का संपादन करना जैसा विहित किया जाय

कार्य परिषद्

24–(1) कार्यपरिषद विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक निकाय होगा।

(2) कार्यपरिषद का गठन इसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियॉ और कृत्य ऐसे होगे जैसे विहित किये जाएं।

विद्यापरिषद

25–(1) विद्यापरिषद विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगा और परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों के सामान्य पर्यवेक्षण का समन्वय करेगी जिसके अर्न्तगत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और कर्तव्य भी हैं, को सम्मिलित करते हुए उसका प्रयोग करेगी।

(2) विद्या परिषद का गठन इसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियॉ और कृत्य ऐसे होगें जैसे विहित किया जाए।

वित्त समिति

26–(1) वित्त समिति, वित्तीय मामलों की देखभाल करने के लिए विश्वविद्यालय की प्रधान वित्तीय निकाय होगी।

(2) वित्त समिति का गठन शक्तियॉ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाय।

नियोजन बोर्ड

27–(1) नियोजन बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रमुख नियोजन निकाय होगा। बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि अवस्थापना और शैक्षिक सहायता प्रणाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य सम्बन्धित परिषदों के मानकों को पूरा करें।

(2) नियोजन बोर्ड का गठन उसके सदस्यों की पदावधि और इनकी अन्य शक्तियॉ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाए।

संकाय बोर्ड, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी

28–संकाय बोर्ड, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और ऐसे अन्य प्राधिकारी के, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किया जाय, गठन, शक्तियॉ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाएं।

परिनियमों को बनाने की शक्ति

29–(1) कार्यपरिषद इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए कुलाधिपति के माध्यम से ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति के अनुमोदन से परिनियमों को बना सकती हैं, संशोधित कर सकती हैं या निरसित कर सकती हैं और इस अधिनियम के प्रयोजनों को कर्यान्वित करने के लिए परिनियमों को लागू करेगी।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती हैं, अर्थात्:–

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों जिनका समय–समय पर गठन किया जाए, का गठन उनकी शक्तियॉ और कृत्य;

(ख) उक्त प्राधिकारियों के सदस्यों के पद की नियुक्ति और निरंतरता, सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना और उन प्राधिकारियों से सम्बन्धित अन्य समस्त मामले जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक हो;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियॉ, कृत्य और कर्तव्य और उनकी परिलब्धियाँ;

(घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक और प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी परिलब्धियाँ;

(ङ) विश्वविद्यालय या संस्था में कार्यरत अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग की एक संयुक्त परियोजना के लिए दायित्व लेने के लिए एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्ति;

(च) कर्मचारियों की सेवा शर्तें, जिनके अर्न्तगत सेवानैवृत्तिक लाभों, बीमा और भविष्य निधि, सेवा समाप्ति की और अनुशासनात्मक कार्यवाहियों से सम्बन्धित उपबन्ध भी हैं;

(छ) कर्मचारियों की सेवा की ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धान्त;

(ज) कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के मध्य विवादों के निपटारे की प्रक्रिया;

(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के किसी कृत्य के विरूद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा कार्य परिषद के समक्ष अपील करने की प्रक्रिया;

(ञ) मानद उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(ट) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टियों का वापस लेना;

(ठ) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों को संस्थित करना;

(ड) छात्रों के मध्य अनुशासन को बनाये रखना;

(ढ) विभागों, केन्द्रों और अन्य संयुक्त और संघटक संस्थाओं/महाविद्यालयों आदि की स्थापना करना और उनको समाप्त करना;

(ण) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन;

(त) आवश्यकता अनुसार किसी विशेष कार्य हेतु उपसमिति का गठन किया जाना; और

(थ) अन्य सभी विषय जो अधिनियम के अधीन विहित किये जाने हो या विहित किये जा सकते हो।

(3) कार्य परिषद विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की शक्ति या गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम को न तो बनायेगी और न ही उसमें संशोधन या निरसन करेगी, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप में अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार व्यक्त की गयी किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जायेगा।

(4) पूर्वगामी उपधाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कुलाधिपति स्वयं द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये किसी मामले के सम्बन्ध में परिनियमों में उपबन्ध करने के लिए विश्वविद्यालय को निदेश दे सकता है और यदि कार्य परिषद् निदेश की प्राप्ति के दिनॉक से साठ दिन के भीतर ऐसे निदेश को कार्यान्वित करने में असमर्थ रहती है तो कुलाधिपति कार्यपरिषद द्वारा ऐसे निदेश को कार्यान्वित करने में अपनी असमर्थता के विषय में सूचित किये गये कारणों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् तदनुसार, जैसा वह उचित समझे, परिनियम बना सकता है या उसे संशोधित कर सकता है।

अध्यादेश बनाने की शक्ति

30—इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अध्यादेश कार्य परिषद् द्वारा बनाये जायेगें, जिनमें निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिम्लोमा और प्रमाण पत्र के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाना जैसा कि शिक्षा परिषद द्वारा व्यक्त किया जाय;

(ग) शिक्षण और परीक्षा का माध्यम;

(घ) उपाधि, डिम्लोमा, प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक विशिष्टियॉ प्रदान करना और उनकी अर्हतायें निर्धारित करना और उन्हें प्रदान किये जाने और प्राप्त करने के सम्बन्ध में किये जाने वाले उपाय;

(ङ) वित्तीय समिति की संस्तुति अनुसार विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं, डिग्री, डिम्लोमा और प्रमाण पत्रों के लिए प्रभार्य शुल्क का निर्धारण;

(च) अधिछात्रवृत्तियॉ, छात्रवृत्तियॉ, विद्यावृत्तियॉ, पदकों और पारितोषिकों को प्रदान करने की शर्तें;

(छ) परीक्षाओं का संचालन जिसके अर्न्तगत परीक्षा निकायों, परीक्षको और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और कर्तव्य भी हैं;

(ज) विश्वविद्यालय कें छात्रों के निवास की शर्तें;

(झ) छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिए बनायी जाने वाली विशेष व्यवस्थायें, यदि कोई हों और उनके लिए विश्वविद्यालय के अन्तर्गत विशेष अध्ययन पाठ्यक्रमों को विहित करना;

(ञ) ऐसे कर्मचारियों, जिनके लिए परिनियम में उपबन्ध किया गया हो, से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति और परिलब्धियॉ;

(ट) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डों, अन्तर्शाखीय अध्ययन, विशिष्ट केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं,चिकित्सालयों, अनुसंधान केन्द्रों और अन्य समितियों की स्थापना;

(ठ) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों, जिसके अर्न्तगत विद्वत निकाय और संघ भी है, के साथ सहयोग और सहभागिता की रीति;

(ड) किसी ऐसे अन्य निकाय जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार के लिए आवश्यक समझी जाय, के सृजन, संरचना और कृत्य;

(ढ) परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तः निरीक्षकों और सारणीयकों को भुगतान किये जाने वाले पारिश्रमिक;

(ण) अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारी वर्गो की सेवा की ऐसी अन्य निबन्धन और शर्तें जो परिनियमों द्वारा विहित न हो।

विनियम

31—इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय का कोई भी प्राधिकारी या निकाय उसके कार्यों के संचालन के लिए विनियम बना सकेगा।

वार्षिक रिर्पोट

32—(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद् के निदेश के अधीन तैयार की जायेगी तथा उसे ऐसे दिनॉक को या उसके पश्चात सभा को प्रस्तुत किया जायेगा, जैसा विहित किया जायेगा और सभा अपनी वार्षिक बैठक में रिपोर्ट पर विचार करेगी।

(2) सभा, अपनी टिप्पणी के साथ यदि कोई हो वार्षिक रिपोर्ट कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी

वार्षिक लेखा

33—(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलन पत्र वित्तीय समिति की देखरेख के अधीन तैयार किये जायेंगे और उनकी सम्परीक्षा प्रख्यात चार्टर्ड एकाउन्टेट के अनुभवी और अर्ह फर्म द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार, जो पन्द्रह माह के अन्तराल से अधिक नहीं होगी, करायी जायेगी।

(2) सम्परीक्षा रिपोर्टे के साथ वार्षिक लेखों की प्रति कुलाधिपति के पर्यवेक्षणोंपरान्त सभा को प्रस्तुत की जायेगी।

(3) कुलाधिपति द्वारा वार्षिक लेखों पर किसी संवीक्षा को सभा और कार्य परिषद की जानकरी में लाया जायेगा और कार्य परिषद द्वारा पुनर्विलोकन किये जाने के पश्चात संवीक्षाएं, यदि कोई हो, कुलाधिपति को प्रस्तुत की जायेंगी।

कर्मचारियों की सेवा शर्ते

34——(1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त किया जायेगा/काम पर लगाया जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय और मौलिक रूप से नियुक्त किसी कर्मचारी के मध्य उठने वाले किसी विवाद को कुलपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जो निर्देश के दिनांक से तीन माह के भीतर कर्मचारी को अवसर प्रदान करने के पश्चात विवाद का विनिश्य करेगा।

(3) अस्थायी रूप से, तदर्थ आधार पर या अंशकालिक या आकस्मिक आधार पर कार्यरत किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में किसी विवाद की सुनवाई और उसका विनिश्चय कुलपति द्वारा किया जायेगा।

(4) कुलपति के आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति कुलाधिपति को अपील कर सकता है। ऐसी अपील में कुलाधिपति का विनिश्चय अंतिम होगा।

अपील करने का अधिकार

35–(1) किसी परीक्षा के लिए कोई छात्र या अभ्यर्थी जिसका नाम, यथा स्थिति, विद्या परिषद्, कुलानुशासक बोर्ड या परीक्षा नियन्त्रक के आदेशों या संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय की नामांकन सूची से हटा दिया गया हो और जिसको एक से अधिक वर्ष के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सम्मलित होने से वर्जित कर दिया गया हो, लिखित रूप में अपने द्वारा ऐसे संकल्प की प्रति या ऐसे आदेशों की प्राप्ति के दिनांक के दस दिन के भीतर कुलपति को अपील कर सकता है जो यथा स्थिति, उपर्युक्त प्राधिकारियों या सम्बन्धित समिति के विनिश्चय को पुष्ट, उपान्तरित या पलट सकता है ।

(2) कुलपति द्वारा लिया गया कोई निर्णय अंतिम होगा।

कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन

36–विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए कार्य परिषद् द्वारा अवधारित ऐसी पेंशन या कल्याणकारी योजना या भविष्यनिधि का गठन कर सकता है, ऐसी बीमा योजनाओं की व्यवस्था कर सकता है, जैसा कार्य परिषद् द्वारा निश्चित किया जाये।

प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे मे विवाद

37–यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक रूप से नामित या नियुक्त किया गया है या वह उसका सदस्य होने का हकदार है तो ऐसे मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस विषय में विनिश्चय अंतिम होगा।

समितियों का गठन

38–जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन समितियॉ नियुक्त करने की शक्ति दी गयी हो वहां ऐसी समितियों में, अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, सम्बन्धित प्राधिकारी के सदस्य और ऐसे अन्य व्यक्ति होंगे जिन्हे प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझें।

रिक्तियों का भरा जाना

39– विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) में हुई सभी रिक्तियों को ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसने उन सदस्यों को, जिनके स्थान रिक्त हुए हैं, नियुक्त या निर्वाचित या सहयोजित किया था नियुक्त या निर्वाचित या सहयोजित किये गये अवधि की शेष अवधि के लिए यथा शक्य शीघ्र भरा जायेगा।

कार्यवाही की अविधि मान्यता

40—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही उसके सदस्यो मे किसी रिक्त या रिक्तियों की विद्यमानता मात्र के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

विश्वविद्यालय के अभिलेखों को अभिप्रमाणित करने की रीति

41—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज, जो विश्वविद्यालय के आधिपत्य मे हों, को यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित किया गया हो तो ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज को या रजिस्टर में प्रविष्टि की विद्यमानता प्रथमदृष्टया साक्ष्य के रुप मे ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित विषय और व्यवहार को साक्ष्य के रुप मे ग्रहण किया जायेगा, यदि प्रस्तुत मूल प्रति साक्ष्य के रूप में अनुमन्य रही हो।

परिनियमों और अध्यादेशों का प्रकाशन

42—(1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश लिखित रुप में उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाये जाने पर यथाशीघ्र प्रवृत्त किया जायेगा।

स्थायी विन्यास निधि

43—(1) इस अधिनियम की धारा—4 (क) के अधीन ट्रस्ट द्वारा कम से कम दस करोड़ रूपये की स्थापित स्थायी विन्यास निधि में से राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना इस निधि की मूल धनराशि से कोई धन आहरित नहीं किया जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय को स्थायी विन्यास निधि को ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, निवेश करने की शक्ति होगी।

(3) विश्वविद्यालय सामान्य निधि से या विकास निधि से कोई धनराशि स्थायी विन्यास निधि को अन्तरित कर सकता है।

(4) उपधारा—(1) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम धनराशि से अधिक कोई धनराशि विश्वविद्यालय के प्रयोजनों और आवर्तक व्ययों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी विन्यास निधि से निकाली जा सकेगी।

सामान्य निधि

44—(1) विश्वविद्यालय एक सामान्य निधि की स्थापना करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात;

(क) सभी शुल्क जिसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किया जाय ;

(ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;

(ग) ट्रस्ट द्वारा किये गये सभी अंशदान; और

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो इस निमित्त किये गये सभी अंशदान।

(2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्ती व्ययों के लिए किया जायेगा तथा इस निधि की अन्य अतिरिक्त धनराशि को विकास निधि में अन्तरित कर दिया जायेगा।

विकास निधि

45–(1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात

(क) विकास शुल्क जो छात्रों से प्रभारित किया जा सकता है;

(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;

(ग) ट्रस्ट द्वारा किये गये सभी अंशदान;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान; और

(ङ) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त की गयी समस्त आय।

(2) विकास निधि में समय–समय पर जमा की गयी धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिये किया जायेगा।

निधि का अनुरक्षण

46–धारा 43, 44 एवं 45 के आधीन स्थापित निधियों को वित्तीय समिति के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रणों के अधीन रहते हुए ऐसी रीति से विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा, जैसी विहित की जाय।

वित्तीय शर्ते

47–विश्वविद्यालय स्ववित्त पोषित विश्वविद्यालय है और राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय अथवा निगम से किसी सहायतानुदान अथवा किसी वित्तीय सहायता पर निर्भर नहीं होगा।

शुल्क

48–विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिये प्रभारित किया जाने वाला शुल्क तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार किया जायेगा।

सूचनाओं एवं अभिलेखों की मांग करने के लिए राज्य सरकार की शक्तियां

49–(1) विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्तीय और अन्य कार्यकलापों से सम्बन्धित सूचनाओं या अभिलेखों को प्रस्तुत करे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा मांग की जाय।

(2) राज्य सरकार यदि उसकी यह राय है कि अधिनियम अथवा परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों का उल्लंघन हुआ है तो वह धारा 53 के अधीन विश्वविद्यालय को ऐसे निदेश जारी कर सकती है जिसे वह आवश्यक समझे।

विश्वविद्यालय का विघटन

50–(1) यदि विश्वविद्यालय के गठन और निगमन को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार विश्वविद्यालय विघटन का प्रस्ताव करता है तो वह राज्य सरकार को कम से कम छः माह की लिखित नोटिस देगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के विघटन के दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण पाठयक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने नियमित पाठयक्रमों को पूरा न कर ले, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी रीति से व्यवस्था करेगी, जैसी विहित की जाय।

विघटन के दौरान विश्वविद्यालय का व्यय

51–(1) धारा 50 के अधीन विश्वविद्यालय का दायित्य ग्रहण करने की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिये व्यय का वहन स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि से किया जायेगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधियॉ विश्वविद्यालय के दायित्व को ग्रहण करने के दौरान विश्वविद्यालय के व्यय को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं हो तो राज्य सरकार द्वारा ऐसा व्यय विश्वविद्यालय कि सम्पत्तियों या आस्तियों का व्ययन करके पूरा किया जा सकेगा।

राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की मान्यता वापस लिया जाना

52–(1) जहां राज्य सरकार कोई शिकायत प्राप्त करती है और पाती है कि विश्वविद्यालय इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है तो इस संबंध में वह विश्वविद्यालय से अपेक्षा करेगी कि वह ऐसे समय के भीतर जो छः माह से कम नहीं होगा, कारण बताए कि विश्वविद्यालय की मान्यता क्यों न वापस ले ली जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन दी गई नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त हो जाने पर यदि राज्य सरकार संतुष्ट हो जाय कि विश्वविद्यालय के कार्यों में प्रथमदृष्टया इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन का मामला पाया गया है तो वह ऐसी जांच करने का आदेश देगी जिसे वह आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिये राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जांच प्राधिकारी के रुप मे किसी अधिकारी या प्राधिकारी को इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के अभिकथन की जांच के लिये नियुक्त करेगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त जांच अधिकारी या प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का संपादन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का, विशिष्टतः निम्नलिखित मामलों के संबंध में, विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की शक्ति होगी, अर्थात;

(क) किसी साक्षी को समन करना और उपस्थित होने के लिये बाध्य करना और शपथ दिलाकर उसका बयान लेना;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना;

(घ) शपथ–पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना; और

(ङ) कोई अन्य मामला जिसे विहित किया जाय।

(5) यदि जांच रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार को यह समाधान हो जाय कि विश्वविद्यालय ने अधिनियम का उल्लंघन किया है तो वह विश्वविद्यालय को निदेश देगी कि वह आवश्यक सुधार करे और इस अधिनियम के उपबंधों के समुचित क्रियान्वयन के लिये सुझाव दे।

(6) यदि अनुभव किया जाता है कि विश्वविद्यालय ने लगातार तीन बार इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया है तो राज्य सरकार, ऐसे समय के भीतर जिसकी अवधि दो माह से कम नहीं होगी, विश्वविद्यालय से यह कारण बताने की अपेक्षा कर सकती है कि क्यों न विश्वविद्यालय की मान्यता वापस ले ली जाय। यदि विश्वविद्यालय के उक्त उत्तर की प्राप्ति पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के उपबन्धों का जानबूझकर उल्लंघन का मामला बनता है तो वह सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा विश्वविद्यालय की मान्यता वापस ले सकती है।

(7) उपधारा (6) के अधीन विश्वविद्यालय के प्रबन्ध की अवधि के दौरान, विघटन के उपरान्त राज्य सरकार का स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि का उपयोग विश्वविद्यालय के कार्य–कलापों के प्रबन्ध के प्रयोजनों के लिये कर सकेगी; यदि विश्वविद्यालय की निधियां, विश्वविद्यालय के अपेक्षित व्यय को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार उक्त व्यय पूरा करने के लिये जब तक विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण पाठयक्रमों में छात्रो का अन्तिम बैच अपने नियमित पाठयक्रमों को पूरा न कर ले, विश्वविद्यालय की आस्तियों या सम्पत्तियों का व्ययन ऐसी रीति से कर सकती है जैसी विहित की जाय।

(8) उपधारा (6) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष क्रियान्वयन के पूर्व रखी जायेगी तथा दोनों सदनों से पारित की जायेगी।

राज्य सरकार की नीति विषयक मण्डलों में निर्देश देने की शक्ति

53–राज्य सरकार समय–समय पर विश्वविद्यालय को ऐसे नीति विषयक निर्देश जारी कर सकती है, जैसा वह आवश्यक समझे व जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो। ऐसे निर्देश का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

विघटन होने पर परिसम्मपत्तियॉ/उत्तरदायित्व की प्रास्थिति

54–अधिनियमों में ऊपर उल्लिखित किसी खण्ड के अधीन विश्वविद्यालय के विघटन/मान्यता वापस लिए जाने की स्थिति में विश्वविद्यालय की समस्त आस्तियां और सम्पत्तियॉ, जिसमें स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या कोई अन्य निधि सम्मिलित है, तथा विश्वविद्यालय के दायित्व ट्रस्ट से संविलित हो जायेंगे।

कठिनाईयॉ दूर करने की शक्ति

55–राज्य सरकार ऐसी किसी कठिनाई को, विशिष्टतः उत्तर प्रदेश राज्य सरकार विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों के संक्रमण के संबंध में दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी कालावधि, में जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए चाहे वह परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रुप मे हो, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे प्रभावी होंगे।

परन्तु यह कि इस अधिनियम के आरम्भ के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किये जाने के बाद यथाशाक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 55 तक खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि एरा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि एरा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[12.49] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 31-08-2016 को नियम-51 की कुल 120 सूचनायें प्राप्त हुईं। सभी को स्वीकार कर लिया गया है। निम्नलिखित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया :--

पहली सूचना श्री ललितेशपति त्रिपाठी की जनपद मिर्जापुर के मड़ियान विधान सभा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री रामचन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद के तहसील रूदौली अन्तर्गत आई0टी0आई0 भवन का निर्माण धनराशि अवमुक्त होने के उपरान्त भी न कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री कुलदीप सिंह सेंगर की जनपद हरदोई के अन्तर्गत सण्डीर सण्डीला से मल्लावां रोड की मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री पूर्णमासी देहाती की जनपद कुशीनगर के रामकोला वि0स0 क्षेत्र में सूखा एवं ओलावृष्टि से किसानों को हुये नुकसान का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्रीमती फसीहा मंजर उर्फ गजाला लारी की आयुक्त वाराणसी के आदेश सं0-3641/9-201 (2009-2012) रा0स0 दिनांक 20-4-2016 द्वारा पारित आदेश का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री विनोद तिवारी की जनपद महाराजगंज में फरेंदा तहसील में सूखे से हो रही फसल के नुकसान के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री अजय कुमार लल्लूकी स्टेट हाई-वे जिला मुख्यालय पडरौना से तमकुहीराज को जोड़ने वाली सड़क के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में रोडवेज बस अड्डा बनाये जाने के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री आशुतोष टण्डन की जनपद लखनऊ में ट्रैफिक जाम से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री गयादीन अनुरागी की जनपद हमीरपुर के वि0स0 क्षेत्र राठ में अन्ना जानवरों के कारण हो रहे नुकसान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री बदलू खां की यू0पी0एस0आई0डी0सी0, कानपुर द्वारा आवंटियों से अवैध वसूली किये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री धर्मपाल सिंह की जनपद बरेली के आंवला वि0स0 क्षेत्र में विद्युत

आपूर्ति के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री दलजीत सिंह की जनपद बांदा के तिंदवारी वि0स0 क्षेत्र में डेंगू के प्रकोप से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री वेदराम भाटी की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में निदेशक (पैरामेडिकल) द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री अवस्थी बाला प्रसाद की जनपद लखीमपुर खीरी के थाना धौरहरा अन्तर्गत जबरन फसल काटकर कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री राजकुमार रावत की जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र गोवर्धन में वैट व इन्ट्री टैक्स से हो रही आय को विकास कार्यों में लगाये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तरहवीं सूचना श्री बंशी सिंह पहाड़िया की केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 नियम-9 के अन्तर्गत जारी प्रशिक्षण के कार्यक्षेत्र के निर्धारण के सम्बन्ध में है, अठारहवीं सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई की खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू किये जाने के उपरान्त भी राशन कार्ड जारी न किये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) की वाराणसी में खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू किये जाने के उपरान्त भी राशन कार्ड जारी न किये जाने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री चन्द्रभान सिंह पटेल की जनपद चित्रकूट में जिलाधिकारी द्वारा पट्टों को निरस्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना श्री राधेश्याम जायसवाल की जनपद सीतापुर में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बाइसवीं सूचना श्री राजबली जैसल की जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड कोरांव में कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेईसवीं सूचना श्री लोकेश दीक्षित की उत्तर प्रदेश में जन सूचना के अधिकार के अन्तर्गत विभागों द्वारा दी जा रही गलत सूचना के सम्बन्ध में है, चौबीसवीं सूचना श्री भगवान सिंह कुशवाहा की आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ विकास खण्ड जगनेर में भारा बन्धा टूटने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, पच्चीसवीं सूचना श्री कालीचरन सुमन की जनपद आगरा में मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं सूचना श्रीमती पूजा पाल की इलाहाबाद स्थित चकबबुरा अलिमाबाद में इलाहाबाद विकास प्राधिकरण की जमीन पर अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है, सत्ताईसवीं सूचना श्री संतराम कुशवाहा की जनपद जालौन में विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ में राजकीय ट्यूबवेल स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में है, अठाइसवीं सूचना चौ0 गजेन्द्र सिंह की जनपद बुलन्दशहर के वि0स0 क्षेत्र अनूपशहर में जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तीसवीं सूचना श्री दीपक पटेल की जनपद इलाहाबाद के करछना वि0स0 क्षेत्र में समाजवादी पेंशन योजना में की जा रही धांधली के सम्बन्ध में है, तीसवीं सूचना श्री महावीर सिंह राणा की जनपद सहारनपुर में प्लाईवुड फैक्ट्री का लाइसेंस न दिये जाने के सम्बन्ध में है, इक्तीसवीं सूचना श्री गयाचरण दिनकर की जनपद बांदा की तहसील अतर्रा व नरैनी के अधिकांश क्षेत्र में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, बत्तीसवीं सूचना श्री ममतेश शाक्य की जनपद एटा के सहावल रोड बस पीपल अड्डा के पास ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है, तैंतीसवीं सूचना हाजी मुसर्रत अली बिट्टन की जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र बिल्सी के विकास खण्ड सहसवान में कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौंतीसवीं सूचना श्री फेरनलाल की जनपद ललितपुर में विधान सभा क्षेत्र महरौनी में नवसृजित तहसील पाली के कतिपय ग्रामों को पूर्ववत् महरौनी तहसील में रखे जाने के

सम्बन्ध में है, पैंतीसवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा से मथुरा सादाबाद मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, छत्तीसवीं सूचना श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी की जनपद बस्ती के बस्ती सदर के कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, सैंतीसवीं सूचना श्री जय प्रकाश अंचल की जनपद बलिया के बैरिया में आई बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, अड़तीसवीं सूचना श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप की जनपद गोण्डा के अन्तर्गत पृथ्वीनाथ मन्दिर के निकट प्राचीन पर्यटक स्थल झालीधाम को पर्यटक स्थल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तालिसवीं सूचना श्री अनूप कुमार गुप्ता की जनपद सीतापुर के अन्तर्गत राजीव गांधी योजना अन्तर्गत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में है, चालिसवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की जिला अस्पताल शाहजहांपुर में डाक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्तालिसवीं सूचना श्री राजीव गुम्बर की जनपद सहारनपुर में रोडवेज बस अड्डे को शहर से बाहर स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में है, बयालिसवीं सूचना श्री मो0 जासमीर अंसारी की जनपद सीतापुर के वि0ख0 लहरपुर के कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, तैंतालिसवीं सूचना श्री मनीष असीजा की जनपद फिरोजाबाद अन्तर्गत आसफाबाद से फतेहाबाद मार्ग पर टुण्डला कानपुर रेलवे सेक्शन में क्रासिंग पर ओवरब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में है, चवालिसवीं सूचना श्री सुरेश राणा की जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन में एम0एस0डी0पी0 योजना द्वारा आई0टी0आई0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पैंतालिसवीं सूचना श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत की जनपद झांसी के बबीना ब्लाक के अन्तर्गत कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, छियालिसवीं सूचना श्री रमेश प्रसाद कुशवाहा की जनपद झांसी के कतिपय पानी की टंकियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सैंतालिसवीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत के क्षेत्र पंचायत बीसलपुर के महारानी अवन्ती बाई जू0हा0स्कूल में हो रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, अड़तालिसवीं सूचना श्री नूर सलीम राणा की जनपद मुजफ्फरनगर के वि0स0 क्षेत्र चरथावल में कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्चासवीं सूचना श्री रवि शर्मा की जनपद मेरठ में जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में है, पचासवीं सूचना श्री तस्लीम अहमद की जनपद लखनऊ की तहसील मोहनलालगंज के अन्तर्गत ग्राम धौरहरा में मुस्लिम कब्रिस्तान की बाउण्ड्री बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, इक्यावनवीं सूचना श्री हरविन्दर कुमार उर्फ रोमी साहनी की उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में ड्राफ्ट्समैन के पद पर पदस्थ श्री रणविजय सिंह द्वारा पद का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में है, बावनवीं सूचना श्री गुटियारी लाल दुबेश की जनपद आगरा के आगरा कैण्ट में ताजमहल के निकट नगला परसोती में सड़क निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में है, तिरपनवीं सूचना श्री अमर पाल शर्मा की जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद में चोरियों व लूटमार के सम्बन्ध में है, चौवनवीं सूचना श्री इन्द्रपाल सिंह की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र निजामाबाद के ग्राम डोड़ोपुर में अनुसूचित जाति के परिवार की जान-माल की सुरक्षा के सम्बन्ध में है, पचपनवीं सूचना श्री मो0 गाजी की जनपद हरदोई के विकास खण्ड मल्लावां के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भगतूपुर-सन्तुपुर के ग्राम राधवरामपुर में द्विवेदी के बाग को दबंगों द्वारा अतिक्रमण करके निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छप्पनवीं सूचना श्री सत्यवीर मुन्ना की जनपद इलाहाबाद के

कतिपय मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तावनवीं सूचना श्री बाबू खां की जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र बिलग्राम के अन्तर्गत छोड़ी गयी कृषि जोत की भूमि को कतिपय कृषकों द्वारा अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठावनवीं सूचना श्री आरिफ अनवर हाशमी की सी0वी0सी0आई0डी0 कार्यालय महानगर, लखनऊ के आरक्षी एम0टी0 के पद पर कार्यरत श्री मो0 सईद सिद्दीकी को बिना कानून बताये सेवा मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में है, उनसठवीं सूचना श्री ओम कुमार की जनपद कानपुर नगर में भू-माफियाओं द्वारा भू-खण्ड तथा मकान कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है, साठवीं सूचना श्री बंशी सिंह पहाड़िया की जनपद गोरखपुर के थाना चिलुआताल में पंजीकृत मुकदमा संख्या-597/2015 में एकतरफा विवेचना किये जाने के सम्बन्ध में है, इक्सठवी सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा (मोना) की जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रामपुर खास में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानक के अनुरूप चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों की तैनाती के सम्बन्ध में है, बासठवीं सूचना श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया की जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र छावनी के अन्तर्गत वार्ड-77 में भीषण जलभराव के सम्बन्ध में है, तिरसठवीं सूचना श्री बेचई सरोज की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के कटघर टाउन एरिया के वार्ड नं0 हनुमानगढ़ी में सीवर के पानी से नष्ट हो रही फसलों/वहां के निवासियों को महामारी से बचाये जाने के सम्बन्ध में है, चौंसठवीं सूचना डा0 धर्मपाल सिंह की जनपद आगरा के अन्तर्गत आगरा विकास प्राधिकरण की कालिन्दी विहार योजना में निर्मित माननीय कांशीराम गरीब आवासीय योजना के समस्त ब्लाकों में निर्मित आवासों में व्याप्त समस्याओं के सम्बन्ध में है, पैंसठवीं सूचना कुंवर कौशल सिंह की जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र नौतनवां में स्थित राजीव गांधी डिग्री कालेज के सामने खसरा सं0-519 डिसमिल पी0डब्ल्यू0डी0 की जमीन को भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है, छांछठवीं सूचना श्री सन्त प्रसाद की राजधानी को जाम से निजात दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, सड़सठवीं सूचना श्री रणजीत सुमन की जनपद लखनऊ के सत्यम सिटी लखनऊ में श्री रामचन्द्र शर्मा के प्लाट सं0 62 से चौरसिया जनरल स्टोर तक पक्की सीसी रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में है, अड़सठवीं सूचना श्री अमित गौरव यादव की जनपद उन्नाव के विकास खण्ड नवाबगंज के ग्राम देवी जगदीशपुर स्थित जूनियर हाईस्कूल तक 2.5 कि0मी0 की सड़क का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्हत्तरवीं सूचना श्री श्याम सुन्दर शर्मा की जनपद कन्नौज में नवसृजित मेडिकल कालेज में चिकित्सकों की तैनाती न कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तरवीं सूचना श्री अवस्थी बाला प्रसाद की जनपद कन्नौज में नवसृजित मेडिकल कालेज में चिकित्सकों की तैनाती न कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकत्तरवीं सूचना श्री जगराम पासवान की जनपद बलरामपुर में संचालित आदर्श जनजातीय बेसिक प्राइमरी पाठशाला, बालापुर जरवा के शिक्षकों के नियमित वेतन एवं अवशेष वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में है, बहत्तरवीं सूचना श्री विनय तिवारी की जनपद गोण्डा में ग्राम सकरोर के अन्तर्गत एस0ओ0 परसपुर की सम्पत्ति की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिहत्तरवीं सूचना श्री सत्य देव पचौरी की जनपद मिर्जापुर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा दलित कर्मचारियों/अधिकारियों का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में है, चौहत्तरवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित

निगोही से तिलहर तक क्षतिग्रस्त मार्ग का मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, पचहत्तरवीं सूचना श्री आशीष कुमार यादव की लोक निर्माण अनुभाग-8 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-1369/23-08-2011 दिनांक 29-09-2011 द्वारा लिये गये त्रुटिपूर्ण निर्णय के सम्बन्ध में है, छियत्तरवीं सूचना श्री राम सरन की जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड ठेकमा की ग्राम सभा हरईरामपुर व खरगीपुर में हैण्ड पाइप लगाये जाने के सम्बन्ध में है, सतहत्तरवीं सूचना डा0 आर0 के0 वर्मा की जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज में ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है, अठहत्तरवीं सूचना श्री उमेश पाण्डेय की सचिवालय डिस्पेंसरी (एलोपैथिक) बापू भवन में किये जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में है, उन्यासीवीं सूचना डा0 रमेश चन्द्र बिन्द की जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां के विकास खण्ड सीटी के अन्तर्गत ग्राम सभा इटवा में सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में है, अस्सीवीं सूचना श्री जय प्रकाश निषाद की जनपद गोरखपुर में लेवल-1 के चिकित्सकों को प्रभारी चिकित्सक अधीक्षक के रूप में तैनाती के सम्बन्ध में है, इक्यासीवीं सूचना श्री रामहेत भारती की जनपद सीतापुर के विकास क्षेत्र कोरार के पंचम लाल पूर्व मा0 वि0 में मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में है, बयासीवीं सूचना श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या की जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा से अमेठी तक जर्जर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरासीवीं सूचना श्री आसिफ जाफरी की जनपद लखीमपुर खीरी में गन्ना किसानों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में है, चौरासीवीं सूचना श्री राजेन्द्र सिंह उर्फ बृजेश सिंह की जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के वि0ख0 के ईशानगर में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पच्चासीवीं सूचना श्री रमेश प्रसाद कुशवाहा की जनपद लखनऊ के नगर पंचायत अमेठी तह0 मोहनलालगंज के निवासी श्रीमती माया देवी को बी0पी0एल0 सूची में होने के बावजूद लोहिया आवास उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में है, छियासीवीं सूचना श्री अवस्थी बाला प्रसाद की जनपद लखनऊ के ट्रांजिट हास्टल डालीबाग में आवास सं0-2/3 में रंगरोगन कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तासीवीं सूचना श्री राधेलाल रावत की प्रदेश के सरकारी चिकित्सालयों में डेन्टल सर्जन के रिक्त पदों पर तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठासीवीं सूचना श्री शाहआलम उर्फ गुड्डू जमाली की जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत मो0 जालन्धरी के घरों एवं इबादतगाह में जलभराव के सम्बन्ध में है, नवासीवीं सूचना श्री राजनरायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज की जनपद महोबा सहित सम्पूर्ण बुन्देल खण्ड क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों को राहत प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में। नब्बेवीं सूचना श्री गुटयारी लाल दुबेश की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के वि0ख0 गोसाईगंज के कतिपय ग्रामों का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्यानवेवीं सूचना श्री प्रदीप माथुर की जनपद मथुरा में यमुना नदी को प्रदूषण से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, बानवेवीं सूचना श्री विजय कुमार पासवान की जनपद सिद्धार्थनगर के नगर पालिका में पोखरा की सुन्दरीकरण कराने में की गई अनियमितता के सम्बन्ध में है, तिरानवेवीं सूचना श्री उदय राज यादव की समाज कल्याण विभाग में हो रही धनराशि की अनियमितता के सम्बन्ध में है, चौरानवेवी सूचना श्री उत्कर्ष वर्मा की जनपद लखनऊ के हंसखेड़ा के तिराहे का सौन्दर्यीकरण कराये जाने एवं अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में है, पचानवेवी सूचना श्री सुनील कुमार लाला की जनपद

लखीमपुर के ग्राम पंचायत दौदापुर बिललाई के सराय नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छियानवेवीं सूचना श्री दिलनवाज खां की विशेष सचिव गृह के दिनांक 29-12-2014 के आदेश को निरस्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तानवेवी सूचना श्री पंकज कुमार मलिक की जनपद शामली में शस्त्र लाइसेंस पर लगी रोक को हटाये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठानवेवी सूचना श्री सुदेश शर्मा की जनपद गाजियाबाद के नगर पालिका परिषद् मोदी नगर द्वारा की जा रही अनियमितता के जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, निन्यानवेवी सूचना श्री दलवीर सिंह की जनपद गौतमबुद्धनगर में यू0पी0 रेजीडेंटस एम्पालोइज को-आपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग लि0 द्वारा की जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में है, सौवींसवीं सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग में अध्यापकों को पुरानी पेंशन बकाया एरियर आदि को भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ एकवीं सूचना श्री राधेश्याम जनपद अमेठी के विधान सभा क्षेत्र जगदीशपुर, तह0 मुसाफिरखाना में राजस्व संग्रह अमीन के पद पर स्थायी सेवा के उपरान्त बर्खास्त किये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ दोवी सूचना श्री सलिल विश्नोई की जनपद गोण्डा के ग्राम कोचवा वि0ख0 रूपैईडीह में कोटेदार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ तीनवीं सूचना श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की जनपद बुलन्दशहर के गुलावटी नगर में स्थानान्तरित होने वाली 33 के0वी0ए0 की विद्युत लाइन को बाजार के अन्दर भूमिगत कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ चारवीं सूचना श्री अविनाश कुशवाहा की उ0प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में निदेशक द्वारा स्थानान्तरण नीति में निहित प्राविधानों का उल्लंघन किये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ पांचवीं सूचना डा0 रमेश चन्द्र बिन्द की जनपद हरदोई के बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ छठवीं सूचना श्री मुकुट बिहारी वर्मा की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज खाद्यान योजना में की जा रही धांधली के सम्बन्ध में है, एक सौ सातवीं सूचना श्री लोकेन्द्र सिंह की जनपद मिर्जापुर के लेखपाल श्री सुनील कुमार द्वारा दलित श्री छोटेलाल की वार्षिक आय को अधिक करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, एक सौ आठवीं सूचना श्रीमती सीमा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुगरा बादशाहपुर में उकनी पावर हाउस से विद्युत आपूर्ति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, एक सौ नवीं सूचना श्री (डा0) अरुण कुमार की सन् 1991 एवं 2001 के अस्थायी जनगणना कर्मचारियों के समायोजन के सम्बन्ध में है, एक सौ दसवीं सूचना श्री रवीन्द्र जायसवाल की जनपद वाराणसी के उत्तरी क्षेत्र में पानी की आपूर्ति के सम्बन्ध में है, एक सौ ग्यारहवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले) की नगर निकाय में सफाई कर्मियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में है, एक सौ बारहवीं सूचना श्री रविन्द्र भड़ाना की विधान सभा क्षेत्र दक्षिण मेरठ के सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में है, एक सौ तेरहवीं सूचना श्री सन्त प्रसाद की जनपद सन्तकबीर नगर में अधिशाषी अभियन्ता द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ चौदहवीं सूचना श्री विक्रम सिंह की जनपद फतेहपुर के कतिपय मोहल्लों में पानी निकासी के सम्बन्ध में है, एक सौ पन्द्रहवीं सूचना श्री पंकज गुप्ता की जनपद लखनऊ के सरोजनी नगर में क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ सोलहवीं सूचना श्री कपिल देव अग्रवाल की चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में मल्टी परपज हेल्थ वर्कर्स संविदा (पुरुष) की सेवा समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ सत्रहवीं सूचना

श्री भीम प्रसाद सोनकर की विद्युत सुरक्षा निदेशालय में पेंशन प्रकरण निस्तारण के सम्बन्ध में है, एक सौ अठारहवीं सूचना श्री संजय प्रताप जयसवाल की जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के कतिपय मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में है, तथा एक सौ उन्नीसवीं सूचना श्री जन्मेजय सिंह की उ0प्र0 जल निगम प्रबन्धन द्वारा 1983 बैच के 5 अधिशाषी अभियन्ताओं को अधीक्षण अभियन्ता का स्थानापन्न पदोन्नत में की जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में है।

[12.50] पच्चीस (25) वर्ष पूर्ण करने वाले दस (10) मा0 विधान सभा सदस्यों का मा0 नेता सदन (मुख्य मंत्री) द्वारा सम्मान

श्री अध्यक्ष-

यह निर्णय लिया गया है कि जिन वर्तमान मा0 सदस्यों की सदन में 25 वर्ष से अधिक की अवधि पूर्ण हो गई है उन्हें उनके योगदान हेतु सम्मानित किया जाय। इसी क्रम में निम्नलिखित मा0 सदस्यों, जिनका 25 वर्ष से अधिक का समय सदन में हो गया है उन्हें आज सम्मानित किया जायेगा।

1-श्री माता प्रसाद पाण्डेय, 2-श्री मोहम्मद आजम खां, 3-श्री सुरेश कुमार खन्ना, 4-श्री अवधेश प्रसाद, 5-श्री दुर्गा प्रसाद यादव, 6-श्री नरेन्द्र सिंह यादव, 7-श्री राजीव कुमार सिंह, 8-श्री राम गोविन्द चौधरी, 9-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा), 10-श्री श्याम सुन्दर शर्मा।

आप लोग शान्त हो जाएं, अभी कार्य-मन्त्रणा समिति की बैठक होगी, उत्सुकता हम सभी की जानते हैं। आप लोग मा0 मुख्य मंत्री जी को उनकी उदारता के लिए धन्यवाद् दीजिए।

मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी, हालांकि आपको भी सम्मानित होने ऊपर आना है लेकिन जब तक आप नीचे हैं तब तक आप एक-एक करके पढ़ते रहें कि किसको क्या सम्मानित करना है, उसके बाद जब आप सम्मानित हो करके जायेंगे तो फिर पढ़ेंगे।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो आपने लिख करके दिया है यह तो बहुत कम है आपके बारे में। आपके बारे में तो सच यह है कि अभी जब पार्लियामेन्ट्री बोर्ड की हमारी पार्टी की मीटिंग चल रही थी मा0 नेता जी की अध्यक्षता में तब सबसे पहला नाम आपका आया कि आपको राज्यसभा भेजा जाए और मैं सबसे बड़ा विरोधी था इसका और मैंने यह कहा कि अगर कोई विकल्प है तब तो आप इन्हें राज्यसभा में भेजिये। मैं और दलों की तो जिम्मेदारी नहीं ले सकता लेकिन समाजवादी पार्टी के पास माता प्रसाद जी का कोई विकल्प नहीं है।

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

सभी दलों को शामिल कीजिए, सभी ने आपको मा0 अध्यक्ष बनाया है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि सभी का पूरा विश्वास और निष्ठा मा0 अध्यक्ष में है और हम सभी की तरफ से उन्हें बहुत मुबारकबाद।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा के मा0 अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी दूसरी बार विधान सभा के अध्यक्ष के रूप में इस पद की गरिमा को गौरवान्वित कर रहे हैं। आपका उत्तर प्रदेश की राजनीति में दीर्घ अनुभव रहा है। आप सर्वप्रथम वर्ष 1980 में तथा पुनः वर्ष 1985, 1989, 2002, 2007 तथा 2012 में विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। आप दिसम्बर, 1980 से जून, 1991 तक तथा पुनः अक्टूबर, 2003 से 2004 तक मा0 मुलायम सिंह यादव जी के मंत्रिमण्डल में मंत्री भी रहे। उत्तर प्रदेश की चौदहवीं विधान सभा में आप 26 जुलाई, 2004 से 18 मई, 2007 तक अध्यक्ष के पद पर रहे हैं। 13 अप्रैल, 2012 से आप पुनः इस पद पर आसीन हैं। श्री माता प्रसाद पाण्डेय प्रारम्भ से अब तक अपनी राजनीति में समाजवादी विचारधारा से जुड़े रहे। आपने अपनी राजनीति का आधार जनमानस से निर्मित किया तथा उन्हीं के बीच में अपना अधिकतर समय बिताया। हम सभी को पूर्ण विश्वास है कि श्री माता प्रसाद पाण्डेय की जीवनशैली एवं राजनैतिक यात्रा से आज के युवा प्रेरणा लेंगे। गौरवशाली परम्पराओं और लोकतान्त्रिक मूल्यों को दृढ़ता प्रदान करते हुए वर्तमान में आपने अध्यक्ष पद के दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया है। श्री माता प्रसाद पाण्डेय को उत्तर प्रदेश विधान सभा में 25 वर्ष से भी अधिक की अवधि पूरे होने के अवसर पर सम्मानित किया जाना सदन के लिए गौरव की बात है।

हमारा बड़ा साथ है।

यही जगह थी, यही रुत, यही जमाना था

यहीं से हमने मोहब्बत की इब्तेदा की थी।।

(मेजों की थपथपाहट)

(माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा मा0 अध्यक्ष जी को शाल ओढ़ाकर तथा स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया।)

श्री अध्यक्ष-

मैं आप सबका आभारी हूं, इस विधान सभा में एक लम्बे समय से मैं आपके बीच में रहा हूं। मैं सभी मा0 सदस्यों का, सभी मा0 दलीय नेताओं का और अपने मा0 मुख्य मंत्री जी का तथा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिनका यहां तक मुझे पहुंचाने में योगदान रहा है, आभार व्यक्त करता हूं।

अब श्री मोहम्मद आजम खां, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सम्मानित किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश के मा0 संसदीय कार्यमंत्री श्री मोहम्मद आजम खां उत्तर प्रदेश विधान सभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक हैं। आप वर्ष 1980 में प्रथम बार उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। इसके पश्चात् आप वर्ष 1985, 1989, 1991, 1993, 2002, 2007 तथा वर्ष 2012 में आठवीं बार उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। आप वर्ष 1989, 1991, 1991 से 1995 तथा 2003 से 2007 तक विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे। वर्ष 2003 से 2007 के कार्यकाल में संसदीय कार्यमंत्री भी रहे। मई 2002 से अगस्त, 2003 तक आप विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। वर्तमान में आप संसदीय कार्यमंत्री के अतिरिक्त 08 अन्य विभागों के मंत्री भी हैं। श्री मोहम्मद आजम खां की अपनी एक विशिष्ट संसदीय शैली है। श्री खां राजनीतिक परिवेश में अपनी

स्पष्टवादिता तथा सदन में अपनी प्रस्तुतिकरण की बेजौड़ शैली के लिए जाने जाते हैं। संसदीय कार्यमंत्री के रूप में उन्होंने अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया है। श्री मोहम्मद आजम खां को उत्तर प्रदेश विधान सभा में 29 वर्ष से भी अधिक अवधि पूर्ण होने के अवसर पर उन्हें सम्मानित किया जाना सदन के लिए गौरव की बात है। (मेजों की थपथपाहट)

संसदीय कार्यमंत्री जी अपनी विशिष्टता के लिए जाने जाते हैं। इनकी स्पष्टवादिता, इनकी कार्यशैली, इनकी दृढ़ता बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है।

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को शाल ओढ़ाकर तथा स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

बहुत ही कीमती लम्हें, नेताजी के बारे में जितना मा0 अध्यक्ष जी भावुक हुए हैं, हम सारे लोग जहां भी पहुंचे हैं उसमें नेताजी का बहुत योगदान है, बहुत मेहनत है, बहुत स्नेह है और बहुत प्यार है। उनका आजकल गुस्सा वाजिब है हम सबके लिए और इसलिए वाजिब है कि उनका अधिकार हमारी तरफ से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वह जितने बुजुर्ग हुए हैं उतने ही हमारे दिलों के लिए ज्यादा काबिले-एहतिराम हुए हैं। मैं बस यूं कहूंगा।...

अक्सर मैं सुनाता हूं ना नवाज़ देवबंदी के अशायर

माना कि मियां हम तो बुरों से भी बुरे हैं

कुछ लोग तो अच्छों को भी अच्छा नहीं कहते।

मैं आज के दिन सबसे अपनी की हुई और न की हुई तमाम खताओं की मुआफी चाहता हूं और यह चाहता हूं कि कम से कम हमारे दिलों में किसी के लिये भी मात्र क्लेश न रहे। क्योंकि सबसे पहले हम इंसान हैं और एक ही मालिक के बंदे हैं। इस बिना पर हमारा रिश्ता हर किसी से एक भाई का, एक बहिन का रिश्ता है और हम इस रिश्ते को हमेशा याद रखें। मैं अपना दिल तो खोलकर नहीं दिखा सकता लेकिन खुद अपने आप को कहता हूं कि मैं बुरा इंसान नहीं हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने नौजवान मुख्य मंत्री का बहुत धन्यवाद और मेरी ही उम्र के अध्यक्ष जी का बहुत धन्यवाद। इनका रंग असली है मेरे रंग में थोड़ी सी मिलावट है। बहुत शुक्रिया।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश भा0ज0पा0 विधान मंडल दल के नेता माननीय श्री सुरेश कुमार खन्ना सर्वप्रथम 1989 में तत्पश्चात् वर्ष 1991, 1993, 1996, 2002, 2007, 2012 में लगातार सातवीं बार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। आप माननीय श्री कल्याण सिंह, माननीय श्री राम प्रकाश, माननीय श्री राज नाथ सिंह तथा सुश्री मायावती मंत्रि-मंडल में मंत्री रहे। आप विभिन्न संसदीय समितियों के सभापति भी रहे। संसदीय परिवेश में श्री खन्ना अपनी बात स्पष्टवादिता एवं मजबूती से रखते हैं। सादगी और सरलता आपके व्यक्तित्व में है। गम्भीर मुद्दों को भी आप बड़ी शालीन तरीके से सदन में उठाते हैं। श्री खन्ना को उत्तर प्रदेश विधान सभा में 25 वर्ष से भी अधिक की अवधि पूर्ण होने के अवसर पर सम्मानित किया जाना सदन के लिये बड़े गौरव की बात है। खन्ना जी की सबसे बड़ी विशेषता है इनकी सहनशीलता, इनका धैर्य। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जब इन्हें

कुरेदते हैं तब इनको गुस्सा नहीं आता है बल्कि यह उसे हंसकर टालकर और उसे अपने मन में रखकर उसके प्रति कोई दुर्भावना भी नहीं रखते हैं यह गुण बहुत कम लोगों में होते हैं इसलिये इन्हें हम अपनी तरफ से और धन्यवाद देते हैं।

(माननीय अध्यक्ष द्वारा श्री सुरेश कुमार खन्ना को शाल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी, हमारे मंत्रि-मंडल के सभी साथीगण तथा सभी सम्मानित सदस्य बहनों और भाइयों, प्रमुख सचिव जी, सभी स्टाफ के मेम्बर्स, पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, और हमारे दर्शक दीर्घा में आमंत्रित अतिथिगण, सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय अध्यक्ष जी को, जिन्होंने इस विधान सभा में एक अच्छी परम्परा की शुरूआत करी (मेजों की थपथपाहट) और अब धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी को कि उनकी सदाशयता और हमेशा हर चीज को बहुत सहयोगी भावना से लेने का जो उनका स्वभाव है, उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं और विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं अपने शाहजहांपुर के मतदाताओं को (मेजों की थपथपाहट) राजनीति में चेहरा तो हमारा दिखाई पड़ता है लेकिन करता कोई और है। शाहजहांपुर की जनता ने यहां तक मुझे 7 बार चुनकर भेजा असली हकदार वही लोग हैं जिन्होंने यह काम किया है तीसरी बार मैं भी आप सब लोगों से, क्योंकि राजनैतिक और सामाजिक जीवन में आदमी गल्तियां भी करता है और अच्छे काम भी करता है तो जाने अनजाने में मुझसे कभी कोई भूल हुई हो या मेरी कोई गलती हो तो हम आप सबसे क्षमा चाहते हैं मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं और विशेष रूप से मेरी राजनीति का जो आधार है वह समधर्म समभाव है सभी लोगों को साथ लेकर चलना, सभी लोगों को साथ लेकर चलना चाहता हूं मैं आज के मौके पर धन्यवाद् देता हूं अपने पार्टी नेतृत्व को, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर अपने प्रान्तीय नेतृत्व को, जिनकी वजह से मैं यहां तक पहुंचा हूं इकबाल की दो लाइनें हैं उसके साथ दो लाइनें हमने जोड़ी हैं :-

हैं एक मां के बेटे सारे ही देशवासी, वाहें गले में डाले गाते चलें दुबारा ।
मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिन्दी हैं हम वतन हैं हिन्दोस्तां हमारा।।

(मेजें थपथपाई गईं)

अन्त में बशीर बद्र की दो लाइनों से अपनी बात को खत्म करेंगे -

चरागों को अपनी आंखों में महफूज़ रखना, सफर में न जाने कहां रात होगी
मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।।

(मेजें थपथपाई गईं)

(माननीय श्री अवधेश प्रसाद जी का नाम पुकारा गया)

श्री अध्यक्ष-

श्री अवधेश प्रसाद जी वर्ष 1977 में तथा उसके पश्चात् 1985, 89, 93, 96, 2002, 2007 तथा 2012 में आठवीं वार उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। आप माननीय श्री रामनरेश यादव, माननीय श्री बनारसी दास और माननीय श्री मुलायम सिंह यादव मंत्रिमंडल में मंत्री रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में श्री अवधेश प्रसाद का दीर्घ अनुभव रहा है तथा

वंचित वर्ग के हितों की बात सदन में मजबूती से करते रहे हैं। वर्तमान सरकार में आप होमगार्ड्स और प्रान्तीय रक्षक दल विभाग के मंत्री हैं। श्री अवधेश प्रसाद को उत्तर प्रदेश विधान सभा में 31 वर्ष से भी अधिक की अवधि पूर्ण होने के अवसर पर सम्मानित किया जाना सदन के लिए गौरव की बात है।

(माननीय अध्यक्ष एवं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा श्री अवधेश प्रसाद को शाल ओढ़ाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।)

(मेजें थपथपाई गईं)

होमगार्ड्स तथा प्रान्तीय रक्षक दल मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

परम आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय यशस्वी मुख्य मंत्री जी और सभी दलों के आदरणीय नेतागण, आदरणीय मंत्रिगण और सभी सम्मानित साथियों, आज सबसे पहले मैं आदरणीय अध्यक्ष जी को बहुत-बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और धन्यवाद् ज्ञापित करता हूं और उसी के साथ अपने मुख्य मंत्री जी को भी, दोनों ने मिलकर एक गरिमामयी और एक नयी परम्परा का जो इन्होंने सृजन किया है वह हम सबके लिए बहुत ही बड़ी बात है। (मेजें थपथपाई गईं)

आज के इस अवसर पर मैं अपने फैजाबाद की जनता का सौहार्दपूर्ण ढंग से और विधान सभा क्षेत्र की महान जनता के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को आठ बार और कई बार अच्छे वोटों से जिताने का, यहां तक की लोगों की जमानतें भी जब्त हो जाती हैं, का काम किया है। मैं आज के इस अवसर पर अपने माननीय नेता, राष्ट्र के महान नेता परम श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह यादव जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। परम श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिनके नेतृत्व में मैंने वर्ष 1977 में उनके साथ काम किया। वह हमारे कैबिनेट मंत्री थे हम उनके राज्य मंत्री थे लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि राज्य मंत्री रहते रहते उन्होंने ऐसा ऐसा विभाग सौंप दिया था और मुझे पूरा अधिकार दे दिया था यहाँ तक कि मैंने डायरेक्टर के भी ट्रांसफर को किया और उनके पास कभी किसी ने सिफारिश किया तो उन्होंने कहा कि जाओ अवधेश से बात करो उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और हमने उनके विश्वास पर खरा उतरने का काम किया। 1977 के बाद उनकी जब भी सरकार बनी हमें उन्होंने अपने साथ लिया मुझ पर विश्वास किया और उन्होंने शुरू से लेकर संगठन में भी मुझे अच्छे अच्छे ओहदे पर रखा आज भी उन्होंने मुझे राष्ट्रीय पदाधिकारी के रूप में रखा है। हम कभी उनको जिन्दगी में नहीं भूल सकते हैं उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है उसको हम पूरा गांव गांव घूमकर पार्टी को मजबूत करने काम करेंगे। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि माननीय नेता जी हम लोगों के बीच सैकड़ों साल तक रहें जिससे हम उनके कृतित्व और व्यक्तित्व से सीख सकें और हम लोगों का मनोबल आगे बढ़ता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने माननीय सदस्यों से भी क्षमा चाहता हूं मंत्री के रूप में 6-7 बार हमें मौका मिला मंत्री के रूप में हो सकता है कि हमसे कोई गलती हो गई हो आपने मुझे कोई काम सौंपा हो हमारी तरफ से भूल हो गई हो हम न कर पाए हों तो हम चाहते हैं कि आप सभी साथी हमें माफ कर देंगे इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि अगली सरकार में आपसे यहीं पर मिलने का काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री दुर्गाप्रसाद यादव जी सर्वप्रथम वर्ष 1985 में तत्पश्चात् वर्ष 1989, 1991, 1996, 2002, 2007, 2012 में सातवीं बार उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं आप

सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति के सभापति रहे हैं तथा वर्तमान सरकार में आप वन विभाग के मंत्री हैं श्री दुर्गाप्रसाद यादव को उत्तर प्रदेश विधान सभा में 27 वर्ष से अधिक अवधि पूर्ण होने के अवसर पर सम्मानित किया जाना सदन के लिए गौरव की बात है।

(माननीय अध्यक्ष द्वारा मंत्री श्री दुर्गा प्रसाद यादव को शाल एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया)

वन मंत्री (श्री दुर्गाप्रसाद यादव)-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यशस्वी माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर उपस्थित मा0 मंत्रीगण, हमारे हर दल के सम्मानित नेतागण,यहां आए उपस्थित सभी माननीय सदस्यगण आज मुझे जो सम्मान माननीय अध्यक्ष जी एवं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा विधान सभा के अन्दर मिला है मैंने यह नहीं सोचा था, मैं माननीय अध्यक्ष जी को प्रणाम करता हूं मुझे यशस्वी माननीय मुख्य मंत्री जी के साथ काम करने का मौका मिला पहली बार जब मैं 1985 में चुनाव जीता था तो माननीय नेता जी के आशीर्वाद से विधान सभा में आया था मैं माननीय नेता जी की प्रेरणा एवं उनके विचारों पर चलकर मैंने जनता की सेवा करने का काम किया है। आज मैं अपनी आजमगढ़ की जनता का भी बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे लगातार विधान सभा में भेजने का काम किया है। मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि मैं किसी भी पद पर रहा मैंने कार्यकर्ता के रूप में काम किया है और जब तक मैं इस धरती पर रहूंगा तब तक मैं एक कार्यकर्ता के रूप में ही जनता की सेवा करता रहूंगा। मैं जब तक इस धरती पर रहूंगा तब तक माननीय नेता जी के विचारों और प्रेरणा से आगे बढ़कर जनता की सेवा करने का काम करूंगा।

श्री अध्यक्ष-

मा0 श्री नरेन्द्र सिंह यादव जी। मा0 श्री नरेन्द्र सिंह यादव सर्वप्रथम वर्ष 1985 तथा उसके पश्चात् वर्ष 1991, 1996, 2002, 2007 तथा 2012 में छठी बार उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुये। आप मार्च, 2012 से अप्रैल, 2014 तक होमगार्ड्स, प्रान्तीय रक्षक दल तथा व्यावसायिक शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री के रूप में मंत्रिमण्डल के सदस्य भी रह चुके हैं। श्री नरेन्द्र सिंह यादव को उत्तर प्रदेश विधान सभा में 26 वर्ष से भी अधिक की अवधि पूर्ण होने के अवसर पर सम्मानित किया जाना सदन के लिये गौरव की बात है।

(मा0 अध्यक्ष द्वारा श्री नरेन्द्र सिंह यादव को शाल तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।)

(सत्ता पक्ष एवं विपक्ष द्वारा तालियों की गड़गड़ाहट)

*श्री नरेन्द्र सिंह यादव-

आदरणीय अध्यक्ष जी, मा0 मुख्य मंत्री जी, सभी दलों के हमारे सम्मानित नेतागण एवं हमारे सम्मानित मंत्रिगण, आज हमें जो सम्मान मिल रहा है, सही मायने में यह सम्मान हमें मा0 नेता जी की वजह से मिला है और इस सम्मान के सही हकदार तो हमारे क्षेत्र के लोग हैं। मैं जनपद फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद से चुना जाता था। अब मेरी विधान सभा क्षेत्र का नाम अमृतपुर हो गया है

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और मैं इस सम्मान के लिये मा0 नेता जी को पुनः धन्यवाद देता हूं कि उनके आशीर्वाद, उनके सिद्धान्तों और उनके आदर्शों को लेकर मैं जनता के बीच गया और उसी का परिणाम है कि आज मा0 अध्यक्ष जी और मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा मुझे यह सम्मान दिया गया है, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

(सत्ता पक्ष एवं विपक्ष द्वारा तालियों की गड़गड़ाहट)

श्री अध्यक्ष-

मा0 श्री राजीव कुमार सिंह। मा0 श्री राजीव कुमार सिंह सर्वप्रथम वर्ष 1985 में तथा उसके पश्चात् वर्ष 1989, 1996, 2002, 2007 तथा 2012 में छठी बार उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुये। विधान सभा में आपका दीर्घ अनुभव रहा है तथा मार्च, 2012 से आप वर्तमान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर हैं। श्री राजीव कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश विधान सभा में 26 वर्ष से भी अधिक की अवधि पूर्ण होने के अवसर पर सम्मानित किया जाना सदन के लिये गौरव की बात है।

(मा0 अध्यक्ष द्वारा राज्यमंत्री, श्री राजीव कुमार सिंह को शाल तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।)

(सत्ता पक्ष एवं विपक्ष द्वारा तालियों की गड़गड़ाहट)

कृषि राज्य मंत्री (श्री राजीव कुमार सिंह)-

आदरणीय अध्यक्ष जी, मा0 मुख्य मंत्री जी, सभी सम्मानित मंत्रिगण तथा विधान सभा में सभी हमारे सम्मानित विधायक मित्रगण, हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी ने, हमारे मा0 अध्यक्ष जी ने हमें जो यह सम्मान और यह अवसर प्रदान किया है वह अविस्मरणीय है। साथ में मैं अपने बाराबंकी जनपद की दरियाबाद विधान सभा क्षेत्र की जनता को यहां से हाथ जोड़कर नमन करता हूं कि उनकी वजह से मैं पहली बार निर्दलीय की हैसियत से आया था और बहुत बड़े मार्जिन से मैं जीता था। वह क्रम चलता रहा और दरियाबाद विधान सभा क्षेत्र के हमारे बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, हमारे मित्रों ने, हमारे परिवारजनों ने बहुत बड़ा सहयोग दिया, जिससे इतना बड़ा समय मिला और आज यह सम्मान मुझे दरियाबाद की जनता की तरफ से मिला है, जिसने विश्वास किया और बार-बार जिताया है। मैं उन्हें धन्यवाद देता कि उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने प्यार दिया, सम्मान दिया और खासतौर से हमारे नेता जी ने एक ऐसे समय में, 2007 में जब हम लोग यह सोच बैठे थे कि शायद अब राजनीति में विधान सभा नहीं पहुंचेंगे, बहुत बड़ा सहारा दिया। हमारे बीच में यहां पर उपस्थित हैं, हमारे शिवपाल जी, मंत्री, उनका भी सहयोग रहा और उन्होंने ही हम लोगों से मुलाकात करायी और इत्तेफाक की बात थी कि उस दिन मैं समाजवादी पार्टी में सम्मिलित किया गया और नेता जी के विश्वास को मैंने तोड़ा नहीं और उस विश्वास को बाराबंकी जनपद और दरियाबाद विधान सभा क्षेत्र ने जो सम्मान दिया था, उस सम्मान को बचाकर रखा। मा0 मुख्य मंत्री जी ने भी जो विश्वास किया, मंत्रिपद दिया, मा0 मुख्य मंत्री जी का भी मैं आभारी हूं कि उन्होंने जो हमें उत्तरदायित्व दिए, उनका पूरी तरीके से मैंने कार्यान्वयन किया। साथ में पुनः मैं अपने विधायक बन्धुओं का, मंत्री बन्धुओं का, पत्रकार बन्धुओं का और सचिवालय कर्मियों को धन्यवाद देता हूं। आपके सहयोग का, आपने जिस तरीके से मार्गदर्शन दिया, उस समय को भी हम लोग देख रहे हैं, यह भी समय है, आगे भी और नए आए हुए विधायकों को भी एक चैलेंज है, वह चैलेंज है कि 25 साल का हम लोगों का जो रिकार्ड बना

है, उसे आप जरूर तोड़े और जब रिकार्ड तोड़ेंगे तो उस दिन हम लोगों को बहुत खुशी होगी। (माननीय सदस्यों ने मेजें थपथपायीं) हमारे एक विधायक मित्र हैं, अभय सिंह जी, फैजाबाद से, मैंने कहा कि तुम प्रथम बार आये हो और हम लोगों का रिकार्ड तोड़ दोगे तो उस दिन अगर हम लोग रहे, जीवित रहे तो जरूर आयेंगे और धन्यवाद देंगे। इसी के साथ मैं पुनः मा0 मुख्य मंत्री जी को और माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब माननीय श्री राम गोविन्द चौधरी जी।

(सदस्यों ने मेजें थपथपाकर श्री राम गोविन्द चौधरी का स्वागत किया)

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री राम गोविन्द चौधरी सर्वप्रथम वर्ष 1977 में, तत्पश्चात् वर्ष 1980, 1985, 1989, 1991, 2002 तथा 2012 में सातवीं बार उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। आप दिसम्बर, 1990 से जून, 1991 तथा अक्टूबर, 2003 से मई, 2007 तक मा0 श्री मुलायम सिंह यादव मंत्रि-मण्डल के सदस्य भी रहे हैं। वर्तमान सरकार में आप समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग तथा सैनिक कल्याण विभाग के मंत्री पद पर हैं। श्री चौधरी समाजवादी आन्दोलनों से जुड़े रहे हैं तथा उनको भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, श्री चन्द्रशेखर जी के मार्गदर्शन में काम करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। श्री चौधरी संसदीय परिवेश में अपनी बात मजबूती से रखते हैं। श्री राम गोविन्द चौधरी को उत्तर प्रदेश विधान सभा में 25 वर्ष से भी अधिक की अवधि पूर्ण होने के अवसर पर सम्मानित किया जाना सदन के लिए गौरव की बात है।

(अध्यक्ष द्वारा मा0 मंत्री, श्री राम गोविन्द चौधरी को शाल तथा स्मृति चिन्ह् भेंट कर सम्मानित किया गया)

(सदन के सभी माननीय सदस्यों ने मेजें थपथपाकर स्वागत किया)

*समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण तथा सैनिक कल्याण मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

परम श्रद्धेय माननीय अध्यक्ष जी, सर्वग्राही माननीय मुख्य मंत्री जी, सभी हमारे मंत्रिमण्डल के सदस्यगण, माननीय विधान सभा के सदस्यगण, विधान सभा सचिवालय के सभी अधिकारी/कर्मचारी बन्धुओं मैं माननीय अध्यक्ष जी को और माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि आज यह सम्मान उन्होंने हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता को दिया। माननीय अध्यक्ष जी, कोई मंशा नहीं थी और कभी सोचा भी नहीं था कि विधान सभा में आयेंगे। यह एक अत्यन्त पिछड़े और नदी के किनारे गांव से निकलकर के लोक नायक जय प्रकाश नारायण के निर्देश पर माननीय चन्द्रशेखर जी के सानिध्य में और उसके बाद माननीय मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में आज तक का राजनीतिक सफर गुजरा है। मैं इसके लिए अपने विधान सभा क्षेत्र, पुराने क्षेत्र चिलकहर विधान सभा क्षेत्र जहां से मैं पांच बार लगातार एम0एल0ए0 रहा हूं और वर्तमान में बांसडीह विधान सभा क्षेत्र जहां से मैं दूसरी बार एम0एल0ए0 चुन करके आया हूं उस जनता को मैं बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। माननीय

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अध्यक्ष जी, मुझे एक ही बात का दुःख है कि जिस बात के लिए हम लोग राजनीति में आये थे वह बात आज ज्यों कि त्यों है। हम लोग राजनीति में देश से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अव्यवस्था को समाप्त करने के लिए आये थे। वर्ष 1977 में जब मोरार जी भाई की सरकार बनी तो उन्होंने मंहगाई भी खत्म की थी और बेरोजगारी के उन्मूलन की दिशा में भी काम करना शुरू किया था। आज पूरे हिन्दुस्तान की परिस्थिति बदल गई है, मैं चाहूंगा कि कोई भी दल का नेता बिना लोकलाज के देश की वर्तमान व्यवस्था के परिवर्तन और आमूल भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए राजनीति करे तो उसके साथ मेरे जैसा साधारण कार्यकर्ता लगकर अपनी पूरी जिंदगी उसी में लगायेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत-बहुत पुनः आभारी हूं आपका और माननीय मुख्य मंत्री जी का, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं माननीय श्री श्याम देव राय चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं। माननीय श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा' वर्ष 1989 में प्रथम बार तथा उसके पश्चात वर्ष 1991, 1993, 1996, 2002, 2007 तथा 2012 में लगातार सातवीं बार उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुये। आप अक्टूबर, 2002 से अगस्त, 2003 तक माननीय सुश्री मायावती मंत्रि-मण्डल में मंत्री भी रहे। आप विभिन्न संसदीय समितियों के सभापति तथा अधिष्ठाता मण्डल के सदस्य भी रहे। वर्ष 2007 तथा 2012 में आप प्रोटेम स्पीकर भी रहे। श्री चौधरी सदन में जब भी कोई विषय उठाते हैं तो उसके विषय में पूर्ण तैयारी करने के पश्चात ही अपना वक्तव्य देते हैं। प्रदेश की राजनीति में आपका दीर्घ अनुभव रहा है तथा आपके इस अनुभव से सदन को समय-समय पर मार्गदर्शन भी प्राप्त होता रहा है। पूरा सदन आपको स्नेह से दादा के नाम से पुकारता है। श्री चौधरी को उत्तर प्रदेश विधान सभा में 25 वर्ष से भी अधिक की अवधि पूर्ण होने के अवसर पर सम्मानित किया जाना सदन के लिए गौरव की बात है।

[माननीय अध्यक्ष द्वारा श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा) को शाल एवं स्मृति चिह्न भेंटकर सम्मानित किया गया]

*श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)-

आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी, हमारे दल के सभी सम्मानित नेतागण और इस सबसे बड़े उत्तर प्रदेश विधान सभा में उपस्थित सभी हमारे सहयोगी विधायक भाईयों-बहनों। निश्चित रूप से आज मुझे तो पता ही नहीं कि मैंने जो सेवा यात्रा शुरू की थी वो किस पड़ाव पर आकर आज खड़ी हो गयी है। मैं भी सबकी तरह भावुक हो गया हूं। वहां बैठे-बैठे सबकी भावुकता देखकर मेरे अंदर भी यही भावुकता आ गयी है। लेकिन मैं काशी से आता हूं और काशी पुराधिपति बाबू विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा और पतितपावनी मां गंगा को और सबसे बड़ी जो एक शक्ति है नर के रूप में नारायण की, अपने क्षेत्र की जनता की और पूरे काशी की जनता को यह सम्मान जो हमें मिला है इसके हकदार वही लोग हैं मैं उन्हें समर्पित करता हूं। मैं ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं लेकिन बहुत ही साधारण व्यक्ति हूं। न मेरे पास चेहरा है न मोहरा है। लेकिन एक अटूट विश्वास

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है कि अगर व्यक्ति सही रास्ते पर पूरी ईमानदारी से, पूरे समर्पण के भाव से जनता की सेवा करता हुआ आगे बढ़ता है तो उसके ऊपर जनता रूपी भगवान का भी आशीर्वाद रहता है और एक जो ताकत है जिसको हम अल्लाह कहें भगवान कहें जो भी कहें लेकिन कोई एक शक्ति है जो पूरी दुनिया को संचालित करती है। उसका भी आशीर्वाद उसके साथ रहता है। और मैं मानता हूं कि मेरे जैसा एक साधारण व्यक्ति जो मेरे पिताजी ने कहा था कि जो धनवान है उसके पास अगर अपनी आवश्यकता से अधिक धन है तो उसको समाज में देना चाहिए। उसी तरह से अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम श्रमदान कर सकते हो। जनता की सेवा करके जो तुम श्रम करोगे और वह श्रम निस्वार्थ होगा। मेरे पिताजी शांतियोग दर्शन के ज्ञाता थे। थोड़ा भावुक हो गया हूं लेकिन अगर आपकी अनुमति हो तो दो शब्द कहना चाहता हूं। भारतीय जनसंघ से मेरी यात्रा शुरू हुयी। सभासद के लिए लोगों ने मुझे खोजकर प्रत्याशी बनाया। मैं अपने पिता से अनुमति लेने गया। यही संस्कार रहा और है। उन्होंने कहा कि कल बताउंगा। मैंने पिता से कहा कि लोग बहुत जोर दे रहे हैं तो वह बोले कि तुम सभासद क्यों बनना चाहते हो। मैंने कहा कि सामाजिक सेवा करने की एक रूचि है। और यह प्लेटफार्म मिल गया तो और अच्छी तरह से करेंगे। उन्होंने कहा कि देखो, मैं तुम्हें तभी अनुमति दूंगा जब तुम यह प्रण लोगे कि-'तुम दोगे हमेशा लोगे कुछ नहीं'। पूरी ईमानदारी से और ईश्वर को हाजिरनाजिर जानकर तुम यह संकल्प लो कि तुम जब तक इस सेवा यात्रा में रहोगे तुम कभी इसके बदले कोई दूसरा रास्ता अख्तियार नहीं करोगे। मैंने पिताजी से कहा कि आपने जो संस्कार दिया है उस पर आप भरोसा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने यह इसलिए कहा कि अगर तुम ईश्वर रूपी कोई शक्ति में विश्वास करते हो और सेवा करते हुए निस्वार्थ भाव से तुम आगे बढ़ते हो तो ईश्वररूपी जो भी शक्ति है वह शक्ति तुम्हारी सहायता करेगी और मैं सभासद बन गया। पता नहीं कैसे बन गया। फिर उसके बाद जो यह सेवा यात्रा शुरू हुयी। पार्टी के विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए आगे बढ़ता रहा। मैं सही कह रहा हूं कि मुझे कल्पना नहीं थी कि पार्टी मुझे विधायक के रूप में प्रस्तुत करेगी। मैं हंसी मजाक मानता था कि यह हंसी का अवसर है, ऐसे ही लोग कह रहे हैं, लेकिन पता नहीं कैसे वह सच हो गया। पहला चुनाव, इंदिरा जी की हत्या के बाद मुझे प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन वह एक लहर थी बड़े-बड़े पेड़-दरख्त उखड़ गये, शोक की लहर में, मैं भी नहीं खड़ा हो सका, लेकिन पता नहीं फिर पार्टी ने इस हारे हुए घोड़े पर जैसा लोग कहते हैं फिर दांव लगा दिया और वहां से यह यात्रा मेरी एक तरह से शुरू हुयी और मुझे पता नहीं आज मेरे लिये निश्चित रूप से बहुत ही अविस्मरणीय दिन है, अभूतपूर्व दिन है। काशी की जनता का तो प्यार अपार है मेरे लिये और मैं यह कहना चाहूँगा कि एक विरोधी दल का विधायक होने के बाद भी मा0 मुख्य मंत्री जी का मेरे प्रति बहुत सम्मान है। विद्युत के लिए मैंने अनशन किया था, आपने बुलवाया और मेरी मांग पूरी की, तो इसलिए मैं आपको भी बहुत ज्यादा संस्कारवान मानता हूं, संस्कारयुक्त मानता हूं कि विरोधी दल का होने के बाद भी, मेरे अन्दर कोई दूसरी काबिलियत न होने के बाद भी, आपके दल का नहीं हूं, कभी हूंगा भी नहीं, लेकिन फिर भी आप जानते हुए भी आप मेरा इतना सम्मान करते हैं बड़े होने के नाते और मैं समझता हूं कि मैं आदरणीय नेता जी के साथ भी काम कर चुका हूं एक सदस्य के रूप में, शायद दो-चार-छः महीने का ही अन्तर है मुझे पता नहीं कि मैं बड़ा हूं या नेता जी बड़े हैं, लेकिन हैं एक ही उम्र के लगभग, मेरा जो बड़ा बेटा है वह करीब-करीब आपकी उम्र का है, तो मैं भी आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आदरणीय अध्यक्ष जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि

कोई सवाल अगर जनता के हित का मैं लाया हूं, आपने उसको वरीयता दी है और साथ ही अन्त में मैं अपनी वाणी को पूरा करने के पहले ....

(सत्ता पक्ष से आवाज आयी कि आप अपना आर्शीवाद दे दें।)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शान्त रहें।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

अब ''आखिरी वक्त क्या खाक मुसलमां होंगे'', आप लोग भी कैसी बात कर रहे हैं, अब मैं भावुकता से उबर चुका हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आपने दुआ तो दे दी, ''आखिरी वक्त क्या खाक मुसलमां होंगे'', ''जैसे हैं वैसे ही रहेंगे''।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

बिल्कुल ऐसा ही रहूंगा, तो अन्त में मैं पुनः इस सम्मान को जो संयोग की बात है मा0 मुख्य मंत्री जी के कार्यकाल में और आप यानी माता प्रसाद जी की अध्यक्षता के कार्यकाल में मुझे और बाकी बहुत से सदस्यों को 25-30 साल के बाद सेवा करते हुए उनको सम्मान मिला, इसके लिए मैं आपकी सरकार के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, आदरणीय अध्यक्ष जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपके दिमाग में यह पहल हुयी और आपने यह मौका दिया कि मैं यहां आकर के दो शब्द कह सका, अगर कुछ गलत कह गया हूं भावावेश में तो मुझे क्षमा करेंगे और अन्त में मैं पुनः काशी की जनता को और बाबा विश्वनाथ को, माता अन्नपूर्णा को, मां पतित-पावनी गंगा के प्रति यह जो सम्मान मिला है, समर्पित करता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और यह वचन यहां के माध्यम से उनको देना चाहता हूं कि जब तक रहूंगा पूरी ईमानदारी से सेवाव्रत जो लिया है मैंने, उसको मैं पूरा करूंगा, आज हैं कल रहें न रहें इसकी कोई चिन्ता नहीं है, मैं जानता हूं कि जो आया है सो जायेगा राजा, रंक, फकीर, बस काम अपना सेवा करना है, सेवा करता रहूंगा। ज्यादा बोल गया अध्यक्ष जी, कोई नियम होता तो आप टोक दिये होते, लेकिन आज का वक्त ऐसा है कि आपने कोई नियम लागू नहीं किया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री श्याम सुंदर शर्मा सर्वप्रथम वर्ष 1989 में तत्पश्चात् 1991, 1993, 1996, 2002, 2007 तथा 2012 में सातवीं बार उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। आप माननीय श्री कल्याण सिंह, माननीय श्री राम प्रकाश जी, माननीय श्री राजनाथ सिंह तथा माननीय सुश्री मायावती मंत्रिमण्डल में मंत्री रहे हैं। श्री श्याम सुंदर शर्मा अपने क्षेत्र के लोकप्रिय नेता हैं तथा आम जनता को आसानी से सुलभ भी हैं। श्री श्याम सुंदर शर्मा उत्तर प्रदेश विधान सभा में 25 वर्ष से भी अधिक पूर्ण होने के अवसर पर सम्मानित किया जाना सदन के गौरव की बात है।

*श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

परम श्रद्धेय अध्यक्ष जी, परम श्रद्धेय मुख्य मंत्री जी और एक से एक गुणी, महान प्रज्ञा के धरोहर सभी विधायकगण, अध्यक्ष जी आपको और मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत साधुवाद देता हूं। इस

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अवसर की तो हम कल्पना भी कभी नहीं करते थे जो आज हमें यह दिन देखने को मिला है। अध्यक्ष जी, हमने इतने वर्षों के कार्यकाल में बहुत अध्यक्ष जी देखें हैं लेकिन हम बिहारी जी की भूमि से आए हैं और सच कहते हैं, आप जैसा अध्यक्ष हमने नहीं देखा है। कैसा हमारा सौभाग्य है कि मैं श्री कृष्ण की भूमि से आया हूं, बांके बिहारी की भूमि से आया हूं और गांधी जी के चरणों में हम बैठे हैं। मैं यह मान कर चलता हूं कि गांधी जी में और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं था। 'मोहन-मोहन दास का, मोहन-मोहन दास का करते हैं गुणगान, यह ब्रज विख्यात बिहारी थे तो वो गुजरात बिहारी थे, यह चक्र सुदर्शन धारी थे, तो वह भी तगली धारी थे, इनका भी बरसाना था तो उनका भी घरसाना था, यह माखनचोर कहलाए थे तो वह नमकचोर कहलाए थे।' मैं इसलिए भी साधुवाद देता हूं कि आज के दिन मुख्य मंत्री जी ने हम लोगों को आशीर्वाद देने का एक एजेंडा पेश किया। हम चार बरस से तो यह देख रहे थे कि जैसे समुद्र का मंथन होता है और मंथन के बाद अमृत निकलता है, अमृत निकलने के बाद उसे बांटने की जिम्मेदारी भगवान विष्णु की होती है। भगवान विष्णु भी हेरा-फेरी करते थे। चार बरस तक मुख्य मंत्री जी ने खूब हेरा-फेरी की है। अपने लोगों में अमृत बांटते थे और आज के दिन ऐसा हुआ इसके लिए, आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट रियली बाई हार्ट। आज आपने उस अमृत को बांटने में कोई हेरा-फेरी नहीं की है, आज के दिन सबको बांटा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि व्यक्ति जीवन में एक बार जन्म लेता है और एक ही बार मरता है। अध्यक्ष जी, मैं जनता-जनार्दन को भगवान से बढ़कर मानता हूं और इसलिए मानता हूं कि भगवान कृष्ण के पास सुदामा जी तीन मुट्ठी तंदूल ले कर गए थे और एक मुट्ठी में एक लोक और दूसरी मुट्ठी में दूसरा लोक और तीसरी मुट्ठी जैसे ही भरी तो रुक्मणी ने हाथ रोक लिया और भगवान के हाथ रुक गए। हमने तो बिना दलों की बैसाखी के वैतरणी पार की है। हम ढेर सारा साधुवाद इसीलिए जनता को देते हैं कि जातिवादी रुक्मणी आयी उसके बाद भी जनता के हाथ नहीं रुके। जातिवाद वाली, धर्मवाद वाली, क्षेत्रवाद वाली, गोत्रवाद वाली, भाषावाद वाली, इतनी रुक्मिणयों की लोगों ने भगवान जनता-जनार्दन के हाथ रोके हैं पर जनता के हाथ हमें आशीर्वाद देने से रुके नहीं। यह गर्व से हम कहते हैं। हम आज भी कहते हैं। सारा सम्मान हम ब्रजवासियों को समर्पित करेंगे और इस विश्वास के साथ कि राजीव भाई तो अभी कह रहे थे कि अभय जी आये, अभी देखेंगे, अभी क्रीज पर हूं, अभी तुम खुद ही क्रीज पर हो, अभी तुम कह रहे हो कि देखेंगे फिर आयेंगे जब तुम्हारा रिकार्ड सचिन तेन्दुलकर की तरह तुम भी लाइन पर आ गये हो अभी तुम कितना रिकार्ड बनाओगे यह भी तो देखेंगे। मैं इस समय ज्यादा न कहते हुए अध्यक्ष जी आपको बहुत-बहुत साधुवाद करता हूं और इस विश्वास के साथ कि जो आपका आशीर्वाद है, मुख्य मंत्री जी का है, जनता का है और विधायकों का है वह सम्बल शक्ति लेकर हम जायेंगे, सम्प्रभुता की ज्योति जलायेंगे, रचना की ज्योति जलायेंगे, निर्माण की ज्योति जलायेंगे, विकास की ज्योति जलायेंगे, समता देंगे, ममता देंगे, भाव देंगे, भावना देंगे, दिल देंगे और जो उससे काम न चले तो अपनी जान देंगे, इस विश्वास के साथ विश्वास दिलाते हैं कि प्रत्येक अग्नि कसौटी पर हम जरूर खरा उतरेंगे, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सभी सदस्यगण और माननीय सभी दलों के नेतागण, माननीय मुख्य मंत्री जी और सभी उपस्थित यहां पत्रकार बन्धु। यह गौरव का दिन माननीय मुख्य मंत्री जी की प्रेरणा से और हमारे जो दलीय नेता थे, उसमें खन्ना जी का विशेष सहयोग रहा, यह जो विचार आया कि 25 वर्ष से अधिक, सिल्वर जुबली मनाने के रूप में इनको सम्मानित किया जाये। यह प्रस्ताव मैंने विचार के लिए

मुख्य मंत्री जी से और संस्दीय कार्य मंत्री जी से कहा तो हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी तत्काल तैयार हुए और इस विधान सभा के प्रति उनका जो समर्पित भाव है उसको आप सब जानते हैं, मुझे बताने की दोहराने की जरूरत नहीं है लेकिन जो हमारे माननीय सदस्य सम्मानित हुए हैं और जिनको इस विधान सभा के द्वारा सम्मानित किया गया है। उनके दायत्वि बहुत बढ़ गये हैं, क्योंकि समाज में जब यहां से हम और आप जायेंगे, उन पगदण्डियों पर, धूल भरे रास्तों पर तो हमारा दायित्व कई गुना बढ़ा हुआ मिलेगा क्योंकि आपका जीवन इस विधानमण्डल में बहुत समय तक व्यतीत हुआ है और कुछ नई सीख लेकर आप जायेंगे और जनता की सेवा में तत्पर होंगे, इस भावना के साथ आप सब को गौरवान्वित किया गया है। अब मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे दो शब्द कहें।

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

आदरणीय अध्यक्ष जी, और इस सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्यगण। मैं सबसे पहले आदरणीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हम सब लोगों को ऐसा यादगार पल देखने का मौका दिया। जिनके 25 साल पूरे हुए हैं मैं उन सभी माननीय सदस्यों को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। बहुत-बहुत शुभकामनायें देना चाहता हूं क्योंकि मैं पहली बार चुनकर सदन में आया, मुझे काम करने का मौका मिला, हमारे बहुत सारे सीनियर जो हमारी पार्टी, हमारे दल से सम्बन्ध रखते हैं, हमारे दल के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि नेता जी और जनता के आशीर्वाद की वजह से उन्हें सेवा करने का मौका मिला। जहां नेता जी के साथ लगातार उन्होंने काम किया, उनके संघर्ष और उनके साथ रहकर जो इतना बड़ा दल बना और उसके बाद हमें मौका मिला मैं समझता हूं, नेता जी का धन्यवाद कि हमारे ऐसे सदस्यों को यहां भेजा। वहीं और दल के जो लोग हैं, उनके पार्टी के नेतृत्व ने उन पर भरोसा किया और उस क्षेत्र की जनता ने उन पर भरोसा किया क्योंकि राजनीति से मुश्किल काम कोई नहीं है। जब तक मैं माननीय सदन में सांसद था, मुझे लगता था कि राजनीति बहुत आसान है, राजनीति का सफर बहुत आसान है लेकिन मैं समझता हूं जब से इस सदन में मैं आया हूं मैंने जितना समय यहां गुजारा है, मैंने महसूस किया है कि राजनीति कितनी मुश्किल है। चूंकि नेता जी ने हमें मौका दे दिया। कभी-कभी हम समझते हैं कि डेस्टिनी है। कभी-कभी भाग्य पर भी हम लोग भरोसा करते हैं। कभी-कभी भाग्य से चीजें मिलती हैं लेकिन मैं बहुत सारे माननीय सदस्यों को देख रहा हूं, इन्होंने न जाने कितना परिश्रम किया होगा।

आप तमाम लोग जनता के बीच से निकल करके आये होंगे। जहां पहले टिकट पाने की बात रही होगी और जब जीत जाएं तो फिर टिकट पाने की बात होती है। कितना कठिन सफर आपने राजनीति के दौरान तय किया है और सच्चाई यह है कि जो सदस्य आज सम्मानित हुए हैं, इन्होंने जरूर जनता का दिल जीता है (मेजों की थपथपाहट) और उसी का परिणाम है कि वहां की जनता उन्हें लगातार चुन करके भेज रही है। आपने लोकतन्त्र में जो एक रिश्ता जनता के प्रति बनाया है, मैं समझता हूं कि उसमें आपसे बहुत कुछ सीखने को है। जैसे माननीय, आदरणीय आजम खां साहब हैं, आदरणीय राम गोविन्द चौधरी जी हैं, आदरणीय श्यामदेव राय चौधरी जी हैं, ये तमाम मा0 सदस्य वे लोग हैं जिनको हम पहली बार चुने जाने वाले, दूसरी बार चुने जाने वाले सदस्य यह कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन हैं और इनसे सीखने पर बहुत कुछ पाया जा सकता है क्योंकि इनके साथ अनुभव एक दिन में नहीं आया है। आप राजनीति के न जाने कितने ऊंचे-नीचे, टेढ़े-मेढ़े रास्तों से गुजर करके इस जगह पर पहुंचे हैं इसलिए मैं ऐसे सदस्यों को बधाई दूंगा। हालांकि लोकतन्त्र

में इस तरफ वही लोग बैठते हैं जिनकी संख्या ज्यादा होती है। अगर भगवान विष्णु हेरा-फेरी करते थे, अगर भगवान कृष्ण थोड़े दूसरे रूप में थे तो जो सत्ता में बैठने वाला होता है वह कमाल का होता ही है ।

(सदन में हंसी और मेजों की थपथपाहट)

और जहां 25 साल आपने सदन में गुजारे, हमने गुजारे, मैंने जो बात पहले कही और फिर कहता हूं कि हमें ऐसा मौका मिलना चाहिए कि हम सब साथ रह करके 25 साल यहीं पर गुजारें।

(सदन में हंसी और मेजों की थपथपाहट)

अगर आप लोग साथ रहोगे, हम भी साथ रहेंगे और इधर के सदस्य हैं तो सत्ता हमें ही मिलेगी। इसलिए हम लोगों का राजनीति में ये सफर ऐसे ही चलता रहे लेकिन बहुत सारी चीजों पर हमारा, आपका बस नहीं है क्योंकि चीजें परिवर्तित होती हैं। एक ही चीज है जो हमेशा रहती है और वह है परिवर्तन। कभी-कभी परिवर्तन होता है, कभी-कभी अच्छे के लिए परिवर्तन होता है। हमारे इधर वाले साथी हो सकता है कि परिवर्तन को अपने रूप में ले रहे हों लेकिन हमारे मा0 सदस्य जानते हैं कि अगर अच्छे के लिए परिवर्तन होना है तो यही लोग आने चाहिए क्योंकि जो दुःख मैंने मा0 सदस्य आदरणीय श्री राम गोविन्द चौधरी जी का देखा, उन्होंने कहा कि जो बातें हम लेकर चले थे, वह गरीबी थी, वह भ्रष्टाचार था और भी तमाम सवाल हैं, आज भी वही सवाल हैं। दुनिया के रास्ते इन्हीं से निकलते हैं, इन्हीं से समाधान निकलता है। ऐसे ही इस सदन में बहस करके, ऐसे ही नियम बना करके, ऐसे ही पॉलिसी बना करके शायद उनका रास्ता निकलता है। हालांकि हम लोग बहुत दूर चल करके आ गए। हमारा देश भी बड़ा हो गया और प्रदेश तो आबादी में सबसे बड़ा है ही। इस सदन की अपनी गरिमा है केवल प्रदेश के लिए नहीं बल्कि पूरे देश में। इसलिए हमारा सौभाग्य है कि हम सब लोग इस सदन में जनता के माध्यम से पहुंचते हैं, हमें जनता ने मौका दिया। मैं स्पीकर साहब को धन्यवाद दूंगा, आभार प्रकट करूंगा। ये सच कहा आदरणीय आजम खां साहब ने, उन्होंने नेता जी के सामने यह प्रस्ताव रखा था, शायद नेता जी एक बार को तैयार हो गए थे कि अच्छा, स्पीकर साहब अगर उस सदन में जाना चाहते हैं, तो उन्हें मौका देना चाहिए लेकिन हम यह कह सकते हैं कि आदरणीय आजम खां साहब ने कहा कि हमें ऐसा अध्यक्ष कहां मिलेगा। जो इतने अनुभव के साथ हो जिसने सब कुछ सीख लिया हो, जो सब कुछ जानते हों, जो हर सदस्य को जानते हों इसलिए आपके पीठ पर रहते हुए हम लोगों को जो सीखने का मौका मिला है उसके लिए मैं अध्यक्ष जी को धन्यवाद दूंगा। यह हमारे बहुत सारे सदस्यों की सिल्वर जुबली है। हम सब लोगों की यही इच्छा है कि हम लोग बार-बार चुन करके आएं और इसी रूप में आएं। मैं समझता हूं कि इस लोकतन्त्र में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है, बहुत से बदलाव आए हैं लेकिन बहुत सारा बदलाव करना जरूरी भी है क्योंकि जो जनता बैठी है, वह देख रही है कि इसी सदन से उनकी खुशहाली और सम्पन्नता का रास्ता निकलेगा। मैं एक बार फिर समस्त मा0 सदस्यों को बधाई देता हूं। अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं और हमारे विधान सभा के प्रमुख सचिव, श्री प्रदीप कुमार दुबे जी हैं, इनका और इनके साथ विधान सभा के जितने भी कर्मचारी हैं, उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत बधाई।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण और माननीय सभी दलों के नेतागण कुछ विशेष परिस्थितियों में जिस विधेयक की आपको आशा थी वह तो प्रस्तुत हो गया है लेकिन इसमें आज जन-गण-मन होना था, इसे आज ही पास हो जाना था, अब कल कोई कार्यवाही नहीं होगी कल ग्यारह बजे केवल यह विधेयक पारित होगा। कार्य-मंत्रणा में अभी हम तय कर लेंगे कि क्या-क्या लेना है और क्या नहीं लेना

है लेकिन मैं आग्रह करूंगा कल केवल एक विधेयक ये तथा एक और विधेयक, दो विधेयक पारित होंगे उसके बाद जन-गण-मन होगा आज जन-गण-मन नहीं होगा। हम कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक बुला रहे हैं।

(अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न 11.00 बजे बैठेंगे)

(इसके बाद सदन का उपवेशन 01 बजकर 55 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 31 अगस्त, 2016 ई0

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 233 विधान सभा (379) 06-01-2016-813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।